राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या : 11

शुक्रवार,

30 मार्च, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री सूरजभान धानका।

गढ़ी सवाईराम (अलवर) पुलिस चौकी का क्रमोन्नयन

183. **श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस चौकी गढ़ी सवाईराम तहसील राजगढ़ (अलवर) भवन के अभाव में धर्मशाला में चल रही है? क्या सरकार उक्त पुलिस चौकी हेतु भवन निर्माण करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार क्षेत्र में बढ़ते अपराध व मुक़दमों को देखते हुए उक्त पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, गृह (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) जी नहीं। थाना रैणी, तहसील राजगढ़, जिला अलवर में यह पुलिस चौकी करणपुरा के नाम से स्वीकृत है परन्तु कानून-व्यवस्था के कारण वर्तमान में यह कस्बा गढ़ी सवाईराम में संचालित की जा रही है।

(2) जी नहीं। भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल कम होने एवं घटित अपराधों की कम संख्या के अनुसार पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): साहब, गढ़ी सवाईराम से लक्ष्मणगढ़, इधर मण्डावर, इधर राजगढ़, चालीस किलोमीटर की दूरी में और कोई थाना नहीं है। जब तक फोर्स वगैरह पहुंचती है, पीछे आपने देखा, उसमें

(श्री सूरजभान धानका)

भी काफी हुड़दंगबाजी हुई, चुनाव के टाइम भी काफी हुड़दंगबाजी हुई। तो वहां थाना खोलना, मेरे खयाल से, निहायत जरूरी है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से सूचना चाही, आने वाले समय में ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न संख्या-2

(स्थगित)

(दिनांक : 28 फरवरी, 2012)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

श्री अर्जुन लाल।

खनिज और पैट्रोलियम भण्डार के दोहन से प्राप्त आय

184. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या खनिज एवं पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खनिज और पैट्रोलियम भण्डार के बढ़ते दोहन से राज्य की आय में प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य को खनिज और पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से किस-किस रूप में कितनी-कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राज्य के अमूल्य खनिज और पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से होने वाली आय में से राज्य का उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्राप्त आय में से ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्र से होने वाली आय का उचित हिस्सा दिया जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

खनिज एवं पैट्रोलियम मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) जी हां। गत तीन वर्षों में खनिज एवं पैट्रोलियम पदार्थों से रायल्टी के रूप में निम्नानुसार आय हुईः-

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वर्ष	**खनिजों से प्राप्त आय (करोड़ रुपयों में)**	**पैट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त आय (करोड़ रुपयों में)**
2008-09	1275.59	3.27
2009-10	1612.26	103.75
2010-11	1929.58	1607.99

(2) खनिज सम्पदा की शत-प्रतिशत रायल्टी राज्य सरकार को प्राप्त हो रही है। खनिज पैट्रोलियम एवं गैस की भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार रायल्टी राज्य सरकार को प्राप्त हो रही है।

(3) खनिजों के दोहन से होने वाली रायल्टी की आय में से एक प्रतिशत निर्धारित अंश सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। गत तीन वर्षों का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	**ग्राम पंचायतों को देय राशि (लाख रुपयों में)**
2008-09	1161.62
2009-10	1366.80
2010-11	1586.00

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भाग संख्या-2 में आपने जवाब दिया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार खनिज पेट्रोलियम एवं गैस की रायल्टी राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुढा, मंगला, भाग्यम, रामेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या इन क्षेत्रों में जो तेल दोहन हो रहा है और भारत सरकार को उससे जो आय हो रही है, उसमें राज्य सरकार को जो आय मिल रही है उसके क्या मापदंड हैं? कितनी आय दी जाती है राज्य सरकार को और किस दर से कितनी-कितनी तीन साल में भारत सरकार से राजस्थान सरकार को आय प्राप्त हुई है? दूसरा मेरा सवाल है कि वहीं पर यदि रिफाइनरी स्थापित की जाती है तो उससे राज्य सरकार को जो भारत सरकार से आय प्राप्त हो रही है, उससे ज्यादा कितनी आय प्राप्त हो सकती है? और तीसरा, रघु और रामगढ़ और सोनू ये तीन पंचायतें हैं जैसलमेर में, उसमें जी टी पी से जो पैसा मिल रहा है, वह राज्य सरकार ने उन तीनों पंचायतों को कितना-कितना पैसा दिया है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जो रूल्स बने हुए हैं, उसमें बीस प्रतिशत रायल्टी राजस्थान को मिलती है और उसमें जितनी आय हुई, उसका आंकड़ा मैंने माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है। रही बात रिफाइनरी की तो यह प्रकरण काफी लम्बे समय से लम्बित चल रहा है। अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने स्तर पर भारत सरकार के मंत्री स्तर पर बात की। ओ एन जीसी के साथ-साथ एच पी सी एल ने भी अपनी भागीदारी निभाने के लिए एक तरह से सहमति जताई है। हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं और इस सम्बन्ध में जितनी भी छूट को, वायेबिलिटी के लिए कम्पनीज ने जो डिमांड की है, राजस्थान सरकार ने अपनी सहमति उस पर भी दी है और यह आकलन किया जाना कि उससे कितनी आय होगी यह माननीय अध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी जब लगेगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा होगा राजस्थान स्टेट को। तो राजस्थान स्टेट की एक यह महत्वपूर्ण योजना है लेकिन यह बताया जाना कि उससे आय कितनी होगी यह तो भविष्य पर निर्भर करेगा; जब रिफाइनरी लागू होगी तो निश्चित रूप से बड़ी अमाउंट में राजस्थान सरकार को आय प्राप्त होगी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो तीसरा सवाल किया था..

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि पंचायतों को कितनी आय प्राप्त हुई, उसके लिए 2000 से खास तौर से खनिज और पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली नेट इनकम का एक प्रतिशत हिस्सा पंचायतों को उपलब्ध करा दिया जाता है। राज्य सरकार के स्तर पर यह पूरी एक प्रतिशत राशि जिला परिषदों को उपलब्ध करा दी जाती है। जिला परिषदें अपने स्तर पर कमेटी का गठन करके उसका निर्धारण करती है कि किस पंचायत को कितनी राशि मिलेगी। जिलेवार यदि वे जानना चाहते हैं कि किस जिले को कितनी राशि मिली, वह यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आर एस एम एम जो सोनू है, उस पर कई सालों से काम चल रहा है और उसकी रायल्टी एक प्रतिशत ग्राम पंचायत के खाते में आनी चाहिए क्योंकि प्रभावित वे ही हो रहे हैं प्रदूषण से। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां की ग्राम पंचायतों को पूर्ण तौर पर वह रायल्टी एक प्रतिशत नहीं मिली।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

इसके अलावा जी टी पी रामगढ़ बिजली घर है उससे केवल एक रामगढ़ ग्राम पंचायत ही प्रभावित होती है और उससे एक प्रतिशत आज तक किसी भी प्रकार की कोई रायल्टी उस ग्राम पंचायत को नहीं मिली है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या विभाग इसके लिए उस ग्राम पंचायत को देना चाहती है? यदि दी है तो कितनी-कितनी रायल्टी पूर्व सालों में दी गई है? उसके बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि जो नेट इनकम है, रायल्टी की उसका एक प्रतिशत हिस्सा जिला परिषद को दे दिया जाता है। अब ये जिला परिषद सुनिश्चित करेगी कि किस पंचायत में कितनी राशि उनको आबंटित करनी है। तो यह जिला परिषद से ही जानकारी मिल पाएगी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल जिला परिषद को होती है लेकिन ग्राम पंचायत के खाते में जानी चाहिए। यह जिला लेवल पर आती है लेकिन ग्राम पंचायतें वे प्रभावित हो रही हैं, ग्राम पंचायत राघवा हो रही है, ग्राम पंचायत सोनू हो रही है, ग्राम पंचायत रामगढ़ हो रही है। रामगढ़ में आज तक किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से, कृपया यह जानकारी दें कि रामगढ़ ग्राम पंचायत में कितनी राशि अलाटेड है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दुबारा दिखवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं दूसरा निवेदन कर रहा हूं। इस विषय में जो पर्टिकुलर प्रश्न सोनू के बारे में, जैसलमेर जिले की पंचायतों का माननीय सदस्य ने पूछा है, आप इसकी जानकारी करके और यदि कहीं गलती रही है तो एक महीने में उसको दुरुस्त करा करके उस तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट में प्रावधान किया था, उसमें यह लिखा था कि जिस पंचायत में भी जो खनिज उपलब्ध होगा उसकी जो भी रायल्टी बनती है, उसका एक प्रतिशत पंचायत को जाएगा। उसमें जिला परिषद नहीं है। वास्तव में अब तक जिन पंचायतों की जितनी रायल्टी बनी, उसका सौवां हिस्सा भी उस पंचायत को ट्रांसफर नहीं हुआ है। आप चाहो तो धरियावद की भूंगाभट जो एक माइन्स है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
उसकी सेंट-परसेंट रायल्टी वहां की पंचायत को जा रही है। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। यह जो जिला परिषद को देने का आपका तरीका है, जिला परिषद की मर्सी पर हो गया कि उस पंचायत को कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि बजट में प्रावधान बहुत स्पष्ट था कि उस पंचायत को जिस पंचायत के अन्दर जो खनिज निकल रहा है उसकी जो रायल्टी वसूल हो रही है उसका एक प्रतिशत उस पंचायत को जाएगा। पर अकाउंट कहीं भी नहीं हो रहा है। उसके कारण से मनमर्जी से जो देना चाहें, वह दें, जो न देना चाहें, वह न दें। जबकि वास्तव में उस पंचायत का हक है। आपके बजट के प्रावधान से कृपा करके इसको किसी भी तरह से उस रायल्टी का हिसाब...

श्री अध्यक्ष: आसन की ओर से मैंने निर्देश दिया है कि एक महीने में आप इसको एग्जामिन करके जहां-जहां की प्रोब्लम है, उसको साल्व कर दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो फरमाया है, निश्चित रूप जिले में 5-7 पंचायतें ऐसी होती हैं जिनमें खनिज का दोहन होता है। चूंकि यह फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर था कि एक प्रतिशत राशि हम जिला परिषद को दें, मैं अब दुबारा इस सारे को एंश्योर करूंगा कि जिस पंचायत में दोहन होता है, वह राशि उनको मिले। मैं व्यक्तिगत रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस बारे में बात करूंगा।

प्रश्न-संख्या-185

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नन्दलाल मीणा। श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक : 2 मार्च, 2012)

चिकित्सा/शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर भू-आबंटन हेतु निर्धारित शर्तों की पालना

67. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर परिषद, नगर निगम व नगरपालिकाओं द्वारा मेडिकल कालेज/ चिकित्सालय/विश्वविद्यालय/विद्यालय आदि के लिये सस्ती दरों पर भूमि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उपलब्ध करवाई गई है? यदि हां, तो गत दस वर्षों का फर्मों/व्यक्तियों इत्यादि का विवरण अलग-अलग सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फर्मों/व्यक्तियों को किन-किन नियमों व शर्तों के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई गई है तथा उक्त कितनी संस्थाओं/व्यक्तियों ने उक्त भूमि पर निर्माण कराकर गतिविधियां चालू कर दीं और कितनों ने अभी तक चालू नहीं की हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं को सरकार ने कम कीमत पर भूमि जनता को सस्ता एवं सुलभ इलाज तथा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये दी है? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था/व्यक्ति जनता से मनचाहा पैसा वसूल रहे हैं? क्या सरकार ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है या करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार गतिविधि प्रारम्भ नहीं करने वाली संस्थाओं को बेदखल करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर परिषद, नगर निगम व नगरपालिकाओं द्वारा मेडिकल कालेज/चिकित्सालय/विश्वविद्यालय/विद्यालय आदि के लिये राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत रियायती दरों पर विभिन्न संस्थाओं आदि को भूमि आबंटित की जाती है। गत दस वर्षों में आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त संस्थाओं को नगर सुधार न्यास भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं राजस्थान नगरपालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई है। नियमों एवं जारी परिपत्रों/निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। संस्थाओं द्वारा उक्त भूमि पर किये गये निर्माण एवं गतिविधियां बाबत विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(3) जी हां। चिकित्सा संस्थाओं के लिये दिनांक 24.11.2001 के पश्चात् के आबंटनों तथा शिक्षण संस्थाओं के लिये दिनांक 30.09.2005 के पश्चात् के आबंटनों के प्रकरणों में राज्य सरकार के परिपत्रों के अन्तर्गत सशर्त रियायती दर पर भूमि का आबंटन समाज के गरीब तबकों के व्यक्तियों को

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

निर्धारित सीमा तक नि:शुल्क अथवा निर्धारित प्रतिशत तक रियायती दर पर चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। कई स्थानीय निकायों के द्वारा बतलाया गया है कि उक्त संस्थाओं के द्वारा जनता से मनचाहा पैसा वसूल किये जाने के सम्बन्ध में उनके पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर स्थानीय निकायों के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि आबंटन शर्तों का उल्लंघन करने वाली चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जायें। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 08.02.2012 को एवं मेरे द्वारा दिनांक 07.02.2012 को समस्त प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं स्थानीय निकायों से चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थाओं को आबंटित भूमियों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्र करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये हैं, ताकि शर्तों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध स्थानीय निकायों के अलावा राज्य सरकार के स्तर पर भी कार्यवाही की जा सके।

(4) जी हां। आबंटन की शर्तों की पालना न करने अथवा गतिविधियां प्रारंभ न करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्बन्धित प्राधिकरण/नगर सुधार न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा आबंटन शर्तों की पालना करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं जिनकी प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न हैं। राज्य सरकार द्वारा गतिविधियां प्रारम्भ न करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में जितनी भी प्राइवेट चिकित्सा और शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाएं हैं, उनको हमने अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से डी एल सी रेट पर, 50 परसेंट पर, 25 परसेंट पर और कई संस्थाओं को अपन ने मात्र 10 परसेंट पर करोड़ों रुपये की भूमि उपलब्ध करा कर संस्थाओं को अपन ने मदद की। आपने जो मुझे प्रश्न का जवाब दिया इसमें जो परिशिष्ट-ब है जो 24.11.2001 को जी.एस. संधु साहब ने जारी किया, इसके में कुछ वर्डिंग पढ़ रहा हूं कि विभाग इसको कभी देखता भी है या नहीं। जैसा इसमें है, ऐसे चिकित्सकीय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संस्थान जिन्हें इस नीति के अन्तर्गत भूमि आबंटित की जायेगी, वे कम से कम 10 प्रतिशत बिस्तर बी पी एल कार्डधारियों को निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे तथा उपचार पर दवाइयों और जांच आदि पर आने वाले खर्च का मात्र 25 प्रतिशत वसूल किया जायेगा। दूसरा, इस नीति के तहत आबंटित भूमि का उपयोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण हेतु आबंटन की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर किया जायेगा। इसका पालन नहीं करने पर आबंटित भूमि स्वतः राज्य सरकार की हो जायेगी तथा भूमि पर यदि कुछ निर्माण कराया गया होगा तो वह भी राज्य सरकार का माना जायेगा। तीसरा, उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर पेनल्टी वसूल की जायेगी। जिन संस्थाओं को पूर्व में रियायती दर पर भूमि आबंटन किया गया है, उनके सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग यह जांच करेगा कि उक्त शर्तों की पालना हो रही है या नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह जांच रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाई जायेगी।

अब इससे ज्यादा क्या शर्तें लगा सकते हैं? अगर इसका कोई उत्तर आपके पास अब तक प्राप्त हुआ हो; 2001 से लेकर 2012 तक, अगर आपके विभाग में किसी संस्था ने सालाना रिपोर्ट भेजी हो, तो वह दिखा दो। जिस संस्था को अधिकृत किया था कि वह वर्ष में एक बार इसका निरीक्षण करके इसकी रिपोर्ट भेजेगी, तो वह दिखा दो। वहां 10 प्रतिशत बी पी एल परिवारों को बेड मिल रहा है कि नहीं, इसकी आपके विभाग ने कोई जांच की हो तो इसकी मुझे जानकारी दे दें ताकि आपको और मुझे थोड़ा बल मिलेगा।

इसी तरह से फिर आपने 17.12.2007 को एक निर्देश पत्र जारी किया। इस निर्देश पत्र में आपने लिखा है, इस हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा आबंटित भूमि का प्रति वर्ष निरीक्षण किया जायेगा। यदि भूमि का अन्य उपयोग किया जाना पाया जाता है तो यह आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अब तक कितने आबंटन निरस्त हुए? जिन संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटित की गई, यह आपने ही परिशिष्ट ब में जो एन्क्लोजर लगाया है उसी को मैं पढ रहा हूं। जिन संस्थओं को रियायती दर पर भूमि आबंटित की गई है उन संस्थाओं को आबंटन की शर्तें जिसमें आमजन हेतु रियायतों/ सुविधाओं का वर्णन किया गया है, का प्रदर्शन निर्मित भवन के मुख्य द्वार के पास सूचना पट्ट पर स्थायी रूप से अंकित करना होगा। किसी ने किया है क्या? आपके विभाग के किसी आदमी ने जाकर कभी-भूले भटके भी वह संस्था

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

देखी हो और उसके द्वार पर ऐसा कुछ देखा हो; हमें तो दिखा नहीं, हमारी एक नहीं, दो आंखें हैं, उनके ज्यादा हों तो मैं नहीं कह सकता हूं। हमें तो किसी संस्था के द्वार पर यह लिखा हुआ नहीं मिला कि आपको यहां क्या-क्या रियायतें हैं।

तीसरा, शिक्षण संस्थाओं में 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, शहीद सैनिकों के बच्चों व विधवाओं के बच्चों के लिये आरक्षित रखी जायेंगी। इन 25 प्रतिशत सीटों में से अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिये 8 प्रतिशत एवं विकलांगों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षित रखी जायेंगी। जब से अपन ने अलाटमेंट किया, यह कागज उनको अपन ने पकड़ाया और इस बात के लिये आपके विभाग को पाबंद किया, जिला शिक्षा अधिकारी को इस बात के लिये पाबंद किया कि वह संस्था को देख कर प्रतिवर्ष उसकी रिपोर्ट, क्या वस्तुस्थिति है, उसको देवे। अगर आपके विभाग में इन दोनों ही विभागों ने कोई रिपोर्ट भेजी हो; इन संस्थाओं को अरबों-खरबों की सम्पत्ति कौड़ियों में देने के बाद भी अगर उसका लाभ नहीं मिलता है, ऐसी संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जिनको वर्ष में एक बार इनका निरीक्षण करके रिपोर्ट देनी थी और आपके डिपार्टमेंट तक आना था? अगर एक भी रिपोर्ट आई हो तो वह आप सदन के पटल पर रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के खंड 1 पर यह निवेदन किया था कि परिशिष्ट अ मैंने आपको...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वही मैंने पढ़ा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, यह आपने जो कुछ पढ़ा है, यह परिशिष्ट-ब पर है, यह तो नीति पढ़ी आपने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): (अ) में तो लिस्ट है जिनको आपने अलाटमेंट किया, उसको मैंने पढ़ लिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरी अर्ज सुनें। आपने जो कुछ भी पढ़ा, वह नीति का भाग पढ़ा। एक बार यह परिपत्र निकाला, दूसरी बार यह निकाला, तीसरी बार यह निकाला वह नीति है।

आपने यह पूछा कि आपके विभाग के द्वारा शिकायत मिलने पर या जांच करने पर क्या कार्यवाही की गई, उसके लिए मैंने परिशिष्ट-अ आपको

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

दिया है, जिसमें लिखा है जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा पिछले 10 वर्ष में, क्योंकि आपने 10 वर्ष का ही मांगा है। एक बात बहुत स्पष्ट मैं आपको बता देता हूं, आपका जो प्रश्न था, प्रश्न था सिर्फ चार बातों को लेकर। 10 वर्ष, 10 वर्ष के अन्दर-अन्दर अलाटमेंट, मेडिकल कालेजेज के लिए, विद्यालयों के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए और एक था चिकित्सालयों के लिए, सिर्फ चार के लिए। जमीन तो सरकार के द्वारा, चाहे सरकार आपकी रही हो या हमारी रही हो, समाजों के लिए, कई दूसरे परपज के लिए नि:शुल्क भी दी गई है, एक रुपये में भी दी गई है, 10 परसेंट में भी दी गई है, 20 परसेंट में भी दी गई है, वगैरह-वगैरह, जैसा भी है। आपने सिर्फ चार बातों को पूछा। उनके बाबत मैंने आपको पूरे राजस्थान का, 185 नगरपालिकाएं, जयपुर प्राधिकरण, जोधपुर प्राधिकरण और 11 नगर विकास न्यास, इनके द्वारा 10 साल के अन्दर जो भी अलाटमेंट इन चार चीजों के लिए हुए हैं, उनकी डिटेल आपको दी है। उस डिटेल को अगर आप देखेंगे तो यह देखने को मिलेगा कि कई जगह जहां शिकायत प्राप्त हुई, उनके आबंटन निरस्त कर दिये गये हैं चाहे वह जयपुर का किस्सा हो, चाहे वह जोधपुर का किस्सा हो, चाहे कहीं का भी किस्सा हो जहां यह सवाल आता है।

मैं भी इस बात से राज़ी नहीं हूं; जितना काम विभाग को इस दृष्टि से करना चाहिये था और जिस प्रकार शिकायतें आम तौर पर समाचार पत्रों में आती हैं मनचाहा पैसा वसूल करने की, उतना काम नहीं किया गया। उसी के लिए, इन्हीं बातों को लेकर सबसे पहले एक आदेश निकाला गया। 2003 से 08 तक आपकी सरकार रही एक आदेश निकला हो तो बता दो आप; एक आदेश। जमीनें आपने भी दीं, इन्हीं को दीं लेकिन जिस जमीन का समुचित उपयोग हो पाया या नहीं हो पाया इसकी जांच पांच साल तक आपने एक ने भी नहीं की। अब मैं आपको बताता हूं कि...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जो गलती हमने की, वही गलती आप भी करोगे?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्या बात हुई? जवाब दे रहे हैं ना पूरा, आप सुनना ही नहीं चाहते। जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दोनों मिलकर लूट रहे हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपका नम्बर आना नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहली बार 9 नवम्बर, 2010 को, इन सब बातों की शिकायतें, समाचार पत्रों में जब ये खबरें आने लगी कि मनचाहा पैसा चिकित्सालय वसूल कर रहे हैं, वे शर्तों की पालना नहीं कर रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं में भी लूट मची हुई है, अंधाधुंध फीस बढ़ा दी गई है, तो पहली बार यह लिखा गया प्रिसिंपल सेक्रेटरी (यू डी एच) के द्वारा प्रिसिंपल सेक्रेटरी (हैल्थ) को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को, दोनों को लिखा गया क्योंकि दो ही परपज हैं, जमीन शिक्षा को जाती है या चिकित्सालय को जाती है। इसमें प्रिसिंपल सेक्रेटरी (यू डी एच) ने लिखा कि मैं आपका आभारी रहूंगा कि यदि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ऐसी निजी संस्थाओं का नियमित निरीक्षण कराकर, निरीक्षण कराने की जिम्मेदारी एक अकेले शहरी विकास विभाग की नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की भी है और शिक्षा विभाग की भी है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी अच्छी तरह से जानता है कि किन चिकित्सालयों को वह जमीन रियायती दर पर दी गई है और उनमें क्या हो रहा है, वे शर्तों की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे है। इसी तरह से शिक्षा विभाग भी जानता है कि जो स्कूल्स है जिनको रियायती दर पर जमीन दी गई है, वे उन शर्तों की पालना कर रहे हैं या उसका उल्लघंन कर रहे हैं। तो पहली बार इन दोनों को पत्र लिखे गये जिसमें साफ-साफ लिखा गया कि नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित करेंगे,, इन नियमों का पालन नहीं करने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में जिला कलक्टर एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को सूचित करावें ताकि आबंटित भूमि को निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके। सभी स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र की ऐसी संस्थाओं की सूची व आबंटन शर्तें चिकित्सालय विभाग के स्थानीय अधिकारियों को भी भेजने के निर्देश दिये गये, यह तो हुआ नवम्बर, 2010 में।

उसके पश्चात् यह इसी तरीके का पत्र 185 नगरपालिकाओं को भेजा गया। 185 के अलावा जितने भी नगर सुधार न्यास थे, उनको भेजा गया और दोनों प्राधिकरणों को भेजा गया। इसके बाद 17 नवम्बर, 2011 को फिर विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि ऐसी चिकित्सा शिक्षण संस्थाएं जिनके भूमि आबंटित की गई है कि बाहर, जैसा आपने फरमाया अभी, सहज दृश्य स्थान पर बोर्ड लगाया जाए। यह डायरेक्शन दिये, हो सकता है, नहीं लगे हों। जैसा कि आपने कहा कि मैंने तो कहीं देखा नहीं; आपने नहीं देखा; एकाध जगह हमने भी देखा और किसी जगह नहीं भी देखा, नहीं देखने

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को स्वीकार करता हूं कि बोर्ड लगाये जाएं जिसमें उनके द्वारा बी पी एल कार्ड धारियों को क्या-क्या सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, नि:शुल्क रियायती दर पर आबंटित जमीन, आबंटित वर्ष का उल्लेख भी किया जाए कि किस वर्ष में उनको जमीन दी गई। फिर इसी के बाद में उनको यह लिखा गया कि...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप क्वेश्चन को लम्बा मत करो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, भाई साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं तो टू-दी-पाइंट, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा। एक मिनट विराजो। अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त चिट्ठी लिखने का मतलब है कि हमारे विभाग की क्रियाशीलता ही नहीं। हमको अतिरिक्त चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही क्या है? जब हमने जिस समय अलाटमेंट लैटर दिया उसी समय हमने अपने निर्देश इसके साथ लगाये हुए हैं और सम्बन्धित विभाग को भी इसमें इन्स्ट्रक्शन दिये हैं कि वर्ष में एक बार वे इसकी जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग आपके विभाग को वर्ष में एक बार देगा। यह इसमें लिखा है। इसकी पालना के लिए दस चिट्ठियां निकालने से क्या फायदा होगा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसी बात पर आ रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक मिनट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंशा आपकी और हमारी यह है कि अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी चिकित्सा हो और इसलिए करोड़ो-अरबों रुपये की सम्पत्ति इनको अपन ने सुपुर्द की। जिन डायरेक्शंस के तहत अपन ने दी और जिसकी पालना उस विभाग को भी करनी थी, उस जिला शिक्षा अधिकारी को भी वर्ष में एक बार रिपोर्ट देनी थी, यह आपके परिपत्र जो 2005 में जारी किये स्कूलों के लिए, उसमें जारी कर दिया, चिकित्सालय के लिए आपने 2001 में जो निर्देश जारी किये उसमें दे दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं, इसकी पालना किसने क्यों नहीं की और अगर नहीं की तो वह अधिकारी कौन है जिसके दोष के कारण इस व्यवस्था को जिस रूप में अपन लाना चाहते थे, वह ला नहीं पाये?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसी का जवाब दूं? जो आपने पूछा, उसका तो जवाब दूंगा ही, इसके अलावा एक नया फैक्ट और आपके सामने ला दूं। 2001 में जैसा आपकी जानकारी में आ गया, 2001 में चिकित्सा के सम्बन्ध में परिपत्र निकाला गया कि ये-ये शर्तें होंगी, इन शर्तों के अलावा रियायती जमीन नहीं दी जाएगी और ठीक 2005 में आप लोगों ने निकला दिया था, शिक्षण संस्थाओं के लिए निकाला। उसके पहले जितने भी आबंटन हुए, चाहे चिकित्सालय के लिए हुए, विश्वविद्यालय के लिए हुए, किसी के लिए भी हुए, उसमें कोई शर्तें तो थी नहीं। जब शर्तें नहीं थी तो वह शर्तों के लिए पाबंद नहीं था। उसके बावजूद भी हमने उनको यह लिखा कि 2001 के पहले जिन चिकित्सालयों को नि:शुल्क/रियायती दर पर भूमि आबंटित की गई है,उन चिकित्सालयों से नेगोशिएशन कर बी पी एल मरीजों का नि:शुल्क इलाज करवाने की कार्यवाही की जाए। जो शर्त से पाबंद नहीं हैं, उनको भी बुलाओ और बुलाकर के उनसे भी कहो कि अब आपको ये शर्तें माननी पड़ेगी, ऐसा नेगोशिएशन उनके साथ करो। यहां तक कहा।

अब उस सवाल का मैं जवाब देता हूं, जैसा आपने फरमाया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अगलों का नम्बर आएगा कि नहीं? लेकर ही बैठ गये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कहां-कहां वायलेशन हुए, कहां नहीं हुए, आप परिशिष्ट-अ निकाल लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बहुत कम हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, बहुत कम हैं, मैं भी मानता हूं। मैं मानता हूं, तीन-चार नहीं हैं काफी हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जितना काम इस दृष्टि से होना चाहिये था नहीं हुआ। वह तो मैं शुरू में स्वीकार कर चुका हूं। अब आप इसमें देख लें, परिशिष्ट-अ का पेज एक है जिसमें जयपुर प्राधिकरण का मामला है। इसमें देखिये 5 या 6 संस्थाएं इस प्रकार की है जिसमें इनको शर्तें माननी चाहिये थी; जो सर्वे करवाया गया, उसमें इन शर्तों की पालना की जा रही है। इसके अलावा दूसरे पेज पर आप देखें, 19 से 25 तक, ये सब संस्थाएं उन शर्तों की पालना नहीं कर रही तो उनको नोटिसेज जारी कर दिये हैं, उनको नोटिसेज जारी हो चुके हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं प्रश्न को, मेरी सरकार ने गलती की, आपने गलती की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मेरा मन यह कहता है कि चाहे जिस अधिकारी को, जिन निर्देशों के तहत ये जमीनें दी थीं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

न तो आप मंत्री इस-इस रोज इस फाइल को देखोगे' ना मैं देखूंगा, जिन अधिकारियों को इसके लिए अपन ने पाबंद किया था जमीन देने के साथ कि वर्ष में एक बार वे निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को भेजेंगे, अगर उन्होंने इन शर्तों की पालना नहीं की, तीन साल में ही उनकी जमीन निरस्त भी करेंगे और आधा-अधूरा अगर कंस्ट्रक्शन भी होगा तो आप अपने कब्जे में ले लेंगे, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि इन दस वर्षों में आपने कितनी संस्थाओं की जमीन को टेक-ओवर कर लिया? कितनी संस्थाओं को आपने यह जमीन वापस प्राप्त करने के लिए उनको नोटिसेज जारी कर दिये? वह दस साल में पांच साल हो या तीन साल हो, मैं भी उसमें शरीक हूं और आप भी इसमें शरीक हैं, इसको अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है। मेरी मंशा, मेरी मंशा केवल इतनी है कि हमने अरबों-खरबों रुपये की सम्पत्ति इन संस्थाओं को कौड़ियों में लुटा दी और यह संस्थाएं जिस ढंग से गरीबों को लूट रही हैं कि अफसोस होता है कि मुख्य मंत्री स्वयं को यह कहना पड़ा की वेंटिलेटर पर दो-दो, तीन-तीन दिन रखकर ये संस्थाएं पैसा वसूल कर लेती हैं, जिनको हमने दस परसेंट और बीस परसेंट पर दी और वह भी डी.एल.सी. दर, डी.एल.सी. दर मार्केट रेट से 1/10 है। आज की तारीख में अरबों-खरबों की यूनिवर्सिटी के मालिक बन गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई न कोई, मैं यह कह रहा हूं कि जिन अधिकारियों को यह काम समय पर करना था, वह चाहे कोई भी विभाग हो, उन्होंने इस कार्यवाही को समय पर नहीं किया। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने वाले हैं? एक। और जिन संस्थाओं ने आज की तारीख में इन नियमों की अवहेलना की, उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहली बात तो यह है कि जिन संस्थाओं ने इन शर्तों की पालना नहीं की, उनके खिलाफ कहां-कहां पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यह निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर में ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आठ-दस जगह हैं, नोटिस दिये हैं केवल। कुछ नहीं हुआ है। यह नोटिस आपके और मेरे पास रह जाएगा। देखो, ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह नहीं, लेकिन जो कार्यवाही हुई है, वह तो बताऊं न। आप वही पूछना चाहते हैं।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

आप वही पूछना चाहते हैं। 35 कुल मिलाकर भूमियां प्राधिकरण के द्वारा इन दस वर्षों में अलाटमेंट की गईं; 35, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा। इनमें 12 में अभी तक जांच चल रही है और नोटिसेज इश्यू हो चुके हैं। यह तो जयपुर विकास प्राधिकरण की बात है। जोधपुर विकास प्राधिकरण को लेंगे आप, तो जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 18 कुल भूमियां आबंटन की गई है। उन 18 में से एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ग्यारह-बारह भूमियों को निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि वे शर्तों की पालना नहीं कर रही थीं इसलिए निरस्त कर दिया गया है। यह है, आप रिकार्ड देखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं देख रहा हूं। आप जबरदस्ती उलझ रहे हो। मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको नहीं देखा। मेरी यह मंशा नहीं है। इसमें से कुछ जमीन तो जो समाजों को दी है, उसको भी आपने निरस्त किया है। इसको क्यों? मैं तो केवल, किसी समाज को एक भी जमीन निरस्त मत करो क्योंकि वह समाज की है लेकिन जिन्होंने व्यवसाय करने के लिए हमारा दुरुपयोग किया और उसके बाद ठोक कर पैसा कमा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): समाज की नहीं है, समाज की नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह लिखा है न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं है समाज की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह आपका लिखा है- समस्त पीपा क्षेत्रीय न्यासी, जोधपुर संस्था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): समस्त पीपा क्षेत्रीय न्यासी, जोधपुर संस्था। यह क्या करती है संस्था? यह तो उनकी समाज की है। ऐसी किसी संस्था को निरस्त करने की जरूरत नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसमें भी आपसे प्रार्थना करता हूं, एक मिनट, दो तरह की संस्थाओं का आप चयन करो। एक तो जो समाज चलाकर, जनता की सेवा के लिए अपने साधन जुटाकर काम करता है और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नोमिनल पैसे पर करता है, उसको अलग करिये। लेकिन जिन्होंने इसको लेकर के लाखों रुपये का, एक तरह से अपनी इंडस्ट्री बनाकर के, सारे के सारे उद्योग के जितने भी बड़े-बडे परिवार हैं न, वे सारे के सारे इस व्यवसाय में आ गये और इससे बढ़िया कमाई का कोई दूसरा व्यवसाय आज की तारीख में नहीं रहा है, क्योंकि हींग लगे न फिटकरी, कौड़ियों में जमीन मिलती है, पैसा आसानी से, बैंक से लोन मिल जाता है, संस्था पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाती है। केवल दो करोड़ ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने, इन निर्देशों की पालना जिनको करनी थी वर्ष में एक बार, जिन्होंने नहीं की, उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? एक। और जिन संस्थाओं ने इन नियमों की पालना नहीं की पिछले दस वर्षों में, उन पर आप क्या आगे, नोटिस कोई समस्या का हल नहीं है; जब तक आप टेक-ओवर नहीं करोगे दस-बीस सम्पत्तियों को, तब तक इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा, चाहे आप एक-दो ही करो पर ऐसा सक्षम आदमी करो, जो लूट रहा है समाज को, तो भी हमारे मन को संतोष होगा कि कोई कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर का मामला है, साहब।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, एक मिनट। दो पूरक प्रश्न और हो जाएं, उनका भी साथ ही जवाब दे देना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या, साहब?

श्री अध्यक्ष: दो पूरक प्रश्न और पूछ रहे हैं, उनका भी साथ ही जवाब दे दें। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास और श्री अमराराम। विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, यह सवाल...

श्री अध्यक्ष: साथ ही निपटा दें। साथ ही दे दें दोनों का भी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिलकुल। हां, दे दूंगा जवाब। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कौड़ियों में जमीन दे दी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: मैंने अलाउ किया है जिनको। नहीं, नहीं। श्री प्रताप सिंह। श्री प्रताप सिंह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर का मामला है, इसलिए पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खचरियावास।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर भी है, अजमेर भी है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न किया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से आपसे मैं रक्षा चाहूंगा पूरे राजस्थान की। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों, हमारा राज रहा हो या उनका राज रहा हो, दोनों ने मान लिया कि लूट तो हुई है। चिकित्सा के क्षेत्र में लूट हुई और शिक्षा के क्षेत्र में लूट हुई, बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों मान रही हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, वही प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी एक तो आज सदन को यह स्पष्ट कर दें कि क्या भविष्य में राजस्थान की जनता को बचाने के लिए, राजस्थान की सरकार के पैसे को बचाने के लिए हम कोई ईमानदारी से निर्णय करना चाहते हैं कि आगे से हम किसी को भी इस तरह की भूमि नहीं देंगे? इस तरह का हम सदन से प्रस्ताव पास क्या करना चाहते हैं?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि सब जगह गड़बड़ तो हो रही है, उस गड़बड़ के बीच में कार्यवाही कहीं भी नहीं हुई। ऐसे में क्या ऐसी कोई डेट है हमारे पास, जिस दिन से राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मंत्रीजी, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं, जयपुर से शुरुआत करना चाहते हैं? ऐसे कौन से शिक्षा क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से चिकित्सा के माफिया हैं जो जनता को लूट रहे हैं और सरकार की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो कितनी तारीख से उनके खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछूंगा कि 20 साल पहले बिड़ला को हार्ट हास्पिटल के लिए गोपालपुरा में 105 बीघा जमीन अलाट की गई, जे.डी.ए. के द्वारा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो दस साल का ही सवाल है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह सवाल पढ़ो आप। सिर्फ दस साल तक की पूछी गई है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चिकित्सा में बता रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप तो बाबा आदम के जमाने की पूछोगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आदम का नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 105 बीघा जमीन ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह पुराना प्रकरण है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 105 बीघा जमीन गोपालपुरा में हार्ट हास्पिटल के लिए बिड़ला को नोमिनल रेट पर दी गई और पांच साल में हार्ट हास्पिटल शुरू करना था। बीस साल में आज तक एक ईंट भी 105 बीघा जमीन में नहीं लगाई।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। मंत्रीजी, जवाब दे दें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप कह रहे हैं शिकायत, तो क्या आप 105 बीघा हास्पिटल के लिए जो जमीन दी है, इसको निरस्त करना चाहते हैं? क्या इसकी जांच की जाएगी?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि क्या सदन के माननीय सदस्यों की समिति बनाकर इसकी जांच की जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इसमें सदन के सदस्यों की समिति बनाकर जांच की जाएगी?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, नहीं तो मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं। आप केवल कटारियाजी और माननीय प्रतापसिंहजी के सवाल का जवाब दे दें। That's all. । (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 105 बीघा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, विराज जाएं। मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वैसे आपने जो बात उठाई है, उसकी सूचना लेकर मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल आप माननीय कटारियाजी और खाचरियावासजी के सवाल का जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका रिकार्ड नहीं हो रहा, फिर भी मैं आपका जवाब भेज दूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 18 जोधपुर में अलाटमेंट हुए, उनमें से 14 निरस्त कर दिये गये, 14 और मैं एक-एक का बता सकता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 14 निरस्त कर दिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसी तरीके से अजमेर को ले लीजिए आप, बीकानेर को ले लीजिए आप और उदयपुर को ले लीजिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जिन अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करना था, जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? यह बता दें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उदयपुर का ले लीजिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हां, हां उदयुपर का भी ले लो। मुझे उदयपुर से कोई डर नहीं लगता है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उदयपुर में कुल मिलाकर 13 अलाटमेंट हुए, 13 अलाटमेंट में से भी कम से कम आठ-नौ अलाटमेंट ऐसे थे जिन पर कि शर्तें लागू नहीं हो सकती थीं क्योंकि वे 2001 और 2005 के पहले के थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह खतम हो गई बात ही। वह तो मैंने देख ली।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बाकी रह गये पांच या छह। उन पांचों-छहों में जो मेरे पास सूचना आई है... (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इन पांच-छह में ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक में ...(व्यवधान) नहीं हुआ। बाकी चारों में ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। किसी का अंकित नहीं करें। श्री कालीचरण सराफ। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ... (व्यवधान) सारी शर्तों की पालना कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं उसी बात पर आता हूं। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिये। अधिकारियों की जिम्मेदारी के बाबत कहा आपने कि इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिये। मैं आपकी सूचना के लिये ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। अगला प्रश्न पुकार लिया मैंने। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): प्रश्न संख्या 186 ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देवस्थान मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, नहीं, जरा सा यह रह गया।

श्री अध्यक्ष: हो गयी न बात। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, देखिये असल बात जो आप पूछना चाह रहे थे अधिकारियों की जिम्मेदारी के लिये...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सरकार की तरफ से यह आदेश जारी ...(व्यवधान) निश्चित करने के लिये स्थानीय निकाय स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। इन कमेटियों का गठन निम्नानुसार किया जा रहा है, जयपुर विकास प्राधिकरण की कमेटी बनायी जा रही है, नगर सुधार न्यासों में बनाई जा रही है, नगर निगमों के स्तर पर

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बनाई जा रही है, और नगरपालिकाओं में बनाई जा रही है, और इनमें तीन महीने के अन्दर-अन्दर उनसे रिपोर्ट मांगकर के जिस अधिकारी की गलती होगी, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप जवाब दें। (व्यवधान) और किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं, इनको बता दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह भूमि सीलिंग की भूमि थी, जिस पर आज भी स्कूल चालू है। (व्यवधान) आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। (व्यवधान) स्कूल चालू है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज भी स्कूल चालू है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। श्री अमरारामजी, कृपया विराज जायें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। इस पर ऐसे नहीं चल सकता। (व्यवधान) आप विराज जायें। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

(भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: चलिये आगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिड़ला को जमीन दी गयी, जहां पर आज भी स्कूल चालू है और बाकी जमीन पर अस्पताल की कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

सहायक आयुक्त (द्वितीय) जयपुर के विरुद्ध जांच

186. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सम्पत्ति में गैर-कानूनी तरीके से किरायेदार रखने और उनसे कम किराया वसूलकर सरकार को नुकसान पहुंचाने के मामले में सहायक आयुक्त (द्वितीय) जयपुर के विरुद्ध जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कब? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच में सम्बन्धित अधिकारी को दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। श्री राधेश्याम शर्मा, तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर के विरुद्ध भरतपुर संभाग के मूल किरायेदारी/उप किरायेदारी के नियमन एवं किराया वसूली के मामलों में अनियमितता के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच करवाई गई तथा सम्बन्धित के विरुद्ध सी सी ए नियम 16 के अन्तर्गत जांच कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।

(2) चूंकि श्री शर्मा राजपत्रित अधिकारी हैं, अतः उनके विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के आधार पर सी सी ए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे गये हैं। कार्मिक

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

विभाग के स्तर पर जांच विचाराधीन होने के कारण अधिकारी दोषी है अथवा नहीं, के विषय में बताया जाना सम्भव नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक 32 लाख 19 हजार का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज क्यों नहीं की गयी? नम्बर एक। दूसरा, आडिट में यह मामला कब पकड़ में आया और आपने विभागीय कार्यवाही कब की? तीसरा, इतना गम्भीर मामला होते हुए भी इसकी जांच ए.सी.डी. से क्यों नहीं करवाई गई? और इस प्रकार के भ्रष्टाचारी को आप क्यों बचाना चाहते हैं? इन सब बातों का जवाब दे दीजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (देवस्थान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे हैं, इसमें मैं यह बताना चाहता हूं कि जो जांच आडिट पैरा में आई, वह...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): महालेखाकार की रिपोर्ट कब आई?

श्री बृजकिशोर शर्मा (देवस्थान मंत्री): मैं बता रहा हूं, थोड़ा शांति रखें।

श्री अध्यक्ष: धैर्य रखें आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (देवस्थान मंत्री): यह जांच रिपोर्ट जो हुई है सी.ए.जी. की, यह 2005 में हुई है और 2005 में सरकार इनकी थी, एफ आई आर दर्ज करानी थी तो इनको करानी थी; ए सी बी को जांच करानी थी तो इनको करानी थी। हमने तो हमारे पास में जब रिकार्ड ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 2008 से तो आप हो। अब तीन साल में क्या किया, वह बताओ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (देवस्थान मंत्री): वह भी सुनिये, दे रहा हूं आपको जवाब।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके निकम्मेपन को ढो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह लेखा-जोखा पुराना भी दे रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (देवस्थान मंत्री): आपका जवाब भी दे रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): देओ, देओ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (देवस्थान मंत्री): और आपका यह जवाब, 2005 के ही नहीं हैं, पांच साल तक आप इनको ऐसे ही घुमाते रहे हो।

श्रीमती बीना काक (पर्यटन मंत्री): मंत्री कौन था तब?

श्री बृजकिशोर शर्मा (देवस्थान मंत्री): अब मंत्री कौन था, यह भी आपको मालूम होना चाहिये। मंत्री उस समय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी थीं, जिनके पास देवस्थान विभाग था।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आगे बढ़ो।

श्री अध्यक्ष: आपको भी यही मालूम करवाना था क्या?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ये नेता प्रतिपक्ष की दुर्गति कर... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 2008 से आपकी सरकार है और 32 लाख रुपये का गबन जिसने किया, उसके खिलाफ आप फाइल दबाकर बैठे हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): तीन साल तक उसको किसने बचाया? आपकी मुख्य मंत्री ने बचाया। तीन साल तक लगातार ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अरे, भगवान, आप कहां से खड़े हो गये? इनको जवाब देना आता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते क्या?

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): यह प्रश्न काल है, हर प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये बीच में क्यों खड़े हो गये?

श्री बृजकिशोर शर्मा (देवस्थान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ने 19.1.2011 को जब सहायक आयुक्त, श्री राधेश्याम शर्मा ने जवाब नहीं दिया तो हमने इनके खिलाफ 16 सी सी ए की कार्यवाही करके और गवर्नमेंट, डी ओ पी को 23.11.2011 को भेज दिया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 32 लाख रुपये का गबन किया और उसके बाद ... (व्यवधान) सुनिये, आप बीच में क्यों बोल रहे हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वे भी सदन के मेम्बर हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, मुझे पता है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह आपकी साजिश से हुए हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपको मैं इसकी जानकारी देना चाहूंगा...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके कर्मों को हमारे पर मत डालो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जब मंत्रीजी की जानकारी में आ गया, उसके बाद इन्होंने फाइल दबाकर रखी, उसमें कोई कार्यवाही नहीं की और उसको फील्ड की पोस्टिंग पर रखा। फिर एक श्रीमानजी ने मुख्य मंत्रीजी को शिकायत की।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपका प्रश्न क्या है, यह बताओ ना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सुनते क्यों नहीं हो?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये ना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मुख्य मंत्रीजी को शिकायत करने के बाद कार्मिक विभाग को 16 सी सी ए की कार्यवाही करने के लिये ....(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, ये रघु शर्मा मुख्य मंत्री नहीं, सचेतक हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने 16 सी सी ए की कार्यवाही नहीं की, मामले को पैण्डिंग कर दिया। होना तो यह चाहिए था, जब पता लग गया कि दस लाख का गबन हुआ है, उसी समय एफ आई आर दर्ज होती और उसकी ए सी डी से जांच होती। यह आपने नहीं कराया। इस मामले को रफा-दफा करने के लिए 16 सी सी ए का नोटिस दे दिया और कार्मिक विभाग को भेज दिया। मामले को दबाने का प्रयास किया है आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जबाव दे दूं। मेरे पास तो 19.1.2011 को यह मामला आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है न कि 'सारे मंदिरों का चन्दा खा गये' यह एक्सपंज हो जाएगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किसने कहा? बताओ, कब से राम मन्दिर की रिपोर्ट चल रही है? अब तक बनाया क्या इन्होंने राम मन्दिर? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): राम मन्दिर तो बना हुआ है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मेरे पास तो यह मामला 19.1.2011 को आया और 23.11.2011 को कार्यवाही कर दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कर्नल सोनाराम।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, राम मन्दिर की ईंटों के पैसे का हिसाब कहां है?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मदनजी, अयोध्या की बैंक में चले जाओ, अयोध्या। (व्यवधान)

बाड़मेर जिले में जीरा/ईसबगोल/अरण्डी के खरीद केन्द्रों की स्थापना

187. **श्री अमराराम** (दांतारामगढ़) (कर्नल सोनाराम के स्थान पर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर, जालोर, जोधपुर एवं पाली में जीरा, ईसबगोल और अरण्डी का उत्पादन गत वर्षों में कई गुना बढ़ा है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के किसान ईसबगोल एवं जीरे के विक्रय हेतु गुजरात स्थित ऊंझा मण्डी में जाते हैं?

(3) क्या सरकार किसानों के हित को मध्यनजर रखते हुए जिले की उपज की खरीद जिलों में ही करने के लिए खरीद केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार बाड़मेर जिले का खरीद केन्द्र बालोतरा या बाड़मेर में सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय कृषि विपणन मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): (1) जी हां। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर एवं पाली जिलों में जीरा, ईसबगोल और अरण्डी के उत्पादन का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) कृषक अपनी उपज का कहीं भी विक्रय के लिए स्वतंत्र है। यह क्षेत्र गुजरात सीमा से लगा होने के कारण किसान ईसबगोल एवं जीरा विक्रय हेतु गुजरात स्थित ऊंझा मण्डी में जाते हैं।

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

(3) जी नहीं। कृषक अपनी उपज को कहीं भी विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है। बाड़मेर जिले में 2, जालोर जिले में 3, जोधपुर जिले में 5, पाली जिले में 5 कृषि उपज मण्डी समितियां स्थापित हैं जहां किसान अपनी उपज विक्रय कर सकता है। पृथक से खरीद केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी नहीं। बाड़मेर एवं बालोतरा में मुख्य मण्डी प्रांगण स्थापित किए हुए हैं एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दो सालों में तीन जिलों में बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में जीरा और ईसबगोल की कितनी पैदावार हुई और उसमें से हमारे राज्य में उसकी कितनी बिक्री हुई? यह नहीं है कि किसान उसको कहीं ले जाकर बेच दे। इसके अलावा यह भी बतायें कि हमारी मण्डियों में कितनी-कितनी खरीद-फरोख्त हुई? राजस्थान से बाहर जाकर बिकने से हमारे वैट का...

श्री अध्यक्ष: किसान को नियमों में इस बात का प्रावधान है कि वह अपनी फसल को कहीं भी जाकर बेचे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बेच सकता है। मैं यह नहीं कह रहा है कि नहीं बेच सकता लेकिन हमारा जिंस बाहर जाकर बिकता है तो उसका वैट गुजरात को जाता है। राजस्थान को सौ डेढ़ सौ करोड़ रुपये का नुकसान होता है। उसको रोकने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वाजिब कीमत पर बिके। अध्यक्ष महोदय, ईसबगोल और जीरा महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो क्या सरकार गुजरात से ज्यादा कीमत पर खरीदने का विचार रखती है? क्योंकि बहुत सी चीजों को सरकार खरीदती है। जीरा एक ऐसी फसल है जो बहुत कम होती है। हमारे यहां इन्हीं जिलों में होती है। वह गुजरात जाकर बिकती है। क्या सरकार इसका विपणन करने का इरादा रखती है? पिछले दो सालों में कितनी पैदावार हुई तथा इन मण्डियों में इसका कितना विक्रय हुआ?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। इनका जबाव आ जाने दीजिए, मंत्रीजी का। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजो। अंकित नहीं हो रहा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): बाड़मेर मण्डी में जीरा 2008-09 में 8060 किलो, 2009-10 में बाड़मेर मण्डी में जीरा 15,083 किलो...(व्यवधान) नहीं, क्विंटल में है। वर्ष 2010-11 में बाड़मेर मण्डी में जीरा 28,410 किलो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनो तो सही।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह हालत है! इनको पता ही नहीं क्विन्टल है या किलो है।

श्री अध्यक्ष: विराजें। आप जवाब आने दीजिए। व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय सदस्य, 28 हजार क्विंटल है और 410 किलो है। इसी तरह जालोर में जीरे का 2008-09 में 11,167, 2009-10 में जालोर में जीरे का 32,050 और 2010-11 में 27030, जोधपुर में 2008-09 में 13,345, 2009-10 में 19,113, 2010-11 में 25,379 ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह बिक्री है तो फिर पैदा कितनी हुई थी? इतनी पैदा हुई और इतनी खरीद हुई साल में, यह तो बतायें। इससे पता लगेगा कि पैदावार कितनी हुई।

श्री अध्यक्ष: आप पूरा जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सवाल सुन लेंगे, अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह तो बतायें कि 2008-09 में इतनी पैदा हुई है। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले तो बोल गये कि 'अध्यक्ष महोदय', उसके बाद विराज गये आप। बैठिए अब।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): टोटल माल की राजस्थान में बिक्री 16 से 20 प्रतिशत है और 80 प्रतिशत माल गुजरात की ऊंझा मण्डी में जाता है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उसको रोकने के लिए क्या उपाय हैं आपके पास?

श्री अध्यक्ष: आप उनको उपाय बताने तो दो, आप उससे पहले ही खड़े हो जाते हो। उपाय बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी मान रहे हैं कि 80 प्रतिशत फसल बाहर जा रही है।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): हां, जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पूरा जबाव तो आने दीजिए।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मसाले वाली 80 प्रतिशत फसल राजस्थान से ऊंझा मण्डी में जाती है। उसका मुख्य कारण है कि पार्टिशन के पहले से ही लोग उस मण्डी से जुड़े हुए हैं। उनके भावनात्मक रिश्ते उनके साथ हैं। इसलिए माल वहां ज्यादा जाता है। 80 परसेंट व्यापारी यहां की मण्डियों में काम नहीं कर रहे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। मंत्रीजी, बिराजें।

प्रश्न संख्या-188

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कल्याण सिंह चौहान। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

राजसमन्द आगार से नवीन मार्गों पर बस संचालन हेतु सर्वे

189. **श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजसमन्द डिपो को और अधिक वाहन एवं कर्मचारी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस आधार पर एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजसमन्द डिपो के अन्तर्गत आमेट से अहमदाबाद, आमेट से बड़ोदा एवं आमेट से सूरत, नाथद्वारा से मुम्बई, नाथद्वारा से हरिद्वार, रेलमगरा से (वाया नाथद्वारा, गांवगुडा) कुम्भलगढ़, रेलमगरा से (वाया नाथद्वारा, खमनोर), उदयपुर एवं अन्य ग्रामीण मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

(3) सरकार द्वारा राजसमन्द डिपो के अन्तर्गत किस-किस मार्ग पर वाहन चलाने का कब-कब सर्वे कराया गया है तथा किस-किस मार्ग को लाभकारी माना गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह राज्य मंत्री।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत राजसमन्द जिला मुख्यालय पर डिपो निर्माणाधीन है। इस डिपो के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् इसकी कार्यशाला एवं बस स्टैंड के लिए आवश्यकतानुसार वाहन एवं कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) वर्तमान में राजसमन्द क्षेत्र से आमेट-अहमदाबाद, आमेट-बड़ोदा मार्गों पर दो बसों का संचालन किया जा रहा है।

आमेट-सूरत, नाथद्वारा-मुम्बई, नाथद्वारा-हरिद्वार अन्तरराज्यीय मार्गों पर गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तराखण्ड राज्यों के साथ पारस्परिक अन्तरराज्यीय परिवहन करार में ना होने के कारण संचालन किया जाना सम्भव नहीं है किन्तु वर्तमान में उदयपुर से हरिद्वार वाया नाथद्वारा निगम बस सेवा संचालित है।

(12.00 बजे)

रेलमगरा से (वाया नाथद्वारा, गांवगुडा)- कुम्भलगढ़, रेलमगरा से (वाया नाथद्वारा-खमनोर) उदयपुर व अन्य ग्रामीण मार्गों पर बसें क्रयू तथा संसाधनों की उपलब्धता एवं बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत जोड़ा जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) राजसमन्द आगार क्षेत्र से निगम वाहनों के संचालन हेतु निम्न तीन मार्गों का सर्वे कराया गया है:-

1. राजसमन्द-रेलमगरा-कपासन-शनीमहाराज-सांवरियाजी;
2. राजसमन्द-कपासन-शनीमहाराज-निम्बाहेड़ा; व
3. राजसमन्द-फतेहनगर-कपासन-सांवरियाजी-प्रतापगढ़।

मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन उपरान्त ही उनके लाभकारी होने का आकलन किया जाना सम्भव हो सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो योजना प्रक्रियाधीन है, उसके तहत ग्राम पंचायतों को यातायात सुविधा हेतु जो सर्वे कराया गया है उसकी प्रस्तावित योजना परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: और कोई प्रश्न पूछ रहे हो?

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा था- क्या सरकार राजसमन्द डिपो को और अधिक वाहन और कर्मचारी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? दूसरा मेरा प्रश्न था- क्या सरकार राजसमन्द डिपो के अन्तर्गत आमेट से अहमदाबाद, आमेट से बड़ोदा एवं आमेट से सूरत, नाथद्वारा से मुम्बई, नाथद्वारा से हरिद्वार, रेलमगरा से (वाया नाथद्वारा, गांवगुडा) कुम्भलगढ़, रेलमगरा से (वाया नाथद्वारा, खमनोर) उदयपुर एवं अन्य ग्रामीण मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है कि नहीं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजसमन्द डिपो में अभी कितने वाहन अलाट किये हैं और किस-किस रोड पर चल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न का जवाब दे दें। (व्यवधान) कृपया विराजिये, समय समाप्त हो रहा है। कृपया विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा, वर्तमान में राजसमन्द डिपो के अन्तर्गत 6 वाहन शिड्यूल हैं जो निम्न मार्गों पर संचालित हैं- राजसमन्द-आबू रोड, राजसमन्द-पुष्कर, राजसमन्द-बांसवाड़ा, राजसमन्द-डूंगरपुर, राजसमन्द-कोटा, राजसमन्द-केलवाड़ा।

जहां तक माननीय सदस्य ने अन्य सुविधाओं के बारे में फरमाया, आपके प्रश्न के माध्यम से जो आपने जानकारी चाही, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उस बजट प्रस्तुत करने के साथ रोडवेज महकमे को जो राशि का प्रावधान किया गया, वह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसके तहत 215 करोड़ रुपये इक्विटी और 500 करोड़ रुपये के बांड जारी किये जाने की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी गयी है।

इस क्रम में मैं यही कह सकता हूं कि राज्य सरकार पूर्णतया और सुविधाओं का विस्तार किये जाने के लिए प्रतिबद्ध है। रोडवेज महकमा, राजस्थान रोडवेज अपने आप में ऐसी रोडवेज है जो अन्य राज्यों को देखते हुए 11 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है। विभिन्न करार किये जाने के साथ में नये रूटों को खोला जाना भी सम्भव है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर क्या हो रहा है? (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में महीनों-महीनों तक जले हुए ट्रांसफार्मर को नहीं बदलने, डिमांड नोटिस जारी होने एवं पैसे जमा करवाये जाने पर भी विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री हरिसिंह रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में 2008 की भर्ती परीक्षा में चयनित हुए 1,500 पटवारियों के प्रशिक्षण काल अवधि को सेवा अवधि में नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में पिछले कई वर्षों से करोड़ों रुपयों की छात्रवृत्ति का अनियमित तरीके से भुगतान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय किया जायेगा।

4. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर में अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वर्तमान सिविल एयरपोर्ट के स्थान पर ही बनने के सम्बन्ध में।

5. श्री राजकुमार रिणवां एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से सेनाध्यक्ष श्री वी.के. सिंह द्वारा माननीय प्रधान मंत्री को लिखे कथित पत्र से भारतीय सेना की स्थिति उजागर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्रीमती अनिता भदेल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु उपाय करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर-दिल्ली उच्च राष्ट्रीय मार्ग पर अधिगृहीत भूमि का मुआवजा प्रचलित दर से कम देने के कारण भू-धारियों के आक्रोशित होने के सम्बन्ध में।

8. श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला हनुमानगढ़ की तहसील नोहर के राजासर में चार निर्दोषों की हत्या के तीन साल पुराने प्रकरण में उनके परिवारों को न्याय नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

9. श्री बाबूलाल बैरवा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से खेरली रेलवे फाटक पर रोड ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में।

10. श्री सुखराम कोली एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से धौलपुर पत्थर व्यवसाय पर दोहरी रायल्टी वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से रामगंजमण्डी, कोटा के मण्डी यार्ड को बड़ा करने के लिए अधिगृहीत भूमि का कब्जा नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर के विकास, सौन्दर्यीकरण एवं सुचारु यातायात व्यवस्था के नाम पर सड़क के किनारे वर्षों से रोजगार करने वाले सैकड़ों लोगों को हटा देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल व श्री ज्ञानचन्द पारख इन्हीं विषयों पर आज पर्ची के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे।

13. श्री कालीचरण सराफ, श्री ओम बिरला एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाये जाने के खिलाफ दिनांक 29.03.2012 को जयपुर की माणक चौक चौपड़ पर सद्‌बुद्धि यज्ञ कर रहे सर्राफा व्यापारियों पर पुलिस द्वारा निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

14. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से निजी शिक्षण संस्थाओं में आर.टी.ई. नियम तथा मान्यता लेने के नये नियम लागू करने से उनमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

15. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर में कतिपय हितबद्ध लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए

(श्री अध्यक्ष)

सार्वजनिक मार्ग का स्थान 350 फीट आगे ले जाकर आखलिया चौराहे को तिराहे में बदलने से जनता में व्याप्त भारी रोष के सम्बन्ध में।

16. श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर के टेंट व्यवसायियों पर नगर निगम द्वारा मनमानी कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ, श्री वासुदेव देवनानी, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं श्री मोहनलाल गुप्ता को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। चूंकि श्री ओम बिरला ने सर्राफा व्यापारियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में उनकी निकली पर्ची को वापस लिया है, अतः उन्हें भी इसी विषय पर श्री सराफ के साथ ही बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम राणावास, ठाकुरवास एवं नीमली की सम्पर्क सड़कों पर पेवर करने एवं इनके बीच बहने वाली नदी पर रपट का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

2. श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी के डाबी बरड़ क्षेत्र के लिए एवं बूंदी से केशवरायपाटन वाया माटून्दा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस का संचालन करने के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर के थाना भोपालगढ़ में सी.आई. (पुलिस इंस्पेक्टर) का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

4. श्री सी.एल. प्रेमी, सदस्य की ओर से कृषि यंत्र कम्बाइन हारवेस्टर मशीन पर लगने वाले परिवहन कर में छूट देने के सम्बन्ध में।

5. श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से कोटा की बन्द पड़ी ओरिएंटल पावर केबल फैक्ट्री को चालू कराने या फैक्ट्री की अनुपयोगी भूमि को अवाप्त कर नया उद्योग लगाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के चिकित्सालयों में कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

7. श्री शंकर लाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर की चिखली उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

8. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से राज्य में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति, वृहत कृषि बहुद्देशीय सहकारी समिति के कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में।

9. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर में केबल, पाइप डालने व अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को अविलम्ब दुरुस्त कराने के सम्बन्ध में।

10. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से उद्योगों के लिए राजस्थान विनियोजन प्रोत्साहन स्कीम, 2010 में तेल मिल इकाइयों को शामिल करने के सम्बन्ध में।

11. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से फुलेरा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या-11, 12 एवं 14 में पेयजल की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।

12. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में पीने के पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं को आज पढ़ा हुआ माना गया है।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

घोषणा

हरियाणा विधान सभा की अधीनस्थ विधान समिति का राजस्थान विधान सभा में आगमन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि हरियाणा विधान सभा की अधीनस्थ विधान समिति के सदस्य श्री जगवीर सिंह मलिक, सभापति, श्री कृष्ण हुड्डा, सदस्य, श्री सुभाष चौधरी, सदस्य एवं श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया, सदस्य सदन की कार्यवाही देखने के लिए यहां पधारे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य: उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजासर हत्या काण्ड में एक ही परिवार में...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री कालीचरण सराफ। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बैठो, भाई। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

(12.09 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कालीचरण जी। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरणजी। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरणजी। (व्यवधान) आप बोलते रहिये, कोई मतलब नहीं है, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन को आर्डर में आने दीजिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, विराजें। कालीचरणजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जीरो आवर में नहीं होता है, जीरो आवर के बाद आप दीजिए। यहां सिस्टम है, प्रोसीजर है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप लिखकर दीजिए, उसमें क्या कंटेंट हैं। कालीचरण जी आप बोलें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई रिकार्ड नहीं हो रहा है। आप पर्ची में दीजिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलिए ना।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल आपका रिकार्ड हो रहा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए ना, आपका रिकार्ड नहीं हो रहा है। जीरो आवर के बाद होता है पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चिट्ठी में लिखकर दीजिए, उसको देखेंगे उसके बाद। आप बोलिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड नहीं हो रहा है। कह दिया ना आपको, आपसे कह दिया।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं होगा। यह पाइंट आफ आर्डर का सवाल नहीं है। तीन दिन हो गये। आप सिस्टम में आइये, रूल्स पढ़िए आप। आप बोलिए कालीचरणजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कालीचरणजी, आप नहीं बोलेंगे तो मैं दूसरा नाम बुला लूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सर्राफा व्यापारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान पिछले पन्द्रह दिन से जयपुर शहर के और पूरे राजस्थान के सर्राफा व्यापारी केन्द्रीय बजट में सोने पर लगी कस्टम ड्यूटी और स्वर्ण आभूषणों पर एक परसेंट की जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उसके खिलाफ जो सर्राफा व्यापारी आन्दोलन कर रहे हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पन्द्रह दिन से व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन कर रहे हैं और इस आन्दोलन के कारण पूरे प्रदेश का लगभग तीन हजार करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है। इस व्यवसाय से जयपुर के लगभग पांच लाख लोग जुड़े हुए हैं, दो लाख से ज्यादा तो केवल मजदूर ही हैं। इस आन्दोलन के कारण उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है (व्यवधान) मुझे अफसोस है यह बताते हुए कि कल जब माणक चौक की चौपड़ पर जवाहरात व्यवसायी, सर्राफा व्यवसायी शांतिपूर्ण तरीके से अपना सद् बुद्धि यज्ञ कर रहे थे कि सरकार को सद् बुद्धि आ जाए पर यह राजस्थान सरकार ...(व्यवधान) यह क्या हो रहा है? रघुजी, बैठो, भई। मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि शांतिपूर्ण तरीके से पिछले पन्द्रह दिन से आन्दोलन कर रहे सर्राफा व्यापारी कल जब सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे थे माणक चौक की चौपड़ पर, पुलिस ने बिना किसी सूचना के निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया। चार व्यापारी और कारीगर उसमें घायल हो गये और कई लोगों को इन्होंने थाने में बंद कर दिया। होना तो यह चाहिए था, हमारे मुख्य मंत्रीजी बड़ा दम भरते हैं, चुनाव के समय कहा था, कड़ी से कड़ी जोड़ो, सारा विकास का काम होगा; आज केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। हमारे

(श्री कालीचरण सराफ)

गहलोत साहब तो बड़े प्रभावी हैं। आज पांच लाख लोग बेरोजगार हो गये, तीन हजार करोड़ से ज्यादा का व्यापार प्रभावित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, 95 प्रतिशत व्यापार जवाहरात से सम्बन्धित, जयपुर से होता है। आज पन्द्रह दिन से सारा व्यापार ठप पड़ा है। होना तो यह चाहिए था, अशोक गहलोतजी प्रणव मुखर्जी से बात करते, व्यापारियों को बुलाते, उनकी समस्या के बारे में जानकारी लेते और प्रणव मुखर्जी को कहकर के यह जो उनकी समस्या है एक्साइज ड्यूटी की और कस्टम ड्यूटी की, उसको विथड्रा कराने की बात करते।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कालीचरणजी, यह तो पार्लियामेंट में उठाने का मामला है। आप तो लाठी चार्ज की बात कर रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यही कर रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: गंगानगरजी, आप सुनिये; आप सीनियर मेम्बर हो, सुनिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सदन का टाइम कितना ...(व्यवधान) आज रिप्लाई है गवर्नमेंट का। आप नहीं बोल पाओगे, कम सदस्य बोल पायेंगे।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह केन्द्रीय सरकार का मामला है, मुझे पता है इस बात का।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह मोहनजी क्या नाराज हैं आपसे? आप नाराज हो इनसे?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी का रिकार्ड हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह कह रहा हूं कि यह बात सही है कि यह केन्द्र से सम्बन्धित मामला है। केन्द्र में सरकार किसकी है, कांग्रेस की; यहां पर भी सरकार किसकी है, कांग्रेस की। जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़ दी, अब यह कड़ी टूट क्यों रही है? पांच लाख लोग बेरोजगार हो गये, दो हजार करोड़ का निर्यात अफेक्टेड हो गया, तीन हजार करोड़ का

(श्री कालीचरण सराफ)

व्यापार ठप हो गया। क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते? उनको केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी से बात नहीं करनी चाहिए? क्या व्यापारियों को बुलाकर उनकी समस्या के बारे में उनको जानकारी नहीं लेनी चाहिए? यह आन्दोलन हो रहा है, इसको किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्या मुख्य मंत्रीजी की कोई जिम्मेदारी नहीं है?

मुझे अफसोस है बताते हुए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं किया और शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन करने वाले व्यापारियों पर निर्ममतापूर्वक लाठी चार्ज किया। तीन दिन पहले विद्यार्थी मित्रों पर लाठी चार्ज किया, आज इन पर लाठी चार्ज। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार किसी को नहीं है? क्या राजस्थान में तानाशाही है? क्या राजस्थान में आपातकाल लागू हो गया? कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी नहीं कहेगा!

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार, यह आन्दोलन खतम हो, इसमें उनको पहल करनी चाहिए, व्यापारियों को बुलाएं, उनसे बात करें और उनकी समस्या सुनकर केन्द्रीय मंत्री वित्त मंत्रीजी से बात करके इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो जिससे कि जयपुर के लोगों को राहत मिल सके। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बोलना है इसके बारे में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, देवनानीजी, इनका साथ का साथ एक ही सब्जेक्ट है, फिर आपका ले लेंगे। बिरलाजी को बोलने दो, उसके बाद, देवनानीजी, आप बोलना। बिरलाजी आप शुरू करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हमें भी परमिशन दी जाए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरा राजस्थान का सर्राफा व्यापारी भारत बंद और राजस्थान बंद के कगार पर खड़ा है। जिस तरीके से केन्द्रीय सरकार ने नान-ब्रांडेड ज्वैलरी पर एक परसेंट एक्साइज टैक्स लगाया है, उससे काम करने वाला छोटा व्यापारी, छोटा कारीगर जिन पर एक्साइज का राज हो जाएगा और इस्पेक्टर राज पनपता

(श्री ओम बिरला)

जाएगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा व्यापार केन्द्र और ज्वैलरी से लेकर सोने के आभूषण में पूरे देश में राजस्थान प्रदेश का स्थान है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने दो लाख से अधिक ज्वेलरी परचेज करने वालों पर पैन कार्ड और पैन कार्ड के साथ उसकी टैक्स की कटौती का प्रावधान भी रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान की विधान सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार को यह अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरीके से नान-ब्रांडेड पर 1 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगायी है और 2 लाख की ज्वैलरी परचेज पर पैन कार्ड और टैक्स की कटौती का प्रावधान रखा गया है, वह न्यायोचित नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री सुश्री ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंहजी चौहान, उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री अखिलेश यादव, गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सरकार से यह आग्रह किया है कि जो एक्साइज ड्यूटी लगायी गयी है और एक्साइज ड्यूटी के अलावा 1 परसेंट नान ब्रांडेड ज्वैलरी पर एक्साइज ड्यूटी, 2 लाख पर पैन कार्ड, इन सारे कर प्रस्तावों को वापस लेना चाहिये।

मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी भी, राजस्थान की विधान सभा चल रही है, यहां प्रस्ताव पारित करें और केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजें। इससे पूरे राजस्थान का बहुत बड़ा कारोगार प्रभावित होगा। यह हम...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सदन के माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: क्या कहना चाहते हैं? आप बोलिये, क्या कहना चाहते हो आप?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्योंकि केन्द्र में उनकी सरकार है और केन्द्र में उनकी सरकार होने के नाते राजस्थान सरकार का यह ज्यादा दायित्व बन जाता है कि वह अपनी बात केन्द्र में प्रधान मंत्रीजी से मिलकर, वित्त मंत्रीजी से मिलकर एक शिष्टमंडल पक्ष-विपक्ष के विधायकों का जाये और राजस्थान के हितों की बात को केन्द्र में रखे।

श्री उपाध्यक्ष: क्या है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय गृह राज्य मंत्रीजी, हर आन्दोलन अगर लाठी चार्ज से ही समाप्त करने का तय कर लिया और पुलिस द्वारा अगर यह कृत्य करने के लिये आपने ढिलाई बरत ली तो फिर मैं सोचता हूं कि राजस्थान में कोई भी आन्दोलन बिना लाठी चार्ज के नहीं निपटेगा। अगर यही वास्तव में लोकतन्त्र में मर्यादाएं रह गयी हैं, मैं सोचता हूं कि कुछ संयम हमको भी बरतना चाहिये। अगर कोई एक-आध ने उद्दंडता की है तो इतनी बड़ी पुलिस लेकर बैठे हैं और एक आदमी को अगर आप ठीक तरीके से काबू कर लो तो कम से कम बेगुनाहों पर यह लाठी चार्ज का धन्धा तो बन्द हो। कारण क्या है कि जिस प्रकार से बिना किसी कारण, बिना किसी बात के, आपको तो यह देखना है कि 15 दिन से शांतिपूर्ण आन्दोलन चल क्यों रहा है? इसको बिगाड़ने का एक पुलिस के पास अच्छा हथकंडा है कि 2-4 लट्ठ मार दो, 2-4 मुदकमे दर्ज करा दो, 5-10 को अन्दर डाल दो, 5-10 को हास्पिटल पहुंचा दो, अपने आप मेन लाइन से हटकर केवल मुकदमेबाजी में फंस-फंसाकर खतम हो जायेगा। अगर यह मन पुलिस ने बना लिया है तो ठीक है, जनता को जो भी भुगतना होगा, कोई बात नहीं लेकिन इसके बारे में सीरियस हो जाओ। आज यह लट्ठ हम पर पड़ रहे हैं, कल आप भी इस लट्ठ से नहीं बचोगे।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पुलिस को इतना निरंकुश मत करो। मत करो। मत करो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वासुदेव देवनानीजी। उनका नाम पुकार लिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर के अन्दर भी इस मामले को लेकर लोग सारे के सारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लाठी चार्ज हो रहा है। आपने एक बात कहकर इस बात को खतम कर दिया है कि यह मामला भारत सरकार का है पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी। मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): भारत सरकार का नहीं है। मेरी बात का जवाब दीजिये। क्या हो जायेगा? मेरी बात आ जाये। गंगानगर में भी लाठी चार्ज हुआ है। गंगानगर में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में आन्दोलन हुआ है। इसलिये आप...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान के मुख्य मंत्री भी अपनी बात...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सरकार अगर सरकार है तो मुख्य मंत्री को पूरे हाउस में प्रस्ताव पास करके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात का जवाब दे रहे हैं ना।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): और भारत सरकार से यह मांग करनी चाहिये...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी का रिकार्ड होगा बस।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। वे बोल लिये। आप जो फरमा रही हैं, वे बोल लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपने विचार रखे और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि पुलिस निरंकुश हो गयी है और बिना वजह लाठियां चला रही है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 29/3/2012 को 11.00 बजे निर्धारित कार्यक्रमानुसार सर्राफा एसोसिएशन के बैनर तले जो प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, इसमें कुछ व्यापारियों में से 11 व्यक्ति केन्द्रीय वित्त मंत्री को सद्बुद्धि दिये जाने हेतु मंदिर श्री गोविन्द देवजी गये थे। यहां से आने के बाद स्थानीय बड़ी चौपड़ पर बंगाली स्वर्णकार कारीगरों और मजदूरों में से कुछ व्यक्तियों ने राह चलते वाहन चालकों से उलझने की कोशिश की जिन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा आपसी समझाइश कर धरना स्थल पर पहुंचाया गया। उक्त व्यापारियों के बड़ी चौपड़ पर धरने के दौरान करीब 200 से 300 संख्या में बंगाली कारीगर और मजदूर बड़ी चौपड़ से जौहरी बाजार की तरफ बढ़ने लगे और जौहरी बाजार में, जबरदस्ती दुकानें बन्द कराने लगे। और, तो और व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार कर बदतमीजी करने लगे तथा वहां खड़ी गाड़ियों पर हाथ मारने लगे। उनको पुलिस जाप्ते की मदद से जौहरी बाजार से हटाया गया व इनका नेतृत्व करने वाले श्री घनश्याम व राजेन्द्र को बाजार से हटाकर थाने लाया गया तथा समझाइश कर व्यापारियों की गारंटी पर उन्हें व्यापारियों के साथ रवाना कर दिया। उक्त प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग किसी प्रकार के नशे में भी पाये गये। व्यापारियों द्वारा इसमें कुछ कारीगरों को और उनको भड़काये जाने का भी प्रयास किया जा रहा है, यह बात भी सामने आयी।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

धरना कार्यक्रम पर लाठी चार्ज किये जाने से सम्बन्धित सूचना जो प्रकाशित हुई है और जो आज माननीय सदस्य ने यहां अपने विचार के दौरान बात रखी है, यह निराधार है, तथ्यहीन है। इस सब में उक्त घटना के समय में मीडियाकर्मियों की भी वहां पर उपस्थिति रही है। वर्तमान समय में पुलिस द्वारा पूर्ण संयम एवं सतर्कता बरतते हुए कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखा जा रहा है, रखा गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वासुदेव देवनानीजी। केवल वासुदेव देवनानी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके वासुदेव देवनानीजी बोल रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): राजस्थान के अन्दर शिक्षा क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थाओं की बहुत बड़ी अहम् भूमिका रही है...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आजादी के बाद राजस्थान में शिक्षा के विस्तार में निजी शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षा में वृद्धि की, राजस्थान की जनता की सेवा की। आज बड़ी पीड़ा हो रही है कि आज बच्चों को जिस प्रकार शिक्षा के अधिकार नियम...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): राजस्थान के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले और उसके अनुसार उन बच्चों को शिक्षा दी जा सके, शिक्षा पर नियंत्रण रहे, राज्य सरकार इसके उलटे...

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्षः आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के वासुदेव देवनानीजी...(व्यवधान) यह आपकी पार्टी के मेम्बर हैं।

शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत मान्यता के कतिपय प्रावधानों से निजी शिक्षण संस्थाओं में असंतोष

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे पूरे राजस्थान की निजी शिक्षण संस्थाएं बड़ी परेशान हैं और बन्द होने की कगार पर आ रही हैं। इन शिक्षण संस्थाओं का आजादी के बाद से शिक्षा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस समय शिक्षण संस्थाएं थी नहीं, राजस्थान सरकार के पास पैसा था नहीं, उस समय ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी इन शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षण प्रारम्भ करके राजस्थान की जनता को शिक्षित करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया।

इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले, पूर्ण सुविधाएं हों, इन सबको ध्यान में रखते हुए अप्रैल, 2009 में आर टी ई लागू किया गया और आर टी ई का मूल रूप से उद्देश्य था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और गुणवत्ता वाली मिले। लेकिन राज्य सरकार ने कुछ इस प्रकार की मान्यताएं सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नियमों में संशोधन किया, जिनके आधार पर आज राजस्थान की शिक्षण संस्थाएं बहुत बड़ी परेशानी का अनुभव कर रही हैं, बंद होने के कगार पर हैं। वे ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उनकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। यह जो शिक्षा का अधिनियम बना, यह केवल निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए नहीं बना। सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए भी वही नियम लागू होते हैं। क्या यह अपने मन से पूछेंगे कि आज राजस्थान की शिक्षण संस्थाएं वे सारी मान्यता सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं? अभी मुझे एक प्रश्न के उत्तर में दिया है कि आज अजमेर जिले के अन्दर 71 संस्थाओं के पास ना कोई जमीन है, ना कोई भवन है।

आप उस अधिनियम के अन्तर्गत लागू कर रहे हैं कि आपको मान्यताएं लेनी पड़ेंगी; राजस्थान सरकार से मान्यता लो, फिर बोर्ड से मान्यता लो। यह दोहरी मान्यता लेनी की क्या आवश्यकता है? सरकार से मान्यता लेनी है तो उस संदर्भ में थानवी की रिपोर्ट है मेरे पास।

श्री उपाध्यक्षः अब समाप्त करें, कृपया।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उस थानवी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि आज जिन शिक्षण संस्थाओं ने पूर्व में सक्षम स्तर से अस्थायी मान्यता ली हुई है, उनकी मान्यता को स्थाई समकक्ष माना जाये। उन्हें नये सिरे से स्थायी मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह राजस्थान सरकार का 28.09.2001 का सर्कुलर है लेकिन उस सर्कुलर को भी दरकिनार करके सबको कह रहे हैं कि यदि शहरी संस्था है तो एक एकड़ जमीन और यदि ग्रामीण है तो 3 एकड़ जमीन। जो जमीन सम्बन्धी अनिवार्यता लागू की जा रही है, उसमें यह है कि शहरी शिक्षण संस्थाओं में किसके पास एक एकड़ जमीन होगी। आज वे कहां से लायेंगे? सरकारी शिक्षण संस्थाओं के पास कहां जमीन है? यदि कोई किराये पर रह रहा है तो बहुत बड़ा आपने कर दिया कि 30 वर्ष का किरायानामा लायें। आप आज कहीं किराये के मकान में रहते हो, आज कौनसा ऐसा मकान मालिक है जो 30 साल का आपको किरायानामा लिखकर देगा? इससे इन शिक्षण संस्थाओं को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है।

आज कहा जा रहा है कि आपके पास खेल का मैदान होना चाहिए। लेकिन जो शहर में शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उनके पास कहां से खेल मैदान आ जायेगा? क्या आप उनको बंद करेंगे? वहां पर आसपास जो सार्वजनिक मैदान हैं, उनको इस खेल के मैदान के रूप में उपयोग करने की क्यों नहीं आप सुविधा दे देते हैं ताकि वही उनका खेल का मैदान हो? अलग से खेल का मैदान वे आखिर कहां से लायेंगे, इस बात की क्या कभी सरकार ने चिंता की?

उपाध्यक्ष महोदय, फिर इसकी आड़ में कि कमरों की साइज इतनी होनी चाहिए। कहीं आधा फीट, छह इंच कम है, कहीं एक फीट कम है तो वहां आपका शिक्षा अधिकारी पहुंच रहा है और उनसे दलाली के रूप में पैसे ले रहा है ताकि उनको परेशान किया जा सके। सबसे पहले आज जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनके कमरों को आप नाप लें।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं मात्र दो मिनट में खतम कर रहा हूं। उनके कमरों की नाप लें। लेकिन वे तो चलेंगे। उनके पास खेल का मैदान नहीं होगा तो भी चलेगा, उनके पास किरायानामा नहीं है तो भी चलेगा, उनके पास जमीन नहीं है तो भी चलेगा लेकिन निजी शिक्षण संस्थाओं में जिसमें कई शिक्षाविदों ने बड़ी मेहनत से, खून-पसीने से इन शिक्षण संस्थाओं को प्रारम्भ किया। आज उनको आप परेशान कर रहे हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, फिर आपने एक नया सर्कुलर और निकाल दिया कि 50 हजार की एफ.डी. होनी चाहिए। क्या आपको पता है, वनवासी क्षेत्र में एकल विद्यालय चल रहे हैं? उस एकल विद्यालय में एक-एक अध्यापक बड़ी मुश्किल से, कम वेतन पर भी उन वनवासियों को, आदिवासियों को शिक्षित कर रहा है। आज उनको आप कह रहे हैं कि 50 हजार की एफ.डी. लाओ। कहां से लायेंगे 50 हजार की एफ.डी.,? आखिर कहां से वे लायेंगे पैसा? इसकी कहीं सरकार ने चिंता नहीं की। सेकंडरी, सीनियर सेकंडरी को कह दिया कि 3 लाख रुपये आपको एफ.डी. करनी पड़ेगी। इस तरह से जो सेवा कर रही हैं, उनसे इस तरह एफ.डी. की बात करना, मैं समझता हूं, उनके साथ अन्याय है।

साथ में आपने एक बात और कह दी कि 1 अप्रैल से आपकी ये मान्यता सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो आप 1 लाख रुपया जुर्माना करेंगे। यदि 1 लाख रुपया जुर्माना निजी शिक्षण संस्थाओं पर करेंगे और वे अदा नहीं करेंगे तो 10 हजार रुपये प्रति माह और जुर्माना होगा। भवन सुरक्षा का प्रमाण-पत्र आप प्रति वर्ष मांग रहे हैं, हर परिसर का अलग-अलग मांग रहे हैं। बोर्ड ने भी हद कर दी 10 हजार से 20 हजार बोर्ड की फीस बढ़ा दी, विलम्ब शुल्क 500 से 5,000 कर दिया।

इसलिए आज शिक्षण संस्थाएं बिलकुल बंद होने के कगार पर हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राज्य स्तर पर इसका एक व्यावहारिक हल निकालें, केन्द्र सरकार को अभिशंसा करें ताकि निजी शिक्षण संस्थाएं शिक्षा क्षेत्र की सेवा कर सकें और इनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सूर्यकान्ताजी व्यास। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वापिस आ जाती है।(व्यवधान) इन शिक्षण संस्थाओं के बारे में आप पुनर्विचार करके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल सूर्यकान्ताजी व्यास। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सूर्यकान्ताजी व्यास। केवल सूर्यकान्ताजी व्यास। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सूर्यकान्ताजी व्यास। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, सूर्यकान्ताजी। .(व्यवधान) माननीय सूर्यकान्ताजी, आप ही का अंकित हो रहा है। (व्यवधान) केवल आपका अंकित हो रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके ऊपर है। आपकी राय हो तो ...(व्यवधान)... एक मिनट, सूर्यकान्ता जी (व्यवधान) जी, जी, आप बोलना चाहें तो बोलें। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के साथ मान्यता सम्बन्धी नियमों के बारे में दो बार बैठक हो चुकी है। जो चैक लिस्ट पहले बनायी गयी थी, उसको संशोधित करने का फैसला कर लिया गया है। जो डेट 30 मार्च तक बढ़ायी गयी थी, उसको 15 मई तक कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: थैंक यू। माननीय सूर्यकान्ताजी व्यास। (व्यवधान) इस विषय पर प्रश्न नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका जवाब आ गया। माननीय सूर्यकान्ताजी। केवल सूर्यकान्ताजी का। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सूर्यकान्ताजी। (व्यवधान)

सूरसागर में आखलिया चौराहे को तिराहे में बदलने से असंतोष

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सूर्यकान्ताजी, केवल। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सूरसागर के अंदर ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आखलिया चौराहे को अवैध रूप से तिराहा बनाने में किये जा रहे गम्भीर भ्रष्टाचार के क्रम में। उपाध्यक्ष महोदय, 28 मार्च, 2012 को नगर निगम और जोधपुर विकास प्राधिकरण ने पुलिस के बल से आखलिया चौराहे पर बहुत से निर्माण कार्य हटवाये। इस कार्यवाही का मकसद केवल कांग्रेस पार्टी के हितबद्ध कुछ लोगों को अवैध रूप से करोड़ों की जमीन का फायदा पहुंचाना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान में आखलिया को चौराहा दर्शाया गया जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय 2003 में तत्कालीन यू आई टी चेयरमैन ने उक्त प्लान को बदलकर आखलिया चौराहे पर बलदेव नगर से आकर मिलने वाले चौथे मार्ग को 350 फीट आगे शिफ्ट करने का संशोधित नक्शा बनवाया और अब यही नेता पुनः जोधपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन बने हैं तो उन्होंने उस कार्य को वापस हाथ में ले लिया। इसके कारण आखलिया जैसा महत्वपूर्ण चौराहा, तिराहा बन जायेगा जिससे विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर का डायरेक्ट लिंक ही खतम हो जायेगा। इस भ्रष्टाचार के प्रयास की पूर्णता के लिए चौराहे से 350 फीट आगे जाकर चौथा रास्ता ले जाया गया था। उस रास्ते को सरकार कभी भी विकसित नहीं कर पायेगी। इस बदले हुए चौथे रास्ते की अधिकांश भूमि रेलवे विभाग की है। इस कारण आपको रेलवे विभाग से जमीन मांगनी पड़ेगी। शेष कुछ भूमि पर जोधपुर विकास प्राधिकरण ने पट्टे दे रखे हैं जिन्हें आपको निरस्त या समायोजित करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन क्यों इस चौथे मार्ग को खोलने के लिए आमादा है? क्यों प्रशासन मूल चौथे मार्ग को विकसित ही नहीं करना चाहता है।

इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में पूर्व सरकार द्वारा जोधपुर पत्थर की आखलियों के लिए भूखण्ड लीज पर दिये गये थे और बाद में इन भूखण्डों को आबंटित करने के आदेश दिये गये और इस हेतु नियम एवं प्रक्रिया निश्चित की गयी है। लेकिन इस प्रक्रिया में गम्भीर भ्रष्टाचार किया गया है। मूल किरायेदारों ने एक गम्भीर अपराध करते हुए बिना सरकारी अनुमति के इन आखलियों को आगे सब-लेट करते हुए अन्य लोगों को किराये पर चढ़ा दिया।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। बात ही खतम नहीं हुई।

मेरी गैर-मौजूदगी में इन्होंने किया। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। करोड़ों रुपयों की जमीन है, उसको आपने लोगों को दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें, 15 मिनट हो गये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कहां 15 मिनट? 5 मिनट ही नहीं हुए। उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन का दायित्व था कि वह इन सब-लेटी किरायेदारों पर और इन पर अवैध रुप से सरकारी भूमि किराये पर देने के अपराध में मूल लीज आर्डर पर, मुकदमे दायर करती लेकिन चांदी के टुकड़ों के लिए मुकदमों के स्थान पर इन्हें ही नियमित कर आखलिया आबंटित कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जे डी ए के चेयरमैन, नगर निगम के महापौर इन सब ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। मैं यह चाहूंगी कि आज आप इसके ऊपर ऐसा निर्णय दें, इसकी इन्क्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।

यहीं नहीं रुकता भ्रष्टाचार। आखलिया आबंटन में मूल किराया आखली के अनुरूप ही यह ब्लाक आबंटित करने का नियम बनाया गया था। इस नियम की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बहुत छोटे-छोटे माप के सब-लेटी आखली धारक को नियम विरुद्ध ब्लाक आबंटित किये गये हैं, जबकि बड़े माप वाले मूल किरायेदारों को नियम से बहुत कम ब्लाक दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो धन्यवाद है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, पूरा नहीं हुआ मेरा, मेरे दो-तीन प्रश्न रह गये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 295 पूरा पढ़ दो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): 295 कैसे? 295 कैसे बोल रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: आप डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप ऐसे क्यों बोल रहे हो?

नियम विरुद्ध बंदरबांट के लाभांवित लोगों ने मूल मास्टर प्लान में चिन्हित रामदयाल मार्बल, चौथे मार्ग पर कब्जा कर लिया है और करोड़ों रुपयों की सरकारी भूमि पर कब्जा कर बैठे हैं। अब इन्हें चौथे मार्ग से हटाने के स्थान पर प्रशासन पूरी तरह से इस भ्रष्टाचार में लिप्त होकर चौराहे को तिराहे में बदलकर चौथे मार्ग को 350 फीट आगे ले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में जे डी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ए के चेयरमैन और उनके हितबद्ध बंधु, कांग्रेस के कुछ और नेताओं को विशेष लाभ होने से स्थानीय विरोध के बावजूद, स्थानीय लोगों ने विरोध किया है, वहां के लोगों ने वहां धरना भी दिया है, कल और उस रोज भी गई, पुलिस के बल पर इन्होंने सारी आर ए सी लगा दी और सारे पुलिस अफसर लगा दिये। जब आपकी नीयत साफ और आप अच्छे हो कि सही काम है तो पुलिस बल की जरूरत ही क्या थी? ऐसे ही कर लेते और मैं कौनसी लंदन गई हूं? मैं वहां की जन-प्रतिनिधि हूं, आप मेरा समर्थन लेते। वहां थी तब करते; कल कर लेते, परसों कर लेते, मेरी गैर-मौजूदगी में किया है। इसका मतलब है यू आई टी और जे डी ए के चेयरमैन और नगर निगम के महापौर की नीयत भी साफ नहीं थी। इस प्रक्रिया में जे डी ए के चेयरमैन और उनके हितबद्ध कांग्रेस के कुछ नेताओं को लाभ होने से स्थानीय विरोध के बावजूद प्रशासन ने पुलिस बल का प्रयोग कर 28 मार्च को कार्यवाही की है।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो धन्यवाद दे दो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि आखलिया चौराहे के स्वरूप को मास्टर प्लान के अनुरूप ही कायम रखते हुए इस कार्य को तुरन्त रोका जाए और उक्त आखलियों के मूल किरायेदार जिन्होंने बिना अनुमति के आखलियों को आगे सब-लेट कर दिया उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए मुकदमे दर्ज किए जाएं और सबलैटी किरायेदारों के अवैध कब्जों को हटाया जाए। साथ ही इस प्रक्रिया में लिप्त उन सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहती हूं, मैं बिलकुल सही हूं, मेरे पास जो फाइल है, माननीय मंत्रीजी हैं नहीं, वह और फाइल मंगवा लो, वहां उनके कागजों को मंगवा लो और एक कमेटी बना दें; कमेटी बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं यह चाहती हूं कि सारी कार्यवाही कागजों को देखकर और हर कोई भी कार्य करें, वह पुलिस के बल पर नहीं करें। इसको रोका जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता। वैसे तो आप बोल लिये बीच में। देख लीजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा अलग से नम्बर है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप जयपुर के विधायक के रूप में यहां विराजमान हो।

जयपुर के टैंट व्यवसायियों के साथ नगर निगम की मनमानी कार्यवाही

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में शादी-ब्याह के जो स्थल हैं, उनको सील किया जा रहा है। अन्याय किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वह टैंट व्यवसायी कल माननीय मुख्य मंत्रीजी के घर पर गये और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनको आश्वासन दिया कि उनको सीज नहीं किया जाएगा और उनकी उचित मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बावजूद भी नगर निगम की महापौर ने अधिकारियों को बुलाकर डांटा-डपटा, उनकी स्पेशल टीम बनाई और स्पेशल टीम बनाकर उन शादी-ब्याह के स्थलों को सीज करने के लिए भेजा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी अपमान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नगर निगम में शासन चल रहा है, जिस प्रकार से नगर निगम में तानाशाही चल रही है, उसकी व्यथा जयपुर शहर की जनता जानती है। हठ तीन तरह के होते हैं, त्रिया हठ, बाल हठ, राज हठ। ये तीनों ही जयपुर के नगर निगम की महापौर में समाविष्ट हैं और उसके साथ-साथ अहंकार भी है। किसी की सुनना नहीं, तानाशाहीपूर्ण तरीकों से अपने शासन को चलाना, माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात को भी नहीं मानना। आखिर यह आश्चर्य की बात है। माननीय मंत्रीजी, आप मेरी बात को सुन रहे होंगे, आप पहुंचाइये इस बात को कि किस प्रकार से यह जयपुर महापौर का राज चल रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों की मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। मंत्रियों की नहीं सुनते, विधायकों की नहीं सुनते, पार्षदों की नहीं सुनते। इस प्रकार का निरंकुश शासन इस जयपुर शहर की महापौर का रहा है।

हम भी जयपुर के महापौर रहे हैं, जनता की समस्याओं को देखा है, उनकी जो जायज मांगें हैं उनका समाधान करने का प्रयत्न भी किया है। नगर निगम ने जिस प्रकार से शादी-ब्याह स्थलों पर इतने टैक्स लगा दिए हैं, पंजीयन शुल्क, लाइसेंस शुल्क, अनुमति शुल्क, गार्ड शुल्क, सफाई शुल्क और उसके बाद फिर यू डी टैक्स, कितनी तरह के टैक्स लगा दिये। वह टैक्स अमीरों पर लगाओ, पांच हजार गज से ज्यादा जगह पर कोई शादी-ब्याह करता है, उन पर लगाइए। हजार पन्द्रह सौ, दो हजार गज की जमीन पर जो इस प्रकार के टैक्स लगाये गये हैं, उससे टैंट व्यवसायी सरकार से नाराज हैं, दुःखी हैं।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शादी-ब्याह स्थलों को सीज कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग सीईओ के पास गये; सीईओ ने उनसे कहा कि इस प्रकार का अधिकार नहीं है, मैं इसको देखता हूं, आप 50 प्रतिशत जमा करा दीजिए। महापौर महोदया ने कहा, आपको अधिकार नहीं। सी ई ओ को अधिकार नहीं है, स्वायत्त शासन मंत्री को अधिकार नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को अधिकार नहीं, विधायकों को अधिकार नहीं, पार्षद को अधिकार नहीं, तो आखिर जयपुर नगर निगम में चलती किसकी है? जयपुर नगर निगम की एक मात्र +++ वही काम करेगी? क्या जनता की सुनवाई नहीं होगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा...

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): जिताने में आपका योगदान है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मेरा कोई योगदान नहीं है, जनता का है। जो डिसिजन दिया है, उसको भुगत रही है जनता। माननीय, टिकट तो आपने ही दिया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि नगर निगम स्वयं शादी-ब्याह की जगह बनाये, एस सी-एस टी के लोगों को उसमें छूट दे। एस सी-एस टी के भी शादी ब्याह होते हैं, आखिर वे गरीब लोग हैं, वे कहां जायेंगे शादी-ब्याह करने के लिए? इतने भारी टैक्स जो हैं उनको कम करें। इसी के साथ-साथ स्वयं नगर निगम और जे डी ए शादी-ब्याह स्थल बनाये। आखिर कन्यादान...

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें, कितना टाइम हो गया, प्लीज।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): स्वयं सरकार शादी-ब्याह की जगह बनाये। कन्यादान के लिए सरकार पैसा देती है गरीबों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पैसा देती है, विधवाओं की पुत्रियों के लिए पैसा देती है तो इस प्रकार के शादी-ब्याह में गरीब लोग जो हैं, उनके लिए वह निश्चित रूप से व्यवस्था करे। इसी के साथ-साथ 55 गार्डन, 55 गार्डन सीज कर दिये, उन गार्डनों को वापस करवाये, उनकी सील खुलवाये। 1 अप्रैल को वहां शादी करवाये, यह मेरा अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बयाना एवं रूपवास (भरतपुर) में पेयजल की समस्या

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से एक ऐसे विषय की तरफ, आज मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही बोलूंगा लेकिन पूरे राजस्थान में पेयजल की समस्या है, आये दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं। राज्य सरकार ने बेरुखी, जनता विरोधी और जनता का बिलकुल ध्यान नहीं रखते हुए पेयजल की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। एक बुकलेट 26 मार्च, 2012 को इस सदन में माननीय सदस्यों को दी गई, जिसे बजट का दर्जा दिया गया बताते हैं। इसके पैरा 34 में बड़ी वाहवाही लूटी गई है, पेयजल की समस्या में अब यह करेंगे, वह करेंगे, एक तालिका भी बनाई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की इस पूरे राजस्थान की समस्या के बारे में उसमें कहा गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में हम पानी की योजनाएं वृहद स्तर पर बनायेंगे। खास बात यह है कि प्रत्येक पैरा में पेयजल से सम्बन्धित जो भी शब्द आए हैं, लास्ट लाइन देखिये, 'कर लिया जाएगा', 'कर लेंगे', 'ऐसा निर्णय लेंगे', 'हो जाएगा', यह हो जाएगा; कब हो जाएगा? राजस्थान प्यासा मर जाएगा, जनता प्यासी मर जाएगी, तब हो जाएगा क्या? कभी आपने एक शब्द भी यह कहा है, 'हम कर देंगे', यह काम इस सुनिश्चित पीरियड में पूरा कर देंगे, ऐसी भाषा इस बुकलेट में कहीं नहीं है। इससे जाहिर होता है, सरकार का पेयजल की तरफ कोई ध्यान नहीं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपको निवेदन करूंगा। यह लचर सरकार जिसको शायद राजस्थान के मैप का भी ज्ञान नहीं, पूर्वी राजस्थान को राजस्थान का हिस्सा मानती नहीं, पहले भी तृतीय सत्र में मैंने कहा था कि यदि मंत्री नहीं समझते हों, माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं समझते हों तो कक्षा पांच की क्लास में जाकर राजस्थान के मैप का तो अध्ययन कर लें। क्या पूर्वी राजस्थान का भरतपुर जिला राजस्थान का हिस्सा नहीं है? इसमें ऐसी कोई बात नहीं लाई गई।

उपाध्यक्ष महोदय, हम फर्स्ट विनर हैं। हमको जब बोलने का समय मिले, पहले तो मिलता नहीं और पर्ची के माध्यम से ही हमारा लक होता है, कि जब मिलता है तो कम से कम बोलने का समय दें। हमारे सीनियर बहुत-बहुत, 40-40 मिनट और एक-एक घंटे बोलते हैं। यह एक ऐसी समस्या की तरफ मैं कह रहा हूं, अपनी बात को पूरा करूंगा।

भरतपुर के उस विधान सभा क्षेत्र बयाना का जिक्र कर रहा हूं मैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो तहसीलें आती हैं, रूपवास और बयाना। रूपवास क्षेत्र में

(श्री ग्यारसा राम कोली)

पहाड़ी इलाका है, हैंड पम्प सक्सेस नहीं होते। पानी का स्तर यहां गिरता चला जा रहा है दिनों-दिन, यह आपको भी विदित है, उपाध्यक्ष महोदय, और पूरे राजस्थान की जनता को भी पता है। इस क्षेत्र में ग्राम मानोली, टोटपुर, सज्जनवास, भानाखेलनी, लखनपुर, जतमासी, जूतरोली, मोरोली, सिरवोंद, अलऊ, घाटोली आदि-आदि क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं, एक एक बूंद के लिए, पेयजल के लिए तरसते हैं और जब मनुष्य के लिए पानी नहीं होगा तो पशुओं के लिए क्या इंतजाम होगा? इसी तरह से बयाना तहसील में बंध बारेठा, बाजोली, सामरी, कोट, बांगरवास, सिंगरावली, बराना, बाजना, खन्नेयापुरा, दमदमा, महलपुर, चूरा, डुमरिया; ये वे महलपुर, चूरा या उस बंसीपाटपुर की मैं बात कर रहा हूं जिसके पत्थर से, जिस बिल्डिंग में आकर हम बैठे हैं, वहीं के पत्थर से बनी है तो ऐसे क्षेत्र में आज पीने का पानी नहीं है। इस सरकार के रवैये के प्रति मेरे पास कोई निम्न क्वालिटी के शब्द नहीं हैं, ऐसी निकम्मी सरकार के लिए मैं क्या शब्द कहूं, मेरे पास में डिक्शनरी में कोई ऐसे निम्न शब्द नहीं हैं, इस सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र में और तो क्या करेंगे, पानी के लिए यह जो आदमी की बेसिक आवश्यकताएं होती हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वे जो लिख दें, उसको यहां पढ़ दें। यह माननीय मुख्य मंत्री की भी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होतीं और सरकार की भी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होतीं।

ऐसे क्षेत्र में मैं चाहूंगा, मेरे सुझाव पेश करूंगा इसके बाद में, शहरी क्षेत्र की मैं बात कर लूं, साहब; मेरे क्षेत्र में तीन कस्बे आते हैं, रूपवास, रूदावल और बयाना। आप वहां की पाइप लाइनों को देखिए, यहां, साहब, पी एच ई डी से सम्बन्धित अधिकारी भी बैठे होंगे, उनमें इतने लीकेज हैं, एक-एक अंगुल के कीड़े आते हैं। तीनों कस्बे इतनी भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं इस समय। मैंने सर्वे करवाया और सर्वे में वहां के डाक्टर्स ने रिपोर्ट दी, दूषित पानी आ रहा है। अरे, भाई, इन पाइपों को तो बदलवा दो। कोई ध्यान नहीं। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि इस सरकार को सद्‌बुद्धि आए और पूर्वी राजस्थान के बारे में अपना दृष्टिकोण बदले।

श्री उपाध्यक्ष: आपको 10 मिनट हो गये हैं, कोलीजी।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): मान्यवर, महावर कालोनी एक एससी कालोनी है, उस एस सी कालोनी में, इस पैरा 34 में यही कहा गया है, सबसे पहले एस सी, एस टी को लिया है तो एस सी कम्युनिटी के लिए पानी दूषित पिलाया जाता है, कीड़ों से भरा पानी पिलाया जाता है, उसमें शौच है।

(श्री ग्यारसा राम कोली)

मेरा सुझाव है कि वहां कम से कम एक टंकी निर्मित करा दें; वहां पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर यदि एक टंकी का निर्माण हो जाए तो आपका पैसा भी आधा लगेगा और वहां पेयजल समस्या का निवारण हो जाएगा।

मेरे इसमें दो सुझाव हैं। पांचना बांध से गम्भीर नदी में सदैव पानी आता है। उस पानी को यदि वहां छोड़ दिया जाता है तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, प्रत्येक गांव का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा और निश्चित रूप से पानी की समस्या में राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, बंध बनेठा में चम्बल से पानी डाला जाए। मैं दूसरी तरफ से यह कहता हूं, चम्बल का पानी जो भरतपुर को आ रहा है, ...(व्यवधान) बहुत अच्छी बात है लेकिन उसी भरतपुर जिले के हिस्से बयाना और रूपवास तहसीलें भी हैं, कम से कम इनको उसमें शामिल किया जाए। फर्स्ट फेज में तो आप नहीं ला पाएंगे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके सहयोग से सरकार का मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सेकंड फेज में कम से कम दो तहसीलों को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको बहुत टाइम हो गया, अब समाप्त करें एक सेकंड में।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): मैं आपके दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, अब दो मिनट नहीं। कृपया अब समाप्त करें नहीं तो दूसरा मेम्बर बोलेगा। श्रीमती अनिता भदेल। धन्यवाद।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी बेरुखी का मामला है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

अजमेर शहर में यातायात व पार्किंग की बिगड़ी स्थिति

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से, अजमेर की जो यातायात व्यवस्था है, बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था है, आधा किलोमीटर आने के लिए कई बार घंटों जाम में फंसना पड़ता है। माननीय मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि हम आर ओ बी बनाएंगे। अजमेर शहर रेलवे के कारण बसा हुआ शहर माना जाता है। आबादी बढ़ने के कारण से रेलवे लाइनों के आसपास पूरी आबादी पहुंच चुकी है और इसके कारण से आये दिन रेलवे क्रासिंग्स पर जाम लगता है। अजमेर का जो लाल फाटक का रेलवे क्रासिंग है, अजमेर की मात्र एक मुख्य

(श्रीमती अनिता भदेल)

सड़क जिसे हम कहते हैं, रेलवे स्टेशन की सड़क, पूरे शहर का दबाव उस सड़क पर होता है। सुबह स्कूल के समय और जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी होती है एक बजे के लगभग एक लाख बच्चे और उनके पेरेंट्स उस एक मात्र सड़क पर होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी को इमरजेंसी में हास्पिटल पहुंचाना हो तो उसमें हम यही नहीं कह सकते कि वह उपचार के लिए वास्तव में समय पर हास्पिटल पहुंच जाएगा या रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जायेगी। तो मेरा निवेदन है माननीय यूडीएच और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रियों से कि अजमेर की इस समस्या के बारे में मैंने कई बार कटौती प्रस्तावों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से और अन्य प्रकार से उनके समक्ष उठाया है लेकिन तीन साल, साढ़े तीन साल होने के बावजूद भी एक भी आर ओ बी के लिए अजमेर में पैसा स्वीकृत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, अजमेर में पार्किंग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए अजमेर के नया बाजार में जो पशु चिकित्सालय स्थापित है, मैं पिछले दस वर्षों से इस बात को देख रही हूं कि अधिकारी उसको स्थानान्तरित करने की बात तो बार-बार कहते हैं लेकिन वह स्थानान्तरित नहीं होता। मात्र सात लाख रुपये की लागत से उसका नया भवन यदि बाहर बना दिया जाए तो उस पूरे स्थान का उपयोग हम पार्किंग के लिए और अन्य गाड़ियों के लिए कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी, बार-बार कई प्रकार से उठाने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान पिछले दस वर्षों से, एक मात्र पशु चिकित्सालय जो मुख्य बाजार में स्थित है, जहां औसत में पांच पशु का भी नियमित रूप से उपचार नहीं होता क्योंकि हम गायों को और अन्य जानवरों को उस हास्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते, मुख्य मार्ग होने की वजह से इतना भीड़भाड़ वाला वह क्षेत्र रहता है कि वहां पशु को ले जाना सम्भव नहीं है...

(: 13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: आप विषयान्तर न होवें, विषय पर बोलें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं विषयान्तर नहीं हो रही हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची में भी वही लिखा है, पशु चिकित्सालय को स्थानान्तरित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। पारखजी का नम्बर है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा सरकार से भी निवेदन है और पुलिस विभाग के माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मैंने बार-बार एक बात कही, जब आप अजमेर पधारे थे तब भी मैंने यह बात कही थी कि अजमेर की यातायात व्यवस्था को यदि सुधारना है तो अजमेर में उप अधीक्षक के दो जोन बनाये जाने चाहिए, एक दक्षिण जोन और एक उत्तर जोन। वहां यातायात पुलिस के जितने भी सिपाहियों के पद रिक्त पड़े हैं उनको तुरन्त भरा जाय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, यदि वे कुछ जवाब दें...

श्री उपाध्यक्ष: वे देना चाहें तो मैं रोकूंगा नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मंत्री महोदय, आपसे मेरा निवेदन है, मैं बार-बार इस बात को उठाती हूं, अगर आप जवाब देंगे तो शायद हम अजमेर का भला कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, ज्ञानचन्दजी, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो यातायातकर्मियों के रिक्त पदों की बात फरमायी है तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण की प्रस्तुति के साथ पुलिस महकमे में 30 हजार पदों का सृजन किया है, थानों की नफरी बढ़ायी है, शहरी थानों की नफरी की संख्या 60 की है, ग्रामीण थानों की 45 की है। इस क्रम में आपने जो बात उठायी है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। जहां तक यातायात के दबाव की बात फरमायी है, जिला स्तरीय यातायात सलाहकार समिति की सदस्य आप भी रहती हैं, आप समय-समय पर उसमें फरमायें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं रहती हूं, इसीलिए बोल रही हूं आपसे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): हमारे स्तर पर जो भी विषय सामने आता है, उस विषय पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली में सड़क चौड़ी करने के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती आबादी और उसके कारण बढ़ता यातायात इस बात की आवश्यकता महसूस कराता है कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए और हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। जहां भी यातायात बढ़ गया वहां पर्याप्त सड़क हो, कहीं चौड़ी करने की आवश्यकता हो तो उसको और चौड़ी की जाय। कहीं सड़क को सुंदर बनाना है तो उसको भी सुंदर बनाया जाय। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी विकास की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले गाज गिरती है गरीब के ऊपर और ऐसे ही पाली में हुआ। हाउसिंग बोर्ड से लेकर नये बस स्टैंड तक सड़क चौड़ी करने की आवश्यकता महसूस की गयी, यह जरूरी भी था, लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी था कि हाउसिंग बोर्ड से लेकर नये बस स्टैंड तक 700 के करीब कैंटीन और थड़ी वाले पिछले 20-25 वर्षों से वहां अपना रोजगार कर रहे थे; कच्ची दुकानें लगती थीं, कच्ची केबिनें थीं और वर्षों से उनका व्यापार वहां हो रहा था। जब सड़क चौड़ी करने की बात हुई उनसे बात की गयी तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दो; नगर परिषद पाली के पास बहुत सारी खाली जमीन सड़क के इर्द-गिर्द मौजूद है, वहां कोई स्थान चिह्नित करके हमारे केबिन लगाने की, हमारी थड़ी लगाने की व्यवस्था सरकार कर दे। उसके लिए जिला कलक्टर महोदय के पास भी वे केबिन वाले, थड़ी वाले जन-प्रतिनिधियों की मौजूदगी में गये, जिला कलक्टर को अपनी समस्या बतायी, आग्रह किया तो माननीय जिला कलक्टर महोदय ने भी कहा कि वाकई में आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपका रोजगार छिन जाएगा, मैं नगर परिषद से बात करके आपको वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करा दूंगा। माननीय जिला कलक्टर महोदय ने नगर परिषद को 5-6 बार इस बात के लिए कहा भी कि जिन थड़ी वालों को हटाया गया है, जिन केबिन वालों को हटाया गया है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करके उनके केबिन वहां लगाने की व्यवस्था करें और उनके रोजगार की वापस व्यवस्था करें। इतना कहने के बावजूद भी नगर परिषद, पाली ने न तो उन थड़ी वालों को, न उन केबिन वालों को जमीन उनके पास होने के बावजूद भी कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दिया।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यही आग्रह है, सरकार खुद चाहती है कि जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, उनको राहत दी जाय, उनको मदद दी जाय, तो नगर परिषद, पाली को सरकार निर्देश दे कि जहां से

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उनको हटाया गया है, उसके इर्द-गिर्द यदि नगर परिषद की जमीन मौजूद है, वहां मार्केट बनाकर उन थड़ी और केबिन वालों को पुनर्स्थापित किया जाए। ऐसा मेरा सरकार से आग्रह है। यह मुद्दा 700 परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप सरकार को इस बात के निर्देश दें कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिला हमेशा से उपेक्षित रहा है और धौलपुर में पत्थर व्यवसाय है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हेमसिंहजी भड़ाना।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उनसे डबल रायल्टी वसूल की जाती है धौलपुर में।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हेमसिंहजी भड़ाना।

श्री सुखराम (बसेड़ी): धौलपुर में पत्थर व्यवसाइयों से पूरे राजस्थान में डबल रायल्टी वसूली जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है। जहां रायल्टी एक बार वसूल की जाती है, वहीं धौलपुर में दो बार वसूल की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: हेमसिंहजी भड़ाना।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, यह धौलपुर के व्यवसाइयों के साथ सरासर धोखा है।

श्री उपाध्यक्ष: हेमसिंहजी, आपको दो मिनट दिये जाते हैं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): धौलपुर के पत्थर व्यवसाइयों के साथ सरासर धोखा है। (व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डबल रायल्टी वसूली जा रही है। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): मकराना, डीडवाना इत्यादि क्षेत्रों में एक बार रायल्टी वसूल की जाती है जबकि धौलपुर में एक बार रफ पत्थर पर ली जाती है, दूसरी बार फिनिशिंग पत्थर होता है, उस पर रायल्टी वसूल की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो विराजें।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य की बात सुनी जाय। मामला गम्भीर है, आंदोलन की तैयारी हो रही है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंदोलन की तैयारी हो रही है। वे सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो संसदीय सचिव हो।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): कोई गलत नहीं कह रहे हैं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उनको नियम बनाने चाहिए टैक्स वसूली के।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। केवल हेमसिंहजी भड़ाना। केवल हेमसिंहजी भड़ाना।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

सूचना

अलवर-जयपुर मार्ग की मरम्मत व पाण्डुपोल तीर्थ पर लगने वाले टैक्स को समाप्त करने को लेकर सरिस्का गेट पर धरना

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से हजारों की तादाद में किसान सरिस्का गेट पर धरना दिये हुए बैठे हैं। अलवर से जयपुर जाने वाला जो रास्ता है, उसकी मरम्मत के लिए, फोरेस्ट विभाग के द्वारा पाण्डुपोल जाने पर तीर्थयात्रियों पर, अलवर से बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों से टैक्स वसूल करने के क्रम में उन्हें बेदखल करने के हिसाब से और वहां की जमीनों की रजिस्ट्रिया रुकी हुई है उनके लिए आज थानागाजी कस्बा, भर्तृहरि का सारा मार्केट, कुशालगढ़, नारायणपुर, चारों कस्बे बंद पड़े हैं और हजारों की तादाद में पिछले 24 घण्टे से किसान वहां पर पड़ाव डाले हुए पड़े हैं। सारा पुलिस प्रशासन वहां पडा है।

मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं इस राजस्थान सरकार को कि जो अलवर और जयपुर का मार्ग है, उसकी मरम्मत करायी जाय और वहां पर बसे हुए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाय। पाण्डुपोल के अन्दर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर सरकार ने बेवजह टैक्स लगाया है, अलवर से बाहर आने पर, उस टैक्स को हटाने के लिए महापड़ाव डाला है। वहां पर कोई भी आथेरिरेटिव अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा जाय और राज्य सरकार यह आश्वस्त करे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, इस सड़क मार्ग की मरम्मत की जाएगी। जितने भी अलवर से टहला जाने वाली बसें हैं, उनका पिछले दो दिनों से आवागमन बंद है। सारे यातायात के साधन बंद हैं। अलवर से टहला का मार्ग बंद है। उसके लिए किसान आंदोलित हैं, मजदूर और व्यापारी सड़क पर बैठे हैं। अगर वहां अलवर से बाहर

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

का व्यक्ति जाएगा, नीलकंठ जाएगा, पाण्डुपोल जाएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। मक्का और मदीना में जाने पर टैक्स नहीं है, वैष्णो देवी जाने में टैक्स नहीं है लेकिन पाण्डुपोल में बाहर से कोई जाता है, उसके लिए टैक्स है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी इंफार्मेशन आ गयी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): आपके माध्यम से यही सूचना है कि हजारों की तादाद में पड़ाव डाले हुए हैं। उसका आप अपने लेवल पर समाधान करवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: वाद-विवाद में माननीय अमरारामजी। आप केवल चार मिनट बोलेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी, एक मिनट।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि। डाक्टर दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

1- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009; एवं

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

2- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम, 1987 की धारा-38 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009.

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य, विधान सभा तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

सियाराम नगर, वार्ड 11 (अजमेर) में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाया जाना

1- अजमेर स्थित वार्ड-11 की जवाहर की नाड़ी के सियाराम नगर (अनुसूचित जाति की बस्ती) में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने बाबत् ।

ज्वाला प्रसाद नगर, वार्ड 47 (अजमेर) में नयी सीवरेज लाइन बिछाया जाना

2- अजमेर स्थित वार्ड-47 के आवासन मण्डल की कालोनी ज्वाला प्रसाद नगर की सीवरेज लाइनों के नाकारा होने से उत्पन्न स्थिति से छुटकारा पाने हेतु नई सीवरेज लाइन बिछाये जाने बाबत् ।

अम्बाबाड़ी कालोनी, वार्ड 32 (अजमेर) में पेयजल हेतु पानी की पाइप लाइन बिछाया जाना

3- अजमेर स्थित वार्ड-32 की अम्बाबाड़ी कालोनी के लोगों को पेयजल हेतु पानी की पाइप लाइन बिछाये जाने बाबत् ।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बाली-जस्साखेड़ा काछबली, सारोठ, अजीतगढ़ ग्राम पंचायतें (भीम) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना

1- भीम विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाली-जस्साखेड़ा काछबली, सारोठ, अजीतगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत् ।

(श्री हरिसिंह रावत)

भीम में पेयजल के स्थायी समाधान हेतु बीसलपुर/चम्बल से जोड़ा जाना

2- भीम विधान सभा क्षेत्र को पेयजल के स्थायी समाधान हेतु, बीसलपुर अथवा चम्बल पेयजल योजनाओं से जोड़ने बाबत् ।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करती हूं:-

रामगंजमण्डी (कोटा) में बस स्टैंड की स्वीकृति

1- रामगंजमण्डी (कोटा) में बस स्टैड स्वीकृत करने बाबत् ।

रामगंजमण्डी में नवीन कृषि कार्यालय खोला जाना

2- रामगंजमण्डी में नवीन कृषि कार्यालय खोलने बाबत् ।

श्री उपाध्यक्ष: डा. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

बैजवाड़ी पपलाद माता भवन छारेड़ा-आलूदा सड़क डामरीकरण

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बैजवाड़ी पपलाद माता (मंदिर) भवन से छारेड़ा होते हुए आलूदा तक रोड का डामरीकरण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य, विधान सभा, एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

मानेर व उबा पाण बांधों (झाड़ोल) के कार्य को प्रारम्भ किया जाना

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के पाड़ा खादरा ग्राम मानेर बांध व उबा पाण बांध लाम्बा हल्दु तहसील कोटड़ा के दोनों बांधों के कार्य को चालू करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

बयाना रेलवे स्टेशन से ग्राम सीदपुर तक सड़क निर्माण

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बयाना रेलवे स्टेशन से ग्राम सीदपुर तक सड़क निर्माण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समितियों के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 समिति के 10 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (वर्ष 2011-12) के प्रतिवेदन (क्रम सं. 83 से 92)

श्रीमती जकिया (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के निम्नांकित दस प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:-

1- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 83वां प्रतिवेदन;

2- राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 84वां प्रतिवेदन;

3- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2009-10 के 9वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 85वां प्रतिवेदन;

4- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 22वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 86वां प्रतिवेदन;

5- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 23वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति पर आधारित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 87वां प्रतिवेदन;

(श्रीमती जकिया)

6- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 28वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 88वां प्रतिवेदन;

7- राजस्थान राज्य बीवरेज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2008-2009) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 31वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 89वां प्रतिवेदन;

8- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 45वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 90वां प्रतिवेदन ;

9- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 46वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 91वां प्रतिवेदन; एवं

10- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति 2010-11 के 47वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 92वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी, सभापति, याचिका समिति, 2011-12 समिति के एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

याचिका समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन (सं. 9)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति, 2011-2012 के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री आदराम मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2011-2012 समिति के एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन (सं. 4)

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2011-2012 के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमरारामजी, चार मिनट से पांचवां मिनट नहीं मिलेगा। आप खुद घड़ी देख लीजिये।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह चौथा बजट है। बजट वह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके द्वारा राजस्थान के आम-अवाम के टैक्स से जो खजाना भरता है उससे राजस्थान के लोगों का आर्थिक विकास हो, वे बराबरी पर आयें, आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास भी हो। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट रखा है, वह बजट केवल घोषणाएं हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इस सवा तीन साल में जो वायदे राजस्थान की सरकार ने जनता से किये, इस बड़े सुन्दर घोषणा पत्र के आधार पर जनता की बड़ी चिंता की थी और इसमें लिखा था कि किसान, गरीब, गांव, आम अवाम का ध्यान रखेंगे। लेकिन इनके बजट से तीन साल में लोगों की जो हालत हुई है, मैं समझता हूं कि आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, राजस्थान का आम-अवाम परेशान है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होंने केवल घोषणाएं की हैं। इन्होंने 2011 में जो बजट रखा था, उसमें जो घोषणाएं की थीं, उनमें से बहुत सी घोषणाएं आज दिन तक लागू नहीं हुई हैं। पिछले बजट में पैरा नम्बर 132 में घोषणा की थी कि 50 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होगी, 25,400 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होगी और कुल मिलाकर 75,400 अध्यापकों की भर्ती होगी पर आज तक एक भर्ती नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा में पिछड़े हुए 134 ब्लाक हैं, उनमें माडल स्कूल बनेंगी लेकिन आज तक नहीं बनीं। पिछले बजट में घोषणा की थी कि शेखावाटी में फिजिकल यूनिवर्सिटी बनेगी पर वह फिजिकल यूनिवर्सिटी जमीन पर आज तक नहीं बनी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमरारामजी, आपका समय जा रहा है, कृपा करके आप बातों में मत आइये। एक मिनट हो गया आपका। आप अपनी बात करिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि हर पंचायत मुख्यालय को परिवहन सेवा से जोड़ दिया जाएगा, 32 आर ओ बी बन जाएंगे, मैं समझता हूं कि बाकी 30 का तो मुझे पता नहीं लेकिन सीकर जिले में नीमकाथाना और रींगस में आर ओ बी जमीन पर नहीं हैं; हवा में कहीं बना दिए हों तो मैं कह नहीं सकता। एक हजार ढाणियों को डामर सड़क से जोड़ देंगे, आज की तारीख तक, आज एक दिन पिछले बजट का बचा है और अगर एक भी ढाणी राजस्थान में जुड़ गई हो तो मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तो मुझे बता दें।

इंदिरा गांधी नहर के सम्बन्ध में पिछली बार कहा था कि पंजाब में जो हिस्सा है उसमें 952 करोड़ की सैंक्शन आ गई है और रिनोवेशन चालू हो जाएगा लेकिन आज तक तो नहीं हुआ, 30 तारीख तक तो नहीं हुआ और अब मेरी समझ में नहीं आता कि कब होगा।

सामाजिक न्याय अधिकारिता में करोड़ों का घोटाला है लेकिन जो वाजिब हकदार हैं, उनको नहीं मिलेगा। महिलाओं की बड़ी बात करते हैं और पिछले बजट में ही घोषणा की थी कि महिला अत्याचार निवारण विधेयक लेकर आयेंगे, पर साल भर में महिलाओं को अत्याचार से बचाने के लिए इनको समय नहीं लेकिन उन शिक्षा माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान की सरकार साल भर में दर्जन भर निजी विश्वविद्यालयों के कानून लेकर के आ गई। पचास प्रतिशत आबादी जो महिलाएं हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, डायन बताकर जिस तरह से हत्याएं की जा रही हैं, उनके लिए कानून की घोषणा की थी उसके लिए सरकार को समय नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरी में, जहां तक गांव के गरीब को जो नरेगा के माध्यम से काम मिलता था, वोट के लिए तो बढ़िया सुंदर छपवाकर के उनसे वोट लिये गये लेकिन जो नरेगा में काम मिला, उसमें 2009 में 10 लाख लोगों को 100 दिन का काम मिला, 2010 में तीन लाख को मिला और इस साल मात्र डेढ़ लाख को मिला है। उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, अत्याचार को मिटाने की बात कर रहे हैं, वहां राजस्थान में एक लाख 80 हजार महिलाएं जो आंगनबाड़ियों में काम कर रही हैं, महिलाओं और

(श्री अमराराम)

बालकों की मृत्यु में राजस्थान का रिकार्ड है। उसको ठीक करने के लिए न्यूनतम मजदूरी जो राजस्थान में एक अकुशल श्रमिक को 135 रुपये है, वहां राजस्थान की सरकार उनको 33 रुपये रोजाना के दे रही है। अभी बड़ी मेहरबानी की है कि उनका दो रुपया रोजाना का बढ़ाकर 33 रुपये से 35 रुपये रोजाना किया है और इतने कम 35 रुपये में उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बजट केवल घोषणाएं करने के लिए ही रह गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के लिए कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है पर उससे भी पहले पेयजल है। लेकिन राजस्थान सरकार ने आम अवाम की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया है। गांवों की तो बात छोड़ियें उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में सैकड़ों ऐसी आबादियां हैं जहां पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि जयपुर में मेट्रो चलनी चाहिए, जिसके ऊपर 17,000 करोड़ रुपये लगेंगे। वह चलाना प्राथमिकता है, आम आदमी को पानी पिलाना प्राथमिकता नहीं है। राजस्थान के 20,000 गांव आज भी 65 साल की आजादी के बाद में जिस तरह से पेयजल के लिए तरस रहे हैं, सीकर में आधे से ज्यादा गांवों का अंडरग्राउण्ड पानी समाप्त हो रहा है, उसके लिए पैसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से किया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं समझता हूं, किसान की फसल जल गई, लेकिन सरकार जान-बूझकर उसकी गिरदावरी को सरकार के निर्देश पर 50 प्रतिशत से ज्यादा जो खराबा हुआ था, उसको 20 प्रतिशत बताकर राजस्थान के किसान को लूटा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। आप बहुत बोल गये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में ही, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं बहुत शोर्टली कर रहा हूं।

इसलिए किसान की जो दुर्दशा है, आज अभी प्रश्न काल में आपने देखा कि हमारी राजस्थान की 80 प्रतिशत पैदावार पड़ोसी राज्यों में जा रही है। हमारे राजस्थान के हिस्से में, राजस्थान में तेल निकलेगा, तेल गुजरात में

(श्री अमराराम)

जायेगा। आपने घोषणा की थी कि रिफाइनरी लग जायेगी 2011 के बजट में। हमारा तेल यहां पर निकलेगा और गुजरात जाकर साफ होगा और जब वापस मिलेगा, हरियाणा और पंजाब में चार रुपये लीटर सस्ता मिलेगा और राजस्थान के किसान को और आम जनता को चार रुपये लीटर महंगा मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है, किसान को न भाव मिलता है, न जमीन मिलती है। अभी मुआवजे की बात हो रही थी। जो काश्त कर रहा है, उसके लिए, मैं समझता हूं, राजस्थान में 1952 के एक्ट में यह मिला था कि जो गिरदावरी करता था, उसके लिए है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की हालत यह है कि 25 सितम्बर, 1999 को जब बिजली बोर्ड को तोड़ा गया था, मैं दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा, ...

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट बहुत होते हैं, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दो मिनट। अब मैं रेलेवेंट, वही बात कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने कहा है, 25 सितम्बर, 1999 को यही कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी कि बिजली बोर्ड को तोड़कर पांच कम्पनियां बनाई जा रही हैं, 250 करोड़ रुपये का कर्जा है, यह समाप्त हो जायेगा लेकिन आज 53,000 करोड़ रुपये का है। आम आदमी को बिजली नहीं मिलेगी, वी सी आर के नाम पर लूटेंगे। 52 पैसा यूनिट का था, वह सस्ती बिजली आज 90 पैसे में किसान को है। आम आदमी को ढाई रुपये यूनिट में मिलती थी, आज वह आठ रुपये यूनिट में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न बिजली है, न पानी है।

मैं धन्यवाद दूंगा, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, तीन साल के संघर्ष के बाद खुली है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आजादी के दीवाने, जिनकी आपने पेंशन बढ़ाई है, लेकिन 13.3.1947 को डाबला में जहां पांच किसान शहीद हुए थे, उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसी 13 मार्च को मैं शहीद दिवस पर गया। वहां पर एक महिला जिसकी हालत, जो वहां शहीद हुआ बोदूराम, उसकी पत्नी केसरी देवी, निवासी डाबला को 1962 में पेंशन हुई, आपने पेंशन बढ़ाई है वे बढ़ाई जानी चाहिए, वे शहीद बहुत कम बचे हैं लेकिन अफसोस है कि 1989 से लेकर वह आज तक दर-दर की ठोकर खा रही हैं, उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। जो पांच लोग शहीद हुए, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं एक मिनट में कर देता हूं। उस शहीद की बेवा जो खुद उस संघर्ष में थी, इन सामंतों ने उसके नाक और कान से उतार दिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार। श्री श्रवण कुमार।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिस तरह से बजट में किया जा रहा है, मैं समझता हूं, खजाना लूटा जा रहा है, जमीनों को बेचा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज का एक मुद्दा रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जैसी खनिज की सम्पदा राजस्थान में है, जमीन को लूटा जा रहा है। अभी 29 तारीख को हमारे ही खनिज मंत्री हैं, सीकर में ही खान है उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय अमरारामजी। मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक ही बात है, आखिरी बात है। मैं तो एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: खड़े हैं माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, खनिज सम्पदा के नाम पर जमीन को लुटाया जा रहा है। मैं तो एक ही उदाहरण देकर समाप्त कर दूंगा। अभी 29 तारीख को नई खनिज नीति घोषित की है कि खानें लाटरी से निकलेंगी। यह जुगलपुरा, नीमकाथाना, हमारे जो सीकर में हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी निगाह में सही नहीं है ना, ठीक है। प्लीज, प्लीज। प्लीज, अब नहीं, नहीं। माननीय नरपत सिंहजी राजवी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं एक मिनट में ही पूरा कर देता हूं। यह बात कहकर मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नरपत सिंहजी राजवी का लिखिये। बस, अब और नहीं। अब समाप्त कीजिये प्लीज, खतम। नरपत सिंहजी राजवी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय नरपत सिंहजी राजवी। अब आपका समाप्त हो चुका है, आपका समाप्त हो चुका है। माननीय नरपत सिंह जी राजवी, आप बोलिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल नरपत सिंहजी राजवी का ही लिखिये। माननीय नरपत सिंहजी राजवी, आप बोलना शुरु करिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नरपत सिंहजी राजवी, उनका समाप्त हो गया है। उनका लिख नहीं रहे हैं, आपका लिखेंगे वे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पहले हाउस को तो आर्डर में लाओ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नरपत सिंहजी राजवी। आपका कतई नहीं लिखा जा रहा है, बिलकुल नहीं लिखा जा रहा है, कतई नहीं लिखा जा रहा है। (व्यवधान) आप मंत्री के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? माननीय नरपत सिंहजी राजवी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2011-2012 को आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से देखें तो मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी उपलब्धियां गिनाईं, लेकिन आप तो स्वयं, आप तो कई वर्षों से हाउस में हैं। फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के बाद में 30 प्रतिशत से बढ़ाकर डिविजिबल पूल में से 32.5 प्रतिशत किया था, तो केन्द्रीय कर में से हमारे को अधिक प्राप्तियां हुई हैं, ग्रांट्स हमको अधिक मिली हैं और पेट्रोलियम की रायल्टी 3,500 करोड़ तक की मिली है, उसके आधार पर ये सारी कुछ बातें, आंकड़े आपने हमको दिखाये हैं। खुद ने क्या करके दिखाया है, इस पर अगर कुछ किया होता तो लगता कि अच्छा वित्तीय प्रबन्धन था।

इन्क्लूजिव ग्रोथ, अभी बताता हूं इन्क्लूजिव ग्रोथ कैसी है। केन्द्रीय करों का हिस्सा जो 2008-2009 में 8,998 करोड़ था, वह 2012-13 में 17,706 करोड़ हो गया, लगभग डबल हुआ है। उसी के कारण से आप कर पाये हैं। ग्रांट्स-इन-एड 656 करोड़ बढ़ी है। अब जी डी पी पर, पिछले बजट

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पर मैं जब बोल रहा था तो मैंने कहा, यह जी डी पी के जिस प्रकार से आंकड़े हैं, इन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ की है। यह सम्भव नहीं है जी डी पी की इतनी ग्रोथ। 1999-2000 की स्टेबल प्राइसेस पर उस सीरीज को चेंज किया है, जबकि केन्द्र सरकार ने उस समय तक नहीं किया था, पिछले वर्ष लागू किया। 2006-2007 की 12.73 प्रतिशत ग्रोथ थी, जबकि 1999-2000 में 2.51 प्रतिशत ही रह गई। अगर नये, रिवाइज सीरीज में देखें तो 4.30 है। अभी प्रोविजनल उन्होंने 5.52 दिया, वह भी कम हो जायेगा। 2010-2011 में जो नई सीरीज लागू की है, उसके आधार पर क्विक एस्टिमेट 10.97 है। अधिकारीगण भी बैठे हैं, अगले बजट भाषण में इसको 10.97 रखकर देख लें, कोशिश कर लेना, अगर रह जाये तो। सम्भव ही नहीं है।

इन्क्लूजिव ग्रोथ, पिछले वर्ष जी डी पी में जिस प्रकार से उन्होंने नई सीरीज से किया, चेंज किया, उससे जी डी पी में वृद्धि दर्शाई और वृद्धि ही नहीं दर्शाई, एफ.आर.बी.एम. की जो पाबंदी लगी हुई थी, उसमें 308 करोड़ प्रति वर्ष हमारे टाइम में सरकार को मिल रहे थे, तीन वर्षों तक मिले हैं, 2008-2009 में यह अग्रिम दे दी गई और 2009-2010 में उसको काट लिया गया क्योंकि इन्होंने जो नई सीरीज लागू की थी, उस सीरीज को केन्द्र सरकार ने माना नहीं। आज भी मुख्य मंत्रीजी पत्र लिख रहे हैं, रिकार्ड उठाकर देख लें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर एवं अनुदान का हिस्सा, 2009-2010 में 40.73 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 43.33 प्रतिशत हो गया। तो इन्होंने खुद ने क्या किया है? आधे से ज्यादा राशि तो केन्द्र सरकार से आ रही है।

कुशल वित्तीय प्रबन्धन खुद की पीठ ठोकने में और यहां पर हमारे सत्ता पक्ष के साथी झूठी चमचागीरी करने में, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन खूब कशीदे काढ़े हैं। 11-12 में नान प्लान एक्सपेंडिचर 44,712 करोड़ रूपये था जो रिवाइज्ड, एस्टिमेट रिवाइज करने पर 45734 हुआ जो 6,200 करोड़ रूपये अधिक हुआ है। नान-प्लान एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा, तो कुशल वित्तीय प्रबंधन में कभी नहीं बढ़ेगा। न पहले था, न आज है। अगर मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दें तो मैं आभारी रहूंगा।

2011-12 में टोटल लायबिलिटी जी एस डी पी के अनुपात में 05-06 की तुलना में, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, मुख्य मंत्रीजी ने 2008-09 से की है जिसमें से तीन महीने तो उनके स्वयं के थे, टोटल लायबिलिटी हम

(श्री नरपत सिंह राजवी)

लोगों ने 2002-03 से लेकर 08-09 तक 17 प्रतिशत घटाई है, 08-09 में 36.83 था जिसको कम किया है। मुख्य मंत्रीजी ने रिवाइज सीरीज होने के और जी डी पी की काल्पनिक जो ग्रोथ दिखाई है, उसके आधार पर भी सिर्फ सात परसेंट वृद्धि बताई है, कटौती की है। अगर सही आंकड़ों में आ जाय तो कटौती सात प्रतिशत भी नहीं रहती।

तीनों बजटों में खास तौर पर 2009-10 के बजट में खूब पिछली सरकार, हमारी सरकार को खूब कोसा था कि शराब की बिक्री बढ़ी है; स्वयं का देख लें कि कितना है। 2008-09 में 2,169 करोड़ की आबकारी से आय थी, 12-13 में बढ़कर 3250 करोड़ हो गई। शराब पिलाओ और आमदनी बढ़ाओ। आई एम एफ एल 2009 तक 415.61 लाख बल्क लीटर था जो बढ़कर 551.92 लाख बल्क लीटर हो गया। यही हालत देशी मदिरा की है, 756 लाख बल्क लीटर था जो कि दिसम्बर 2011 तक 10,56 लाख बल्क लीटर हो गया है। प्रति व्यक्ति कंजम्प्शन अगर आप लगायें तो मेरे ख्याल से इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई।

कृषि के सम्बन्ध में पीठ तो खुद की थपथपा लें, कोई बात नहीं, लेकिन किया क्या है? अगर मल्टिपल क्रोपिंग से क्राप्ड एरिया बढ़ाया जाता है तो ज्यादा ठीक रहता, यील्ड बढ़ाने के ऊपर कुछ ध्यान देते तो मेरे ख्याल से ठीक रहता। यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो स्थितियां बन रही हैं, नई यील्ड अब जेनेटिकली मोडिफाइड यील्ड अगर नहीं आपने डवलप की है, सीड दूसरा डवलप नहीं किया तो जो यह फूड सिक्योरिटी है वह फूड स्केअरसिटी में डवलप हो जायेगी, यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दीर्घकालीन योजना इनके पास कोई भी नहीं। कृषि प्रतिस्पर्धा योजना, मुख्य मंत्रीजी ने 2011-12 के बजट में पैरा नम्बर 116 में विश्व बैंक के सहयोग से एक हजार करोड़ रुपये का राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना लागू करने की बात कही थी, इस ओर प्रोविजन तो किया है लेकिन सिर्फ 3.3 प्रतिशत का किया है, 33 करोड़ का। वह कब तक जाकर पूरा होगा, कोई भी कह नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत के सम्बन्ध में तो चैप्टर छेड़ना ही पेंडोराज बाक्स लगता है। बाकी तो विद्युत की डिमांड पर करेंगे चर्चा लेकिन एक बात मैं सदन में कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो इलेक्ट्रोनिक मीटर लगे हैं, करीब-करीब राजस्थान में ऐसा एक आदमी भी नहीं होगा जो खुश हो। यह अमेरिका में ईजाद हुआ था और राजस्थान ने तुरन्त उस चीज को पकड़ा।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

लेकिन यह नहीं सोचा कि क्या यह वास्तव में इलेक्ट्रोनिक मीटर हम यूज करने की स्थिति में, हम जनता को देने की स्थिति में रहेंगे। यह स्टडी नहीं हुई। ए टी एन टी अमेरिका में, पूरे अमेरिका में एक इलेक्ट्रानिक मीटर नहीं है; उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है क्योंकि पोल्यूशन के कारण, वैदर कंडिशंस के कारण इसकी गणना सही नहीं आती। क्या हमारे यहां पर स्टडी करने की कोशिश नहीं करेंगे? अगर एक आईएएस अधिकारी ने खरीद करने का और इसको अपनाने का कह दिया तो इसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए? मैं सोचता हूं, विद्युत मंत्रीजी इसमें हिम्मत करके थोड़ा कदम उठाने की कोशिश करें तो इसका लाभ मिलेगा।

सिंगल-फेस मीटर पचास प्रतिशत उपभोक्ताओं के खराब हो रहे हैं और थ्री फेस मीटर बीस प्रतिशत उपभोक्ताओं के खराब हो रहे हैं। आप कह रहे हैं, राजस्व आय नहीं हो रही है, घाटा हो रहा है, ये जितने भी ज्यादा ट्रांसफार्मर लगेंगे; नहीं, अंगुली करने की जरूरत नहीं है, अंगुली मैं कर रहा हूं अभी; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी ज्यादा मीटर लगेंगे, पावर फैक्टर में अंतर आयेगा। पावर फैक्टर अगर बढ़ेगा तो सिस्टम जो है, उसको लोस होगा। सिस्टम में लोस होने के कारण अभी जगह-जगह आपके तार भी टूट रहे हैं, लोड फेक्टर बढ़ रहा है। कैपेसिटर लगाने की पुरानी जो परम्परा थी, वह बंद कर दी। कंडक्टिव लोड अधिक होना चाहिए ताकि बैलेंस रहे, वोल्टेज फ्लेक्चुएशन नहीं आये। जयपुर में तो कमाल ही कर दिया। 1994 में आरम्भ किया था कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम 33 के वी सब-स्टेशन में जितने भी थे कम्प्यूटरीकृत उसको करके अगर एक जगह फाल्ट आता है तो दूसरी जगह से उसको रिंग, सिस्टम डवलप करना था। मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसमें जवाब दिया कि 2005 में यह आरम्भ किया है। उनको पता ही नहीं है फाइल कहां है; मैंने बताया है फाइल कहां पर है। ईमानदारी से आप पूछ लें। उपाध्यक्ष महोदय, परेशानी यह होती है कि किसी भी सिस्टम में कम्प्यूटराइजेशन में पार्टली नहीं हो सकता काम। या तो वह कम्प्लीट होगा या वह इन्कम्प्लीट होगा, आधा यूज नहीं हो सकता। जितने, चालीस करोड़ रुपये पहले लगाये थे और आज भी लगा रहे हैं, उसका एक अंश भी काम आने लायक नहीं है। इस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्वार के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है, आप स्वयं किसान हैं, इस ग्वार की क्या स्थिति हो रही है एनसीडेक्स के

(श्री नरपत सिंह राजवी)

कारण। एनसीडेक्स से इसको बाहर रखने के लिए मुख्य मंत्रीजी क्यों नहीं कहते? ग्वार गम तो सिर्फ राजस्थान में है, और दूसरी जगह नहीं और ग्वार गम इंडस्ट्री फेल हो गई तो इकोनोमी में जोधपुर में तो असर पड़ेगा। आज ग्वार के भाव ज्यादा हैं, इन्फ्लेटेड हैं लेकिन क्या यह सरकार किसानों को बीज देने की स्थिति में है? अगर दस बीघा भी बीजना है तो किसान के तो हाथ में नहीं है बीजना, इतना महंगा बीज लेना आज तो कृषि, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्वार का बीज होने के बाद भी दे नहीं रही है कि पता नहीं, कितना बीज देने की आवश्यकता होगी। कम से कम एक टास्क फोर्स गठित करके इसके बारे में स्टडी तो करवा लें कितने बीज की आवश्यकता है। पेस्टिसाइडस, यह फर्टिलाइजर, डी ए पी नहीं मिल रही, यूरिया समय पर नहीं मिलेगी, फसल कटने के बाद अगर मिलेगी तो आप भी कहां डालेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

लगभग सभी माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के बारे में चर्चा की है। किसी ने यह नहीं सोचा है कि हिन्दुस्तान में हम आखिरी पड़ाव पर हैं। एन एस एस ओ के आधार पर 4,352 रूपये प्रति व्यक्ति हम इन्डोर पेशेंट पर खर्च कर रहे हैं, आपकी स्थिति केरल से भी बदतर है और वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। स्कीम की थी, हमने तो कोशिश की थी कि इन्डोर पेशेंट के लिए लागू हो जाय, लेकिन डाक्टर्स को फायदा पहुंचाना है, दवा कम्पनियों को फायदा पहुंचाना है तो छोटी कम्पनियों के माध्यम से नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष: सदन में अनावश्यक बात करना मना है। माननीय सदस्य, चर्चा चल रही है, सदन में अनावश्यक बात...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जी?

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): तो दवा कम्पनियों में ऐसी छोटी-छोटी दवा कम्पनियों को आर्डर्स दे दिये, उनकी एनुअल टोटल प्रोडक्शन का डी पी आर में जो उल्लेख है, उससे भी अधिक उनको प्रोडक्शन करके देना है। अगर लोन लाइसेंस पर प्रोड्यूस करके दवाइयों का वितरण होगा तो मरीज जिसको वह दवाई दी जायेगी, उसकी मौत भी होती है। मुख्य मंत्रीजी का खुद का गृह नगर जोधपुर इसका जीवंत उदाहरण हैं, चाहे प्रसूताओं की हों, चाहे

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बालकों की हों। अभी तक बारह हजार आई.वी. फ्लूड्स वहां पर बोतलें ऐसी पड़ी हैं जिसके बैच को रिजेक्ट किया गया है। उस कम्पनी को भी ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। लेकिन कम से कम वे वहां से रिमूव तो कर दें, किसी के गलती से भी लग गया फंगस है उसमें ग्रोन, तो वास्तव में परेशानी होने वाली है। डाक्टर्स की प्रैक्टिस, जो घर पर जाकर दिखा देगा उसका नाम भी पहले, आउटडोर में भी पहले पर्ची निकल जायेगी और दवाई भी अगर उसने फीस दी है सौ रुपये की तो हजार रुपये की दवाई फोकट में मिल जायेगी। लोग अपने घर-घर में ले जाकर दवाइयां रख रहे हैं। एकदम पेशेंट्स की संख्या इतनी बढ़ जाय, डबल हो जाय, असम्भव है। क्या पहले मरीज कहीं और दिखाता था? ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को यह है कि अगर खांसी आज नहीं है, कल हो सकती है, पेट में दर्द आज नहीं है लेकिन अगर, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अंगुली करेंगे तो शायद पेट में दर्द भी हो सकता है। इसलिए वह दवाइयों का भण्डारण करने का काम शुरू किया है। डाक्टर्स की प्रैक्टिस करवाने में सहयोग देने का काम राज्य सरकार का नहीं है और इसमें होना भी नहीं चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इर्रिगेशन सिस्टम पर अभी माननीय सदस्य बोले थे कुछ दिन पहले, आई जी एन पी में 40 दिन की बंदी ली है और यह 40 दिन की बंदी में अभी तक वहां पर टेंडर प्रोसेस भी उन्होंने प्रक्रिया में नहीं डाला है। 30 दिन का कम से कम टेंडर दोगे तो कम से कम बीस दिन का तो नोटिस देना पड़ेगा। एन आई टी के लिए सिर्फ हैडवर्क्स का रिपेयर होगा और उन हैडवर्क्स का रिपेयर, रेग्यूलेटर को उसको बाइपास करके किया जा सकता है। लेकिन नरमे की बुआई नहीं हो, यह सुनिश्चित अगर हमारे कृषि मंत्रीजी करें, खुद ही खेती करने वाले हैं उनको नहरी क्षेत्र के बारे में शायद ज्यादा जानकारी न हो लेकिन उसके बारे में उनको चिंता करनी चाहिए। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो बैठे हैं, अगर पानी नहीं होगा, नरमा और गरमा नहीं बीजा जाएगा तो उस जिले की आर्थिक स्थिति का क्या हाल होगा, पिछले पांच वर्षों में पहले भी आपने देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एन आर आई कनक्लेव यहां पर हुआ और जो सरकार की भद्द पिटी है, हर राजस्थानी को करीब-करीब यही महसूस करने पर, सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारा मंत्री वहां पर जवाब नहीं दे सके, सीधे मुंह बात नहीं कर सके। आप कोई तांगे वालों से थोड़े ही बात कर रहे हो। जितने भी एन आर आईज आए हैं, अच्छे संभ्रांत परिवार के हैं, बाहर जाकर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

व्यापार एवं व्यवसाय कर रहे होंगे, लेकिन अपनी धरती से जुड़ने के लिए यहां पर आये हैं। उनसे अगर यह कहा जाए कि आप सुनना है तो सुनो, नहीं तो चले जाओ। आने वाले समय में अगर दुबारा कानक्लेव ऐसी हो और ऐसे ही मंत्री गए, वह तो जनता की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है कि ऐसे मंत्री नहीं दुबारा आएंगे लेकिन अच्छा पिक्चर नहीं गया है। ट्यूरिज्म के लिए राजस्थान बहुत अट्रेक्शन का एक सेंटर है। ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के मंत्रीजी ने अपना प्रजेंटेशन उनको ध्यान नहीं था कि देना है कि नहीं देना है। ऐसे कैसे काम चलेगा और फिर भी मुख्य मंत्रीजी ऐसे मंत्री को कैबिनेट में रखें, कोई आवश्यकता नहीं है। काम करने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छी टीम डवलप करें। अभी अच्छी टीम आपने हरवा ली, कोई बात नहीं है, उसमें से अच्छे गुणात्मक लोगों को लें। तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहता।

एन आर आई कानक्लेव के अलावा एक नेशनल केपिटल रीजन में नियम 3w लागू था जिसमें अगर सेच्यूरेशन कोई आ जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में, तब भी उसको आक्शन किये बिना अलाट किया जा सकता है। जोधपुर कौनसा बार्डर एरिया हो गया? जोधपुर में डेढ़ लाख मीटर जमीन सस्ते दामों में अपने चहेतों को, +++ दी गई है और जहां वो सेक्रेट्रिएट और उद्योग भवन गए, वहां की पर्चियां भी मेरे पास पड़ी हैं कि वह वहां कैसे गए और किससे क्या करवाया। यह जनता का धन है, जनता की एक्वायर्ड जमीन है, उद्यमियों के लिए दी है, उद्योग लगना चाहिए लेकिन एक कंकर भी आज तक नहीं लगा है। मुख्य मंत्रीजी उनको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे क्या? टर्म्स एंड कंडिशंस के आधार पर तो कैंसिल हो सकती है।

यू डी एच और जलदाय विभाग का तो कहना ही क्या! म्यूनिसिपल एक्ट में डिफाइन कर दिया कि जयपुर के जितने भी वार्ड हैं, वे अरबन एरिया हैं। जलदाय विभाग ने पेरिफेरी का एरिया है उसको ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट में ठोक रखा है। वह इसलिए दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से बजट आबंटन होता है और शहरी क्षेत्र में 160 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन बजट आबंटन होता है। उस गणना में ज्यादा बजट देना पड़ जाएगा जयपुर शहर को, इसलिए यह कार्यवाही की है। मैंने इस सम्बन्ध में ढाई साल पहले पत्र लिखा था। कुछ एस ई, और एक्स ईएन की संख्या यहां पर बढ़ाई जरूर है लेकिन यह क्रिमिनल एक्ट है कि रूरल एरिया में उसको फीड कर रहे हो जबकि बाकी सब कार्यवाही शहरी क्षेत्र के हिसाब से हो रही है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

यह सम्भव नहीं है। यह इस प्रकार का छोटी-मोटी एडजस्टमेंट करके एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे समझ में नहीं आता है।

एप्रूव्ड कालोनियां, अब यू डी एच मंत्रीजी बैठे हुए हैं, पहले माननीय भैंरोसिंहजी शेखावत साहब भी थे, पिछले कार्यकाल में माननीय वसुंधराजी थीं और उसके पहले गहलोत साहब थे, यू डी एच डिपार्टमेंट जितनी भी रिकवरी कर रहा है, यह जे डी ए से करेगा। उसमें डवलपमेंट एक्टिविटी के लिए राशि खर्च करेगा। 25 रुपए प्रति गज की सिविल लाइंस में मैंने भी दी थी। आज वह अगर अनुपातिक नहीं देगा तो पी एच ई डी उस पर लाइन नहीं लगाएगी और एप्रूव्ड एरिया में लाइन नहीं लगाना यह भी क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप अभी भी नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि आंदोलन खड़ा करना पड़े, या हाई कोर्ट जैसे जुडिशियरी का सहयोग लेना पड़ेगा।

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, एम्प्लायमेंट जनरेशन का और लगभग जब से जयपुर का अस्तित्व हुआ है तब से लेकर आज तक रंगीन रत्नों की घिसाई का काम और ज्वैलरी का काम राजस्थान में सर्वाधिक रहा है। गोल्ड में सबसे ज्यादा बिजनेस यहां पर है लगभग तीन क्विंटल रोज का ट्रांजेक्शन सोने का होता है। प्रधान मंत्रीजी ने यहां जो टैक्स लगाया वह तो ये रोक नहीं सकते लेकिन गार्जियन के नाते कम से कम ये प्रधान मंत्रीजी से जाकर बात करते, वित्त मंत्रीजी से बात करते कि राजस्थान में ट्रेड का इतना इफेक्ट होगा, एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी इफेक्ट होगी। पिछले दिन में अख़बार में आया था, एक दिन में 7 हजार 900 करोड़ के ट्रांजेक्शन का नुकसान हुआ है। इसमें सरकार की आय की भी हानि हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बार-बार घंटी नहीं बजाई, इस बात के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं क्योंकि बात का फ्लो अगर बिगड़ता है तो बात कहने में कठिनाई होती है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री श्रवण कुमारजी। वैसे आपका नाम एक बार पहले बोला जा चुका है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कोई बात नहीं, बड़ी मेहरबानी है, आपने मेरे ऊपर मेहरबानी की है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। कोई तो मानता है एहसान।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट भाषण 2012-13 के ऊपर बोलने का आपने मौका दिया दूसरी बार; एक बार तो बोल ही चुके थे, मेहरबानी आप जैसे लोग ही करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अभी नरपतसिंहजी बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं बातें सुन भी रहा था लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 2012-13 में जो बजट इस बार प्रस्तुत किया है, इसमें बोलने के लिए जगह कहां से मिली है आपको? जगह है ही नहीं कहीं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जिसको चमचागिरी करनी है उसको जगह ढूंढनी पड़ती है, हमारे को ढूंढने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तकलीफें जिन्हें सहने की आदत नहीं, तूफ़ानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं; जो लोग जिया करते दूसरों के सहारे, उसे जमाने की जरूरत नहीं। हम जमाना पैदा करते हैं, चमचागिरी नहीं करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि मैं बहुत सालों से बजट सुन रहा हूं जब आप आये नहीं थे यहां, तब से सुन रहा हूं। 5 हजार करोड़ से शुरू किया था, राजेन्द्रजी सुनते-सुनते गए, अब, घनश्यामजी, 33 हजार पर पहुंच गया है। मैं यह कहना चाहता हूं, 33 हजार से आगे जाएगा, 40 हजार पर भी जाएगा क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है; आविष्कार बढ़ता है तो आवश्यकता बढ़ती है और आवश्यकता बढ़ती है तो आविष्कार बढ़ता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बजट में चपरासी से लगाकर के और गांव की महिला, सैनिक, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसको हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने टच नहीं किया हो। आज महिलाओं के लिए धन लक्ष्मी योजना लागू की गई; 11 नए थाने खोले, जहां पर भी सुरक्षा का पाइंट आया, वहीं हर जगह पाइंट सुरक्षा का दिया है; युवाओं के लिए खेल सम्बन्धी यूनिवर्सिटी खोली है झुन्झुनूं में, जो पिछली बार ही घोषणा कर दी थी। इस साल कार्य प्रगति पर है, दो साल में तैयार भी हो जायेगी। उसके बाद में जो खिलाड़ी बाहर से खेलकर के आएंगे उनको दस गुणा प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। यह भी एक सराहनीय कदम है क्योंकि हौसला बुलंद करना सरकार का दायित्व बनता है, जो हौसला बुलंद किया है। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को केवल जीना ही पड़ेगा, काम करने की जरूरत नहीं है। चाहे शिक्षा में आये, दो किलो आटे की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, चाहे जो भी प्रश्न आया, सब प्रश्न के ऊपर खरे उतरे हैं। यह, घनश्यामजी मैं कोई चमचागिरी नहीं कर रहा हूं। आपको इसलिए कह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष: यह चमचागिरी शब्द असंसदीय है क्या?

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): यह चमचागिरी शब्द हटा दें, साहब, इसमें से।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 'रस्म उल्फत की निभाऊं तो निभाऊं कैसे, मनाऊं तो मनाऊं कैसे, चारों तरफ आग लगी है, बचाऊं तो बचाऊं कैसे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लिए, सभी पढ़े-लिखे आदमी हैं, कोई एक-दो ऐसा आदमी हो जो नहीं पढ़ सकता हो पर इसमें कहने की जरूरत नहीं है प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अबकी बार बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक के लिए...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रवण कुमारजी, कृपया इधर देखिये, आसन की तरफ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी तरफ देखते-देखते तो बीस साल हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: पसंद है या नहीं है आसन पर बैठा आदमी लेकिन देखना इधर ही पड़ेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अल्पसंख्यकों का प्रश्न आया...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखने के लिए आकर्षण चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप कितने भी सुन्दर हो, आपकी तरफ नहीं देख सकते ये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आरक्षण और आकर्षण दोनों साथ-साथ चलते हैं। तो आप आरक्षण में आ गये, आकर्षण में आ गये, दोनों साथ-साथ चलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं खुद मानता हूं, घनश्यामजी ज्यादा सुन्दर हैं मुझसे, इसमें क्या बात है, लेकिन देखना मेरी तरफ पड़ेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अल्पसंख्यक तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि अल्पसंख्यक का बेटा पढ़ेगा क्या। आज जरूर हमारे माननीय सदस्य पढ़कर आर ए एस बनें। अब बहुत ही ऐसा माइनस पाइंट था कि अल्पसंख्यक पढ़ेगा क्या। अब इसके लिए गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, मजरे-मजरे में प्रत्येक बच्चे को जागरूक करने के लिए टेलीविजन क्या, मदरसा क्या, जो भी कार्य नहीं किया था वह कार्य अबकी बार किया और अब भी अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो किसी को जबरदस्ती स्कूल में नहीं डाला जा सकता।

(श्री श्रवण कुमार)

अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा, एस सी/एस टी का रखा, सैनिकों के लिए, विधवाओं के लिए गृह आवास बनायें, 1,800 रुपये प्रति सैनिक का पैसा बढ़ाया। कोई ऐसा बिन्दु नहीं छोड़ा। और तो और, कोई चपरासी जो कपड़ा नहीं धुलाता था उसके भी पैसे बढ़ा दिये कि तुम धुलाओ और अच्छे कपड़े पहनो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब और तो इससे ज्यादा क्या करें?

श्री उपाध्यक्ष: जब वे आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं तो आप उनका ध्यान क्यों आकर्षित कर रहे हो?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और पंडितों के, मंदिर में जो पूजा करते थे, उनके पैसे बढ़ा दिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अभी तक बढ़े नहीं हैं, यह घोषणा तो पिछले साल की है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): घोषणा करना भी कोई छोटा काम है क्या? अब घोषणा तो की न। आप लोगों ने घोषणाएं की थीं वे भी सुनता था मैं; ये करते हैं वे भी सुनता हूं मतलब सुनता हूं। आपने घोषणा की थी..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रवण कुमारजी, ये आपको उद्वेलित करना चाहते हैं, आप मेन विषय से मत हट जाना बस।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, मैं नहीं हटूंगा। मैं वह ही बात कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि घोषणा, तो घोषणा ही तो करते हैं, उसके बाद ही तो इंम्प्लीमेंट होती है।

शिक्षा की बात मैं जरूर कहूंगा। राजस्थान की शिक्षा दिन-प्रतिदिन, मैं यह मानने को तैयार हूं कि घनश्यामजी ने शिक्षा में सुधार करने का पूरा प्रयत्न किया था पर प्रयत्न हुआ नहीं। शिक्षक गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, मजरे-मजरे में है और ये शिक्षा इतनी उज्ज्वल चीज है कि सरस्वती को किसी ने कहा कि सरस्वती मां तेरी उपमा चांद से करूं, कहा नहीं चांद में भी दाग है; मां, तेरी उपमा सूरज से करूं कहा नहीं सूरज गरम है; कहां मां तेरा कम्पेरिजन समुद्र से करूं कहा नहीं समुद्र का पानी खारा है। यह सरस्वती मां अपने आप में मां है इससे किसी का कंपेरीजन नहीं किया जा सकता। सरस्वती के भण्डार की बड़ी बात यह है कि ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। यह सरस्वती की जो उपमा है इसका तो कोई अंत ही नहीं है पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारी शिक्षा का जो स्तर है। उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है पर प्रयत्न अभी तक सफल नहीं हुआ

(श्री श्रवण कुमार)

है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इतना हो गया कि आज प्रत्येक, चाहे एम एल ए हो, चाहे कर्मचारी हो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा करके प्राइवेट स्कूल में भेजता है। जबकि हमारा आर पी एस सी से सलेक्टेड वेरी इंटेलीजेंट मास्टर कहां होता है? सरकारी स्कूल में होता है। फिर भी लोगों का जो मानस है, वह प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा हो गया। तो मैं यह चाहूंगा कि इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रत्येक एम एल ए का, प्रत्येक अधिकारी का, प्रत्येक कर्मचारी का, प्रत्येक गांव के सरपंच का बेटा गांव की स्कूल में पढ़े।

सबसे बड़ी बिडम्बना शिक्षा में यह है कि हमारी शिक्षा में पाश्चात्य सभ्यता आकर के जो एक बहुत बड़ा विघटन हुआ है, प्रत्येक स्कूल में इस बात का प्रतिबंध होना चाहिए कि जो भी लड़का-लड़की मोबाइल लेकर स्कूल में आएगा, उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जब तक यह मोबाइल की प्रक्रिया चालू रहेगी मैं समझता हूं कि शिक्षा एकदम जीरो पर आकर टिकेगी। मोबाइल आने से जिस प्रकार शिक्षा में गिरावट आयी है, वह घनश्याम जी, आप भी जानते हैं पर कोई बन्दा कदम उठाये तो सही और कोई नहीं उठायेगा और यह ही सोचते रहे कि मैं क्यों उसमें फंसूं। बृजकिशोरजी तो हैं नहीं, मैं कहना भी चाहता था इनको, आप ऐसा नोटिस तो निकालें, स्कूलों, में प्रत्येक स्कूल में, प्राइवेट स्कूलें भी अपनी ही हैं और गवर्नमेंट स्कूलें भी अपनी ही हैं, उन सब में एक नोटिस निकालें कि कोई भी स्कूल में कोई भी लड़का-लड़की मोबाइल लेकर नहीं आये। यह होना चाहिए। ये कदम यहां सदन में, जो पवित्र सदन है यह जो फैसला करता है, पूरे राजस्थान में लागू होता है और जब फैसला हो ही जाएगा इच्छा तो सबकी है पर इच्छाशक्ति नहीं है, जब तक इच्छाशक्ति नहीं आएगी तब तक कितनी ही बातें करें, उसका भला नहीं हो सकता।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): शक्तिवर्द्धक दवाई खाओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दवाई तो कौन खायेगा जो बीमार होगा वो खायेगा।

सड़कों की एक बहुत अच्छी योजना, सड़कों का राजस्थान में, अबकी बार जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्षों से जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उन लोगों के लिए सड़कों का जाल बिछाया और मैं यह चाहूंगा कि भरतसिंह जी इस बात का ध्यान रखे कि सड़क बनाने मात्र से सड़क नहीं बनेगी, सड़क की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी में अन्तर नहीं होना

(श्री श्रवण कुमार)

चाहिए; कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। जो क्वालिटी और क्वांटिटी में अन्तर आएगा तो सड़क आज बनायेंगे, दस दिन में टूट जाएगी। मैं चाहता हूं कि सड़क बने तो दस साल तक कम से कम नहीं टूटे। आज हम प्राइवेट सड़क बनाते हैं तो वह बीस साल चलती है और सरकारी बनाते हैं वह पांच साल चलती है। इनकी गुणवत्ता में कोई डामर में अन्तर नहीं है कंकर में अन्तर नहीं है परंतु सोच में अन्तर है। यह सोच कब ठीक होगी, जब राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का यह परसेंटेज खतम हो जाएगा कि 12 परसेंट 15 परसेंट जो अधिकारियों के घर में जाता है नेताओं के घर में जाता है, यह बंद हो जाएगा उस दिन से गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी कमजोर ये है कि परसेंटेज तय हो जाता है, तीन परसेंट वह लेगा, पांच परसेंट वो लेगा और सारे सदन को मालूम है चाहे इधर बैठें चाहे उधर बैठे। पर इसमें कोई सुधार करने वाला बंदा नहीं है।

आज मेडिकल की बात करते हैं मेडिकल का डाक्टर गांव में रहता है सुबह आठ बजे जाता है, दो बजे वापस आ जाता है। नर्स गांव की दो बजे वापस आ जाती है, पटवारी तीन बजे आ जाता है, मास्टर चार बजे आ जाता है। सारे शहर में आकर बैठ जाते हैं। शाम को अगर गरीब का बेटा कोई बीमार भी हो गया तो शहर में ही जाना पड़ेगा। आज 62 वर्ष के बाद भी कोई राज आए, चाहे बी जे पी का आए, चाहे कांग्रेस का आए, चाहे लोकदल का आया होगा पर आज 62 वर्ष के बाद भी गरीब की सुविधा के लिए डाक्टर, नर्स, कंपाउंडर का ठहराव सुनिश्चित नहीं कर पाए। जब अपने छोटा सा काम है कि तनख्वाह लेने वाले आदमी को, और सरकार दे रही है, उसका ठहराव सुनिश्चित नहीं कर पाए, फिर क्या किया?

पांच साल का समय पास करने में कोई फायदा नहीं है, चाहे सौ वर्ष तक राज करें। 'शमा बहुत सी जलती है पर वो परवाना एक नहीं; लाल तो अनेक बनते हैं पर लाल बहादुर शास्त्री जैसा एक नहीं।' जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था तो उनको मालूम हुआ कि चार व्यक्ति मर गये तो लालबहादुर शास्त्रीजी ने इस्तीफा भेज दिया। अब जब ट्रेन भी खतम हो जाती है तो ये कहेंगे कि जांच करवाएंगे। चाहे ट्रेन पूरी खतम हो जाए पर मंत्री कहेगा कि जांच करवाएंगे। किसकी जांच करवाओगे मर चुके वे तो। अब मानव का धर्म बनता है कि जिसके हाथ से अपराध हो जाए, उसको सुओमोटू इस्तीफा देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा किया। मैं कहना चाहता हूं चिकित्सा के

(श्री श्रवण कुमार)

सम्बन्ध में, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अबकी बार चिकित्सा में कोई भी पाइंट ऐसा नहीं छोड़ा है जिसको टच नहीं किया हो और काम नहीं किया हो।

मैं अभी सुधार की बात करना चाहता हूं। नरेगा की बात करते हैं, नरेगा में बहुत काम तो हो रहा है पर उसके साथ-साथ उसमें कमी भी है। एक गरीब एस सी के खेत में डिग्गी खोदने की बात आयी। दो बीघा जमीन में डिग्गी खोदते हैं एक बीघा में डिग्गी खोद देते हैं, एक की मिट्टी उसमें डाल देते हैं। एक में खड्डा हो गया डिग्गी का, एक में हो गया मिट्टी का भराव। दो बीघा जमीन खतम हो गयी। दो-दो, तीन-तीन साल से उनमें अभी तक पक्की नहीं बनायी। मैं कहना चाहता हूं कि या तो डिग्गी खोदें नहीं और खोदें तो पक्की करनी चाहिए। उसके बाद में नरेगा में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार कौन करता है? अमेरिका से आये हुए हैं क्या लोग? अपने लोग करते

(14.50 बजे)

हैं। इसका नियंत्रण सही नहीं है। जिस समाज का, जिस घर का, जिस विभाग का नियंत्रण सही नहीं होगा, उसमे सुओमोटू कमजोरी आयेगी। सडकों में, भरत सिंहजी सुन रहे होंगे कहीं भी, सडकों के पास लोगों ने एन्क्रोचमेंट कर रखा है। पास में पत्थर डाल दिये, मकान बना लिया। पहले 90 वन की कार्यवाही करने के ए ईएन को पावर होते थे, वे पावर वापस ले लिये। आज स्थिति यह है कि गांवों की सडकों पर इतना अतिक्रमण कर रखा है कोई बंदा यह नहीं सोच पा रहा है कि मैं इसे हटा सकूं। कटारियाजी यह बात आप जानते हो जब तक यह बात पूर्णतः लागू नहीं होगी तब तक चाहे हम कितनी भी बातें करते रहें। मैं भाषण देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं मैं तो सुझाव दे रहा हूं कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं, चाहे शिक्षा में हों, चाहे चिकित्सा में हों...

अबकी बार सबसे बड़ा काम किया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, पशुओं की दवाएं फ्री कर दीं। दवाई फ्री कर दी, इससे बड़ा सराहनीय काम कोई कर नहीं सकते, मैं इस बात को मानता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है, अबकी बार जो बजट बनाया है, वह बहुत ही बड़े वैज्ञानिक ने बनाया है, सोच कर बनाया है। बनाने के साथ-साथ यह भी प्रक्रिया लागू होनी चाहिये कि चाहे पशु की और चाहे मानव की दवाई हो, उसका वितरण सही ढंग से होना चाहिये। सही ढंग से तभी हो सकता है जब प्रत्येक डाक्टर, कम्पाउंडर, नर्स इस बात के लिये अपने आपको जिम्मेदार समझे कि मैं इस सरकार की नौकरी करती हूं/करता हूं। पर वह सारा सिस्टम बंद हो गया। कोई आदमी

(श्री श्रवण कुमार)

अपनी ड्यूटी करता है 8 से 11, 12 वह यह सोचता रहता है कि 12 कब बजेंगे। यह बात कौन सुनिश्चित करेगा, सरकार करेगी। मैं चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति ड्यूटी करता है और ड्यूटी के प्रति नकारा करता है, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना ही चाहिये। चाहे वह पटवारी हो, चाहे किसी नेता का बेटा हो, चाहे किसी नेता का भाई हो, चाहे किसी बड़े से बड़े अफसर का बेटा हो, जो व्यक्ति काम नहीं करता है, काम का नकारा करता है, उस आदमी को पनिशमेंट मिलना सुनिश्चित करें और अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति ड्यूटी के प्रति लापरवाही नहीं बरतेगा। यह सारा सिस्टम समाप्त क्यों हो गया क्योंकि कोई नेता का भाई है, कोई नेता का रिश्तेदार है, कोई अफसर का बेटा है। यह सारा सिस्टम इसलिए खराब हो गया क्योंकि कोई उसको सुनिश्चित नहीं करना चाहता। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार में सब लोगों को एक मत होना चाहिये।

गरीब किसान की झोंपड़ी जहां से अपन आते हैं, आज बिजली की बात आती है, बिजली का इतना बड़ा कंजम्प्शन है और साथ-साथ प्रोडक्शन भी है पर आपको मालूम होना चाहिये कि आज जो बिजली से अपनी फैक्टरियां चला रहे हैं उन्होंने अपना स्वयं का ट्रांसफार्मर खरीद लिया, जो सरकार ने मीटर लगाया था उसी की हू ब हू कापी लाकर घर पर लगा दी, कम्प्यूटर से फीड कर दिया और अब 3 लाख रुपये की जगह 25 हजार रुपये का खर्चा आता है उसमें से कर्मचारियों को लाख रुपये बांट देते हैं, फिर भी पौने दो लाख रुपये बच जाते हैं। लेकिन गरीब किसान का किसी का एक बल्ब भी जलते हुए देख लिया तो दस हजार रुपये पेनल्टी लगाते हैं, 22 हजार भी लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनका दस प्रतिशत कमीशन कर दिया। अपने कमीशन के पेटे किसान का पेट कट जाता है। मैं चाहूंगा कि जो बड़ी फैक्टरियां हैं, जहां कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, उन लोगों पर नियंत्रण किया जाये।

आज गांव में बोलते हैं कनेक्शन नहीं देंगे क्योंकि खेत में बस गया, जोहड़ में बस गया। जब गांव का आदमी जोहड़ में बस रहा था, उस समय भी पटवारी देख रहा था, उस समय भी तहसीलदार देख रहा था, क्यों नहीं रोका उसको? उस समय उसको बताना चाहिये था कि तू जोहड़ में अतिक्रमण कर रहा है तेरे को कनेक्शन नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी। जो लोग बस चुके हैं, उन लोगों को पानी की सुविधा मिलनी चाहिये, बिजली की सुविधा मिलनी

(श्री श्रवण कुमार)

चाहिये। आगे आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिया कि जोहड़ में नहीं बसेंगे, गैर-मुमकिन हो, चाहे चरागाह हो, यह बात चलने वाली है, पर जो लोग आज आवास कर रहे हैं, उनको हम बिजली नहीं दे रहे हैं यह कानूनी अपराध है। उनको पानी नहीं पिला रहे हैं, यह कानूनी अपराध है। हम चाहते हैं, जो लोग हमको चुनकर भेजते हैं उनका सपना होता है कि हमारा नेता चुनकर जायेगा, विधान सभा में बैठकर हमारी भावना की बात करेगा, हमारी उदासीनता को खुशी की लहर में दौडायेगा; यहां आकर कहते हैं कि भूल गये, यह पंखा, यह लाइटें देखकर भूल गये कि कहां से आये हैं। आप लोगों के मन में दर्द होना चाहिये जिस किसान को झोंपड़ी में छोड़कर आये थे, अंधेरे में छोड़कर आये थे, आप लाइट में बैठे हो और वह अंधेरे में बैठा है। आज जयपुर शहर की लाइटें रात को भी जलती रहती है और दिन में भी जलती रहती हैं, कोई बंद करने वाला नहीं है लेकिन गांव में रात को भी अंधेरा ही रहता है। इस सोच को बदलना पडेगा, गांव और शहर का जो अंतर है, उस अंतर को सबको मिलकर खतम करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि जो लोग आप लोगों को यहां भेजते हैं, जिन लोगों ने आपको यहां भेजा है, उन लोगों के प्रति आपकी हमदर्दी होनी चाहिये और उन लोगों के प्रति आपकी भावना होनी चाहिये।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं, हम तो सदियों बाद उतरे हैं गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा कर रहेंगे जो सिर झुके नहीं, झुकाये गये थे उनको ऊंचा उठा कर रहेंगे। जाति और धर्म का जो जहर फैलाते हैं, उस जहर को मिटाकर रहेंगे, जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला वहां चिराग जला कर रहेंगे। यह हमारा सपना है और यह सपना पूरा कब होगा, जब बी जे पी के लोग भी सहयोग करेंगे, कांग्रेस भी सहयोग करेगी, सारा सदन सहयोग करेगा तभी यह सपना पूरा हो सकता है। आप लोग केवल यही सोचते रहेंगे कि मुख्य मंत्रीजी ने क्या बजट पेश किया, आप उसमें कोई कमी हो तो वह बताओ, उनमें और संशोधन कर दिया जायेगा। अभी आज तो बजट भाषण होगा, 20 तारीख तक डिमांड पर चलेगा। डिमांड में आप बताइए, वह सारा सिस्टम एक जुट होकर गरीब की झोंपड़ी पर लागू होगा। शहरों का विकास तो हो चुका है, यहां तो मेट्रो चलने की तैयारी हो गई लेकिन गांव में आज भी गंदगी है, आज भी पानी के लिये लोग तरस रहे हैं।

मुख्य मंत्रीजी ने अबकी बार पानी पर बहुत ज्यादा बजट दिया है लेकिन इसमें लेकुना है। गांव में कुएं चल रहे हैं पी एच ई डी के ए ई एन को

(श्री श्रवण कुमार)

यही मालूम नहीं है कि कौनसा कुआं चल रहा है और कौनसा कुआं 6 महीने पहले बंद हो गया था और उसका बिल जमा हो रहा है; मोटरें कितनी खराब हो गईं, कितनी मिट्टी में दब गईं, मालूम ही नहीं है। जब किसी सेठ के पास रोकड़ पोते जमा और रोकड पोते नाम, यही नहीं होगा तो सेठ कहां से व्यापार करेगा? यही हालत हमारे बिजली बोर्ड की है। कितने तार आये थे, कितने तार चले गये, कितने खम्बे आये थे, कितने खराब हो गये; लोगों ने अपने घरों में खम्बे गाड़ रखे हैं, ब्रेकर लगा रखे हैं, कोई रोकड पोते नाम नहीं, कोई रोकड पोते जमा नहीं। चाहे सरकार बी जे पी की रही हो, यह कोई आज से नहीं चल रहा है, 50 वर्ष से यही धंधा चल रहा है। जब तक हमारे पास सारा सिस्टम, रोकड़ पोते नाम और रोकड पोते जमा नहीं होगा, तब तक सुधार नहीं हो सकता।

मैं चाहूंगा, जो भी विभाग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दे रखे हैं, उस विभाग के प्रत्येक मंत्री द्वारा अपने विभाग की मोनिटरिंग सही हो, सुचारु ढंग से हो, स्वच्छ हो, निर्भीक हो, ईमानदारी और निष्ठा से हो। राजस्थान की जनता के साथ कोई भी मंत्री हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी एम एल ए हो, वह कोई भी धोखा करता है, उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात करता है उससे बड़ा गया-गुजरा कोई नेता हो नहीं सकता। वह समाज के साथ धोखा कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है तो भी धोखा कर रहा है। अगर एक पैसे का भी उनके साथ दुराचार कर रहा है तो भी धोखा कर रहा है। हम चाहते हैं कि आज 33,500 करोड़ का जो बजट मंजूर किया गया है, इसकी एक-एक पाई हमारे राजस्थान के हित में लगनी चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति के घर तक इसकी आवाज जानी चाहिये। यह हमारी सोच होनी चाहिये। सब एक जुट होकर यह सोच रखेंगे तो हम तो एक ही बात कहते हैं जर्रों में रहगुजर करके भी बसर कर लेंगे, दूर तलक अपनी पहचान छोड जायेंगे; शीशा सही, टूट कर भी खनक छोड जायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट भाषण का स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, सब सुनना चाहते थे।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): साहब मुझे एक मिनट दीजिए। इन्होंने मानिटरिंग करने के लिये कहा है। जनता ने हम 200 लोगों को भेजा है ना मानिटरिंग करने के लिये, हम किसके लिये आये हैं? हम 200 को मानिटरिंग करने के लिये कौन रोकता है?

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री जगसीराम।

श्री जगसीराम (रेवदर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2012-13 का 26 मार्च को जो अपना बजट पेश किया, उसमें प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि चुनाव से पहले घोषणा पत्र में जो दर्शाया था कि इस प्रदेश के गांव, शहर और ढाणी की जनता का समग्र विकास होगा। तीन साल पूरे के होने बाद भी आज इस प्रदेश में ऐसी कोई नई योजना नजर नहीं आ रही जो ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में देखने को मिले। मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना लागू की है, उसमें पक्ष के सभी माननीय सदस्य वाह-वाही लूट रहे हैं लेकिन मैं अपने सिरोही जिले और रेवदर विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि उपखण्ड कार्यालय रेवदर और आबूरोड़, अस्पताल के अंदर एक भी सर्जन डाक्टर नहीं है। कहते-कहते तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर ए एन एम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में, किसानों की हितैषी सरकार, गांवों में जानलेवा जो जानवर हैं उनके काटने पर दवाई नहीं मिल रही है; सर्प काटने पर या जब पागल कुत्ता काटता है तो अस्पताल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, दवाई उपलब्ध नहीं है। जो दवाइयां उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में है नाम मात्र की दवाई हैं, नोरमल बीमारी की है। जो जानलेवा बीमारियां हैं, उनकी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। कहीं पर भी जाएं और देखें तो चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं। हमारा क्षेत्र गुजरात सीमा से सटा हुआ है, सारे मरीज पड़ोस में, गुजरात में जाते हैं। क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए जाना पड़ता है। यह सरकार चिंता कर रही है, मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की चिंता नहीं कर रही है। जननी सुरक्षा योजना प्रारम्भ की है, उसमें 108 की एम्बुलेंस की सुविधा बताई है, जिक्र किया है, और मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया है। रेवदर, उपखण्ड स्तर पर मात्र एक 108 एम्बुलेंस, डाक्टर नहीं होने की वजह से उनको 35 किलोमीटर आबू रोड जाना पड़ता है और प्राइवेट अस्पताल के अन्दर उनको इलाज कराना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार ने जो वादे किये हैं, ये थोथे वादे किये हैं।

कांग्रेस की सरकार को किसानों की हितैषी सरकार बता रहे हैं। सिरोही और जालोर में 22 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी का दौरा हुआ था। जालोर, जसवंतपुरा के बाद में सिरोही में आपका आगमन हुआ उससे ठीक चार दिन पहले पाला और शीतलहर से पूरे सिरोही, आबू रोड़ और रेवदर क्षेत्र के अन्दर किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, उसमें अरंडी, गेंहू, बरयाली, टमाटर इत्यादि फसल पूरी तरह चौपट हो गई। जब मुख्य मंत्रीजी का दौरा बना तो क्षेत्र के लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी और सभी आस-पास के जिले के किसान और रेवदर के किसान सिरोही मुख्यालय पर पहुंचे और हम भी वहां

(श्री जगसीराम)

गये कि यहां के क्षेत्र के किसानों की मांग है, समस्या है, वहां पर रखेंगे लेकिन वहां पर मुख्य मंत्रीजी ने जन-प्रतिनिधियों को बोलने तक नहीं दिया। तो क्षेत्र की जनता की जो समस्या है, उसे वहां पर कौन रखेगा?

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समय का ध्यान रखिये।

श्री जगसीराम (रेवदर): उस समय हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि यहां पर किसानों की फसल चौपट हुई है, तुरन्त प्रभाव से गिरदावरी कराएंगे और किसानों को मुआवजे की घोषणा करेंगे, नहीं की। मैं सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि बजट का जब जवाब दें, उस समय सिरोही जिले और रेवदर क्षेत्र के काश्तकारों को जो फसल का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करावें और बिजली के बिल हैं, वे भी माफ करावें।

राजस्व विभाग में...

श्री उपाध्यक्ष: शोर्ट करें।

श्री जगसीराम (रेवदर): सिर्फ दो मिनट। राजस्व विभाग है, उसमें उपखण्ड स्तर पर कुल 37 ग्राम पंचायत हैं। उसमें राजस्व के मामले में वहां का किसान कैसे सुख पाएगा, 37 में से मात्र 15 पटवारी वहां पर उपलब्ध हैं, एक-एक पटवारी के पास दो-दो, तीन-तीन ग्राम पंचायतें हैं, सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्व के बारे में, पटवारी है इनकी पूरे क्षेत्र में कमी है, इसलिए आप तुरन्त भरवाएं।

मैं ऊर्जा विभाग के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें।

श्री जगसीराम (रेवदर): घोषणा पत्र में बताया कि काश्तकारों को 8 घण्टे बिजली मिलेगी और 24 घंटे सिंगल फेज की मिलेगी। आज सिरोही जिला और रेवदर क्षेत्र की यह स्थिति है कि मात्र 4 घण्टे बिजली थ्री फेज मिल रही है और सिंगल फेज की जो स्थिति है, वह कम समय में मिल रही है। अभी बालकों के स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बिजली नहीं मिल रही है। सिंगल फेज की बिजली बिलकुल नहीं मिल रही है। सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि बिजली के बारे में व्यवस्था कराए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री जगसीराम (रेवदर): साहब एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू)ः सबसे पहले तो उपाध्यक्षजी को धन्यवाद दूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं बजट के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। विरोध तो इधर वाले कर रहे हैं ना, बहुत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो राजस्थान के, मेरा नहीं कहूंगा, राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः ये उत्तेजित करना चाहते हैं आपको।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू)ः करने दीजिए ना उत्तेजित, चिंता मत कीजिए, उपाध्यक्षजी, अपनी तैयारी है और तैयारी लिख-पढ़कर नहीं होती है, दिमाग में तैयारी होती है। वह भी बताऊंगा अभी लेकिन आप कृपा कीजिए, मुझे पांच मिनट ज्यादा दीजिए।

श्री उपाध्यक्षः आप बोलिए।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू)ः मैं सबसे पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं हैं, कौन से शब्दों से उनको बधाई दूं। मेरे पास एक शब्द है, सारे लोगों ने बधाई व मुबारकबाद दी, मैं तो उनको दुआं दूंगा, इसलिए कि उनकी लम्बी उम्र हो, इस देश की, इस राजस्थान की सेवा करते रहे, 100 साल की उम्र हो।

मैं तीन साल से सुन रहा हूं इधर की और उधर की भी, बजट भी। मेरा सवाल शायरी से शुरू होगा, लिखा है ''किस्मत में प्रदेश वतन को याद क्या करें, जहां पर बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करें'' एक तो मेरा शेर यह है और दूसरा शेर एक और सुन लेना।

श्री उपाध्यक्षः आप शेर सुनिये, सगीर साहब, आप शेर सुनिये।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू)ः आप सुनिये ''सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से''।

हमारी जो साहब, पूर्ववर्ती सरकार चलाने वाले, कई बार मैंने सुना है कि यह जो घोषणाएं कर रहे हैं, ये स्कीम्स तो हमारी चलाई हुई थीं, पहले से ही कागज, कागजों में बनाई थी, कागजों में खुशबू आती है कभी? हर जगह फूल लगाने जा रहा है राजस्थान का मुख्य मंत्री, जिसका नाम है अशोक गहलोत, गांधीवादी नेता। आप चिंता मत कीजिए, कमल खिलेगा। एक शेर का मतलब तो यह हुआ और दूसरे शेर का मतलब यह हुआ, लिखा यही है, ...(व्यवधान)...प्रदेश की शुरुआत करें वह। ''जहां पर बेदर्द हाकिम हो तो फरियाद क्यो करें।'' जो लिखा ही है हमारी किस्मत में इनकी बात सुनने का, ये तो बेदर्द हाकिम हैं, हमारी बात को सुनने को ही राज़ी नहीं हैं।

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

इतना बढ़िया बजट आया, इतना बढ़िया बजट आया कि कहीं जगह नहीं है आपके लिए, विपक्ष के पास बोलने के लिए। तो आज क्या चालू किया? आलोचना। आप...(व्यवधान) हां, सुनिए न। अब उनके पास मसाला क्या था, आलोचना। आलोचना के सिवाय कुछ नहीं तथ्य, विचार व्यक्त करने के लिए कुछ तथ्य नहीं। आलोचना किस बात की? मैं इन्हें सुन रहा था, तारानगर से माननीय विधायक जीतकर आये हैं, उनकी बात सुन रहा था; हमारे राजगढ़ से जीतकर आयी हैं उनको भी मैंने सुना। मैं मेरे जिले की बात कर रहा हूं। कि दवाई नकली। जो फ्री मिलती है वह नकली और जो एक रुपये के 12 रुपये वसूल कर रहे थे वह सही, असली। गरीब के कोई फायदा ... (व्यवधान) सुनिये। दवाई नहीं मिल रही है; चार सौ दवाई की घोषणा की, दवाई तो है ही नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी ने आज से दस-पन्द्रह दिन पहले मेरे जिले का दौरा किया था और पूरे जिले में घूमे थे। जो रतनगढ़ से हमारे माननीय विधायक जीतकर आये हैं, वे अभी तो नहीं हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे दिख रहे थे, वे हमारे साथ थे। हम सारे हास्पिटल्स के अन्दर गये जिले के, वहां कहीं पर 280 दवाइयां, कहीं पर 290 दवाइयां। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चार सौ कहीं नहीं मिलीं।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): अभी शुरुआत हुई है। चार सौ भी पूरी हो जाएंगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अभी आज से एक साल पहले आप क्या कह रहे थे? नरेगा के अन्दर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार खिलाया किसने? आपके समय में हुआ था भ्रष्टाचार। आज उसको हमने मिटाया। आज कहां गया वह भ्रष्टाचार? बंद है। आज यह दवाई के ऊपर आप, जब गरीबों को फ्री दवाई मिलती है तो दर्द होने लग गया आपको। सुनिये।...(व्यवधान) दर्द होने लग गया। 108 एम्बुलेंस चल रही है, इतना बढ़िया काम कर रही है। इतना अच्छा काम कर रही हैं तो बोलते हैं कि आप तो पैसे ज्यादा दे रहे हैं। तो आप देखिये न अपने बिहार के अन्दर, वहां आपकी सरकार चल रही है साथ में, वहां पर कितने में दे रहे हैं और हम कितने में दे रहे हैं। देखिये आप, अंदाजा लगाइये।

'जननी सुरक्षा योजना' के ऊपर भी टिप्पणी।...(व्यवधान) दर्द हो रहा है न? आपके दर्द हो रहा है, हमारे नहीं हो रहा है। जनता के नहीं हो रहा है। जनता को पूछिये। आप जनता को पूछिये कि दर्द है कि नहीं। आपके दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यह एक ही चीज ले बैठेगी आपको।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक शेर इनायत कर रहा हूं, सौ फूल भी धरती पर उगाये जा सकते हैं, जहां एक फूल भी उचित देखभाल के कारण मुरझा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आपका समय आये तब बोल लेना।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): आपका शेर समझ में नहीं आया कि क्या बोले आप। दुबारा बोलो आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सौ फूल भी उस धरती पर उगाये जा सकते हैं जहां एक फूल भी उचित देखभाल के कारण से मुरझा जाता है। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): 'जननी सुरक्षा योजना' ,... (व्यवधान) अब हो रहा है। जनता जान रही है, जनता समझ रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): डिस्टर्ब मत करो भाई। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आप सुनिये, मैं सब सही कह रहा हूं। अभी दो रुपये किलो आटे के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सी.एल. प्रेमीजी।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): तकलीफ हो रही है। कुछ हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जो दो रुपये किलो आटा दे रहे हैं उसको जानवर भी नहीं खाते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पैकेट में आटा आता है, हम लोग सारे वह पैकेट्स वाला आटा खा रहे हैं। यह झूठ बोल रहे हैं कि जनता के लिए जो आटा आता है वह जानवर नहीं खाते। यह सब झूठ बात है। हम लोग भी सब खाते हैं वही आटा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ब्लैक में खाते हो? (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ब्लैक में नहीं खाते, बाजार में बिकता है। परन्तु आपको दर्द हो रहा है दो रुपये किलो आटे में। दूसरा कहते हो वह आटा खराब है, आप सुनिये-सुनिये। बात सुनिये। (व्यवधान) कालाबाजारी हुई है आटे की। (व्यवधान) आपको सच बात कड़वी नहीं लगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): जो आटा है, वही मिलता है आपके यहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): कई माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इधर देखो आप।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): हां, आपकी तरफ ही देख रहा हूं, आसन की तरफ ही देख रहा हूं। अभी हमारे माननीय सदस्य, पहलवान साहब हैं नहीं यहां, वे कल बोल रहे थे कि सड़कों के अन्दर अटैचियों की अटैचियां जा रही हैं। तो आपने पकड़ी क्यों नहीं उनको? आपको अधिकार नहीं है क्या? जब हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जनता को अधिकार दे दिया इस बात का, तो आप तो विधायक हैं, आपको तो बहुत अधिकार हैं। आपने उन अटैचियों को पकड़ा क्यों नहीं? यदि पकड़ते और उसको साबित करते तो हम आपकी बात को मानते।

अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे, कह रहे थे कि ये कर्मचारी लोग जो हैं, नौकरी नहीं करते हैं, टाइम पूरा नहीं देते हैं, काम नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): उनके लिए और यह भी साथ में बोल रहे थे कि नेताओं के भाई-भतीजे हैं। क्या चाहते हो? मैं यह कहता हूं कि 200 के 200 माननीय सदस्य हम जीत कर आये हैं, जनता की रक्षा करने के लिए आये हैं। ईमानदारी से काम करने के लिए आये हैं। यह भ्रष्टाचार और कर्मचारी काम करना सीख जाएंगे, हम इस बात का एक निर्णय कर लें कि हम किसी भी व्यक्ति की सिफारिश नहीं करेंगे, चाहे अधिकारी हो या चाहे पुलिस स्टेशन हो। कसम है पैदा करने वाले की, इस जनता का भला हो जाएगा और हमारे 200 की वाहवाही हो जाएगी और सारा करप्शन इस राजस्थान से मिट जायेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं परन्तु हमारा दिल होना चाहिए, अन्दर वाला अलाउ करना चाहिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपका तो कर रहा है न?

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): हमारा तो कर रहा है। कर रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कर रहा है। अभी तारानगर से जीतकर आने वाले

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

हमारे माननीय सदस्य नहीं हैं, वे 22 साल तक चूरू के अन्दर रहे। मैं दावे के साथ सदन के सामने कह रहा हूं कि कोई माई का लाल मेरे पर लांछन लगा दे, कोई अधिकारी कह दे, मैं त्याग पत्र दे दूंगा इस विधान सभा से। ऐसी ताकत होनी चाहिए। (व्यवधान) ये रतनगढ़ से जीतकर आने वाले हमारे विधायक आ गये, ये हमारे साथ में थे। दवाइयों की जहां पर हम बात करते हैं, रतनगढ़ के हास्पिटल में 270 दवाइयां थीं या नहीं थीं, पूछिये इनको।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): थीं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मान लिया, भाई।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो दवाइयों के बारे में, हास्पिटल के बारे में बात करते हैं, हमारे तारानगर से जीतकर आने वाले विधायक ने चूरू की 20 साल तक वकालत की है, चूरू की; हां, चूरू तहसील की 20 साल वकालत की है इस विधान सभा के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष: कमेंट्स नहीं करें।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): मैं आज कह रहा हूं कि सबसे पहले इंसान की जिंदगी में क्या-क्या चीज होती है, सुन लेना और भी बात, वह भी बात, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे पांच मिनट ज्यादा देना।

एक माननीय सदस्य: पहली बार जीतकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ये बोलने नहीं दे रहे, साहब।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): इंसान की जिंदगी के अन्दर तीन चीजें होती हैं और मैं तीन चीजों के ऊपर चुनाव जीतकर आया हूं, जनता से समर्थन लेकर।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बजट से ही सम्बन्धित है न?

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): हां, बजट से ही सम्बन्धित है, आप सुनिये। मैंने कहा कि जिन्दगी में इंसान के सबसे अच्छा होता है, शकुन, शकुन, शकुन। इंसान की जिंदगी में शकुन होगा तो बीमारियां कम हो जाएंगी। उसके बाद में स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम विधान सभा चलकर आ गये। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हम हमारे क्वार्टर के अंदर चारपाई पर ही पड़े रहते। उसके बाद के अन्दर शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा। अब ये तीनों बातें, हमारे जिले से जीतकर आये रतनगढ़

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और तारानगर से जीतकर आने वाले माननीय विधायक मुझे अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह दिन ... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): बुलाओ उनको।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आप पूछ लीजिए तीनों बातों का कि मैं उनका स्वास्थ्य ठीक रखता हूं या नहीं रखता। भरतीया हास्पिटल से जानकारी ले लीजिए कि क्या-क्या काम इस सरकार ने किये, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने क्या-क्या काम किया, आप मालूम कर लीजिए। शिक्षा के बारे में पूछ लीजिए। इंसान के शकुन के बारे में पूछ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चूरू तहसील के अन्दर ... (व्यवधान) आ नहीं सकी आज तक तीन साल के अन्दर। आप देख लीजिए गिरावट। पुलिस स्टेशन का देख लीजिए। हास्पिटल का देख लीजिए। 25 से 30 आदमी रेफर होते हैं, आज जिले के ऊपर खड़े हैं वे। एक गरीब आदमी को जब चूरू भरतीया हास्पिटल में आने के बाद जयपुर का रास्ता बताते थे, उससे पहले वे लड़खड़ा जाते थे। दस हजार रुपये जेब में हों तब जयपुर पहुंचता था। आज सारा चूरू के अन्दर उनका इलाज हो रहा है। क्यों नहीं किया? उसके बाद में कागजों की बात जो कह रहे थे कि ये सारी स्कीम्स हमारी चलायी हुई हैं, तो आपको किसने मना किया था कि इनको लागू मत करो? हमने तो किया नहीं था। हमारे तारानगर से जीतकर आने वाले विधायक ने 20 साल तक सीवर लाइन, ड्रेनेज लाइन के लिए वोट मांगे और वह 20 साल से वहां कादा-गंदगी जमी रही आज तक। मैं कह रहा हूं, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत, गांधीवादी नेता ने चूरू की सीवर लाइन, ड्रेनेज लाइन, सारी स्वीकृत कर दीं और अभी उसका काम चालू होगा। यह काम कांग्रेस करती है।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): राजगढ़ वाले भी आ गये।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): राजगढ़ वाले भी आ गये क्या? वे हमारे जिले की बात करते हैं।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): हाजी साहब, मैंने तो खाली सुझाव दिये हैं रात को 11 बजे।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): तो हमने तो कभी रोका नहीं था चूरू जिले के लिये। अब सुनिये। (व्यवधान) आगे सुनिये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: हां, सब सुन रहे हैं, आप तो बोलिये। बोलिये।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): उपाध्यक्ष महोदय साहब, चूरू के अन्दर नहीं, चूरू जिला है, जिसके अन्दर हमारी दो तहसीलें पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रही थीं। पूर्ववर्ती सरकार में हमारे वहां के तारानगर से आने वाले विधायक मंत्री भी थे, जहां कांग्रेस ने उस स्कीम को छोड़ा, वह पांच साल में उस स्कीम को हिलाया तक नहीं। हमारे डा. सी.एस. बैदजी बहुत चिल्लाए यहां, पांच साल तक कुछ नहीं हुआ। रतनगढ़ तहसील-सुजानगढ़ तहसील पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रही हैं। हमारे रतनगढ़ से विधायक जीतकर आये हैं, माननीय सदस्य सामने बैठे हैं, मैं गलत बोलूं तो आप बोल जाना खड़े होकर। पानी की वह फाइल पांच साल तक आगे ही नहीं सरकी। कुछ नहीं हुआ। किसने मना किया था कि रतनगढ़-सुजानगढ़ को पानी मत दो? हमारी कांग्रेस की सरकार आई। हमने कहा तो वह स्कीम फिर दुबारा चालू हुई, अभी पैसे भी अलाट कर दिये और काम भी चालू हो जायेगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या? कायदे की बात है, सही बात है, हां तो करो।

अब आया बिजली का सवाल। जब हम यहां जीतकर आये थे तो बिजली के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई थी। बिजली ही बिजली पर बात है। मैंने कहा, भाई, हम लोग कहां आ गये? हम यह बात सुनने के लिये आये थे जनता की?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): साहब, बोलने दो पांच मिनट। पहली बार जीतकर आये हैं।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): साहब, मेरी डिमांड तो बाकी है। मैं पहली बार जीतकर आया हूं। अभी तो डिमांड बाकी है, उपाध्यक्ष महोदय। कृपा कीजिये, कृपा कीजिये आप।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): पहली बार जीतकर आये हैं, साहब।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आपको याद हो, जिसका बोलबाला एक महीने तक रहा, क्योंकि हम तो पहली बार जीतकर आये हैं। गट्टों पर बैठने वाले, चौधराहट करने वाले राजस्थान की बड़ी पंचायत में पहली बार आये हैं तो यह बिजली, भ्रष्टाचार और पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई थी। मैंने सोचा, अपन कहां आकर फंस गये। और वाकई थी जनता की मांग, यह बात सही थी। (व्यवधान) नहीं-नहीं, पूरी तो नहीं हुई, पर उस पर हमने काबू पा लिया। यह बात तो मैं मानूंगा, पूरी की तो नहीं मानूंगा। देखो, कभी सच्चाई मैं छिपाता नहीं, सच्चाई छिपाता नहीं। पूरी पर काबू नहीं, पर हमने उस पर काबू

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

पा लिया। त्राहि-त्राहि को खतम कर दिया। आज त्राहि-त्राहि नहीं है। बिलकुल सच्ची-सच्ची बोलता हूं, असत्य बोलता नहीं हूं।

हां, एक बात जरूर है, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात में हम जो सड़कों का मामला है, वहां हम थोड़े कमजोर पड़े हैं। जो हकीकत बात है, वह हकीकत है। (व्यवधान) तारानगर वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद तो इसलिये दूंगा कि वे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, राठौड़ी में ही सारी सड़कें चूरू के अंदर गलियों में कर दीं। पर वह क्या मालूम, कोलतार कहां से लेकर आये थे कि वह पांच साल बिका ही नहीं, अब हमारे गले में आकर पड़ रहा है। आप जाते-जाते चतुराई करके चले गये, पूर्व मंत्री महोदय। मैं बड़ा इनको धन्यवाद देता हूं वे पी डब्ल्यू डी में रहतीं तो अच्छी थीं, जाते-जाते वे नगर परिषद को सुपुर्द कर गये। अब नगर परिषद के पास तो पैसा है ही नहीं, आमद आती नहीं तो उनकी रिपेयर कहां से हो? अब पी डब्ल्यू डी वालों को कहेंगे कि उनकी आप मरम्मत करो। यह राठौड़ साहब तो यह काम कर गये, वे जाल डालकर चले गये, जिन्दा सांप गले में डालकर चले गये। कोई बात नहीं, देखेंगे।

इस सरकार ने शिक्षा के ऊपर कितना काम किया। अब आप कह रहे हो तारानगर वाले आ गये, ये मौजूद हैं, मैं 'हां' करा दूंगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्दर भरतीया हास्पिटल के अन्दर चेंजिंग हुई कि नहीं हुई? हमारे तारानगर से जीतकर आने वाले विधायक यह खुद बता देंगे। यदि गलती है हमारी तो हम चाहे जो सज़ा भुगतने के लिये तैयार हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं। नहीं, नहीं, पूछ लो, वे बोल रहे हैं। सही है या गलत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिलकुल सही है।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): उपाध्यक्ष महोदय, अब खास बात सुनो। बोलने के लिये तो एक बात और कह दूं। यहां बड़े-बड़े विद्वान बैठे हैं, डिग्री-होल्डर बैठे हैं, उनको इस बात का घमण्ड नहीं करना चाहिये। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग अभी हंसी-मजाक कर रहे थे वहां, मुझे मालूम है, इस बात का घमण्ड नहीं होना...

श्री उपाध्यक्ष: आपको 20 मिनट होने को आये।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): बस, पांच मिनट और। सर, उस बात को भूलना नहीं चाहिये हमारे विद्वानों को, डिग्री-होल्डरों को कि आज के 150 साल, 200 साल पहले लाल किला बना, जामा मस्जिद बनी, आगरे का ताजमहल बना। ये आज के बड़े-बड़े डिग्री-होल्डरों ने नहीं बनाये। यह जिनका

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

दिमाग कम्प्यूटर था, उन्होंने बनाये, यह मैं आपको बात देता हूं।(व्यवधान) सुनिये, सुनिये, आप बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्षः चूरू का मामला है, आगरा का मामला है, कोटा का नहीं है।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): हां, सुनिये, इनको घमण्ड नहीं होना चाहिये। दूसरी बात एक और कहूंगा कि राजनीति और क्रिकेट का मैदान, दोनों एक जैसे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप सुनिये, ज्ञानवर्धक बातें सुनते तो नहीं हो, डिस्टर्ब करते हो आप।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): क्रिकेट के मैदान के अन्दर 11 खिलाड़ी खड़े होते हैं। उसके अन्दर बैट्समेंन भी चाहिये, उसके अन्दर बालर भी चाहिये, उसके अन्दर फील्डर भी चाहिये, उसके अंदर कीपर भी चाहिये। इसी तरह राजनीति के अन्दर पढ़ा-लिखा भी चाहिये, बोलने वाला भी चाहिये, डिग्री-होल्डर भी चाहिये और जनता को जमा करने वाला भी चाहिये। यह है यह काम। इस पर घमण्ड नहीं होना चाहिये कि मैं बहुत बड़ा डिग्री-होल्डर हूं। यह कम्प्यूटर 1,400 साल पहले परमात्मा और अल्लाह ने दिमाग को कम्प्यूटर बनाया था। आज यह कम्प्यूटर चल रहा है न, यह दिमाग का कम्प्यूटर है।

अब, साहब, मेरी एक इल्तजा और है, मेरी सलाह है, मेरा मशविरा है। मैं कालेज में तो नहीं गया हूं, पर हमारे जो काले सिर हैं न, इंसानों के अन्दर जरूर बैठा हूं मैं। (व्यवधान) मांगने वाले तो मांगते रहते हैं, सुझाव होता है।

श्री उपाध्यक्षः आप बोलिये, टाइम निकलता जा रहा है। आप बोलिये, अन्तिम सुझाव।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): मेरी तो राय ऐसी है, सारी चीजों को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने छुआ है, बहुत कुछ दिया है और जो नीचे सोते हैं, वे सिकुडेंगे क्यों, करवट मारे? यह मांगते हैं तो कम क्यों? अल्लाह से तो बहुत ज्यादा मांगो।

मेरा एक तो सुझाव यह है, साहब, शिक्षा के अन्दर बहुत कुछ किया है मुख्य मंत्रीजी ने, मेरा सुझाव यह है 10वीं की स्कूल को 12वीं तक करना चाहिये। क्यों, उसका कारण है। हमारी बच्चियां आजकल गांवों में बहुत पढ़ती हैं। बच्चियों को ज्यादा इंटरेस्ट है। 10वीं पढ़ने के बाद में, हर स्कूल में कहीं 150 पढ़ती हैं, कहीं 200 पढ़ती हैं, उनको 10वीं के बाद फिर 15 किलोमीटर

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

दूर जाना पड़ता है। अभी राजस्थान में इतना पर्दा है हमारी बच्चियां वहां 10-15 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिये नहीं जा सकतीं। बच्ची पढ़ेगी तो दो परिवार सुधरेंगे। एक तो मां-बाप का परिवार सुधरेगा, एक जाने वाले का परिवार सुधर जायेगा; डबल काम हो जायेगा। एक सुझाव तो यह है।

दूसरा है, हमारे यहां से एन एच 65 जा रही है, वह चूरू शहर के अन्दर से जा रही है। सिटी के अन्दर से जाने से ट्रैफिक की लाइन लग जाती है। फाटक होने की वजह से तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर लाइन लग जाती है, बड़े-बड़े ट्रकों की लाइन लग जाती है। सारा शहर दुःखी है। सारे शहर को उस बात की चिन्ता है। तो मेरी मांग है कि चूरू के उस बाइपास का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

तीसरी मांग मेरी यह है कि उर्दू के जो टीचर ले रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के सौ ले रहे हैं, सेकंड ग्रेड के दो सौ ले रहे हैं और थर्ड ग्रेड के पांच सौ ले रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, अभी श्रवण भाई भी बोल रहे थे कि माइनोरिटी में शिक्षा नहीं है, बात सही है, नहीं है, तो माइनोरिटीज को शिक्षा दिलाना चाहते हैं और उनको बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी राय यह है कि उसको डबल कर दिया जाए ताकि हमारी माइनोरिटी में शिक्षा आ जाए और हम भी आपके बराबर खड़े हो जाएं।

चौथी और है। सारे माननीय सदस्य अपनी-अपनी डिमांड करते हैं। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य भी बोले हैं, राजगढ़ वाले भी बोले हैं, सुजानगढ़ वाले भी। मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए सारे जिले में घूमा हूं। चूरू जिला, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चूरू जिला बैकवर्ड जिला है, रेतीला जिला है, सबको मालूम है। सबसे ज्यादा ठण्ड वहां पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी वहां पड़ती है और टीबे ही टीबे हैं। सबसे ज्यादा टीबे हैं चाहे आप जैसलमेर चले जाओ, चाहे बाड़मेर चले जाओ। बैकवर्ड उनको ही ज्यादा बोलते हैं न? वहां तो आजकल माल्टा चल रहे हैं। चूरू में इतने बड़े टीबे हैं, सारे नार्म्स पूरे करते हैं। कलक्टर की रिपोर्ट भी आयी हुई है। मैं यह कहता हूं कि चूरू जिले से ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला कोई नहीं है। तो चूरू जिले को, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत और सारे सदन से रिक्वेस्ट करता हूं कि चूरू जिले की सिफारिश राजस्थान सरकार करे और प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे कि चूरू जिले को बैकवर्ड घोषित किया जाए। सारी जनता का भला होगा।

(श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया)

(14.42 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

लोक सभा के अन्दर जिस तरह से एम पी का कोटा दो करोड़ से बढ़कर पांच करोड़ हो गया है तो मेरी राय ऐसी है कि उनके जब डबल-तिबल हो गये तो हमारे भी डबल-तिबल होने चाहिए। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, बजट में बहुत सारी बातें माननीय सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने रखीं। अच्छा होता, इस बजट को बनाते समय जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दूसरे संगठनों को बुलाया, उसी तर्ज पर सभी दो सौ माननीय सदस्यों को बुलाते। उनके जिलों की समस्याएं क्या हैं, उनकी जनता क्या चाहती है, क्या-क्या ज्वलन्त समस्याएं हैं जिनका पहले समाधान करना आवश्यक है।

अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने काफी गुणगान किया माननीय मुख्य मंत्रीजी का और आखिरी में सबने जो वास्तव में जनता की नब्ज है, उसको रखा। मैं भी प्रयास करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री महोदय ने भिवाड़ी को ग्रैटर भिवाड़ी और नीमराना को ग्लोबल सिटी बनाने की बात कही। तीन बजट निकल गये। चौथा बजट आते-आते माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें प्रोविजन रखा है कि टपूकड़ा में वस्त्र उद्योग को 250 एकड़, आटो जोन बनाने के लिए 700 एकड़ और 500 एकड़ घिलोट, नीमराना जापानी जोन के लिए उद्योगपतियों को सस्ती रेट पर जमीन देंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में आने वाली समस्याओं को लाना चाहता हूं। एक तरफ भिवाड़ी है और दूसरी तरफ नीमराना है। उनके बीच में किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र पड़ता है जो कि मेरा क्षेत्र है। उसमें से दोनों औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तीन हाईटेंशन लाइनें खिंच चुकी हैं लेकिन एक भी किसान को पैसा नहीं दिया गया है। तीसरी लाइन अडानी ग्रुप द्वारा खींची जा रही है, उसमें काम बाकी है।

इसी तरह से भिवाड़ी का जो वेस्टेज आता है, गन्दा पानी आता है, प्रदूषित पानी आता है, वह सारा हमारी सावी नदी में गिरेगा जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है। हमारे यहां जो रोड निकले हैं, जिस व्यापारी को

(श्री रामहेत सिंह)

आप कंसेशनल भूमि देना चाहते हैं, जिस किसान से आप भूमि लेना चाहते हो, उसको उचित मूल्य मिले। मैं धामावास की चर्चा करना चाहता हूं जिसको दोनों औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से मात्र, यदि एयर से नापेंगे तो एक किलोमीटर पड़ता है और अगर सड़क मार्ग से नापते हैं तो डेढ़ किलोमीटर पड़ता है, मात्र सवा तीन लाख रुपये बीघा में भूमि एक्वायर की गई। लालपुर में सात लाख रुपये बीघा भूमि सड़क के लिए एक्वायर की गई। खुशखेड़ा के पांच सौ मीटर दूर जो गांव है कमालपुर, उसके अन्दर आठ लाख रुपये बीघा का सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उस किसान के साथ अन्याय है। वह प्रदूषित पानी को पीयेगा, दूषित वातावरण को झेलेगा, वहां जो न्यूसेंस होगा, उसको झेलेगा। उसको मुआवजे की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी बात रखें तो हरियाणा पैटर्न पर, जिसकी आप सभाओं में बात करते रहे हैं, उसके अनुसार मुआवजे की नयी नीति निर्धारित करके किसानों को मुआवजा दें।

अभी मैंने हिसाब लगाया कि 1,500 एकड़ भूमि अलवर जिले में एक्वायर की जाएगी जो नीमराना और भिवाड़ी के लिए है। मेरा आपसे आग्रह है, अगर 15,000 स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्यों किसान से खोंसकर उस जमीन को उद्योगपतियों को देना चाहते हो? उद्योगपतियों ने बड़े-बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि 60 किलोमीटर की परिधि में आने वाले किसी भी बालक का इन उद्योगों में प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और इन्टर्नल जो शर्त है वह यह है कि कोई सरपंच, कोई प्रधान, कोई पंचायत समिति सदस्य, कोई जिला पार्षद, कोई प्रधान, कोई उप-प्रधान, कोई एमपी या एम एल ए या उसका परिजन हो, उसका रिश्तेदार हो, नजदीकी सम्बन्ध रखता हो, उसको को तो सौ परसेंट नहीं रखा जाएगा। जब यह भूमि किसानों की अवाप्त की जा रही है। उद्योगपतियों को भूमि अलाट करने से पहले व्यवस्था करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ ग्लोबल सिटी की बात है, दूसरी तरफ ग्रैटर भिवाड़ी की बात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो कोटकासिम गांव पड़ता है, उप-खण्ड की हालत तो यह है, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बिजली के मामले की काफी प्रशंसा की, ढाई साल पहले 132 केवी का जी एस एस वहां सैंक्शन हुआ था और आज तक भी

(श्री रामहेत सिंह)

उसको भूमि अलाट नहीं हुई। सत्रह 33 केवी के जी एस एस सैंक्शन हुए थे, उनमें से दो पर ही काम हुआ है, पन्द्रह जी एस एस आज तक नहीं बनें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं बिजली की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2009-10 के बजट में जो बात कही थी कि 2009 तक की प्रतीक्षा सूची को जल्दी ही समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अक्टूबर, 2008 की जो सूची थी, उसमें से भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के 625 गांव अभी भी कनेक्शन से वंचित हैं। डेढ़ साल हो गया। ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। माननीय प्रभारी मंत्रीजी भी जाते रहते हैं, श्री बृजकिशोरजी, इनके बीच में भी बार-बार जनता कहती है कि बिजली के ट्रांसफार्मर्स को बदला नहीं जाता, जिनके पैसे जमा करा लिये वे चेंज नहीं किये गये हैं। ऐसी हालत है, जर्जर हालत है सब। बिजली के मामले में बड़ी हालत खराब है और हमारे यहां एक सिस्टम है कि आये दिन बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं। अलवर जिले में आप तीन साल का हिसाब लगायेंगे तो लगभग तीन हजार से ज्यादा ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं या जल जाते हैं। तो दोनों कंडिशन में, जल जाने या ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने के बाद पेंडेंसी लगभग 30 से 35 दिन रहती है। इसलिए ऐसा लगता है कि कोई राज नहीं है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। जब माननीय प्रभारी मंत्री जाएं, जिलाधीश महोदय भी बात करें या और यहां से जो मानिटरिंग हो तो इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। हम यहां कह जायेंगे और अखबारों में हमारा नाम छप जायेगा और मिनिट्स में यह बात आ जायेगी, इससे कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है।

जहां तक आप बड़े विकास की बात कर रहे हैं, मैं एक उप-खण्ड का उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। कोटकासिम उप-खण्ड कार्यालय है मेरे विधान सभा क्षेत्र में, ना तो वहां पर डिग्री कालेज है, ना वहां पर कृषि उपज मण्डी है, ना वहां पर अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं को पढ़ने के लिए कोई छात्रावास है। किशनगढ़ में तीन साल पहले 60 लाख रुपये का एक अनुसूचित जाति का छात्रावास सैंक्शन हुआ था जिसके लिए भूमि तक आबंटन आज की डेट में नहीं हुई है। तो ये बातें यह संदेह पैदा करती हैं कि आप जो घोषणाएं कर रहे हो, उनको पूरा करोगे कि नहीं।

चूंकि यह सब जानते हैं कि तीन साल हो गये, चौथा साल है, चुनावी बजट है और इन अखबारों को लेकर, यह हमारी जो बजट की किताब है, इसको लेकर कांग्रेस के भाई लोग क्षेत्र में जायेंगे, जिलों में झूठा प्रचार करेंगे और कहेंगे कि हमने बजट तय कर दिया, यह तो होना ही है। आप जब पहले

(श्री रामहेत सिंह)

गये थे, 2003 में जाते-जाते 2002 में जो आपने घोषणाएं की थीं, उस समय भी आपने ऐसा अभियान चलाया था। इसलिए लोगों को शक लगता है कि जो आप बजट में प्रावधान कर रहे हो, उनकी पालना कराओगे कि नहीं। यह सुनिश्चित करना चाहिए।

मेरे क्षेत्र की बात बताता हूं। माननीय तत्कालीन उप-मुख्य मंत्री, जो आज गुजरात में महामहिम हैं, उन्होंने हरसौली में जाकर बड़े जोश से वहां पर एक उप-तहसील का शिलान्यास कर दिया, पत्थर लगा बाकायदा और कांग्रेस के सभी थे, जिसमें आपके सभापति पैनल के माननीय मुण्डावर के विधायक भी हैं, 11 फरवरी, 2003 को उप-तहसील हरसौली के कार्यालय का उद्घाटन माननीय डा. कमलाजी, उप-मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार के कर- कमलों द्वारा किया जाता है। तारीख लिखी है 11 फरवरी, 2003 और वह सब का नाम लिखा है। कांग्रेस के सारे विधायक, माननीय करण सिंह जी, माननीय मेजर ओ.पी. यादव जी, माननीय जुबेर खां जी, माननीय भंवर जितेन्द्र सिंहजी और कांग्रेस के सब नेताओं ने माला पहन रखी है, यह फोटो है। एक करोड़ की बिल्डिंग उस महिला ने दान दी थी कि यहां पर जन समस्याओं के लिए उप तहसील बनेगी लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, इस बजट में भी उसको उप-तहसील बनाने की घोषणा नहीं की है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से चाहता हूं कि जब भी बजट पर रिप्लाई दें तो कम से कम पुरानी भूल को स्वीकार करके और उसको संशोधन करके कोटकासिम को उप-तहसील बनाएं।

यही हालत हमारे यहां सड़कों की है। सड़कों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी सड़कें हैं, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार की रोडवेज और अभी जो वाहिनी चलायी है हमारे जिले में एक ग्रामीण वाहिनी, अख़बार में चलती है, माननीय बृजकिशोरजी मंत्री थे, खुद बसें चलाने की बात करके आये थे, आज उसको संशोधित कर दिया क्योंकि मंत्रालय चेंज हो गया और अलवर ग्रामीण वाहिनी का नाम देकर के एक वाहिनी चलायी है। उन्होंने सब ने मना कर दिया कि हम इन सड़कों पर नहीं चलायेंगे, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। अखबारों में आया है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि जो स्टेट, जो हरियाणा से लगते हुए क्षेत्र हैं, उनकी मरम्मत जरूरी होनी चाहिए।

अभी चूरू से आने वाले माननीय विधायक ने बड़ी बात कही, अल्पसंख्यक समाज के लिए कई बातें आपने कही हैं।

(श्री रामहेत सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कितने मिनट और देंगे, साहब, मुझे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखें क्योंकि 15 माननीय सदस्यों को बोलना है। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): मैं तो यह सोच रहा हूं कि आपने उनको 35 मिनट बुलवाया, मुझे 17 मिनट तो बुलवाओगे। नहीं?

श्री सभापति: आप मेरी बात सुनो। सत्ता पक्ष से सिर्फ तीन माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष की ओर से 18 की लिस्ट है। उसमें तिवाड़ी साहब को ... (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): आप मुझे यह बता दो ...

श्री सभापति: अंतिम वक्ता आज के प्रतिपक्ष की ओर से घनश्यामजी तिवाड़ी साहब होंगे। आपसे मेरा निवेदन है, आप चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के और कई माननीय सदस्य बोल सकें तो इसको थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): मैं संक्षिप्त करता हूं।

श्री सभापति: आपको ध्यान है, साढ़े बारह बजे तक चली है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मुझे आप तय कर दो, पांच मिनट बोलना है, दो मिनट बोलना है। इतने में ही मेरी बात खतम कर दूंगा।

श्री सभापति: अब आप समअप ही कर दो।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): मेरा आपसे आग्रह है, अभी मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मेरे उप-खण्ड कार्यालय पर किशनगढ़, कोटकासिम के अन्दर राजकीय एक भी अधिकारियों के आवास नहीं हैं, एस.डी.एम., तहसीलदार, बी.डी.ओ., ए.ईएन. पी.एच.ई.डी., डाक्टर किसी के नहीं हैं, उनके आवास बनाये जाएं। एक बात। हरसौली को उप-तहसील का दर्जा दें। हरसौली में ए.ईएन. आफिस खोलें। खैरथल में नगरपालिका क्षेत्र में बालिका कालेज खोलें और खैरथल को अलवर से जोड़ने के लिए एक सीधा सड़क मार्ग है, उसको कम्प्लीट करें। कारिडोर के रूप में जो सड़क बनने वाली है, उसमें जो भी भूमि आये और उद्योगों में जो भूमि हो, वह

(श्री रामहेत सिंह)

हरियाणा पैटर्न पर उचित मुआवजा दें। स्थानीय लोगों को, कम से कम बीस प्रतिशत नौजवानों को रोजगार दें।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला। (व्यवधान) सारी बात आ गयी।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2012-13 का बजट पेश किया, उसके बारे में कुछ खामियां मेरी नजर में आयी हैं, पहले तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। मुख्य मंत्रीजी ने 2012-13 के बजट में पेज नम्बर एक पर 10-11 में 1,055 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष बताया गया है लेकिन इन्हीं के पिछली साल के बजट 2011-12 में पेज नम्बर 94 पर प्वाइंट नम्बर 328 में संशोधित, अनुमानित संक्षिप्त विवरण के अन्दर उसको 888.95 का राजस्व घाटा बताया गया है, यानी केवल दो महीने के अन्दर 1,944 करोड़ का हेरफेर हुआ है। यह आंकड़ों के जाल का बजट है। इसमें अधिकारियों से बजट बनवाया गया है। मुख्य मंत्रीजी की व्यस्तता के कारण या मुख्य मंत्रीजी को कोई नालेज नहीं है, बजट पर केवल साइन किये हैं, उन्होंने यह नहीं देखा किये आंकड़े कहां से आये हैं, कहां से गये हैं।

यह आपके दस्तावेज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। केवल दो महीने का अनुमान इतना गलत हो सकता है, सरकार के अधिकारियों का कि 1,944 करोड़ रुपये का हेरफेर हो जाए? दो बात हो सकती हैं इसमें, या तो सरकार के अधिकारियों ने व्यय कम किया है, यदि खर्चा कम किया है, अचानक आय तो हो ही नहीं सकती सरकार के पास, इतनी ज्यादा आय हो जायेगी, दो महीने में दो हजार करोड़, अनुमान से ज्यादा आय आज हो जाए, तो या तो इन्होंने एक्सपेंडिचर, खर्चा कम किया है या नान-प्लान खर्चा कम किया है। यदि एक्सपेंडिचर, सरकार ने कम खर्चा किया है तो राजस्थान की जनता के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं सरकार से जवाब चाहता हूं कि इतना बड़ा घपला कहां हुआ, इसके अन्दर यह जवाब दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा अपने बजट भाषण के अन्दर 3,380 मेगावाट बिजली का उत्पादन बताया गया है। 1,900 मेगावाट बिजली हमारी सरकार के, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार के टाइम में जो प्लांट चालू होने वाले थे, उनसे पैदा हो रही है। यहां तो केवल 480 मेगावाट

(श्री बंशीधर खण्डेला)

बिजली, जो केवल पवन ऊर्जा से उत्पादन हुई है, केवल यही इनकी उपलब्धि है। मेरे हिसाब से 480 मेगावाट बिजली इस सरकार के लिए तीन साल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको आंकड़ों में छाया जाने दो जो 480 मेगावाट बिजली उत्पादित की है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के उत्पादन में घाटा तीन साल पहले 15 हजार करोड़ था, अब तीन साल के अन्दर यह घाटा बढ़कर 45 हजार करोड़ हो गया, यानी तीन साल में 30 हजार करोड़ का घाटा हो गया। यह एक बहुत बड़ा अधिकारियों द्वारा या सरकार द्वारा अपनी नीतियों में फर्क है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने 2011-12 के बजट में ऊर्जा पर मांग के ऊपर बोला था, गांवों में जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है, पहुंचने की सुविधा नहीं है, वहां सौर ऊर्जा से किसानों को बिजली दी जाए। मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को माना लेकिन इसमें यह बहुत बड़ी खामियां कर दीं। अधिकारियों द्वारा बनाये गये प्लान के अनुसार किसानों को जो बिजली देनी चाहिए थी, सौर ऊर्जा द्वारा वह डिग्गियों तक ही सीमित कर के छोड़ दी। उन डिग्गियों का केवल हनुमानगढ़, गंगानगर, एक-दो जिलों में और हो सकता है प्रावधान बाकी का पूरा राजस्थान अधूरा पड़ा है। तो डिग्गियों की जगह, तीन एच.पी. की जगह पांच एच.पी. बिजली का प्रावधान होना चाहिए जो सौर ऊर्जा से पैदा होती है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि आगे वाले वर्ष में जो 2,200 के आपने कनेक्शन के लिए कहा कि 2,200 किसानों को ऊर्जा से जोड़ा जायेगा, उसको कम से कम पांच एच.पी. का किसानों को देना चाहिए।

किसानों के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, 72 घंटे में बदलने की व्यवस्था आपके द्वारा की जाती है लेकिन 72 घंटा तो दूर रहा, किसानों से लाने-ले जाने का खर्चा भी लिया जाता है। बिजली कम्पनियों का यह दायित्व होता है कि किसानों के ट्रांसफार्मर जलने से बिजली कम्पनियां अपने खर्चे से ट्रांसफार्मर लायें और लगायें। मैंने पिछले चार दफा क्वेश्चन पूछा तो केवल सीकर जिले

(15.00 बजे)

के अन्दर ट्रांसफार्मर लाने और ले जाने के टेंडर किये गये और टेंडर सारे फेल हो गये। टेंडर की रेट 400 समथिंग थी, किसानों को 300 समथिंग रुपये देकर कहा कि आप लाओ, आपके बिल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नहीं, उल्टा किसानों को तो 400 रुपया ज्यादा देना चाहिए। यह किसानों के साथ एक कुठाराघात किया जा रहा है।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

गांवों में आज बच्चों की पढ़ाई के लिए बिजली नहीं है। यह कहकर कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है कि यह तो रिहायशी क्षेत्र नहीं हैं, गैर-आबादी क्षेत्र हैं। गांवों में तो सारे ही गैर-आबादी क्षेत्रों में बसते हैं। यह दोहरी नीति क्यों? कंज्यूमर सब तरह का, चाहे शहर में हो, गांव में हो, ढाणी में हो, कंज्यूमर एक है, सबके लिए एक जैसा प्रावधान होना चाहिए। गैर-आबादी का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जो कनेक्शन मांगे उसको कनेक्शन देना चाहिए।

पिछले बजट में किसानों के लिए 65 हजार कनेक्शन देने की व्यवस्था की गयी थी, केवल मात्र 22 हजार किसानों को कनेक्शन दिया गया है। अब जब पिछले साल, इससे पहले वाले साल में भी जो दिए थे, वे भी पूरे नहीं हुए। ऐसे घोषणा करने से कोई फायदा नहीं है। एस सी, एस टी के लिए आपने 49 बस्तियों को विद्युतीकृत करने का जो सपना दिखाया था पिछले बजट में, केवल चार बस्तियों का आपने विद्युतीकरण किया है। आठ परसेंट काम किया है इस सरकार ने। यह एस सी, एस टी के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है, जो एस टी, एस सी के रखवाले समझते हैं अपने आपको।

किसानों के लिए खेती के टाइम पर बिजली की सुनिश्चितता करनी चाहिए कि किसान को हर हालत में रबी के टाइम इतने घंटे बिजली मिलेगी, खरीफ के टाइम इतने घंटे बिजली मिलेगी। उसी हिसाब से किसान अपनी फसल बोए। किसानों को सब्ज बाग़ दिखा देते हैं कि आठ घण्टे बिजली देंगे, नहीं दे पा रहे हैं।

एक मांग और करना चाहूंगा आपसे कि किसानों को कम से कम सिंगल फेज का कनेक्शन और देना चाहिए कृषि के हिसाब से जिससे कि वह कम पानी की उपलब्धता में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर सके। तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी संशोधन करें कि किसानों को सिंगल फेज कनेक्शन भी दिये जायेंगे।

अब आगे कृषि के हिसाब से खाद-बीज के भण्डारण के लिए अभी बजट में आपने डी ए पी खाद के लिए 2.5 मीट्रिक टन की व्यवस्था की है जबकि पिछले साल में साढ़े तीन हजार मीट्रिक टन की व्यवस्था की गयी थी। हजार मीट्रिक टन भण्डारण की कम क्षमता की गयी है। यह हजार मीट्रिक टन की कहां व्यवस्था की, मैं यह भी बताना चाहूंगा। डी ए पी की जगह एक खाद और है, प्राइवेट कम्पनी बनाती है एस एस पी, उसकी पिछली साल भण्डारण

(श्री बंशीधर खण्डेला)

व्यवस्था एक लाख मीट्रिक टन थी, इसे बढ़ाकर दो लाख मीट्रिक टन कर दिया। तो प्राइवेट कम्पनियों को फायदा पहुंचाया है, न कि किसानों को फायदा पहुंचाया है। भण्डारण करने से प्राइवेट कम्पनियों को पैसा मिल जाएगा और किसान को उससे कोई फायदा नहीं होगा। जबकि डी ए पी की हमेशा मांग ज्यादा रहती है । यह एक फैक्टरी मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा काम किया है। मैं सरकार से यह चाहूंगा कि डी ए पी की और दूसरे खाद की ज्यादा भण्डारण की व्यवस्था की जाए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने केवल खाद की व्यवस्था की है, बीज की कोई व्यवस्था नहीं की इस बजट के अन्दर। केवल मक्का के बीज की व्यवस्था के लिए, उसको केवल हाईब्रिड बीज बनाने की व्यवस्था की है। जबकि कोई बीज की व्यवस्था नहीं की है। बिना बीज के आप खाद का, पानी का करेंगे क्या? बीज की व्यवस्था है नहीं। तो मैं यह भी सरकार से कहना चाहूंगा कि आने वाले खरीफ की फसल में ग्वार के बीज के लिए यदि कोई व्यवस्था नहीं की है, तो उसको ग्वार के बीज के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

अब समर्थन मूल्य पर बात करना चाहूंगा, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होती है। बाजरा, गेहूं, जौ, मक्का, सारे दूर-दूर सेंटर स्थापित कर दिये जाते हैं जिससे सरकार वहां पहुंचती नहीं है और खरीद मूल्य पर सरकार के ऊपर कंट्रोल है कि वह कौन से सेंटर से खरीद करेगी, यह सेंटर द्वारा तय किया जाता है। जबकि हमारे आसपास के चारों तरफ पड़ोसी राज्यों में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में डी सी पी व्यवस्था लागू कर रखी है, मतलब सरकार खरीदने की जगह अपनी खुद व्यवस्था करेगी। तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपना स्टेट भी डी सी पी स्टेट बने जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके, यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसा किया जाए।

यू पी के अन्दर चुनावों में घोषणा हुई थी, नकल तो करते हैं हम घोषणाओं की लेकिन अपन यह नहीं देखते, वोटों के लिए नकल चाहिए, पब्लिक को कहां घोषणा चाहिए। यू पी में स्कूलों में सरकार लैपटाप देगी, अपने यहां भी मुख्य मंत्रीजी ने उस लाइन पर चलने के लिए लैपटाप देने की घोषणा कर दी। लेकिन यह नहीं देखा कि अगल-बगल के राज्यों में किसानों

(श्री बंशीधर खण्डेला)

को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, वे हमारे को भी दी जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूर होना चाहिए कि ऐसा न हो केवल।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बाजरे की खरीद के लिए पिछले साल, इस साल तो केवल 94 मीट्रिक टन पर बाजरा खरीदा गया है, इससे पहले 62 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है। बाजरा बोने वाले किसान के लिए दुविधा है। बारिश नहीं होगी, बाजरा नहीं होगा; बारिश होगी, बाजरा फट देना हो जाएगा तो किसान क्या बाजरा देना बंद कर दे? यह दोनों तरफ से किसान मारा जा रहा है। बाजरे के चक्कर में वह खरीद नहीं करते हैं। इसके लिए भी एक सुविधा होती है, एवरेज क्वालिटी डील होनी चाहिए, इसके अन्दर किसानों को फायदा होगा।

कृषि में बिजली सप्लाई के लिए टाइम होना चाहिए। किसानों को फव्वारे के लिए सब्सिड़ी दी जा रही है। सीकर जिले का एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, 2010-11 के फव्वारे की सब्सिड़ी अभी भी करीब 1.5 करोड़ की सब्सिडी बाकी है। यह कुप्रबन्ध का एक छोटा सा नमूना है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा, शीतलहर और पाले के अन्दर किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे शेखावाटी के अन्दर। कृषि विभाग द्वारा साठ-सत्तर परसेंट खराबा माना गया लेकिन ऊपर से इन्स्ट्रक्शन देकर पटवारियों को कलक्टर द्वारा पाबंद किया गया कि तीस या पैंतीस परसेंट से ज्यादा कुछ भी खराबा नहीं दिखाना चाहिए। यह किसानों के लिए कुठाराघात है।

समर्थन मूल्य के अन्दर लोगों को, जो माल बेचते हैं, उसके लिए पटवारी से उसकी गिरदावरी और कितनी जमीन है, यह लेना पड़ता है। तो नकल में अक्ल की जरूरत है। क्या आप यह भी नहीं कर सकते इस आई टी के जमाने में? हर किसान की इंटरनेट पर जानकारी होनी चाहिए कि इसकी इतनी जमीन है और इसके अन्दर इसने ये-ये जिंस बोई हैं। तो किसान को वहां चक्कर नहीं काटना पड़ेगा कि समर्थन मूल्य में उसको क्या, इंटरनेट पर अपना देखकर सारा काम कर सकता है किसान। ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए।

पीने के पानी की व्यवस्था के लिए बात करना चाहूंगा मैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): केवल पांच मिनट और चाहूंगा मैं।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं, एक या दो मिनट केवल।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, दूर-दूर से पानी लाया जाता है लेकिन हमारे यहां तो फ्लोराइड, खण्डेला विधान सभा की बात करूं मैं, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। मैंने पिछले टाइम भी पूछा था तो जवाब यह आया था कि फ्लोराइड यूनिट लगाई जा रही है हैंडपम्पों और बोरिंग पर। लेकिन आज तक मेरे खण्डेला विधान सभा में हैंडपम्पों पर या ट्यूबवेल पर फ्लोराइड यूनिट नहीं लगी हैं, जिसके कारण यह व्यवस्था आज उनकी चरमराई हुई है।

मैनेजमेंट के बारे में, सरकार का मैनेजमेंट कितना कमजोर है, डेढ़ साल पहले खण्डेला के अन्दर एक चालीस साल पुरानी टंकी जर्जर हालत में हो गयी। उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको नाकारा घोषित कर चुके लेकिन आज भी उस टंकी में पानी जा रहा है, नई टंकी बनाने का कोई प्रावधान नहीं किया केवल सरकार यह चाहती है कि वह टंकी गिरेगी, कोई मर जाए। तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी या कौन अधिकारी होगा, यह मेरी समझ से बाहर है।

प्रदेश के अन्दर सी एच सी, पी एच सी के अन्दर डाक्टरों की कमी है। लैब टेक्नीशियन के वहां सामान नहीं है। अब मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रींगस एक नेशनल हाइवे पर स्थित है, रींगस के अन्दर कोई ट्रोमा यूनिट नहीं है। तो मैं सरकार से यह चाहूंगा कि रींगस के अन्दर एक ट्रोमा यूनिट की स्थापना की जाए और दवाइयों की जो सप्लाई दी जा रही है, उसको भी देखें।

एक अहम बात मेरी, और गुजारिश, है आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद की जो आज शिक्षा दी जा रही है वह दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। आयुर्वेद के अन्दर हमेशा एक नाड़ी परीक्षण चलता है लेकिन हमारे यहां नाड़ी परीक्षण की कोई पढ़ाई नहीं हो रही । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आयुर्वेद के अन्दर नाड़ी परीक्षण की पढ़ाई की जाए जिससे कि एम आर आई वगैरह, नाड़ी देखकर बता सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, पटवार घरों के अन्दर पटवारी को एक निश्चित टाइम पर उपस्थित रहना चाहिए जिससे किसान को पटवार घर के अन्दर चक्कर नहीं काटने पड़े, कम से कम चार या पांच घंटा पटवारी पटवार घर में रहना चाहिए जिससे किसानों को आराम से नकल दे सके, जमाबंदी के बारे में बता सके, अलग-अलग चक्कर नहीं काटना पड़े, या कोई बैंक में ऋण लेता है उसके लिए नहीं जाना पड़े। राजस्व के अन्दर आज राजस्थान में इतने

(श्री बंशीधर खण्डेला)

मामले लम्बित पड़े हुए हैं, एस डी एम आफिस और ए सी एम आफिस के अन्दर उनके प्रशासनिक कार्यों के कारण वे अपने आफिस में कम बैठ पाते हैं। या तो अपने एस डी एम आफिस के लिए आप दो-दो एस डी एम लगाएं तो एक केवल केसेज को देखगा। तो किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं ऐसी सरकार से मांग करता हूं जिससे किसानों का भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, ढाई साल से मेरी मांग चली आ रही है, मैंने कई दफा क्वेश्चन भी उठाया, कई दफा स्थगन भी दिया है कि खण्डेला को तहसील बनाना चाहिए। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खण्डेला की मेरी मांग को स्वीकार किया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरी इस मांग के साथ एक लम्बित मांग और चल रही थी कि किसानों के लिए हमारे रींगस के अन्दर नायब-तहसीलदार की एक पोस्ट और होनी चाहिए। वह मेरी मांग मानी नहीं। मैं आगे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मांग भी मानी जाए।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात कहें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर शहरों में ध्यान दिया गया है, आसपास के राज्यों को सड़क से जोड़ने में ध्यान दिया गया है। सत्तर परसेंट जनता गांवों में बसती है, उसमें गांवों में साइड में जाने वाली केवल तीन मीटर की सड़क बनी हुई है। तीन मीटर की सड़क के कारण जो ट्रैफिक आमने-सामने आता है, तो सड़क के दोनों किनारे कट जाते हैं। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीन मीटर की जगह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डाक्टर विश्वनाथ मेघवाल।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2012-13 का बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया। बजट का आकार 33 हजार 500 करोड़ का रखा गया। बहुत सारी घोषणाएं की गयीं। पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य मदनजी ने कहा कि इस बजट का आकार बहुत बड़ा है, आज तक ऐसा बजट पेश नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, हर वर्ष जो बजट पेश किया जाता है उसका आकार बड़ा ही होता है। यह कोई नयी बात नहीं है, माननीय सदस्यों को मैं यह बताना चाहूंगा। लेकिन बजट के आकार के साथ-साथ जितनी घोषणाएं की गयी हैं,

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

बजट सिर्फ जोधपुर को केन्द्रित किया गया है। हमारे माननीय सदस्य अभिषेक जी कल जोधपुर में जितनी भी घोषणाएं कीं, उनका जिक्र कर रहे थे। जोधपुर में भी सिर्फ मंडोर को ही केन्द्रित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उनको पूरे प्रदेश को एक ही दृष्टि से देखना चाहिये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर की हर बजट में उपेक्षा की गयी है। घोषणाएं तो बहुत-बहुत कर देते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है। मेरे बीकानेर में पिछले बजट में मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में आई टी आई की घोषणा की गयी थी, अभी तक वहां पर उसका संचालन नहीं हुआ किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। बीकानेर में ही वाटर रिसोर्स हाइड्रोलाजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की घोषणा की गयी थी लेकिन आज तक वहां वह भी नहीं बनी है। हमारे बीकानेर में चौखुंटी आर ओ बी की घोषणा की गयी थी लेकिन आज तक वह भी चालू नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 33 के वी के 8 जी एस एस स्वीकृत किये गये थे लेकिन अभी तक 2 ही पूरे हुए हैं, 6 अभी भी पेंडिंग पड़े हैं।

बहुत सारी घोषणाएं कर दी जाती हैं, बीकानेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की बात आयी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक व्यास कमेटी भी बनायी थी जिसने यह रिपोर्ट दी कि बीकानेर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिये लेकिन उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे बीकानेर के साथ सौतेला व्यवहार किया। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा बीकानेर जो पश्चिम में भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए पिछड़ा क्षेत्र है, यहां पर तकनीकी विश्वविद्यालय की बहुत जरूरत है। हमारे बीकानेर में एक तकनीकी विश्वविद्यालय होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो आपने घोषणाएं की हैं कि ग्रेवल रोड से हर गांव को जोड़ा जायेगा और उनका डामरीकरण किया जायेगा, 250 से 500 की आबादी के क्षेत्र को रोड से जोड़ा जायेगा, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो पी एम जी एस वाई की माननीय अटलजी के समय से स्कीम चलती आ रही है, यह तो 250 से 500 की आबादी की रोड बनेंगी ही बनेंगी। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर में रोड्स की जो स्थिति है, मेरे पूंगल फाड़ा से लेकर नूरसर फाड़ा तक की रोड को 3 साल हो गये, इतनी

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

उसकी जर्जर हालत है कि 32 किलोमीटर रोड के लिये हमें करीब 1 घण्टा लग जाता है। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, लूणकरणसर के हमारे विधायक हैं, अभी परिवहन मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं, इनके क्षेत्र में भी अभी मैं गया था, महाजन और अर्जुनसर की रोड पर भी यही स्थिति है। 20 किलोमीटर रोड इतनी टूटी हुई है कि उसमें 1-2 घण्टा लग जाते हैं। यह तो मेरे क्षेत्र की रोड्स की स्थिति है।

ऊर्जा के क्षेत्र में अभी बजट के पैरा नम्बर 14 में बताया गया कि 3 वर्ष में 3,380 मेगावाट की वृद्धि की जायेगी। तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के समय मुख्य मंत्री विद्युतीकरण योजना जो चली थी, उसको भी इस सरकार ने बन्द कर दिया। मेरे क्षेत्र में एक तरफ ढाणी और आबादी का क्षेत्र है। इसमें मुख्य मंत्री विद्युतीकरण योजना थी जिसके माध्यम से उससे बहुत बहुत फायदा हो रहा था लेकिन आज वहां भी किसी प्रकार का कोई फार्म नहीं लिया जा रहा है। डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं हो रहे हैं; कृषि कनेक्शन जिनमें हमारे क्षेत्र में एस सी, एस टी से एक-एक साल डिमांड नोटिस भराये हुए हो गये हैं लेकिन आज भी वे कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात करते हैं, वह तो मेरे क्षेत्र में 3 साल में कभी भी नहीं हुई। मैं आज आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो बिजली की हालत है, हमारे क्षेत्र में बिजली राशि के अभाव में कनेक्शन काट दिये जाते हैं, पूरे गांव के कनेक्शन काट दिये जाते हैं। तो बिजली की बहुत दयनीय स्थिति है।

शिक्षा की हम बात कहते हैं, 1 हजार नये स्कूल खोलने की बात की बजट में। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि समानीकरण और एकीकरण में इसी गवर्नमेंट ने 1,136 स्कूल्स बंद किये हैं। ऐसी कोई नयी बात नहीं की है, इन्होंने पहले बन्द किये, अब नये खोले हैं।

हम तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बात करते हैं, 41 हजार की घोषणा आये दिन, तीसरे बजट में यह भी इन्होंने की लेकिन आज तक भी भर्ती नहीं हुई। स्कूलों की हालत भी बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र में भी यही स्थिति है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में सीनियर स्कूल भी होना चाहिये और गवर्नमेंट महाविद्यालय भी होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये आई जी एन पी की बात कम करते हैं। 952 करोड़ का बजट पिछले तीनों बजट्स में देते आ रहे हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

पिछले बजट में इन्होंने 152 करोड़ रुपये का बजट भी रखा था और 401 करोड़ का बजट भी इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के लिये रखा था। उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। इस बजट में भी इन्होंने घोषणा की है। मेरे क्षेत्र की नहरों की स्थिति दयनीय है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में आई जी एन पी की जितनी भी नहरें हैं, उनकी डी-सिल्टिंग का कार्य, उनकी मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से हो जिससे कि अंतिम छोर के किसान को पानी मिल सके।

पेयजल की व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में नहरों से फ्लो वाटर मिलता है। सीधा, डायरेक्ट वह पानी आता है। उसका न कोई फिल्टरेशन होता है, न उसका कोई ब्लीचिंग होता है; सीधा यह पानी मिलता है। ऐसा दूषित पानी जनता को पीने के लिये मिलता है। मैंने कई बार मांग की है मेरे क्षेत्र में नहरों के पास जो डिग्गियां बनी हुई हैं पानी के लिये, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाये और उनकी टाइम पर सफाई की जाये लेकिन 3 साल से कोई भी सफाई नहीं हो रही है। मेरे क्षेत्र में एक वृहद् पेयजल योजना के बारे में भी मैंने पिछले बजट में मांग की थी, करणिसर, भाटियान, भाहदिवाली, तखतपुरा, खरबारा, ऐसे गांवों की एक परियोजना बने जिससे इन गांववासियों को शुद्ध पानी मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में आज हमारे क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में जितनी पी एच सी होनी चाहिये, सी एच सी होनी चाहिये, वे नहीं हैं। पिछले बजट में भी मैंने मांग की थी। हर बार मैं मांग करता हूं। पी एच सी और सी एच सी की बात करते हैं, मेरे क्षेत्र में 3 तहसील हैं, तहसील मुख्यालयों पर सी एच सी नहीं हैं। 3 लाख की पापुलेशन है जिसमें 3 सी एच सी होनी चाहिये। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में कम से कम एक सी एच सी और होनी चाहिये। जहां 10 पी एच सी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

की जरूरत है, वहां हमारे 3 ही पी एच सी हैं। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि 1 पी एच सी या 2 पी एच सी और हमारे क्षेत्र में मिलनी चाहिये।

मैं बीकानेर के लिये, गंगाशहर के लिये सैटेलाइट हास्पिटल की मांग करता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय वसुन्धराजी राजे के समय से

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

ट्रोमा सेंटर, न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर, यूरो सेंटर, वे 3 साल से रनिंग में हैं, बन रहे हैं। इनके समय में 3 साल में अभी तक वे चालू नहीं हुए हैं। बहुत जरूरत है ट्रोमा सेंटर। जल्दी से जल्दी ट्रोमा सेंटर चालू हो बीकानेर के लिये तो सबको उसका बेनिफिट मिल सकेगा।

अन्त में आपने समय दिया..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक और कहना चाहूंगा कि जो इंदिरा आवास की तर्ज पर इन्होंने मुख्य मंत्री आवास योजना लागू की है। अच्छी बात है लेकिन 50 हजार अपर्याप्त हैं। इसमें कम से कम 1 लाख, 2 लाख रुपये होने चाहिये।

मेरे क्षेत्र में आये दिन आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। मैं मांग करूंगा, एम एल ए लैड से हो चाहे मुख्य मंत्री आवास योजना से हो, जिसका घर जल जाता है उस घर के लिये मुख्य मंत्री आवास योजना के माध्यम से या एम एल ए लैड से कुछ सहायता उनको मिलनी चाहिये। यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

श्री सभापति: अब आप समअप कर दो, माननीय सदस्य डा. साहब।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, एक मिनट, एक मिनट। मैं एम एल ए लैड की भी मांग करता हूं। हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों ने मांग की कि एम एल ए लैड भी एक करोड़ से तीन करोड़ किया जाये।

मैं इस बजट को सिर्फ चुनावी घोषणा-पत्र मानता हूं और यह कहना चाहूंगा कि यह चुनावी घोषणा-पत्र है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, इस बार जब राजस्थान का बजट पेश किया गया तो ऐसे समय पर किया गया, जब केन्द्र का बजट आ चुका था। राजस्थान का बजट आ रहा था, उससे पहले अलग-अलग तरह के कयास लगाये जा रहे थे। राजस्थान में कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, गांव का, शहर का, खेत का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना सुलझा हुआ बजट आयेगा। ऐसा बजट आयेगा, इसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। बजट तो कई बार आये हैं। जब पिछली बार बजट लेकर आये राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी, तब भी लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब इस बार बजट

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

लेकर के आये तो यह एक बड़ा चुनौती भरा बजट था। जब बजट लेकर आये तो साबित कर दिया कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस सरकार राजस्थान के आम अवाम को आगे ले जाना चाहती है, राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, राजस्थान के हर वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहती है। यह बजट सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, पूरे राजस्थान के हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए है।

सभापति महोदय, आपने खुद ने देखा, पूरा राजस्थान जानता है, 2009-10 में 4,747 करोड़ रुपए का घाटा था जो 2010-11 में 1,055 करोड़ का रह गया। राजस्थान की सरकार का मैनेजमेंट इतना जबरदस्त रहा कि राजकोषीय घाटा भी कम हो गया। घाटा एफ आर बी एम एक्ट के अनुसार ही सीमा में रहते हुए किया गया। हमारे ऋण 2005-06 में जब पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब कुल घरेलू उत्पाद 47 प्रतिशत थे लेकिन चालू वर्ष में हमारे ऋण सिर्फ 29 प्रतिशत रह गये। इसका मतलब राजस्थान की सरकार ने आम आदमी को फायदा भी पहुंचाया। आम आदमी के लिए बचत भी की और ब्याज देना भी कम किया। इस सरकार के मैनेजमेंट का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 2003-04 में जब आपकी सरकार थी, आपने 25.35 परसेंट ब्याज की अदायगी की; उसके बाद आपने 2004-05 में 25.98 प्रतिशत ब्याज की अदायगी की; आपने 2005-06 में 24.23 प्रतिशत ब्याज की अदायगी की और 2006-07 में आपने 22.85 प्रतिशत ब्याज की अदायगी की। हम राज में आये, राज में आने के बाद 2008-09 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 18.15 प्रतिशत ब्याज दिया; 2009-10 में 16.87 प्रतिशत ब्याज दिया; 2010-11 में 16.42 प्रतिशत ब्याज दिया। दिन पर दिन ब्याज कम होता गया। सरकार ने बजट में राजस्थान की स्थिति मजबूत की। राजस्व भी बढ़ाया, राजस्व घाटा भी कम किया। मैं आज कह सकता हूं कि जब से सरकार आई है, तब से सरकार की एक ही मंशा है कि चाहे कुछ भी हो जाये, समाज का कोई तबका पीछे नहीं रह जाना चाहिए।

सभापति महोदय, जब भी बजट लेकर आते हैं तो मैं हमेशा लोगों के बीच में जाता हूं। लोगों से एक ही बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस सदन की बड़ी पार्टियां हैं। हम जो भी इस सदन में बैठते हैं, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ मुद्दे भी उठाते हैं। मुद्दे

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

उठाकर हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाये, जब हम राज में बैठे हों तो चाहे कोई गलती भी कर दे हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं; जब ये राज में बैठते हैं तो ये उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात का फैसला हमको करना पड़ेगा कि राजस्थान में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने जो काम किये वे सबके सामने हैं; आज कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत हैं, इनके काम भी सबके सामने हैं। सभापति महोदय, मैं राजस्थान की जनता से, इस सदन से एक अपील करना चाहता हूं कि इन तीन वर्षों के कामों का ईमानदारी से आकलन कर लो, फैसला कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

अब इसमें फैसला इस बात का होना है कि तीन बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका अच्छा बजट लेकर आयी है, पहले भी बजट अच्छा था। जब पहले बजट लेकर आये तो अपोजिशन के लोगों ने कहा कि यह चुनावी बजट है। अब की बार बजट लेकर आये तो बोले कि यह चुनावी बजट है। अभी तो एक बजट और आना है, वह भी फिर चुनावी बजट होगा। सभापति महोदय, बार-बार चुनावी बजट कहकर किसी बजट को चुनौती देना, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी योजना, जो बजट से पहले ही लागू हो गयी, मुफ्त दवा योजना, मुख्य मंत्री मुफ्त दवा योजना, उसका फायदा वहां के विधायकों ने भी उठाया, गरीब ने भी उठाया, अमीर ने भी उठाया, ए पी एल और बी पी एल दोनों ने उठाया। जब यह योजना लागू हुई तो योजना लागू होने के साथ ही उसमें कमियां बताने लगे। कल खुद पूर्व हैल्थ मिनिस्टर दिगम्बर सिंह जी कह रहे थे कि योजना बहुत अच्छी है। मैं भी इस योजना की प्रशंसा करता हूं। योजना में कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन योजना लागू करने में कहीं मन में कोई कमी नहीं रही मुख्य मंत्री के और सरकार में। उनका मन साफ था, सरकार की नीयत साफ थी। जब सरकार की नीयत साफ थी, इसलिए सरकार मुख्य मंत्री फ्री दवा योजना लेकर आयी और उस योजना का लाभ आज लोगों को गांव में, शहर में सब जगह नजर आने लगा है।

सभापति महोदय, मैं आज कह सकता हूं कि यह जननी शिशु सुरक्षा योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से चल रही है। लेकिन इस जननी शिशु सुरक्षा योजना का इतना बड़ा काम है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी जाती है, अगर गांव में जाती है तो 1,400 रुपये, शहर वाली को 1,000 रुपये, आने-जाने का

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

किराया, बच्चे की और मां की पूरी सेवा, इस तरह के काम हुए। जितने काम हुए, वे काम समाज को ताकत देने के लिए, आम व्यक्ति को ताकत देने के लिए किये गये।

बीच में बात उठी, कल बार-बार लोग चुनौती दे रहे थे, कह रहे थे कि योजनाएं तो आपने लागू कर दीं लेकिन आप इम्प्लीमेंट कैसे कर पाओगे। आप इम्प्लीमेंट कर दोगे तो हम मान लेंगे कि राजस्थान की सरकार की नीयत साफ है। अभी आप इस बात को तो मानने को तैयार हैं कि बजट अच्छा है। आप क्या बात करते हो? बजट लोक लुभावन हो; बजट आम आदमी को पसंद आने वाला हो, बजट में हर वर्ग, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह किसान हो, आम नागरिक यह कहे कि यह मेरा बजट; पेट्रोल में वैट में कमी कर दी, 2 परसेंट की कमी हुई, 1 रुपये 6 पैसे लीटर पेट्रोल कम हुआ।

सभापति महोदय, एक तरफ केन्द्र सरकार का जब बजट आया तब चुनौती खड़ी हो गयी कि अब राजस्थान की सरकार क्या बजट लेकर आयेगी। अपोजिशन के लोग तो यही उम्मीद कर रहे थे कि बजट ऐसा-वैसा आ जाये तो काम आसान हो जायेगा। अपोजिशन के पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं रहा। कई लोगों ने बयान दिये कि जो बजट ये लेकर आये हैं, वह हमारा ही बजट है, हम ये घोषणाएं कर चुके हैं। आपने घोषणाएं कीं, यहां पर घोषणाएं लागू हुई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू हो गयी और जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू हो गयी। दो रुपये किलों में आटा बिकने लग गया, लोग खरीदने लग गये। राजस्थान में सब जगह, हर राशन की दुकान पर आटा खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है।

आज आप किसी की भी बुराई कर सकते हैं, बुराई करके राजनीतिक रूप से उसको स्टंट का नाम दे सकते हैं, आप चुनौती दे सकते हैं। आपके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा तो पूरे राजस्थान में अपोजिशन के लोग एक बात जरूर कहते हैं कि काम बहुत जोरदार हैं, आपके राज में कोई कमी नहीं है, आपके मुख्य मंत्रीजी के मन में कोई कमी नहीं है लेकिन आपके अधिकारी आपके काबू में नहीं आ रहे हैं।

अब जो आपने यह अधिकारियों की बात कही, कुछ न कुछ शगूफा आपको चलाना है। मैं आज कह रहा हूं कि इस सदन में सरकार के इतने विधायक बैठे हैं, दो, चार, पांच मंत्रीगण भी बैठे हैं इस सदन में, जब अन्दर चलकर आते हैं तो न तो कोई मंत्री होता है, न कोई मुख्य मंत्री होता है, सब

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

विधायक आते हैं। वे विधायक मिलकर एक मुख्य मंत्री चुनते हैं, मुख्य मंत्री इनमें से मंत्री चुनता है। ऐसे में हर विधायक की ड्यूटी है, आपको भी यह तय कर लेना चाहिए, राजस्थान के विधायक वह चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, यदि वह अपने अधिकार को समझ कर अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं करेगा तो लोकतंत्र का अपमान होगा। चाहे हमें सड़कों पर निकलना पड़े, चाहे 10 विधायकों को चाहे विपक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, उनको सड़कों पर निकलना पड़े लेकिन हमारी मोरल ड्यूटी है कि जो बजट इस विधान सभा में बहुमत से पारित होता है, उस बजट को लेकर राजस्थान का हर विधायक किसी भी दफ्तर में चला जाए, सेक्रेटिएट में चला जाए, एक विधायक का यह अधिकार है कि चीफ सैक्रेटरी को काल करके, प्रोटोकाल के अनुसार अपने घर पर बुलाकर उस बजट को लागू करने के लिए कह सकता है। यह आपका अधिकार है। लेकिन आज विधायक खुद को कमजोर समझने लगा है। जब विधायक यह कहने लगे कि अधिकारी मेरी बात नहीं मानता, क्या करूं, जब वह खुद कलक्टर के बाहर जाकर बैठ जाए, जाकर पर्ची दे, बुलाने की इन्तजारी करे और जब बड़ा डेमोक्रेटिक फंक्शन हो, वह ऊपर बैठे, अधिकारी नीचे बैठें। इसके बावजूद भी वह यह नहीं समझ पाते।

इस देश में लोकतांत्रिक मर्यादा हो। लोकतंत्र के नियमों के अनुसार और लोकतंत्र में इस देश में दो बड़े सदन हैं, लोक सभा और विधान सभा। आज यदि लोक सभा और विधान सभा में बैठने वाले लोग यदि खुद यह कहने लग जाए कि मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं है; यह कहना विधायकों का, इस देश में लोकतंत्र को खतम करने के बराबर है। यह बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। यह आपका अधिकार है।

जिन लोगों ने आपको चुनकर भेजा है विधान सभा में, यदि उनके सामने खड़े होकर हम कह दें कि हमारा बजट बहुत बढ़िया है, मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बढ़िया बजट दिया है, लोक सेवा गारंटी कानून में आप क्या समझते हो कि लोग अवेयर नहीं है, लोग बहुत अवेयर हैं, लोगों ने एप्लीकेशंस लगाईं, लोगों ने अपने काम करवा लिये। राइट-टू-इन्फोर्मेशन में लोग सूचनाएं मांग रहे हैं, उनको सूचनाएं मिल रही हैं और उस पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। लेकिन यह हंगामा एक नया रास्ता दिखा रहा है, एक नई रोशनी दिखा रहा है। करप्शन के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठ रही है। इसके बावजूद सरकार की

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने की तैयारी हो रही है। राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोक गहलोत खुद सुबह घोषणा करता है कि हम खुद ट्रांसपेरेंसी एक्ट लेकर आएंगे। इतनी बड़ी बात राजस्थान में हो रही है। राजस्थान में नये-नये कानून लेकर आ रहे हैं। ऐसे में हम सब यहां बैठकर खुश हो जाएं कि सब बातें ठीक हो रही हैं, मैंने जब यह कहा था आज सुबह, मैं वह बात फिर दोहरा रहा हूं, मैंने सुबह कहा था, हमारे शासन में या इनके शासन में जब भी हमने कालेज और यूनिवर्सिटी के नाम पर, बड़े-बड़े हास्पिटल्स के लिए हमने एक रुपये में जमीन दे दी, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज को एक रुपये में जमीन दे दी, हमने फोकट में दे दी लेकिन जो शर्तें हमने लगाईं वे शर्तें मानने को ये लोग तैयार नहीं हैं। कहीं से तो शुरूआत होगी, कहीं से तो ईमानदारी का रास्ता निकलेगा तब मैंने कहा था कि यह मुद्दा बी जे पी या कांग्रेस का नहीं है; यह लूट, ये जो प्राइवेट हास्पिटल जो जमीन लेकर चाहे बी जे पी के राज में ले गये, चाहे कांग्रेस के राज में ले गये, उनकी एप्रोच बड़ी हो सकती है लेकिन इस सदन में राजस्थान की जनता हम पर भरोसा करती है, यह उम्मीद करती है कि यह सदन कोई भी फैसला करेगा तो मेरा घर लुटना बंद हो जाएगा। राजस्थान में यह जो बंदरबांट चल रही है, वह बंद हो जाएगी जब हम यह फैसला कर लें, सदन के लोग कि अब हम किसी को एक रुपये टोकन में जमीन नहीं देंगे, हम डी एल सी रेट पर जमीन नहीं देंगे, बाजार रेट पर जिसको भी बड़ा हास्पिटल बनाना है उसको जमीन लेनी पड़ेगी। उसके बाद भी यदि सस्ते में ले रहे हैं तो सरकार की शर्तों को मानना पड़ेगा। नहीं तो वह हास्पिटल और कालेज सरकार का हो जाएगा। इस तरह का मन हम जिस दिन बना लेंगे, उस दिन कोई हमारे सामने चुनौती खड़ी नहीं करेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पिछली वार्षिक योजना 27,500 करोड़ रुपये की थी, अब की बार 33,500 करोड़ रुपये की योजना है। उसमें 6000 करोड़ रुपये बढ़ गये। इसमें कोई दो राय नहीं है, 6,000 करोड़ रुपये बढ़ गये। हर योजना में बढ़ते हैं, हर सरकार बढ़ाती है लेकिन इस बार मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह बजट अच्छा है, बजट के कई प्रावधान अच्छे हैं, आपने इस बार कह दिया, मुख्य मंत्रीजी बेरोजगारी भत्ता देंगे। स्नातक को 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, इसमें भी जो अच्छा है, उसको 600 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता देने की बात हमने कही लेकिन हमें इनका रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू करना पड़ेगा। हमारी बात सिर्फ बजट में नहीं

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन में नजर आनी चाहिए। अभी से हम इसका ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें।

हमने कह दिया कि हम नाबार्ड से 800 करोड़ रुपये का लोन लेंगे, ...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हमने भी लागू किया था।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आपने तो जाते-जाते लागू किया था।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तीन साल तक बंद रहा, तीन साल तक। जवाब पूछ सकते हैं आप सरकार से कि तीन साल से यह बेरोजगारी भत्ते की योजना क्यों बंद की?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप एक बात बता दीजिए। मान गया। मेरा टाइम खराब होगा, आप बहुत व्यस्त हैं, यहां बैठे हैं, पूरा राजस्थान हमारे भरोसे है। अच्छा, मैंने आपकी बात सुन ली, क्योंकि आप इतने व्यस्त रहते हैं कि पूरे राजस्थान का कामकाज तो यादव साहब के भरोसे है। तो मैं कह रहा था हमारा काम ...(व्यवधान) इस बजट में कोई कमी नहीं है, ईमानदारी में कोई कमी नहीं है। अभी बिरलाजी कह रहे थे, मैं आज आपको कह रहा हूं कि जितने दम से आप यहां बोले हैं, उतने दम से आप मैडम के सामने बोल जाते पांच साल में, एक बार भी, तो पता नहीं वारों का न्यारा हो जाता। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी, अपन घर में जानते हैं। मैडम का रुतबा, मैडम आंख निकाल दें तो बड़े-बड़ों की हाइट भी नीचे हो जाए खट से। मैं जानता हूं सब। मैडम की आंखों का रूतबा है। (व्यवधान) लेकिन मैं उतना डरा नहीं, जितना ये डरे हैं। (व्यवधान) मैं कोई मैडम से नाराज नहीं हूं, मैं तो मैडम की तारीफ ही कर रहा हूं। मैडम की आंख का रुतबा है सब पर। मैडम जाकर वापस आ गईं आंखों के जोर से ही। बताओ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए?

मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि इस बजट में एक भी वर्ग नहीं बचा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो घोषणाएं हुईं, और इस तरह की घोषणाएं हुईं, जो लागू होते ही नजर आ जाएंगी।

अब आप कर्मचारियों की बात उठा लें। कर्मचारियों के लिए इस सरकार का यह माना जाता था कि कर्मचारी विरोधी है, लेकिन बिना मांगे, बिना मांगे हर बार दिया, हर कुछ दिया। लेकिन मैं हमारी सरकार से निवेदन करूंगा कि हम जिस घोषणा पत्र को लेकर जीतकर आए हैं, मुख्य मंत्रीजी, इस

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सदन की इच्छा है कि हम केन्द्र के बराबर सिक्स्थ पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करें। राजस्थान के कर्मचारियों का अधिकार है। क्योंकि सिक्स पे कमीशन हमारी केन्द्र की सरकार ने दे दिया, ऐसे में हमारी भी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम इनको यह अधिकार दें।

अन्य कर्मचारियों की बात आई, मैं एक बात और कहूंगा कि राजस्थान के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रेरक, विद्यार्थी मित्र, होम गार्ड, ये जितने भी लोग हैं उनका भी अधिकार है। यू पी में एक हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी हो रही है, हम पांच सौ रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो 10 प्रतिशत बढ़ाया है, हमको इनका 50 प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। ये गांवों में बैठी हैं, इनका अधिकार है। होम गार्ड का आदमी तब से लेकर आज तक, आंगनबाड़ी वालों को तो न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमारी ड्यूटी है तो तैयार हैं; अपनों को भी जवाब देना है, इनको भी जवाब देना है। होम गार्ड वाले पूरे राजस्थान में जितने भी हैं उनको भी सरकारी कर्मचारी का अधिकार मिले। वे 12 घण्टे ड्यूटी करते हैं। ये प्रेरक, ये विद्यार्थी मित्र, ये जितने भी इस तरह के कर्मचारी हैं, जब बेरोजगारी भत्ता इतना मिल सकता है, तो कम से कम एक बात हमको तय करनी चाहिए कि हम इस देश के कानून का पालन करें। यह कानून राजस्थान की विधान सभा ने बनाया, हिन्दुस्तान की लोक सभा ने बनाया कि न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम सब नियमों को मानें, न्यूनतम मजदूरी दें तब देश के संविधान का सम्मान होगा, ईमानदारी से तब वह लागू होगा कि जो हमने न्यूनतम मजदूरी लागू की है, वह हम उनको दे रहे हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुईं, बजट का प्रावधान हुआ। ग्रामीणों के लिए मैं एक बात कहूंगा, बीच में सड़क के लिए जो नाबार्ड से हम लोन ले रहे थे, मुख्य मंत्री से मैं कहूंगा, लोन तो बाद में पास होगा, होता रहेगा, हम अभी से टेंडर की प्रक्रिया शुरू करें; अभी से अधिकारियों को निर्देश हो; टेंडर कॉल करें और टेंडर काल करके उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम दें कि आने वाले 5 महीने के अन्दर-अन्दर हमें यह 800 करोड़ रुपये की रोड्स पूरे राजस्थान में चाहिए। जो अधिकारी काम नहीं करे, उस अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखाओ और बताओ कि राजस्थान की सरकार आपको तनख्वाह देती है काम करने के लिए।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आज पहले दवा योजना लोगों के लिए, अब की बार कह दिया कि जितने भी पशुपालक हैं, पशु हैं, गरीब आदमी बकरी पालता है, गाय पालता है, भैंस पालता है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, इतनी बड़ी सोच, उसके बारे में सोचा गया। जब आदमी को दवा फ्री, वह दुआ दे रहा है; जानवर की दवा फ्री, बहुत बड़ा काम आपने हाथ में लिया और कर दिया।

पत्रकारों के लिए मेडिकल पालिसी राशि 2 लाख रुपये और प्रीमियम राशि का 90 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार वहन करेगी। आम नागरिकों के लिए ला एंड-आर्डर को देखते हुए जयपुर, जोधपुर में सब जगह सी सी टी वी कैमरे। जयपुर की बात आई, जयपुर में मेट्रो ट्रेन, घाट की गुणी में टनल। मेट्रो ट्रेन सपने के जैसी लगती है लोगों को लेकिन जब मेट्रो ट्रेन चलेगी, जयपुर में स्थिति बदल जाएगी, जयपुर नक्शे पर नजर आएगा।

कल मेरे साथी, मैं बीच में नहीं बोला, बोल रहे थे, जयपुर 229वें नम्बर पर आ गया। किसने सूची बनाई? किसके पास से लेकर आए? किसने फैसला किया? फैसला चाहे जो करो, पर कहीं तो सच्चाई होनी चाहिए। जयपुर बरबाद हो गया; तीन साल पहले आप ही थे, आप आबाद कर देते। तीन साल में बरबाद हो गया, कैसे बरबाद हो गया? गलती हो गई? मेट्रो बना दी, घाट की गुणी में टनल बन गया, गुर्जर की थड़ी पर अंडर-पास बन गया, सब जगह काम चल रहा है। जब-जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है, उसमें चारों तरफ से खुदा हुआ नजर आता है, रास्ते रोके हुए नजर आते हैं, काम ही काम चल रहा है। एक काम बता दो मुझे। तीन वर्ष पहले एक काम किया था ईमानदारी से, खासाकोठी पर पुलिया बना दी। पुलिया का मुंह इस तरफ कर दिया कि न तो जाने वालों के काम आवे और न आने वालों के काम आवे। ऐसी पुलिया आज तक किसी ने नहीं बनाई कि न तो जाने वालों के काम आवे, और न आने वालों के। वह पुलिया है किसके वास्ते? सिर्फ यही तय किया कि सिर्फ हम आएंगे, कभी-कभी पैदल घूमने के लिए, बाकी किसी को आने नहीं देंगे। इतना बड़ा फैसला। लोग जयपुर वाले देखते हैं तो हंसते हैं। यह पुलिया लाये कैसे? इतना बड़ा दिमाग आपने लगाया।

अगर शोर मचाने के बजाय, फैसला होता तो मैं आज कह रहा हूं, ये सारे के सारे सीनियर बैठे हैं, ईमानदारी से कोई खड़ा होकर कह दे, तीन वर्ष के कामों में एक काम में मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन तथा चिकित्सा सहायता राशि

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

में वृद्धि की, हर वर्ग के बारे में ध्यान, हर वर्ग के बारे में सोच। जब इस बजट के लिए बात हुई, वृद्धों के लिए भी और विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए देव नारायण योजना में पिछली बार 200 करोड़ रुपये दिये और अब की बार 136 करोड़ रुपये का प्रावधान किया; 40 हास्टल, 8 आवासीय विश्वविद्यालय और विद्यालय खोलने का फैसला किया; बजट का प्रावधान किया। शिक्षा में हमने एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोलने, 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की बात कही।

मैं इसमें मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री, आज जैसे नगर निगम के अधिकारियों को मंत्रीजी ने, मुख्य मंत्रीजी ने बुलाकर कहा कि सारे विवाह स्थल खोल दो जयपुर के, एक तारीख से शादियां हैं, नगर निगम ने दुकान समझ ली। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम नगर निगम के मालिक हैं; हम कहते हैं, हम नगर निगम के मालिक हैं। अरे, मालिक तो इस देश का संविधान है, विधान सभा है, लोक सभा है, जिसके अन्दर में ये सब काम करते हैं, मैंने हर बार कहा राजस्थान की सरकार कमजोर नहीं है। नगर निगम में बैठकर बी जे पी या कांग्रेस, हमारे दोनों के सदस्य यह नहीं समझें कि हम चाहेंगे जैसे जयपुर को हिला देंगे। यह राजस्थान की विधान सभा है, विधान सभा की मोरल ड्यूटी है। वह मोरल ड्यूटी हमारी भी है, घनश्यामजी भाई साहब, गुलाबजी भाई साहब, सब की ड्यूटी है, बी जे पी कांग्रेस की भी है। सब लोगों को मिलकर कई मुद्दों पर एक साथ खड़े होकर बैठना पड़ता है। कल जैसे आप एड्स के मामले में सब एक हो गये, एक घंटे के लिए आपने स्थगित कर दिया। आपको लगा एच आई वी, एड्स का मामला है और वास्तव में इतनी बड़ी बात, एच आई वी, एड्स के लिए इतना पैसा आ रहा है...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कल भाटीजी ने जो नुस्खा बताया था, वह आपकी समझ में आया कि नहीं आया?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): वह रघुजी कह रहे हैं कि डाक्टर साहब, आपको जरूरत है इस फार्मूले की। अभी मुझे टाइम लगेगा। (व्यवधान)

तो मैं आज आपको एक बात कह सकता हूं कि जब निगम जैसी बात आए, तब विधान सभा की मोरल ड्यूटी होनी चाहिए कि हम सब कुछ मुद्दों पर एक साथ खड़े होकर फैसला करें कि यह राजस्थान का मुद्दा है, राजस्थान

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

के आम अवाम का मुद्दा है। तब लोगों को लगता है कि हां, ये अन्दर बैठने वाले लोग हैं; बाहर तो पार्टियों के नाम से लड़ते हैं, लेकिन जब अन्दर राजस्थान की बात आती है तो वे एक हो जाते हैं।

शिक्षा के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा, दसवीं से बारहवीं तक की स्कूलों की घोषणा, मुख्य मंत्रीजी, आपसे पूरा राजस्थान उम्मीद करता है और हम यह उम्मीद करते हैं, आप दसवीं से बारहवीं के स्कूलों की घोषणा करेंगे। आपने उप-स्वास्थ्य केन्द्र तो कर दिये लेकिन पी एच सी नहीं की, शायद पी एच सी कम हैं (व्यवधान) 25 पीएचसी की हैं (व्यवधान) सौ पीएचसी और 25 सी एच सी। अब अपनी डिमांड कितनी है सब की? (व्यवधान)

आज यह बात इसलिए उठ रही है क्योंकि यह मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया है, उससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। तो यह ट्रेन छूट नहीं जावे, राजस्थान की जनता को भी लगा कि भाई, मैं साफ बात बताऊं, जब अख़बार में आया कि जादूगर की जादूगरी देखेंगे, तो थोड़ा कुछ अवगुण हम में भी है तो हम 10-15 लोग बैठकर बात कर रहे थे कि काहे कि जादूगरी देखेंगे, देखी जाएगी। जब आया रिजल्ट तो हमने सेल्यूट किया, मान गये अशोक गहलोत को कि बजट तारीफ के काबिल है, कोई संशय नहीं है। अब इस बजट को लागू करवाना हमारी ड्यूटी है। उधर वाले तो मानें कि नहीं मानें आप तो तैयार हो जाना 25-30 लोग। नहीं तैयार हुए तो कल लोग अपने को पूछेंगे, आपको हमने सदन में भेजा था, अशोक गहलोत को जिम्मेदारी मत दो। यदि हम यह कहेंगे कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं तो लोग कहेंगे कि आप भी जिम्मेदार हो, आप भी वहीं बैठे थे, आप कुछ नहीं कर पाये। ऐसे में यह टीम भावना की जरूरत है। कल एक कोई डिसिजन हो, आपको पता है, सेनापति हारता है तो पूरी सेना हारती है और सेनापति जीतता है तो पूरी सेना जीतती है; आज हमारी मोरल ड्यूटी है कि इस बजट को ईमानदारी से लागू करने के लिए चाहे हमें सड़क पर निकलना पड़े, चाहे हमें राजस्थान को नापना पड़े, क्या आज हमारी आवाज धीमी पड़ गई? क्या हम कमजोर हो गये? क्या हम हमारी पावर को भूल गये? क्या हमारी पावर नहीं है? यह हम सब के लिए चुनौती है और मैं यह भरोसा करता हूं, जैसे विपक्ष के लोग यहां पर बैठे हैं, वे लोग भी इस बजट में, यह बजट सिर्फ कांग्रेस का बजट नहीं है, यह बजट राजस्थान का बजट है। अभी घनश्यामजी भाई साहब बोलेंगे, ये भी सिर्फ यह कांग्रेस का बजट है तो कह दें कि यह बजट कांग्रेस का बजट है। यह

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बजट राजस्थान की सरकार का बजट है, यह हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार चुनी हुई सरकार के मुख्य मंत्री ने पेश किया है। बजट में आप कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन बजट को लागू करवाने में जितनी ड्यूटी सत्ता पक्ष की है उतनी ड्यूटी विपक्ष की भी है क्योंकि विधान सभा में यह नियम और कायदों के साथ पारित होता है।

खेल के लिए पहली बार बहुत बड़ा फैसला हुआ। जितनी खिलाड़ियों को सुविधाएं दी गईं, आज तक कभी खिलाड़ियों को इतनी सुविधा नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी दो माननीय सदस्य और बोलेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): राठौड़ हो।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): राठौड़ तो मेरी मां है। कोई बात नहीं, मैं राठौड़ों का बेटा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): शेखावत साहब।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कोई बात नहीं, मेरी मां पर मुझे नाज है, मेरी मां राठौड़ है। मां और बाप दोनों का बराबर अधिकार है इसीलिए मैं खाचरियावास लिखता हूं, क्योंकि मुझे गलतफहमी नहीं है कि मैं सिर्फ शेखावत ही हूं, मेरी मां राठौड़ है।

खेल के लिए सारी योजनाएं, जितना अधिकार हमको मिलना चाहिए था, सब अधिकार दिये। परिवहन में 215 रुपये की अंश पूंजी, 500 करोड़ के बांड जारी करने की छूट, ऊर्जा में 2012-13 में योजना मद के अन्तर्गत 12,726 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। ऊर्जा क्षेत्र में मैं मंत्री महोदय को इतना ही कहना चाहूंगा कि हम थोड़ी सी गली निकाल रहे हैं, ऊर्जा के घाटे को हम कभी शामिल नहीं करते। चाहे राज उनका था तो भी हमने शार्ट कट निकाला और ऊर्जा के घाटे को शामिल नहीं किया। ऊर्जा के घाटे को यदि हम शामिल कर लें तो हमें हमारी औकात का पता चल जाएगा। इसलिए जिस सैक्टर को हम चोर दरवाजे से छोड़ देते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो राजस्थान के सामने इतनी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। आज तो हम इधर-उधर से पैसा लेकर बिजली के नाम पर कर लेते हैं। उनका राज था, आपने भी वही किया, हमारा राज रहा तो हमने भी वही किया। हम बिजली पर सच्चाई लोगों के बीच में लाना ही नहीं चाहते, जबकि वह भी बजट का हिस्सा है। उसमें शायद 46 हजार करोड़ का घाटा है। मैं, मंत्रीजी, आपको

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कहूंगा, आप पढ़े-लिखे हैं, भले आदमी हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन बजट के लिए सरकार की इच्छा लोगों तक नहीं पहुंची।

मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा हमने सब कुछ किया और कुछ काम, कुछ सुझाव माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी पूरे हिन्दुस्तान में जितने भी एमपीज् हैं उनका फण्ड बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया। डायरेक्ट जिम्मेदारी विधायक की है उस विधायक का आप एक करोड़ से तीन करोड़ रुपये का बजट कर दें जिससे राजस्थान के विकास में वो मील का पत्थर साबित हो सके। यदि हमने एक से तीन करोड़ रुपये नहीं किया, क्योंकि बजट इतना अच्छा आया है, ऐसे में हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम उस विधायक को अधिकार दें। उस विधायक को अधिकार देकर हम यह कहें कि जो भी काम हैं, वो काम हों।

अभी जो डीएलसी रेट मुख्य मंत्रीजी ने बढ़ायी, मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा आपने हर सैक्टर को फायदा दिया है, यह जो डी एल सी रेट का मामला है, मुख्य मंत्रीजी, इस डी एल सी रेट के लिए भी आप पुनर्विचार कर लें क्योंकि डीएलसी रेट बढ़ने से मकानों में, अब आप इतना नहीं देते तो वे उम्मीद नहीं करते, अब दे दिया इतना ज्यादा, किसी को ज्यादा मिल जाय तो कहता है, यह भी दे दो, यह भी दे दो। अब लोगों के जल्दी हो रही है, लोगों ने हमें कहा कि यह डी एल सी रेट का मामला है, सब कुछ बढ़िया कर दिया, वह भी कर दो। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बढ़िया बजट आएगा। अच्छा हुआ, इतनी टीम भावना से इतना बढ़िया बजट लेकर आये। उस बजट के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद दूंगा और मैं भरोसा करता हूं कि हमने जितने सुझाव दिये हैं, उन सुझावों को मुख्य मंत्रीजी बड़े दिल के साथ स्वीकार करेंगे। स्वीकार करके यहां जितने भी विधायक हैं, कई बार विधायकों से, मुख्य मंत्रीजी बड़े लीडर हैं, उनके मन में यह भावना आ जाती है कि ये एम एल ए हैं, इनके पास एक ही काम मांगने का है। सबसे ज्यादा जवाबदेही राजस्थान में जनता के प्रति किसी की है तो विधायक की है। अब वह विधायक गरीब है। उसकी हालत यह है कि वह कांस्टेबल हटा नहीं सकता। उसके पास कोई साइनिंग अथोरिटी नहीं है। उसकी किसी सिपाही से माथाफोड़ी हो जाय, कोई तेज विधायक हो वह तो काम करा ले, बाकी किसी का नम्बर आता नहीं। उसकी हालत पतली है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

ऐसे में मैं कहूंगा, आज तक किसी ने यह बात नहीं कही, आप यह दो -चार अधिकारियों का यह सिस्टम कम कर दो लेकिन जिस तरह से इस देश में पी एम, सी एम और डी एम को पावर दे रखी है, जिस दिन आप विधायकों को अधिकार दे दोगे, पूरे देश में सुशासन खड़ा हो जाएगा, इलाज हो जाएगा यह मैं आज कह रहा हूं। जो चुना हुआ प्रतिनिधि आता है उसको आप जब तक अधिकार नहीं दोगे, विधायक को पूरे अधिकार मिले। होता क्या है, विधायक मिलकर एक मुख्य मंत्री चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, कोई राज आ जाओ, मुख्य मंत्री कोई बन जाओ, यह तय बात है। वह यह चाहता है, मैं चाहूं जैसा करूं और मंत्री बन जाता है वह चाहता है मैं चाहूं जैसा करूं। मैं आप लोगों से

(15.56 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी भी आ गये, अच्छी बात है। विधायकों के अधिकारों की बात हो रही थी...(व्यवधान)

मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्रीजी, सारा सदन यह चाहता है कि विधायकों का जो एक करोड़ का फंड है, आपने पूरे राजस्थान को इतना दिया है, उम्मीद से ज्यादा दे दिया तो विधायकों की भी उम्मीद बढ़ गयी, जिससे वे काम करवा सकें और एक करोड़ से तीन करोड़ कर दो। जैसा बजट आप लेकर आये, मैं सही कह रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सैल्यूट किया था, सैल्यूट का कारण था, हमको भी, मुख्य मंत्रीजी इतने बढ़िया बजट की उम्मीद नहीं थी, जितना बढ़िया बजट आप लेकर आये हो। यह ऐतिहासिक बजट है, आपका काम याद रहेगा, आपका नाम याद रहेगा और यह बजट राजस्थान में इतिहास बनाएगा। राजस्थान की जनता, राजस्थान की आम अवाम हमेशा इसको सेल्यूट करेगी और यह राजस्थान को आगे ले जाने वाला बजट साबित होगा, हम सब इस पर आगे बढ़ेंगे, राजस्थान आगे बढ़ेगा और हर घर में खुशहाली आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: 3 करोड़ की बात पर मुख्य मंत्रीजी ने भी ताली बजाकर स्वीकार किया है कि होना तो चाहिए, लेकिन प्रदेश के आर्थिक संसाधन के आधार पर निर्भर करेगा।

श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरा निवेदन है। यह सदन इस बजट सत्र में बहुत स्वस्थ परम्परा से चल रहा है। हम आपको आश्वस्त करते हैं, हमने पहले भी किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जब भी बोलीं, हमारी तरफ से कोई व्यवधान नहीं हुआ। हमने पिछले तीन-चार बार लगातार यह देखा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी या सदन के नेता जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तब भी टोकाटाकी का माहौल इस सदन में रहा, जबकि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आज मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सदन बहुत अच्छा चला है, हम भी आपकी बात सुनें और आप भी सदन के नेता की बात सुनें, यह मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, कृपया विराज जाएं। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: वह आसन का अधिकार है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप कृपया विराज जाएं। मुझे विवश होकर आपका नाम पुकारना पड़ेगा, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप व्यवधान पैदा न करें। कृपया व्यवधान पैदा न करें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

(16.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से आज मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को, सारे सदन को आज जो राजस्थान का 63वां स्थापना दिवस है, उसकी मेरी ओर से बहुत-बहुत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सचेतक महोदय, आज 63वां है इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 36वां होता तब तो दिक्कत होती। 36 का आंकड़ा ठीक नहीं है, 63 का हमेशा ठीक होता है। आज राजस्थान की स्थापना का 63वां दिवस है इसलिए आपकी शंका निर्मूल है, आप कोई शंका नहीं करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): वैसे भी 6 और 3, 9 होते हैं और शुभ अंक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): शुभ है, इसीलिए तो कह रहा हूं। इसलिए सुनेंगे भी और सुनायेंगे भी। हम आपकी सुनें, बहुत सुनें, पूरा भाषण 2 घंटे 40 मिनट तक सुना है और अब भी सुनेंगे और सुनायेंगे भी, दोनों ही काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्थापना का दिवस है। उसको याद करते हुए हम यह भी याद करते हैं कि हम इस सदन में जो बैठे हैं और राजस्थान स्थापना का दिवस मना रहे हैं, इसमें बहुत लोगों का त्याग रहा है, बलिदान रहा है और उनके कारण से आज हम सब इस स्टेज पर आकर बैठे हैं। उन लोगों को हमको निश्चित रूप से याद भी करना चाहिए और उन लोगों के बताये हुए मार्ग पर भी चलना चाहिए। राजस्थान को 63 वर्ष हो गये लेकिन राजस्थान का इतिहास बहुत पुराना है। मैं धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक कलेंडर छापा, वह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपसे मांगकर लिया था। वह बहुत बढ़िया था जिसमें राजस्थान की पूरी गौरव गाथा लिखी है। मैं समझता हूं कि उस गौरव गाथा को हम स्मरण करें और राजस्थान की बातों को याद रखकर काम करें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपकी भी स्थिति मैं समझ रहा हूं। आपने बजट पेश किया, आपका और मैथ्यू साहब का एक बहुत बड़ा कार्टून छपा। आप दिमाग से तो बहुत मजबूत हैं लेकिन शारीरिक दृष्टि से देखने में कमजोर लगते हैं। कार्टून वाले ने आपके सिर पर एक टोकरी रख दी, एक टोकरी चीफ सेक्रेटरी साहब के सिर पर रख दी और रुपये ही रुपये उसमें भर दिये। आप इतने रुपये, कितने बोझ को लेकर राजस्थान में आये और फिर यह बजट प्रस्तुत किया। इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप पर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप कांग्रेस पार्टी के एकदम सबसे बड़े रक्षक हैं। चारों तरफ कांग्रेस पार्टी घिर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रही है और एक मात्र आप ही दीप ऐसे हैं जो कांग्रेस को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए आपने उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया होता तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होता।

अभी यह हमारा बजट लेट आया। अध्यक्ष महोदय, यह बजट लेट इसलिए आया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव थे और 5 राज्यों के चुनाव के कारण से चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया जिसके कारण से भारत सरकार का बजट लेट हुआ और भारत सरकार के कारण से आपका बजट लेट हुआ। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आये, वे कांग्रेस के लिए चिंताजनक आये। अब आगे जो चुनाव वाले राज्य हैं और जो दिल्ली की सरकार की स्थिति हो रही है, उस स्थिति के भय से यह जो आपका बजट है जिसकी बड़ी तारीफ की गई है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, यहां तक आ गया कि इस बजट के आते ही बी जे पी वालों की तो बोलती ही बंद हो गई। हमारे एक माननीय सदस्य ने तो कहा कि सारे राजस्थान में होली के बजाय दिवाली ही मन गई। इतनी बड़ी तारीफ आपकी हुई। कई माननीय सदस्यों को तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा; उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके यहां इतने काम कर दिये कि डेढ़ साल अब उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वे तो जीते हुए हैं। इतना बड़ा काम आपने माननीय सदस्यों के लिए कर दिया, वह भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अगर आप बजट प्रस्तुत करते समय थोड़ा सा काम और कर लेते कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हो रही है, उसमें हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं और कहां तक हमको प्राप्त हुए हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो प्रारम्भ हो रही है, जो आप बहुत बड़ी बनाकर ला रहे हैं, उस योजना में हम राजस्थान के लिए क्या करना चाह रहे हैं । इस सदन में, इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह पता लगता कि पानी की जो हमारे राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है, उसको हल करने में हम कहां तक सफल हुए हैं और आगे हम उसको कितना करेंगे। शिक्षा के बारे में जब हम नीचे आ रहे हैं तो उसके बारे में 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या काम पूरा कर लिया और 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम क्या काम करेंगे, ये सारी बातें भी अगर आप लेकर के आते और सदन को अवगत कराते तो मैं समझता हूं कि बजट का महत्व बढ़ता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये बजट आने लगे हैं, यह लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं....(व्यवधान) पायदान पर तो मैं आऊंगा अभी।

श्री अध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले राज्य क्या काम करता था, राज्य काम करता था सुरक्षा का, न्याय व्यवस्था का और केन्द्र की सरकार हो तो बाहरी सुरक्षा का। इसके बाद राज्य का काम बढ़ता गया। शिक्षा आई, स्वास्थ्य आया, आवास आया, आधारभूत ढांचा आ गया, सामाजिक न्याय आया, फिर आर्थिक सुधार आया और इस कारण से राज्यों का बजट बनाने का तरीका, राज्यों की बजट की स्थिति और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब बजट में प्रश्न आता है कि पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपके बजट में होता है। सरकार जब बजट बनाती है तो तीन बातें देखती है। एक तो देखती है वित्तीय कुशलता, कि आपकी वित्तीय कुशलता क्या है। एक देखती है कि सरकार की विचाराधारा क्या है और एक देखती है कि सरकार का विवेक क्या है। इन तीन बातों को अगर बजट की कसौटी पर कसें तो हमको पता लगेगा कि बजट है क्या। बजट में सरकार की वित्तीय कुशलता के बारे में तो आपने दो बातें कही हैं, जिन पर मैं बाद में आऊंगा, एक तो हमारा नान-टैक्स रेवेन्यू 54 प्रतिशत बढ़ गया, एक तो वह आपने कर लिया और एक आपने 398 करोड़ का सरप्लस कर लिया। यह तो आपने दो बजट की विशेषताएं बताईं। अब विचाराधारा, एक तो पूंजीवादी होती है, एक समाजवादी होती है, एक साम्यवादी होती है, एक धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षतावादी होती है, मजहबी होती है। आपकी सबसे अलग गांधीवादी विचारधारा है और उसके आधार पर आपने काम किया है। इन तीनों बातों पर हम बजट को परखने की कोशिश करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, सबसे पहले तो मैं बजट पर कहना चाहूंगा कि आपने यह बजट भय के कारण से पेश किया। आपके दिमाग पर भय है कि दिल्ली की सरकार डगमगा रही है। आपको इस बात की जानकारी है कि भारत में इतनी कमजोर सरकार है कि रेल मंत्री जो सुबह बजट प्रस्तुत करता है, कोलकत्ता से फोन आता है, आप अड़ जाते हो लेकिन दूसरे दिन सुबह पहले ममता के कहने पर आपको रेल मंत्री को हटाना पड़ता है, सारे का सारा बढ़ा हुआ किराया वापस लेना पड़ता है। आपको पता है इस बात का कि लंका के खिलाफ भारत वोट नहीं देना चाहता था लेकिन एक टेलीफोन से कि डी एम के आपका समर्थन वापस लेगी, आपने लंका के खिलाफ वोट दिया। आपको पता है कि भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि सेना का जनरल और सरकार आमने-सामने खड़े हो जाएं और हमारे एंटनी साहब को यह कहना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पड़े कि मैं जनरल के खून से हाथ नहीं धोना चाहता। ऐसी परिस्थितियों में चलती हुई डगमग सरकार है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वह सरकार कभी भी जा सकती है और जब वह सरकार जाएगी न, तो आपकी यह जुगाड़ से बनी हुई सरकार दायजे में साथ जाएगी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यह भय आपके मन में इस बजट को बनाते समय था क्योंकि इस बजट को बनाते समय आपने इसमें आगामी शब्द का बहुत प्रयोग किया है। मैंने पूरा पढ़ा है, आगामी, आगामी, आगामी है। बजट पेश करते हैं तो अप्रैल के बाद आगामी ही आता है लेकिन आगामी एक वर्ष के लिए है तब तो ठीक है पर इसमें आपने 125 बार तो आगामी का प्रयोग किया है और 18 बार आगामी वर्षों, आगामी वर्षों का किया है। यह 'अ' के 'आ' की मात्रा लगते ही काम बहुत गड़बड़ हो जाता है। 'अ, 'आ', यह आ की मात्रा है न, यह कई बार तो आकर्षण पैदा कर देती है जैसे बीना जी के प्रति हमारा आकर्षण है। 'अ', 'आ', एक 'आ' का होता है गमन और आगमन और 'आ' अंत तक भी जाता है जैसे आजीवन। तो आगामी वर्षों का विश्लेषण इसमें कहीं नहीं है। क्या समझेंगे? व्याकरण को जानने वाले तो यह समझते हैं कि आगामी वर्षों, इसका मतलब और आपने यह तय कर ही लिया कि सरकार तो आपकी ही आएगी क्योंकि आपने घोषणा कर दी यहां पर। इतना बढ़िया बजट पेश कर दिया, हमारी बोली बंद हो गई और आपने तो घोषणा ही कर दी कि सरकार आपकी आयेगी तो फिर यह बजट आपने एक साल का ही क्यों किया? 10 साल का ही पेश कर देते ताकि और तालियां बज जातीं। आपने तय ही कर लिया कि आप ही आने वाले हैं तो फिर पांच और दो, सात साल का ही कर देते पर आपने इसको आगामी करके इसका बहुत बढ़िया काम किया है।

इसके ऊपर मैं आ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। आपने सबसे पहले घोषणा की, अपनी मनमर्जी से कर ली; हमको भी कहा, मैं भी खड़ा हुआ... (व्यवधान) आपने सबसे पहले यहां सारी घोषणाएं कर दीं और लास्ट में घोषणा की कि राजस्थान में विधायी कार्यों को और शक्ति प्रदान करने के लिए दूसरे सदन की आवश्यकता महसूस की जा रही है और मैं विधान परिषद के गठन की घोषणा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको एतराज है क्या इसमें? एतराज तो नहीं है ना?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बता रहा हूं ना। आप थोड़ा थ्यावस राखो।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो यह काम आपने अकेले कैसे तय कर लिया? और हमको कह रहे हो कि ताली बजाओ, अब तो ताली बजाओ और यहां पर सब लोगों ने ताली बजा दी। उन्होंने देख लिया कि जब चुनाव हार जायेंगे तो हार जायेंगे, विधान परिषद में तो आ ही जायेंगे। यह काम आसान नहीं है। मुख्य मंत्रीजी, सबसे पहले आपकी जो घोषणा है ना, उसके लिए आप आर्टिकल 168 पढ़ लीजिये। आपके हाथ में नहीं है बनाना, आपके हाथ में यहां प्रस्ताव पास कराना भी नहीं है। आर्टिकल 168 में साफ-साफ है कि राजस्थान की विधान सभा में प्रस्ताव पास होगा, दो तिहाई मेजोरिटी से उसको पारित किया जायेगा। आपके पास है क्या दो-तिहाई मेजोरिटी? यह घोषणा अगर आप हमसे पूछकर भी करते, आपने आर्टिकल 168 में घोषणा कर दी...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को उप-नेता कहूं, उप-नेता भारतीय जनता पार्टी के, अब ये पलटा खा रहे हैं। उस दिन तो जोश-जोश में आप खड़े होकर कह रहे थे कि मुखबंद ले आओ, अभी डिक्लेयर कर दो, सब कुछ कर दो, बड़ा जोश दिखा रहे थे आप। अब जो आप बातें बता रहे हो, वह पूरे सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी है मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप लोगों का सहयोग चाहिए। वह मैंने क्यों कहा था कि दो-तिहाई का बहुमत नहीं है। वरना मैं बात ही क्यों करता। इसलिए आप यह समझाने की कोशिश मत करो। आपकी मंशा, दिल में क्या है, वह बताओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं पलटा नहीं खा रहा हूं, मैं आपको पक्का कर रहा हूं क्योंकि आप कच्चे हो इस मामले में। मैं पलटा नहीं खा रहा हूं (व्यवधान) मैंने कहा था कि मुखबंद से आज ही पारित करा लो। हां, कहा था, मैं उसी पर आ रहा हूं ना। तो आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बिना आपका यह काम नहीं होगा। यहां नहीं, दिल्ली में भी नहीं होगा। यहां हम पास कर देंगे, दो तिहाई से ही नहीं, एकदम पूर्ण बहुमत से कर देंगे तो फिर आपको लोक सभा में और राज्य सभा में पास कराना पड़ेगा और वहां भी हमारे बिना नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कहीं भी नहीं होना। 25 वर्ष में कहीं हुआ ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने यह घोषणा की और यह होने के बाद, मान लो, आपकी इतनी जोर से चलती

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीत जाती तो मामला खराब था, परन्तु उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हार गई इसलिए मुख्य मंत्रीजी का पाया दिल्ली में पक्का हो गया तो आपकी चलती है और आपकी चलती नहीं, आपकी तो पक्की है, लेकिन बाकी की तो कच्ची है। आप या तो होंगे मुख्य मंत्री, और मुख्य मंत्री नहीं रहे तो कांग्रेस के महामंत्री तो आपका तो काम पक्का है दिल्ली में। तो आपने यह 168 का काम किया, फिर उसके बाद वहां जायेगी। वहां आप अकेले पारित नहीं करा सकते। वहां 10 साल से तमिलनाडु की और मध्य प्रदेश की पड़ी हैं, भारत सरकार ने प्रस्ताव पास नहीं किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सब इनको पता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...तो विधान परिषद का वहां से पारित होना, इतनी बड़ी तालियां बजाना और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अब यही आपका सबसे पहला टैस्ट है। आप इसी सदन में लेकर आइये, हम पास करते हैं लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इस सदन में हमने रिजर्वेशन का जो बिल पास किया था, उसको नाइन्थ शिड्यूल में डालने का हमने यहां प्रस्ताव पास किया था। वह प्रस्ताव आपके कहने के बाद भी, पत्र लिखने के बाद में भी भारत सरकार ने पारित नहीं किया। आप तो लेकर गये थे कि हमारा राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, हमारा मरु प्रदेश है, इस प्रकार से हमको विशेष पैकेज मिलना चाहिए। आपको नहीं मिला पैकेज। इसलिए आप अपने बारे में तो मजबूत हो, लेकिन राजस्थान के बारे में जब तक नहीं होंगे, तब तक काम नहीं होगा।

इस बजट से क्या रिलीफ मिली? इस बजट से पहले आप भारत सरकार का बजट देखते। इस बजट पर सम्पूर्ण राजस्थान, माननीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के बजट की छाया में जी रहे हैं हम लोग। 10 से 12 प्रतिशत सर्विस टैक्स उन्होंने बढ़ाया और हर सर्विसेज का पूरा दायरा उन्होंने बढ़ा दिया। उस दायरे में इतने लोग पिस रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी, उन्होंने तय कर रखा है कि आपने तो सेवा कर बढ़ाया है, चुनाव आने दीजिये, आपके सेवा करके सेवा कर का परिणाम बता देंगे आपको। यह आपने बढ़ाया है, एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ा दी और जयपुर का तो सत्यानाश कर दिया राजस्थान में। 15 दिन से बंद हैं सोने और जवाहरात के काम करने वाले व्यापारी। आपकी इतनी दिल्ली में चलती है तो दो बात उनके लिए भी कह देते। सारे राजस्थान का व्यापार आज समाप्त होने जा रहा है। सारा का सारा काम बंद पड़ा है, सारा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जयपुर बंद पड़ा है। यह केवल जौहरियों का काम नहीं है। गरीब आदमी, ये घिसावट करने वाले लोग, उसको घिसने वाले, छोटे-छोटे हजारों लोग काम करते हैं, उस सारे काम को तमाम कर दिया। मैं अपेक्षा करूंगा आपसे कि आप अपने बजट पर अभी जवाब देते समय हमको बतायेंगे कि इसमे आप क्या करना चाहते हैं।

केन्द्रीय बजट में राजस्थान को क्या मिला? सोना, जैम स्टोन पर, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता की बात करके मात्र 3,000 करोड़ रुपये दिये। हमारी रिफाइनरी के लिए आप बार-बार कहते हो कि हमने समझौता कर लिया, हमने सहमति पत्र दे दिया। क्या हुआ उस सहमति पत्र का? रिफाइनरी का क्या किया? पेयजल के लिए विशेष पैकेज मांग रहे थे, उस विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिजली कम्पनियों पर तो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। इस बजट में सबसे बड़ी बेईमानी बिजली कम्पनियों के लिए है, वह मैं आपको बताऊंगा और केन्द्रीय मंत्रियों ने भी हमारे लिये क्या काम किया है, वह बताऊंगा। विधान परिषद का जो दिवा-स्वप्न आपने दिखाया लेकिन उसमें एक बात आपने कही कि विधायी शक्ति मजबूत हो, उसके लिए आप दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज आप आये हो ना, सदन में रौनक है। आप आते हो तो रौनक आती है, आप चले जाते हो तो रौनक चली जाती है। अगर आप ज्यादा देर यहां बैठे रहो तो हमको भी थोड़ा आनन्द आ जाये, लोगों को भी आ जाये, आपको तकलीफ क्या है? लेकिन आप तो, माननीय मुख्य मंत्रीजी, ज्योंही प्रश्न काल होता है ना, आप तो ऐसे निकलते हैं कि जैसे कोई आपको पकड़ नहीं ले। विधान सभा में मैंने सबसे कम बैठते हुए मुख्य मंत्रियों में आपको देखा है। प्रतिपक्ष में आप रहे तो भी आप विधान सभा में नहीं बोले। इसी का परिणाम रहा कि राजस्थान की विधान सभा में, अध्यक्ष महोदय, 47 बिल आपने बिना बहस के पारित कराये हैं और विधान सभा को विधान सभा की बजाय बजट सभा आपने बनाकर रख दिया। हम नहीं चाहते कि बिल हंगामे में पारित हों। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपके प्रस्ताव पर सहमति दी थी कि एक कमेटी बना लीजिये और कमेटी बनाकर तय करिये कि यह काम करना है, यह नहीं करना है। बहुत से राज्यों में बन चुकी हैं। इस विधान सभा का महत्व बढ़े, इसकी गरिमा बढ़े, इसकी सीटिंग बढ़े, इसमें बोलने-चालने की बात का सुधार हो। हमने कल किया। हमारे माननीय सदस्य से गलती हो गई, खड़े होकर हमने क्षमा मांग ली। इसमें कौनसी बात है? छोटी-छोटी बात पर विधान सभा में बन्द कर देना, स्थगित

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर देना, दोनों पार्टियां मिलकर तय कर लीजिये कि विधायी शक्तियों को मजबूत करने की आपकी इच्छा हो तो मैं आपको कहता हूं कि यह काम कर लीजिये।

कई बार आप मुझसे नाराज भी हुए हैं। पिछली बार आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे। मुख्य मंत्रीजी, मुझे दुःख है कि आपको इतना कष्ट पहुंचा, आप मेरे से नाराज हो गये। अब मैं आपकी उस नाराजगी को दूर करना चाहता हूं। आपके बजट भाषण के बारे में बहुत कुछ कहा। आपने मेरे बारे में एक बात कही, तिवाड़ीजी, मैं शुक्रवार दो मार्च को, उसका पी एच डी मेम्बर, जो आप किताब का नाम ले रहे हो, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स है, वह है पी एच डी, तो आपने चुराये हैं आंकड़े। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़ों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करें। उन्होंने खुद ने कहा है। मैंने आपको कहा है कि भई, यह पी एच डी है, वह सर्वे करती है और उसके आंकड़े हैं और मैंने वे आंकड़े दिये हैं। वह किताब दिखाई है, आरोप नहीं लगाये हैं। आपने कहा, पी एच डी का मतलब है पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स। मैं जानता हूं कि आप दो बार मुख्य मंत्री रहे हो, यहां पर एक बार गृह मंत्री रहे, भारत सरकार में भी आप मंत्री रहे। हमउम्र लोगों में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं हमारे में से। सारे आप रह लिये। आप तो पी एच डी का मतलब पंजाब हरियाणा दिल्ली नहीं बता सकते। कोई न कोई आपके पास पर्ची आई होगी और पर्ची से आपने कह दिया, पी एच डी, पंजाब हरियाणा दिल्ली। अब जिस आदमी ने भी आपको पर्ची भेजी, उसको इतना पता नहीं है कि पी एच डी की स्थापना हुई सन् 1905 में, उस समय न हरियाणा था अलग, न दिल्ली अलग थी, न दिल्ली अलग राज्य था।

श्री अध्यक्ष: यह आप वाली पी एच डी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां मेरे वाली पी एच डी है। इसका नाम है प्रोग्रेस हार्मनी एंड डवलपमेंट और आपने इसको बना दिया पीएचडी। अब मैं उस समय तो बैठा रहा कि इतने बड़े आदमी ने कोई बात कही है, मैं उसका खंडन करूंगा तो शोभा नहीं देगा मुझे। मैं चाहूंगा कि जिसने भी आपको यह पर्ची भेजी, उसकी तबीयत तो आप ठीक करोगे। (व्यवधान) मुझे पता था, वह किताब भी मेरे पास थी। (व्यवधान) चलो, मैं ढूंढ लाया अब। चलो, अब ले आया। वह मेरे पास तब भी थी और आज भी है। फिर मैं, मैंने और ढूंढा उसका कि पी एच डी का फुल फार्म क्या-क्या हो सकता है। उसमें है, पेशेंटली होपिंग फोर ए डिग्री; फिजियोलोजिकली डेफिशिएंट; फिलोसोफिकली डिस्टर्ब्ड।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रोबेबली हैडेड फोर डाइवोर्स; प्रोबेबली हैवीली इन डैट, जो अपनी सरकार है ... (व्यवधान) यही अपनी राजस्थान सरकार, और परमानेंट हैड डैमेज, जिसका परमानेंट हैड डैमेज हो गया, वह भी पी एच डी का यह मतलब है और अंत में है प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर, यह पी एच डी का मतलब है।

श्री अध्यक्ष: यह कौनसी डिक्शनरी से लाये हैं आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात यह है कि अगर यह संस्कृत में होता तो इसके एक हजार शब्द बनते, अगर यह हिन्दी में होता तो इसके सौ बनते और अंग्रेजी क्योंकि ग्रामर के हिसाब से गरीब भाषा है। इसलिए इसमें पचास ही बने हैं, यह पचास मेरे पास हैं, ज्यादा मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता लेकिन मैं गंभीरता से यह कहना चाहता हूं कि जिस भी अधिकारी ने आपको यह बताया है, बहुत गलत बताया। पी एच डी में साफ लिखा है- ''Geographical span over the 11 States of Chhatisgarh, Bihar, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Union Territory of Delhi. Apart from its headquarter in New Delhi, the Chamber has regional offices in Jammu, Shimla, Chandigarh, Lucknow, Jaipur and Bhopal.''

फिर आपने एक बात और कह दी कि यह तो आप चोर कर लाये हो। उसने खुद ने लिखा है कि मेरे आंकड़ों पर विश्वास न करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह भी उस अधिकारी ने आपको गलत बताया। यह डिस्क्लेमर होता है। जो भी नेट पर सारी बात आती है, हमारी जो राजस्थान सरकार की वेबसाइट है या हमारी विधान सभा की वेबसाइट है, उसमें भी लिखा है कि जो यह काम कर रहे हैं आप इसको अगर किसी काम में लोगे तो आप जिम्मेदार होंगे, कानूनी रूप से हम जिम्मेदार नहीं हैं। यह उन्होंने भी लिख रखा है। आपका जो बजट भाषण है विधान सभा में, वह भी गया है नेट पर। उसमें भी यह लिखा हुआ है कि हमारा भाषण है। अब आपको किसी ने बता दिया...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो इसका जवाब दो, आपने जोर-शोर से हाउस में बार-बार कहा कि ये मेरे नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। वह बात बतायें आप तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने यह बात क्यों कही? आप असत्य क्यों बोलें?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): असत्य नहीं बोला। अब आपको मेरी इस बात का विश्वास नहीं इसका मतलब है आपने फिर कर दिया उसको। इसलिए आपने पी एच डी असत्य बोला क्या? मैंने गलत बात कह दी इसलिए आपने गलत बात कही? (व्यवधान) चलो ठीक है; हां, ठीक है। सरकारी आंकड़ों की मैंने उस समय बात की थी, मैंने कहा था उस समय, जो दस आंकड़े मैंने दिये थे उस समय, वे आंकड़े अब भारत सरकार ने दिये हैं। अब तो मानेंगे आप? अगर भारत सरकार के भी नहीं मानें तो आपकी मरजी है।

अब मैं भारत सरकार, पहले यू एन डी पी का दे देता हूं। यू एन डी पी ने कहा है कि राजस्थान 65 लाख 22 हजार 264 बेरोजगारों के साथ हिन्दुस्तान के एक नम्बर के राज्यों में है, सबसे ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में है, यह हमारे तीन साल के सबसे बढ़िया बजटों के प्रस्तुत करने के काम का सबसे बड़ा फल है। यह है, एक। दूसरा उन्होंने आंकड़ा दिया है, यू एन डी पी महात्मा गांधी नरेगा के आधार पर यह कहा है कि राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग के काम नरेगा में सबसे कम हुए हैं, 2 लाख 22 हजार से भी ज्यादा गुजरात में और मात्र 10 हजार राजस्थान में हुए हैं, एक।

दूसरा, फिर अभी जो यूनियन बजट एंड इकोनोमिक सर्वे, यह हमारे माननीय प्रणव मुखर्जी ने यूनियन बजट एंड इकोनोमिक सर्वे पेश किया है उसका आंकड़ा मैं आपको देता हूं। अब इसमें भी अगर कोई आपके पास यह लिखकर आ जाय कि उत्तर प्रदेश, बिहार एंड इस्टर्न स्टेटस, जैसे पी एच डी को पंजाब-हरियाणा-दिल्ली किया, कोई पर्ची आपके पास आ जाय कि यूनियन बजट एंड इकोनोमिक सर्वे का अर्थ है यू.पी., बिहार और इस्टर्न स्टेट्स; यह नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब है कि इकोनोमिक सर्वे, बजट के पहले जो प्रणब मुखर्जी ने पेश किया, उस सर्वे में जो हमारी स्थिति है वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान पेयजल में, जो भारत सरकार ने आंकड़े दिये हैं, अब वह रिपोर्ट मेरे पास है, अभी साथ लेकर आया हूं ताकि आप यह नहीं कह सको, उसमें कहा है कि जो पैसा भारत सरकार ने राजस्थान को दिया है, जो लक्ष्य राजस्थान को दिया, पेयजल में सिर्फ आपने पचास परसेंट पूरा किया और हिन्दुस्तान के सबसे कम पूरा करने वाले राज्यों की श्रेणी में आप आये। पानी के बिना जयपुर में तरस रहे हैं। आपके तो पानी की मौज हो गई है। वह चिड़ियामार बाबा, किसका शाप था, उससे तो आपने मुक्त कर लिया जोधपुर को। आपके तो अब तहखानों में पानी आने लग गया, सीधा रावी, व्यास, सतलज का पानी आ गया। यहां जो ढूंढाड़ में हम लोग रहते हैं, पानी सूख गया हमारा। तो यह पैसा आपको मिला

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

था तो राजस्थान, जयपुर में ही लगा देते। लक्ष्य पूरे नहीं किये। मैं चाहता हूं, आप इसका जवाब दें, पैसा मिले हुए का काम जिन लोगों ने नहीं लिया, वह किसकी जिम्मेदारी है। यह माननीय प्रणब मुखर्जी ने कहा है।

ह्यूमन डवलपमेंट घटक में राजस्थान सत्तरहवें स्थान से, तीन साल पहले सत्तरहवें स्थान पर था, अब वहां से फिसल कर चौदहवें स्थान पर आ गया। उसकी जिम्मेदारी किसकी? (व्यवधान) चौदहवें पर था और सत्तरहवें पर चला गया। आय सूचकांक में हम राष्ट्रीय औसत से कम चले गये। शिक्षा सूचकांक में जो हम बराबर आ गये थे राष्ट्रीय औसत के, पूछिये आपके चीफ सेक्रेटरी साहब से, हम उससे कम चले गये। जो मैंने बात कही थी वह बात अब प्रणब मुखर्जी ने कही है। वह पी एच डी के नाम से आपने उसको मेरा मजाक उड़ाया, अब मैं कह रहा हूं, आप बता दें, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा जो पेश की गई है दिल्ली में, उसमें कहा है कि राजस्थान की जी एस डी पी 4.30 प्रतिशत है और नीचे वाले कर्नाटक, राजस्थान और झारखण्ड तीन राज्यों में है, बाकी सबसे कम राजस्थान में है। यह भारत सरकार के उसने कहा है।

आपने तीन वर्षों में सारी दुनिया, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं और सात समंदर बांधूं। एक झाड़ा दे रहा था आदमी। एक आदमी के पास कोई झाड़ा दिलाने आता था; जादू जानता था वह, तो एक आदमी झाड़ा दिलाने के लिए आ गया। झाड़ा देने वाले के घर की झोंपड़ी टूटी हुई थी तो झाड़ा देने वाला बोला, बैठ, झाड़ा देता हूं, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, सात समंदर बांधूं, उसकी औरत ने हाथ पकड़ लिया, राम्यारा, इसको बांधना छोड़, पहले झोंपड़ी तो बांध; यह सारे घर के जो भीग रहे हैं पानी के अन्दर। तो काहे के आकाश, पाताल बांध रहे हैं? बिजली चमक गई, हमारे चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा बिजली चमक गई, दीवाली मन गई है। राजस्थान तो यह 4.31 तो आ गया, यही बिजली चमकी है क्या? काहे में बिजली चमक गई? इन आंकड़ों का मैं चाहूंगा आपका खंडन करिये।

फिर बजट घोषणाओं के बारे में फिसड्डी सरकार है यह, फिसड्डी। आपकी 46 प्रतिशत बजट घोषणाएं ही क्रियान्वित हुईं, ओनली फोर्टी सिक्स परसेंट। यह प्रेक्टिकल काम है, आपको पता है कि मैं शिक्षा मंत्री भी रहा हूं। थोड़ा पढ़-लिख लिया मैं भी पर पढ़ा हूं सरकारी स्कूल में, इसलिए कोई अंग्रेजी की थोड़ी-बहुत गलती हो सकती है। पास मार्क्स, प्रैक्टिकल में पचास प्रतिशत पर पास होती है सरकार, प्रैक्टिकल में और बजट घोषणाओं की क्रियान्विति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रैक्टिकल होती है, तो आपको 46 परसेंट। तो पास मार्क्स ही नहीं मिले, फेल, फिसड्डी। क्या खाकर जोरामरदी तालियां बजा रहे थे? सौ बार, शतक बना दिया ताली बजाने में। और बोलती बंद हो गई। ताली बजा रहे हैं, भई, सुन तो लो हमारी, मजबूरी थी।

बजट में 264 घोषणाएं कीं, 121 की पालना हुई। भर्तियां आप लो। अब आपने पिछले बजट में घोषणा की थी भर्तियों की, 41 हजार शिक्षकों की भर्ती, 250 ग्रामीण में प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता एवं शुद्ध के लिए युद्ध के लिए स्थायी प्रयोगशाला। हर प्रबुद्ध जानता है कि शुद्ध के लिए युद्ध क्या था। महाविद्यालयों में 200 प्रयोगशाला, मेडिकल कालेज में 200 नर्स, 150 वार्ड ब्वाय और 60 टेक्नीशियनों की भर्ती, और सभी जिलों में हवाई पट्टियां, झुंझुनूं में स्पोर्टस सिटी। बना दी साहब आपने? इनको तो, पिछले वालों को तो पूरा कर दिया और आगे का पूरा करेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। यह शिक्षकों की भर्ती 41 हजार तो की नहीं और अब 20 हजार और कर देंगे। आप एक बार ठंडे दिमाग से विचार करिये, अपने अधिकारियों से भी बात कर लें, मैं वह कागज आपके पास पेश नहीं कर रहा हूं, कई लोग आपको कहते नहीं हैं, मेरे पास दस-बारह एम एल एज के और यहां तक मंत्रियों के लिखे हुए कागज हैं जो आंदोलन करने वाले लोगों को दिये हैं उन्होंने, नाम भी नहीं बता रहा हूं, कि हम आर पी एस सी से परीक्षा चाहते हैं। विधान सभा में आपके एम एल ए बोलें, लिखकर के भी दिए हैं। इस शिक्षा को 1,400 करोड़ का घाटा पिछली बार आपने राज्य सरकार के राजस्थान को नुकसान पहुंचाया। यह पैसा जो आपको भारत सरकार से मिलने वाला था 70:30 या 60:40 के रेशो में, आपने जो भर्तियां नहीं कीं? इससे राजस्थान को 1,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अब आप यह भर्ती फिर नहीं कर पाएंगे। यहां चर्चा हो गई बहुत बार और मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरी कोई जिद नहीं है, मैं राजस्थान के हित में और गरीब के हित में आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बेरोजगार नौजवानों के हित में कि यह भर्ती नहीं होगी। आप एक स्टेट में दो मेरिट नहीं बना सकते हैं। 1998 में हमने इस प्रकार की भर्ती की थी। वह सारा सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला। उसके बाद इतने केस चलें कि अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो आपके वह चीफ सेक्रेटरी भी राजस्थान के हैं। उस समय भर्ती करने में वह थे, बी एन शर्मा थे, एक पहले जिन्होंने प्रपोजल बनाया था। इन दोनों को पूछ लीजिए कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस भर्ती में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा– This is the way, it should be. जो भर्तियां हमने की थीं, उसका सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण दिया और फिर भारत सरकार के स्वर्गीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुनसिंहजी ने सारे राज्यों को पत्र लिखा कि आप राजस्थान ने जिस तर्ज पर भर्ती की है उस तर्ज पर भर्ती करें। आपने उस भर्ती को ध्वस्त कर दिया पंचायतों को मजबूत करने के लिए। हमने कौनसी इसमें पंचायतों को छीन लिया? अपोइंटिंग अथोरिटी तो वहीं थे। केवल हमने तो चयन करने की अथोरिटी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाई थी। अब आप चयन करने की अथोरिटी को खतम करना चाहते हैं। इसका मतलब पंचायत समिति में, जिला परिषद में जब भर्ती होगी वह मनमानी से होगी, भ्रष्टाचार के आधार पर होगी, भाई-भतीजे के आधार पर होगी। जब फार्म भरने दूसरे जिलों के जाएंगे तो उनको लाठियों से पीटेंगे। इसके खिलाफ सारे राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गया है। मैं आपके कहना चाहता हूं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप पुनर्विचार करें और आप इस परीक्षा को आर पी एस सी से करायें और परीक्षा कराकर इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दें। वरना अब डेढ़ साल ही बचा है, ये सारे मामले कोर्ट में अटकेंगे। एक राज्य में दो नहीं हो सकतीं।

फिर हमने इसका बैकलाग निकाला था। उस समय राजस्थान में अगर तीन शिक्षक हैं तो 12 परसेंट शिड्यूल ट्राइब होने चाहिए तो उसके हिसाब से जोड़कर 12 परसेंट 36 हजार कर दिया। फिर उसमें इतने परसेंट एस टी के होने चाहिए तो वह जोड़कर एस टी के कर दिए थे 16 परसेंट और 12 परसेंट के हिसाब से। फिर उस बैकलाग को पूरा कर दिया था। अब जिलों में अलग-अलग स्थिति हो गई है। अब झुन्झुनूं में आपकी बीस वेकेंसी निकल रही हैं। अब उसमें निकालेंगे तो कई जिलों में शिड्यूल कास्ट की वेकेंसी कई वर्षों तक नहीं निकलेगी। कई जिलों में शिड्यूल ट्राइब की नहीं निकलेगी, कई जिलों में ओबीसी की नहीं निकलेगी। अलग-अलग परीक्षा में अलग-अलग मेरिट बनेगी और सारा मामला कोर्ट में उलझकर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आप यह नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस सारे विषय पर आप पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

इसके साथ ही साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ये जो भर्तियां आपने नहीं कीं तो बजट घोषणा का अर्थ क्या है? यह आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं किया यह काम? जब आपने पिछली घोषणाओं के काम नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किए तो आज आपने जो पुलिंदा बांध दिया घोषणाओं का, उसको मैं चुनावी घोषणा पत्र, मध्यावधि चुनाव के डर से कहा हुआ नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? वह आपको बताना पड़ेगा। कर ली क्या आपने भर्ती 41 हजार की। कर ली हैं आपने सारी की सारी भर्तियां ये? टेक्निशियन की हैं, कर दी आपने, नवाब साहब ने सारी पूर्ति, सारी की सारी भर्ती जो करनी थी? यह सारा का सारा काम आपको सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा रोजगार का काम है, वह दूसरा रोजगार का काम होता है मनरेगा। नरेगा, मनरेगा। इसको तीन-चार प्रकार से बोलते हैं लोग, नरेगा करेगा सो भरेगा; न करेगा मरेगा; और आगे अब बोलने लगे; मनरेगा, हे मन गा। 2008-09 में 6 हजार 175 करोड़ रुपए नरेगा पर राजस्थान में खर्च हुए हैं। 2009-10 में 5 हजार 659 करोड़ हुए हैं और 2010-11 में 3 हजार 300 करोड़ हुए हैं और 2011-12 में 2 हजार 500 करोड़ हुए हैं। मन रे गा, क्या गायेगा वह? अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे, सबको टच कर दिया, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सबको टच कर लिया। यह नरेगा में 6 हजार घटकर 2 हजार पर आ गए। इसका जवाब दे दीजिए ना। बेरोजगारों को वैसे रोजगार नहीं और गांव में रोजगार का काम, यह कितनी बड़ी आलोचना कर रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिए और गलत नहीं हूं तो सरकार इस स्थिति को स्वीकार करे। या यह कहे कि नहीं, यह जो 6 हजार करोड़ चल रहा था, यह तो भ्रष्टाचार था और अब दो हजार करोड़ ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो नरेगा मामला है, इस मामले के बारे में आप मुझे बतायें।

आप एक मैसेज देने का काम बहुत करते हैं। आपके लिए कहावत हो गई है गांवों में कि 'गहलोत साहब बोले सौ गज, नापे सौ गज, फाड़े दो गज और देवे नहीं एक ही गज।' तो यह आपके बारे में है। तो आपने इतना फाड़ दिया इसमें कि इतना वह लगा देंगे, इतना वह कर दिया, महाराज, देवें तो सही। ताली तो हम ही बजा देंगे। अब दिल्ली को तो आपने मेसेज दे दिया कि सारे एम एल ए राज्यपाल आये थे तो एक भी बार ताली नहीं बजाई। यहां तो सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक बनाया तो सौ बार तालियां बजी या अशोक गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया तो एम एल एज ने सौ बार तालियां बजायीं, यह दिल्ली में मैसेज चला गया। और यह मैसेज गया कि सरकार तो मैं ही ला सकता हूं राजस्थान में, बाकी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का आने का काम नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अब आपने आगामी बजट की घोषणा, आप जरा देख लें शांति से, मैं गलत हूं तो ठीक कर दें, क्योंकि मैं तो अकेला हूं, आपके पास तो पूरा लवाजमा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की आपने इतनी रोडें बना दीं, 592 करोड़, 300 बार। उसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा है कि इनका काम हाथ में लिया गया है। आपने लिखा है कि यह जो मेगा हाइवे बना रहे हैं, इनका काम हाथ में लिया गया है। अब यह कौन से हाथ में लिया? बायां हाथ में लिया या दायां हाथ में लिया, कागज-कलम में लिया? कहां लिया? और उनमें कौनसी शुरू हो गई और कौनसी शुरू होंगी और कब होंगी? इसका बजट में प्रावधान ही नहीं है। मैंने देखा कि यह कहां से बना रहे हैं? मैं तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन बच्चे थोड़े बहुत चलाते हैं आजकल इंटरनेट को, तो चलाकर देखा तो वह सारा रिडकोर में निकला। 50 परसेंट तो रिडकोर खर्च करेगी और 50 परसेंट प्राइवेट पार्टनरशिप वाले खर्च करेंगे तो, महाराज, आपका क्या है? एक जगह खीर बनाने की इच्छा हो गई, बोले, दूध घनश्याम लाएगा, चावल गुलाबजी लाएंगे, चीनी रघु शर्मा लायेगा, कढ़ाई देवासीजी लाएंगे...

श्री अध्यक्ष: तब तो खीर खाई ही मानो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और फिर खीर बन जाएगी। तो, मुख्य मंत्रीजी, आपका क्या होगा? बोले, म्हारो आंगणो। इसमें आपका कुछ लेनदेन नहीं है। सारे बजट में तालियां बजवा दीं, यह कर दिया, जोबनेर से आने वाले यह सड़क बन गई, चल भी लिए, काम हो गए और इतना भार भरतसिंहजी पर पड़ गया कि इतने करोड़ों का काम आ गया, मैं ईमानदारीपूर्वक कैसे पूरा करा पाऊंगा। क्योंकि पहला जो ढांचा है पी डब्ल्यू डी का, संस्थागत भ्रष्टाचार अगर किसी को कहते हैं, जिसमें पैदा हुआ तो आपके पी डब्ल्यू डी, डिपार्टमेंट में तीन साल में संस्थागत भ्रष्टाचार पैदा हुआ। आप देख लीजिए।

अब एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह रेवेन्यू सरप्लस क्या है? यह बड़े-बड़े विद्वान हमारे राजपालजी नहीं हैं क्या, हमारे सारे लोगों ने, अभी नरपतसिंहजी ने, गुलाबजी ने यह बड़े-बड़े सब हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, इसमें ज्यादा जानता नहीं हूं। डेफिसिट रेवेन्यू का और कैपिटल अकाउंट का और यह जी डी पी का और यह सारा का सारा है। यह जी डी पी है क्या? टोकरी है, अलग-अलग राष्ट्र की अलग-अलग है। इसको बास्केट कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें कोई सेव डाल दिया, संतरा डाल दिया, अनार डाल दिया,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सड़क डाल दी, सेवा डाल दी। वह अलग-अलग स्टेट, राज्य ने अलग-अलग जी डी पी बना रखी हैं और इंटरनेशनल मानिटरी फंड के पास जाते हैं तो भारत अलग जी डी पी लेकर जाता है, चीन अलग जी डी पी लेकर जाता है, अमेरीका अलग और यहां यह जी डी पी है। अब आपने डी ए बढ़ाया डीए का जो सेवा का पैसा है, उसमें गया, जी डी पी आपकी बढ़ जाएगी। तो जी डी पी हैड में कुछ है नहीं।

जो मूल बात है, इस बजट में आपने छिपायी है, वह मैं आपका बताना चाहता हूं। ये जो बिजली कम्पनियां हैं, ये दो शब्द आपने पूरे किये हैं, एक तो किया है एक्स्ट्रा-बजटरी रिसोर्सेज ये आप कहां से लाये? और एक जो बाकी अनदेखा पैसा लगने वाला है, वह आप कहां से दोगे? जरा यह कृपा करके बताने का श्रम करें।

सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न उठा रहा हूं बिजली का। बिजली पर 47 हजार करोड़ का कर्ज है। बहुत जोर का काम किया है। एक बैंक के पास गये कि हमको सौ रुपये दो। उस बैंक ने सौ रुपये दे दिये। बारह महीने बाद सौ का बारह रुपये ब्याज हुआ तो 112 रुपये कैसे चुकाये। तो दूसरी बैंक के पास गये, उससे दो सौ रुपये ले लिये। तो 112 उसको चुका दिया और जो बाकी बचे 88 रुपये, वह और कोई काम में खर्च कर लिये। फिर आया दो साल बाद वह दो सौ रुपये चुकाने का मामला तो उसी बैंक के पास दुबारा चले गये, उससे फिर दो सौ रुपये ले लिये। तो यह ऐसा करते-करते घाटा हो गया तो बैंक आपस में मिलीं और कहा कि ये तो आपको भी चकमा दे रहे हैं, हमको भी चकमा दे रहे हैं, सबको चकमा दे रहे हैं और उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया और बिजली की स्थिति भयावह हो गयी। तो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी भाग कर गये दिल्ली। प्रधान मंत्रीजी से मिले। प्रधान मंत्रीजी से हस्तक्षेप कराया। रिजर्व बैंक के गवर्नर आये यहां पर और आकर बैंकों से बातचीत करके कहा कि ये आपको कर देंगे। अब ये बिजली कंपनियां क्यों डूब रही हैं? पहले तो इनको आपने कंपनियां बनाई वे आपने ही बनाई थीं बोर्ड से। उनका एस्टेब्लिशमेंट कास्ट खूब बढ़ गया। अब इनमें एक कम्पनी को छोड़कर बाकी चारों घाटे में चल रही हैं।

अब यह जो घाटा है, वह दो कारण से है। इनका खुद का तो है सो है ही एक हमने जो छूट दे रखी है और हम वह पैसा जो बिजली कम्पनियों को नहीं दे रहे हैं उसके कारण से भी घाटा है। किसानों का बिल तो आता है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उतना बाकी पैसा राजस्थान सरकार को देना चाहिए। सरकार दे नहीं रही है। बस वे बिजली कम्पनियां घाटे में हैं। घाटे में हैं तो कब तक चलेंगी? तो यह मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि पांच हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष अगर इन बिजली कम्पनियों को राजकोष से नहीं दिया तो ये बिजली कम्पनियां नहीं चलेंगी। ये पांच हजार करोड़ रुपये आप कहां से लाओगे, यह आपने छुपाया राजस्थान की जनता से। यह आपको इनको बेल-आउट करने के लिए पच्चीस हजार करोड़ का पैकेज देना पड़ेगा, वह पेकेज कहां से लाओगे? 396 करोड़ का सरप्लस बजट। उन बिजली कम्पनियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी आपको आज। राजस्थान की जनता के साथ इस विधान सभा में हम इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। हमको बताना पड़ेगा कि बिजली कम्पनियों को आप कैसे सुधारोगे, पांच हजार करोड़ रुपये बिजली कम्पनियों को देने के लिए आप प्रति वर्ष देने के लिए कहां से लाओगे। मैं मानता हूं, क्योंकि वह तो कर्जा है उस पर तो ब्याज देना पड़ेगा पर ब्याज देने के लिए और कोयला खरीदने के लिए और बिजली देने के लिए भी तो पैसे चाहिए। इतनी बड़ी घोषणाएं बिजली की कर दीं। 3,480 मेगावाट, गई कठे? आकाश में उड़ गई कि हवा में चली गई? बिजली मिली नहीं। बिजली कम्पनियों का खर्चा बढ़ गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू सरप्लस भी नहीं है आपके पास। क्या होता है रेवेन्यू सरप्लस, यह कहा किसने रेवेन्यू सरप्लस? यह कल्याणकारी राज्य है। अगर मान लो आपके पास 396 करोड़ रुपये बच रहे हैं तो जयपुर शहर में पानी की जरूरत है दे देते। इसको बचाकर रखने की क्या जरूरत है? जीरो बजटिंग, न हानि न लाभ, यह एफ आर बी एम एक्ट, ये सरप्लस बजट और ये रेवेन्यू डेफिसिट बजट ओर ये इसका केपिटल अकाउंट का लेकर उसमें डाल दिया और ये जी डी पी और ये फालतू आंकड़े का चक्कर है क्या? इसलिए सरप्लस बिजली जो है न, इसके लिए आप अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये काम पार आपका नहीं पड़ेगा।

फिर मुख्य मंत्रीजी एक आपने और सबसे बड़ा काम किया। बहुत जोर का प्रचार किया आपने सारे हिन्दुस्तान में कर दिया, मुख्य मंत्री बीपीएल ग्रामीण आवास दस लाख। हम भी चाहते हैं बनें। आपने पहले कियोस्क बनाये थे जब मुख्य मंत्री आये थे। राजस्थान के सारे शहरों में बने हुए हैं। कुछ लोगों को आराम मिल रहा है उनसे। रास्ते में तकलीफ होती है, वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। वे कियोस्क आज भी पड़े हुए हैं। गरीब के साथ मजाक तो नहीं करें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ये आवास बनेंगे कहां? कितने रुपये में बनेंगे? रुपये कौन लेगा? मैं आपसे आज मांग करता हूं, मैंने पहले आरोप लगाया था, मैं आज आरोप लगाता हूं, आप सारे राजस्थान के गांवों की जमीन को गिरवी रखना चाहते हैं हुडको और नाबार्ड को। यह अधिकार किसने दे दिया आपको? जबरदस्ती जिला परिषद से पकड़-पकड़ कर आपने साइन करा लिये और जिला परिषद और हुडको और उनके बीच में समझौता हुआ है कि जिला परिषदों को पैसा चुकाना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं आपसे, अगर यह बात गलत है तो आप खंडन करें वरना तो जो जिला परिषदों के साथ समझौता हुआ है वो सदन के पटल पर रखें। ई म भी सरकार की तो आंगळी ही है। 3400 करोड़ का लोन है और लोन सीधा जाएगा जिला परिषदों के पास और जिला परिषदें चुकायेंगी। आपका बजट में कहीं प्रावधान नहीं वे चुका ही नहीं पाएगी। वे चुकायेगी, नहीं चुकायेगी तो उनकी सारी जमीनें गिरवी चली जाएंगी और ये घर भी नहीं बनेंगे। 50 हजार में क्या घर बनेगा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पचास हजार में बनकर तैयार हो जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दस लाख दे देंगे। चलिये, आपको मुबारक हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको मैं ले जाऊंगा सीकर में, जहां से आप पधारते हैं कि कहां-कहां बने हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप ले चलोगे तो मैं आपको कियोस्क भी दिखा दूंगा। आपके लायक वो हैं। चलो वो दिखा देंगे। धरती पर स्वर्ग उतरेगा, साहब, इस बजट से। इसलिए, धारीवाल साहब, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। आपका तो हो ही चुका काम। अपन चलेंगे, साथ-साथ देखेंगे।

मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इन दस लाख में अभी दो वर्ष में कितने बना दिये? यह बता दो। अब दस लाख खटाखट बनाकर तैयार कर देंगे, जादू की छड़ी है। जादू की छड़ी से कांग्रेस पर तो हाथ साफ हो सकता है, जादू की छड़ी से वहां पर काम का हाथ साफ नहीं होता। सरकार कर भी दे।

फिर अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आपने कहा कि हमने पैसे बढ़ाए नहीं। अगर पीछे के दरवाजे से आप पैसे बढ़ाते हैं तो यह बेईमानी मानी जाएगी। पिछले बजट में भी आपने पैसे पिछले दरवाजे से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बढ़ाये। इसमें भी आपने पिछले दरवाजे से पैसे बढ़ाये। तीन सौ करोड़ रुपये बढ़ाये हैं। मैंने तो बाकी कुछ नहीं बढ़ाया। मैं कह रहा हूं कि आपने यह जो दस प्रतिशत डी एल सी की दर बढ़ाई है बिना पूछे डी एल सी कमेटियों को, उससे पैसा नहीं बढ़ेगा आपका? उससे रजिस्ट्रेशन से आपकी इन्कम नहीं बढ़ेगी? क्यों छुपाया इसको जनता से? पिछली बार 15 प्रतिशत बढ़ाया, इस बार 10 प्रतिशत बढ़ाया और यह बढ़ाकर आपने कर दिया 25 प्रतिशत। 25 प्रतिशत जब यह बढ़ गया तो आपकी रजिस्ट्री की दर इतनी बढ़ जाएगी कि आपका टैक्स आयेगा ही आयेगा। सबसे ज्यादा तो आजकल उसी में आ रहा है आपका पैसा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार यदि ईमानदार है तो यह डी एल सी की जो दर बढ़ाई है, उस दर को वापस ले, वरना यह सीधी घोषणा करे कि हम इतना पैसा बढ़ा रहे हैं। आप टैक्स भी लगाते हो आप वसूली भी करना चाहते हो और आप इस प्रकार से इस बात को भी करना चाहते हैं, यह बिलकुल गलत बात है।

फिर एक जनता को और इन्होंने किया सबसे बड़ी बात। आपने कहा कि मनोरंजन कर पहले जो था न डी टी एच और केबल पर, उस पर तो पिछली साल छूट कर दी थी अब बाकी मनोरंजन की गतिविधियों पर भी हम पूरी छूट कर रहे हैं। तो वे बाकी मनोरंजन की गतिविधियां कौन-कौन सी हैं, उन गतिविधियों को बता दें; उन गतिविधियों में कौन-कौन लिप्त हैं, यह भी बता दें और उनसे इनकम कितनी है ये भी बता दें, उसमें आपने कौनसी छूट कर दी। अब उसमें दो चीजों पर छूट होती है जो मैं खोज पाया हूं, एक तो सर्कस पर और एक जो जादू हाथ की सफाई दिखाते हैं न, यों करके कबूतर निकालते हैं और वह निकालते हैं, उस पर। तो जादू वाला तो आप कबूतर निकालो और सर्कस चल ही रहा है। कोटा में भी सर्कस है, चारों पर सर्कस चल ही रहा है। अपना तो उस सर्कस पर मनोरंजन कर मुक्त कर दिया भरत सिंह जी, चाहे जितना आप सर्कस करो। तो इसलिए जनता को इस प्रकार की बात करने से कि हमने मनोरंजन कर मुक्त कर दिया, यह कर दिया, यह बिलकुल गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें बना रहे हैं ये रिडकोर से और ये राजेन्द्र जी बैठे हैं न, पिछली बार तो राजेन्द्र जी सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे तो इतनी जोर से कहा रिडकोर-रिडकोर, खा गये। अब उसी रिडकोर पर आप जा रहे हो।

मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से बदला लेने की बात ठीक नहीं है। कई माननीय विधायकों से आप राजनीतिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रूप से बदला लेना चाहते हैं। यहां हमारे दो विधायक बैठे हैं। बिलाड़ा में निर्ममतापूर्वक परिवार के परिवार की हत्या कर दी। लोगों ने जाम लगा दिया। दो विधायक केसाराम जी चौधरी और अर्जुन जी जो, वहां मौक़े पर थे भी नहीं उन पर आपने 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। उनका अपराध यह था कि हत्यारों को पकडने की मांग के लिये धरना क्यों दिया। अनिता जी पर कार्यवाही चालू कर दी। इनको भगोड़ा बता रखा है, यहीं बैठे हैं। एक भगोड़ा आपके और है, वह बडी चीज है इसलिए मैं बोलता नहीं हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक लंदन में भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लंदन में भी है और यहां मेवाड़ में भी है। लंदन वालों को भी पकड़ने का काम आप ही की कमजोरी है और यहां वालों में भी आपकी ही कमजोरी है। पकड़ो अगर दम है तो। वह काम भी नहीं है तो उनका भी काम नहीं हो रहा है।

अनिता जी ने क्या गलती की? गोपालगढ़ में कलक्टर ने बुलाया, एस पी ने बुलाया और यह गोपालगढ़ चली गई और कलक्टर ने, एस पी ने बयान दे दिया कि यह समझौता कराने के लिये आयीं। इस पर भी आप कार्यवाही करो। यह राजनीतिक बदले की कार्यवाही से हमने इमरजेंसी भी भुगती है, इमरजेंसी भी देखी है, आपातकाल भी देखा है। मैं भी 19 वर्ष तक आपातकाल भोग कर आया हूं, गहलोत साहब। आपने आते ही सबसे पहले राजनीतिक बदला लेने का काम यह किया कि हमने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया लेकिन आजादी की दूसरी लड़ाई जिन्होंने लड़ी, जिसके लिये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी माफी मांगी थी और सोनिया जी ने भी माफी मांगी, उन दूसरी आजादी के दीवानों की आपने मांग खतम कर दी। कर दें। हम फिर घोषणा करते हैं, इसका फैसला आप और मैं नहीं करेंगे, यह राजस्थान की जनता करेगी और हम जिस दिन वापस आयेंगे, उस दिन उन सारों का हम सम्मान करेंगे।

आपने जो बात बताई है, मैं तीन बात आपसे कहना चाहता हूं, मूल रूप से यह बजट किसी को समर्पित नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी को भी समर्पित नहीं है। अभी जो मंत्री हैं, उनकी सफाई का काम आपने किया। उनकी कांस्टिट्यूएंसी में कई तहसील, उप-तहसील खोलने की घोषणा की, काम तो करोगे नहीं। फलौदी वाले तो राजी हो रहे थे कि एक कमेटी बना दी है और मेरा तो जिला ही बन जायेगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन के नेता के बोलने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय सदन के नेता के बोलने तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बढ़ाओ जी, बढ़ाओ सारी रात बोलेंगे तो भी सुनेंगे।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि गरीबों के साथ मजाक सरकार बंद कर दे और मैं मुख्य मंत्री बीपीएल योजना का क्या नुस्खा है, वह जानना चाहता हूं। किस आधार पर मुख्यमंत्री बीपीएल माना जाता है। हमारी भारत सरकार ने तो कह दिया कि देश की आबादी में 7.3 प्रतिशत गरीबी दूर हो गई और ग्रामीण क्षेत्र में 22.42 रुपये जो कमाता है वह और शहरी क्षेत्र में 28.65 रुपये जो कमाता है, वह अमीर है। क्या मजाक है! मुख्य मंत्रीजी, यह जले पर नमक छिड़कना है और इस योजना आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय प्रधान मंत्री जी और उपाध्यक्ष हैं मोंटेक सिंह जी आहलूवालिया और आप लोग हिन्दुस्तान के गरीब आदमी के साथ इस तरह का मजाक करते हैं। मजाक उड़ा रहे हैं उसकी गरीबी का। आप उसको गरिमा नहीं प्रदान कर सकते। योजना आयोग का यह फ़ार्मूला बदलवाइए। यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आपने अपने भाषण में तो सबको टच कर दिया, इसको भी टच कर दिया, उसको भी टच कर दिया, इन गरीबों को क्या टच कर दिया? आप तो मुख्य मंत्री हो, धोबी के यहां कपड़े धुलाते नहीं होंगे, मैं धुलाता हूं। मेरा एक सौभाग्य समझ लीजिए या दुर्भाग्य समझ लीजिए कि मैंने गरीबों को देखा तो है पर मैंने गरीबी भोगी नहीं। इसलिए मेरे पजामे-कुर्ते धोने के एक रोज पहनता हूं तो 20

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

-25 रुपये लग जाते हैं और आप उस गरीब को यह कह रहे हो कि 20-22 रुपये ला रहा है, तुम्हारी गरीबी दूर हो गई और शहरी क्षेत्र में 28 रुपये ला रहा है, तुम्हारी गरीबी दूर हो गई। ये आंकड़े देकर आप गरीबी समाप्त कर रहे हो। मैं भारत सरकार की इसके लिए निंदा करता हूं, यह मजाक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बीपीएल जो आपने बना रखा है, वह क्या है?

अध्यक्ष महोदय, बात तो बहुत है, आप अगर मुझे समय देंगे तो मैं दो-तीन बात और कहना चाहूंगा। एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पेयजल की बहुत भयंकर समस्या है और जयपुर शहर में भी बहुत बड़ी समस्या है। 1500 कालोनियां जो अच्छी तरह से बसी हुई हैं, जो वार्डों के बीच में है उनके पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। हम माननीय मंत्रीजी से मिले थे उन्होंने कहा कि मैं मुख्य मंत्रीजी से बात करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। इन 1,500 कालोनियों में से 400 कालोनियां तो सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में है। उनमें सीवरेज का कनेक्शन है, वहां बिजली का कनेक्शन है, वहां रोड बन गई है, उनका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन यह कहकर कि यह कृषि भूमि पर बनी हुई है, नियमन नहीं हुआ है, इसलिए उनको पानी नहीं देंगे। यह बहुत बड़ा अन्याय है और अगर आपने नहीं किया तो इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे।

दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आर पी एस सी का चयन अगर आपने दुबारा नहीं किया तो इसके लिये आंदोलन किया जायेगा। विधान सभा का घेराव भी किया जायेगा और आपके घरों पर प्रदर्शन भी किया जायेगा। हम मांग करते हैं कि ईमानदारी से निष्पक्षतापूर्वक भर्ती होने के लिये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को चयन बाडी बनाया जाये, पंचायतों को स्वस्थ किया जाये, नियुक्ति का अधिकार पंचायतों को प्रदान किया जाये। हम पंचायतों को कमजोर नहीं करना चाहते हैं।

आपने जो सारा बजट भाषण दिया, उसमें आपने दो महान पुरुषों का स्मरण किया। एक गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर का आपने स्मरण किया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने 'जन गण मन अधिनायक जय, का गीत लिख कर हमारा गौरव बढ़ाया, वे हमारे बजट में आये, यह हमारा सौभाग्य है। दूसरा आपने पूज्य महात्मा जी का नाम लिया, उसके लिये भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमारे जयपुर में एक कहावत चलती है कि त्रिपोलिया गजट। आपका जो बजट है वह त्रिपोलिया है। इसके लिये चार लाइन मैं आपको समर्पित कर रहा हूं और इसके साथ मेरा भाषण समाप्त कर रहा हूं। मुख्य मंत्री जादुगिरी आंकड़ों का जाल बजट गजट त्रिपौलिया राजस्थान बदहाल। भयग्रस्त सरकार है, कब सरकार गिर जाये, जनता त्रस्त सरकार और जनता सरकार से त्रस्त है। असत्य राजस्व बचत, राजस्व की बचत का असत्य आंकड़ा है। क्योंकि समस्याओं का अम्बार, सब बोले समस्याओं का अम्बार, आगामी विकास योजनाएं, क्या है प्रबंध। सेवा आनंद की, आपने बात की कि सेवा करते आनंद है, सेवा आनंद की बात है, पर है सत्ता आनंद। यह आपके बजट के बारे में है।

अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। मैं यहां सारे टाइम बैठा। आप तो वहां टेलीविजन पर देख रहे होंगे या अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे होंगे, मैं पूरे समय पर बैठा रहा। पक्ष-प्रतिपक्ष के बहुत सदस्यों ने बहस में भाग लिया लेकिन दो-तीन बातें ऐसी है जिनमें सबकी आम राय नजर आई। वह आम राय मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। उसमें कांग्रेस के माननीय सदस्य भी हैं, बी जे पी के भी हैं, सबके हैं। विधायकों पर विकास की जिम्मेदारी बहुत है, एम पी से भी ज्यादा है और सभी माननीय सदस्यों की एक राय थी विधायक कोष का पैसा निश्चित रूप से बढ़ना चाहिये, सभी विधायकों की एक राय थी।

दूसरा, मैं आपकी सादगी की प्रशंसा करते हुए और आपकी इमेज के बारे में कि मेरी इमेज साफ सुथरी बनी रहनी चाहिये, मैं आपसे चाहता हूं कि बाकी विधायकों की इमेज भी साफ सुथरी बनी रहनी चाहिये। उसके लिये विधायकों पर जितना-जितना प्रेशर आता है, उस प्रेशर को भी आपको यह समझकर नहीं करना चाहिये कि मैं करूंगा तो मेरी इमेज खराब होगी।

इन सबकी तीसरी एक मांग थी और वह बहुत आवश्यक है, वह सब विधायकों की थी कि सीनियर सेकंडरी स्कूलों का जाल हमको बढ़ाना चाहिये। इसका कारण क्या है कि आप सारी स्कूलों के आंकड़े देख लीजिए, लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आजकल अपन जेंडर भेद नहीं चाहते हैं लेकिन इस देश में दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे लोग बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और बच्चियों को सरकारी स्कूल में और इसलिए सरकारी स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। जहां-जहां दसवीं की अपन ने खोल दी हैं, वहां के बाद लड़कियां फिर वंचित हो जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज आपके भाषण में, प्रोविजन के समय आप तीन बातों पर ध्यान दें। यह सदन का सेंस है और यह सेंस मैंने आपको निवेदन किया है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(17.00 बजे)

कुल मिलाकर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सारा का सारा बजट बिल्कुल वास्तविकता पर आधारित नहीं है। यह बजट केन्द्र सरकार की अस्थिरता को देखकर और उसके साथ राज्य की अस्थिरता को देखकर, मध्यावधि चुनाव के लिए बनाया गया बजट है और इसलिए इस बजट भाषण में कोई सार नहीं है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं, बजट पर जिस प्रकार से सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष के साथियों ने पूरी तरह रुचि लेकर, विशेष समय देकर, रात को 12.30 बजे तक हाउस चलना और विचार प्रकट करना, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही शुभ संकेत है। हालांकि हमें चिंता थी, जिस प्रकार आप लोगों ने बजट के दूसरे दिन ही क्वेश्चन आवर का बायकाट किया तो हमें आशंका हो गई थी कि आप बहानेबाजी कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि सदन का नेता, मुख्य मंत्री एक बार फिर यहां पर रिप्लाई प्रस्तुत करे। क्योंकि पिछले सवा तीन साल में आप लोगों ने तीन-चार बार इस तरह का माहौल बनाया कि सदन का नेता भी यहां नहीं बोल पाया और उसको लिखित में भाषण रखना पड़ा। पर हमारे साथियों ने जिस प्रकार से मीडिया को भी कमिटमेंट दिये कि हमें आशंका है, मैं समझता हूं कि आपको ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि आपने हमारे ऊपर कृपा करके, मेहरबानी रखी कि जमकर पक्ष-विपक्ष ने अपनी बात रखी, पूरा वक्त दिया, 12.30 बजे तक हाउस चलाया, कभी 8.00 बजे तक चलाया। सबने खुलकर अपनी बात रखी।

कोई कारण नहीं था वह। यह बात मैंने इसलिए कहीं कि जब मैं पार्लियामेंट में था, 50 वर्ष हुये थे पार्लियामेंट के, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां खड़े होकर कहा, डिबेट चल रही थी, विशेष सैशन था कि कम से कम देश के अन्दर, लोक सभा, राज्य सभा के अन्दर क्वेश्चन आवर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये। कोई कारण नहीं था कि आपने, कोई लाठी चार्ज हो गया, कोई खून-खराबा हो गया, फ्रैक्चर हो गया, किसी के एक बूंद खून आया, किसी के लाठी चार्ज में लग गई: कुछ भी नहीं हुआ और उसके बावजूद भी ऐसा माहौल बनाया गया कि क्वेश्चन आवर भी हम बायकाट करते हैं। तो मुझे याद आया कि पहले भी एक बार नाराजगी प्रकट करने के लिए जयपुर की

(श्री अशोक गहलोत)

सड़कों पर जैन मुनि वाली मूर्ति पहनकर आप लोग निकले थे। तब भी मैंने कहा था इसकी जरूरत नहीं थी। आप हमें कहते, अपनी व्यथा बताते तो हम उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते। जैन मुनि की मूर्ति पहनना एक पवित्र काम है। उनके अपने अलग ध्येय हैं, त्याग हैं, तपस्या है। वह तपस्या आपकी या किसी और लोगों की नहीं हो सकती। फिर आपने किस रूप में मूर्ति पहनाकर नेता प्रतिपक्ष को भी सड़क पर उतार दिया। किस प्रकार से आप लोग निकले, जब मैं उधर से निकला तो मुझे भी उनको नमस्कार करना पड़ा क्योंकि मूर्ति लगी हुई थी। मैं कहना चाहूंगा कि वह दिन मुझे कल याद आया जब आपने परसों बायकाट किया। कटारिया साहब हमारे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पट्टी बांधकर जा रहे थे, आप प्रणाम तो कर लेते कम से कम।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कटारिया साहब बहुत ही भावुक मिज़ाज के व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैंने इनके बारे में कई भावनाएं प्रकट की थीं। उस दिन मैं अपने रूम में देख रहा था, जिस रूप में ये आक्रोशित हो गये थे, जबकि ये खुद अध्यापक रहे हुए हैं; अध्यापक के नाते आक्रोशित होना, गुस्सा आना वाजिब ही है, स्वाभाविक है, पर सच्चाई को लेकर तो हो। या तो ब्रीफ गलत कर दिया गया; माहौल ऐसा बना दिया गया जिससे इनको लगा कि वास्तव में बहुत बड़ी घटना हो गई, रात को 12 बजे, 1 बजे लाठी चार्ज हुआ है, खून- खराबा हो गया,पकड़-पकड़कर ले गये; पता नहीं क्या ब्रीफिंग की गई। या तो ब्रीफिंग में भावावेश में आकर बोल गये कि इतिहास बना दूंगा नया मैं हाउस के अंदर, बाद में मैं खुद भी अफसोस करूंगा। इनके दिल की पीड़ा इस रूप में प्रकट हो रही थी। तो मुझे बहुत चिंता लग रही थी कि अब तो लगता है, आज से ही शुरू हो गया मामला और पहले वाला कटु अनुभव मुझे फिर होने वाला है। मुझे खुशी है कि आपने मेरे ऊपर कृपा की और आज हाउस बैठा हुआ है और मैं अपनी बातें कह रहा हूं।

बजट का जहां तक सवाल है, बजट का सबने वैलकम किया है। आप जिस रूप में बजट की आलोचना कर रहे हो कि सरकार दिल्ली में कमजोर हो रही है, डगमगा रही है और मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, ये जुमले राजनीतिक जुमले हैं। मेरे ख्याल से आपका हक है कहने का, कुछ भी कह सकते हो पर मैं इसको राजनीतिक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं मानता। सरकार

(श्री अशोक गहलोत)

स्थिर है और पूरे पांच साल चलेगी और आप देखते रह जाओगे। हमारे बजट प्रस्तुत करने के मायने होते हैं। पूरी प्रदेश की आम जनता ने इसका वैलकम किया।

आज राजस्थान दिवस है, उसके उपलक्ष में मैं अपनी ओर से, सदन के तमाम सदस्यों की ओर से भी प्रदेशवासियों को मेरी मंगलकामनाएं। प्रदेशवासी, उनके परिवारजन फलें-फूलें, समृद्धिशाली बने, खुशहाल बने और हमारा प्रदेश चहुंमुखी प्रगति करे और जो बजट की भावना है उसके अनुरूप समग्र विकास करें, यह आज इस मुबारक मौके पर हमारा सबका संकल्प होना चाहिये। यह संकल्प होना चाहिये हमारा।

जिस रूप में आपने बजट की आलोचना की, उसको मैं खारिज करता हूं क्योंकि आपकी बातों के अन्दर कोई दम नहीं था। खाली केन्द्र का नाम लेकर, चुनाव आने वाले हैं, मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं, इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी? पिछली बार मैंने बजट पेश किया, मैं पांच बार पार्लियामेंट में रहा हूं, बजट आपने भी कई बार देखे हैं, आप लोग भी राजस्थान में या दिल्ली में देखते हैं, बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद में विपक्ष को बाहर जाकर अपनी बात कहने का एक अवसर मिलता है, कमेंट करने का। किसी भी रूप में करें, आलोचना करें, सुझाव दें, कमी रही गई उसको बताएं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि हाउस से बाहर निकलकर के, प्रेस वाले हमारे साथी लोग पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ तो कमेंट हो, क्योंकि उनको तो पक्ष को, विपक्ष को लिखना पड़ता है, आपकी ऐसी स्थिति बनी कि आप लोग किस प्रकार मुंह छिपाकर घर में घुस जाए, घरों में घुस गये और शाम को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बजट की प्रतिक्रिया के लिए प्रेस नोट जारी करना पड़ा। ऐसी दुर्गति मैंने आज तक कभी नहीं देखी। इस बार करीब-करीब वही हुआ।

नेता प्रतिपक्ष बोल रही थीं, यह हमारा विजन था वह प्रस्तुत हुआ है, इसके अन्दर सुझाव आए हैं, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं, इसमें कुछ नयापन नहीं लगता है, न जोश दिखता है। मैं उनको कैसे कह सकता हूं, वे आज यहां पर मौजूद भी नहीं हैं, मेरी भावना आप पहुंचा दीजिए कृपा करके। आपको आज उन्होंने अवसर दिया है बोलने का, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि किस प्रकार से आप हमारी भावनाओं से अवगत कराएं कि कौनसा विजन इसमें आ गया है। अगर कोई सुझाव आपके वक्त का था, या हमारी सरकार थी, हमारे वक्त के थे, सरकार आपकी बन गई तो आपका कर्तव्य बनता है कि अच्छा लगे तो आप उसको स्वीकार करें। इसमें कोई बुरी बात

(श्री अशोक गहलोत)

नहीं है लोकतंत्र में। जिस रूप में कमेंट दिये गये, मैं समझता हूं कि प्राइवेटली आज भी आपके अधिकांश सदस्य यह कहते हैं कि कहने को तो कुछ है नहीं, हमें बोलना पड़ता है इसलिए बोलेंगे ही। हमें एतराज भी नहीं, यह मैं कहना चाहता हूं आपसे। बोलना है आपको हाउस में, हो सकता है, कोई अच्छी बात निकल जाए, उसको हम लोग स्वीकार कर लें। दिगम्बरसिंह जी, कोई कहानी बन रही है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जिंदा रहे तो बता देंगे क्या है इसमें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): क्या कहा आपने?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जिंदा रहे तो बता देंगे, क्या है इसमें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जिंदा रहे तो? भगवान आपको लम्बी उम्र दे और आप शासन को देखें, हमारी परफोर्मेंस को भी देखें और आपके मुंह से तारीफ भी हो, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं।

इसलिए मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमारे देश के प्रधान मंत्री जयपुर आकर हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना को बतायें कि क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ; पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने डिबेट के अन्दर भाग लिया उनको। सब बातों के जवाब तो दे नहीं पाएंगे परन्तु सब नोट किये गये हैं। उन भावनाओं के आधार पर कैसे काम हो सकता है, उसमें हम प्रयास करेंगे।

इस मुबारक मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्रीजी स्वयं जो राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय जगत के अन्दर शानदार इकोनोमिस्ट के रूप में उनका आदर-सम्मान है, बराक ओबामा सहित तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष उनका सम्मान करते हैं इस रूप के अन्दर, अगर वह व्यक्तित्व आकर यहां मंत्रीमण्डल के साथियों के साथ बैठकर के बातचीत करे और वह आपको यह कहे तो आपको और हम सबको यह गर्व होना चाहिए कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बेहतरीन उपलब्धियों के कारण देश के अग्रणी राज्यों में राजस्थान है। नम्बर एक।

नम्बर दो, वित्तीय प्रबंधन के सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर्स, सूचकांक के ये अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं लेकिन आप सातवें पायदान से ग्यारहवें पायदन पर इस ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद पहुंच गये हैं। यह सरकारी रिकार्ड है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह आप बैठ जाइये अभी तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सातवें से ग्यारहवें स्थान पर आ गये आप।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपको ग़लतफ़हमी है। वह किस सन् में आये हैं, वह अलग जुमला है, वह अभी आपको मालूम पड़ेगा। अगर प्रधान मंत्रीजी ने कहा है तो कुछ सोच-समझ कर कहा होगा। उस पर आप चिंतन-मनन कीजिए कृपा करके।

प्लानिंग कमीशन देश का, डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन, मिस्टर मोंटेक सिंह आहलूवालिया, अगर वे यह कहें कि राज्य की विकास दर 10.7 परसेंट होना राजस्थान की, नेशनल जी.डी.पी. आपकी 8.79 परसेंट है और राजस्थान की 10.7 परसेंट है, नम्बर वन। नम्बर दो, वित्तीय प्रबंधन के कारण से घाटा कम हुआ है। महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकांक में सुधार और उसके साथ-साथ उन्होंने तीन योजनाएं जो राजस्थान में चल रही हैं, मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना, मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसके बारे में वे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, हमें एक अलग से नोट बनाकर भेजें जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग प्रयास कर सकें कि यह कैसे लागू हो सकता है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये अभिनव प्रयोग हैं देश के अन्दर और मैं फिर कहना चाहूंगा मैंने कई मंचों से उठाया है इस मामले को कि वक्त आ गया पूरे मुल्क में राइट-टू-शैल्टर होना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं एक आपको बताऊं। यह बजट पूर्व सर्वे में लिखा है, अभी जो प्रणव मुखर्जी ने पेश किया, विकास के सम्बन्ध में सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड ने किया, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात थे तथा सबसे खराब प्रदर्शन कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड ने किया जिनकी दर घटकर 10 परसेंट से भी बहुत नीचे चली गई। यह पार्लियामेंट में प्रणव मुखर्जी ने पेश किया, वह है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सुनिये, यह किस सन् का है? आप लोग अभी माननीय नेता, उप नेता, प्रतिपक्ष, पी.एच.डी. चैम्बर्स आफ कामर्स को लेकर के जो बोल रहे थे कि आपको मैंने कोई कटाक्ष किया है, यह मेरा कोई ध्येय नहीं था कि मैं कोई कटाक्ष के अन्दर आपसे बात करूं। मैंने जो कहा, वह बिलकुल सही कहा। पी.एच.डी मिन्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप सुनिये मेरी बात। थोड़ा-बहुत आप धैर्य रखो कम से कम। क्योंकि उस दिन आपने धैर्य रखा, उस दिन तो धैर्य रखा, धैर्य, पर आज दिन का आपको इंतजार था कि मैं जवाब दूं, तो कम से कम मेरा धैर्य जो उस वक्त रहा, उसमें अपनी बात कह सकूं। पर यह पी.एच.डी. चैम्बर्स आफ कामर्स, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ही है, आप समझिये मेरी बात को। मैं दिल्ली में रहा हूं। 30 साल रहा हूं मैं। 30 साल पहले मैं गया हूं। उन्होंने एक नया एन.जी.ओ. बना दिया। मैंने भी एतराज किया उनके साथ में। मेरे उनके सम्बन्ध हैं। मैं उनकी मीटिंग में इसलिए नहीं जाता था कि मैंने कहा कि जब आप पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का नाम लेकर बैठे हो दिल्ली के अन्दर, तो राजस्थान के हम लोग क्यों आपके यहां पर आकर बात करें? नम्बर एक। फिर उनकी जो एक्टीविटी थी कई राज्यों में, तो मेरी तरह कई राज्यों ने एतराज किया। इस कारण से उन्होंने एक एन.जी.ओ. बना दिया। उसमें जो आपकी डेफिनेशन है, वह नीचे छोटे से शब्दों में लिख दी गई थी, यह उन्होंने किया था। इसलिए मैंने उस दिन कहा, आपने जो कोट किया किताब को, वह किताब पी.एच.डी. चैम्बर्स आफ कामर्स की ही थी और उसके अन्दर उन्होंने जो है पेज नम्बर चार पर लिखा- आप इस किताब का किसी भी रूप से उपयोग नहीं कर सकते और न ही पेश कर सकते। यह इन्होंने प्रतिबंधित किया, वह जो मैंने उस दिन कहा था, आपने उसको फिर भी कोट किया।

तो मैं यह कहना चाहूंगा आपको कि यह कोई बहस का विषय नहीं है। आपके हाथ में किताब लग गई, आपने उसको कोट कर दिया। आपको उसका बैक-ग्राउंड मालूम नहीं होगा पर बार-बार आपने कहा था भारत सरकार, भारत सरकार के आकड़े हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ा, वे भारत सरकार के आंकड़े नहीं हैं।

अभी आपने कहा, एस.डी.आई., वुमेन डवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपने कहा कि हम लोग चले गये हैं, 14वें से 17वें नम्बर पर चले गये हैं। आपको मालूम है कि यह किसके लिए कहा है? यह जो आंकड़े आप दे रहे हो बिना सोचे-समझे, यह आपके 2007-08 के आंकड़े हैं यहां, जो पेश किये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या पार्लियामेंट में 2007-08 के आंकड़े पेश किये? बजट पूर्व सर्वे जो पेश किया है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): थोड़ा सन् भी पढ़ा करो। इकोनोमिक सर्वे वर्ष 2011-12 के आंकड़े भी हाथ में है, सन् भी लिखा है पर उसके पहले टेबल भी लिखा हुआ है यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, 2011-12 है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): Ranking of States based on S.D.I. and its components 2007-2008. यह लिखा हुआ है इसके अन्दर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसमें लिखा है, 2010-11 के विकास के संदर्भ में।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप तिवाड़ी साहब ने कहा कि हमारे विद्वान मित्र पीछे जो बैठे हुए हैं, विद्वान तो आप भी कम नहीं हैं। ब्राह्मण देवता हैं आप भी और ब्राह्मण विद्वत्ता में कम हो ही नहीं सकता। फिर भी आपने काम्प्लीमेंट दिया अपने साथियों को।

रेवेन्यू सरप्लस, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट पर इसमें अपने मायने होते हैं और मुझे यह कहते गर्व है कि शानदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शानदार वित्तीय प्रबंधन के कारण ही हमें प्रधान मंत्रीजी डाक्टर मन मोहन सिंहजी का और डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन का सर्टिफिकेट मिला है। और यह तमाम बातें मैं आपको बजट की मेरी स्पीच में कह चुका हूं। उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, सदन का समय जाया होगा परन्तु सब पैरामीटर्स में, अगर मैं एक-एक लाइन आपको पढ़कर सुनाऊं कि राज्य वर्ष 2010-11 से निरंतर रेवेन्यू सरप्लस में है, अर्थात् हम पूंजीगत प्राप्तियों को रोड बनाकर खर्चों में उपयोग नहीं ले रहे हैं। यदि पूर्व वर्षों की स्थिति देखी जाए तो राज्य में गत दो दशकों के दौरान, दो दशकों के दौरान मतलब बीस साल होते हैं, दो-चार सालों को छोड़कर के अधिकतर राजस्व घाटे की स्थिति रही है तो कोई नई बात नहीं है। फिर भी हम लोग रेवेन्यू सरप्लस में आये हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। और टेबल भी है मेरे पास में, आंकड़े भी हैं, उनको बताने में बहुत वक्त लग जाएगा।

इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये जो स्पीचेज हुई हैं, यहां पर राजपाल सिंहजी, हमारे माननीय सदस्य ने कहा, कटारिया साहब ने कुछ बातें यहां पर रखीं, अन्य साथियों ने रखीं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर सैक्टर के अन्दर जो फिस्कल डेफिसिट है, जी.डी.पी. का 3 प्रतिशत तक रखने की सीमा रखी हुई है फाइनेंस कमीशन द्वारा और हमारे यहां पर 2.14 उसका परसेंटेज मेनटेन किया है हम लोगों ने। तीन परसेंट से आगे नहीं

(श्री अशोक गहलोत)

बढ़े हैं। यह उपलब्धता सरकार की है और यह पूरे मुल्क में लागू होती है, खाली राजस्थान की बात नहीं है।

कुल ऋण भार एक लाख सोलह हजार करोड़ का अनुमानित है जो जी.डी.पी. का 29 परसेंट है। जो छूट दी गई है, छूट ऐसे ही नहीं दी जाती है, छूट देने से पहले फाइनेंस कमीशन हर राज्य में जाते हैं, बात करते हैं, राज्य की खुद की स्थिति क्या है; राज्य की फाइनेंशियल क्या स्थिति है, उसको एग्जामिन करते हैं। क्या उनका बेक-ग्राउंड है; किस प्रकार की फाइनेंशियल वहां पर परफोर्मेंस है; उसको देखकर लिमिट दी जाती है। हमारे यहां पर यह कहा गया कि 38.3 परसेंट तक आप लोन ले सकते हैं जी.डी.पी. का। जबकि 38.3 परसेंट की बजाए 29 परसेंट तक पर ही हम सीमित हैं। यह हमारी उपलब्धि है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

राज्य के आगामी वर्ष का ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 13 परसेंट रहना अनुमानित है, जो गत दो दशकों में न्यूनतम है। दो दशकों में। टेबल नम्बर चार, दो दशकों में, मतलब 20 साल के अन्दर सबसे कम; जो ब्याज हम भुगतान कर रहे हैं, राजस्व की प्राप्तियों के मुकाबले में वह हमारा सबसे कम है, 20 सालों के अन्दर, यह टेबल हमारे पास मौजूद है। यह 13.2 परसेंट रहेगा इस बार। जो 1991-92 के 14.9 परसेंट से लगाकर देखें हम लोग, तो पहली बार इतना कम रेवेन्यू रिसीप्ट में 13 परसेंट रहना अनुमानित है, जो गत दो दशकों में सबसे न्यूनतम है। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा।

आगामी वर्ष में राज्य का पूंजीगत व्यय शुद्ध ऋणों का 107 परसेंट है। इसका मतलब है कि परिसम्पत्तियां बन रही हैं। कर्जे लिये जा रहे हैं, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे केन्द्र सरकार हो परन्तु पूंजीगत असेट्स बन रही हैं। यह शो करता है इस बात को। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं अपनी गलती, थोड़ा स्वयं समझना चाहता हूं, समझने के लिये। मैं समझना चाहता हूं ..

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आप बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सेकंड केवल। ये जो आंकड़े हैं, या तो मेरे आंकड़े गलत हैं। मैं केवल करेक्ट करना चाहता हूं, मैं केवल अपने आपको करेक्ट करना चाहता हूं। यह जो आपने कर्जा बताया 1.16 और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जी डी पी का जो आंकड़ा मेरे पास है, ...(व्यवधान) इसके हिसाब से 41 प्रतिशत बनता है। या तो मेरी गणित गलत है.. .

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप ही की गलत हो सकती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): या इस आंकड़े में कोई अन्तर है। यह आपकी किताब के हैं, मेरे नहीं हैं। इसको करेक्ट करना चाहता हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आगामी वर्ष में हमेशा, अध्यक्ष महोदय, पिछली बार हम सरकार में थे तो बराबर हम कहा करते थे कि जो रेवेन्यू होती है, वह खाली सैलेरी में, पेंशन में, इंटरेस्ट को पेमेंट करने में और जो मूल कर्जे हैं, उनकी किश्तें चुकाने में और ग्रांट जो देते हैं नगरपालिकाओं को, पंचायतों को, उसमें चली जाती है। यह तो आपको मालूम है, हम लोग भी कई बार कहते थे हाउस के अन्दर। पर मुझे कहते हुए खुशी है कि रेवेन्यू रिसीप्ट का अब 92 प्रतिशत तक ही अनुमानित है यह खर्चा। इसका मतलब है कि इस प्रकार का प्रबन्धन किया गया जिसके कारण से आज जो सैलेरी हैड, पेंशन हैड, इंटरेस्ट हैड, लोन की किश्तें चुकाने का हैड, ग्रांट, उसके बावजूद भी रेवेन्यू प्राप्तियां ज्यादा हो रही हैं। यह मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके अन्दर 90 प्रतिशत तक ही खर्चे हो रहे हैं।

झोटवाड़ा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं कि नहीं बैठे, मुझे पता नहीं है, चले गये होंगे। वैसे तो उन्होंने कई पाइंट रेज किये पर एक उन्होंने कहा कि तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें नहीं आई होतीं तो आप भी आज कटोरा लेकर घूम रहे होते। इस तरह की शब्दावली काम में लेना, नेता प्रतिपक्ष ने ली थी तो मैंने आलोचना की थी हाउस के अन्दर कि कम से कम डेमोक्रेसी के अन्दर अकाल-सूखा पड़ा हुआ है, लोग तकलीफ में है तो राज्य सरकार केन्द्र से जाकर कुछ पैसा मांगती है तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिये। उसको आप यह कहो कि दिल्ली की सड़कों पर मुख्य मंत्री कटोरा लेकर घूम रहा है, वह तो मैंने सुना है उनके जमाने में पर मुझे राजपाल सिंहजी शेखावत साहब से उम्मीद नहीं थी, उम्मीद तो नहीं थी, पर उम्मीद करनी भी चाहिये मुझे, क्योंकि प्रेरणा लेनी पड़ती है नेता प्रतिपक्ष से उनको। उन्होंने यह कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा,। फेडरल सिस्टम में फाइनेंस कमीशन यह जो जारी करता है, कांस्टीट्यूशनल अथोरिटी के रूप में करता है। चाहे राज्यों के अंदर सरकारें किसी की हों। केन्द्र सरकार को मानना ही पड़ता है। उसी के अनुपात के अन्दर राशि मिलती है, राज्यों को राशि उसी अनुपात में मिलती है जो कि

(श्री अशोक गहलोत)

वे तय करके जाते हैं। उसी अनुपात में हमको मिलती है, उसी अनुपात में उनको मिलेगी। परन्तु उस वक्त में जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेज था, उसकी वृद्धि दर एक्स्ट्राअर्डिनरी कलेक्शन हो रहा था केन्द्र के अन्दर भी, जब से डा. मनमोहन सिंहजी की गवर्नमेंट बनी, तब से एक्स्ट्राआर्डिनरी हुआ। उसका फायदा आपको एक्स्ट्रा मिला। जितना मिलना चाहिये आपको फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन के आधार पर, उससे ज्यादा मिला क्योंकि 26 प्रतिशत शेयर इन सेंट्रल टैक्सेज में वृद्धि दर रही उस वक्त में।

इसके अतिरिक्त 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत, आपको मालूम है, एक बार ऋण माफी की योजना भी आई थी उस वक्त में1 क्योंकि ऋण बहुत चढ़ गये थे, कर्जे बढ़ गये थे तो अच्छी योजना आई थी। उसका लाभ भी आपको मिला। इस कारण से जो दो साल आपकी अनुकूल स्थिति रही, उसका कारण वही था कि वास्तविक वृद्धि दर 23 प्रतिशत थी और 2008 -09 से 2012-13 तक अभी वार्षिक वृद्धि दर 16 प्रतिशत ही है, अनुमानित है। इसलिये आप सोच सकते हो कि यह इस प्रकार का जुमला वह नहीं कसते तो ज्यादा बैटर रहता, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता तो उनको मालूम पड़ता कि वास्तव में क्या हालात होते हैं। आपको जो ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन, उनके प्रोजेक्शन के पैसे देने थे, उसकी तुलना में आपको 2,678 करोड़ रुपये ज्यादा मिले, जोकि फाइनेंस कमीशन के निर्देश से मिलने चाहिये। कलेक्शन ज्यादा हुआ दिल्ली के अन्दर तो आपको 2,678 ज्यादा मिले। जबकि इन दोनों वर्षों का, जिसका गुणगान आप करते हैं 2006-07 और 2007-08 का, उसके मुकाबले में 2,291 करोड़ रुपये आपका सरप्लस रहा। इसके मायने, मैं यह कहना चाहता हूं, अगर वह एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता अपने को, तो 387 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट आपके पक्ष में रहता। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे वक्त में जिस प्रकार का मैनेजमेंट हो रहा है, वह नौबत ही नहीं आ रही है और हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस में आ गये हैं। यह हमारी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सरकार का आन टैक्स रेवेन्यू वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान में चला जाता है, वह बता रहे हैं, राजपालजी साहब। उसके लिये मैं कहना चाहूंगा, उल्लेखनीय है कि 20 वर्षों में एक वर्ष भी ऐसा नहीं रहा है जब इन मदों में आन टैक्स रेवेन्यू से अधिक नहीं हुआ हो। अब आप कल्पना कर लें, पूरे 20 साल के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। उसके अन्दर खर्चा पहली बार सरप्लस

(श्री अशोक गहलोत)

हुआ है, आन टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा नहीं हुआ है। यह पहली बार सम्भव हुआ है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा, जिस रूप में कुछ सवाल उठाये गये हैं फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के, उसमें हमारे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट की पालना नहीं हो रही है। कैसे पालना नहीं हो रही है? माननीय कटारिया साहब, आप तो अनुभवी सदस्य हैं और मेरी समझ के परे है कि आपने यह कमेंट कैसे कर दिया? एफ.आर.बी.एम. एक्ट में प्रमुख रूप से रेवेन्यू डेफिसिट समाप्त करने, फिस्कल डेफिसिट को जी डी पी के तीन परसेंट तक सीमित रखने और राज्य के कुल ऋण को जी एस डी पी के निर्धारित अनुपात वर्ष 2011-12 में 39.3 परसेंट और वर्ष 2012-13 में 38.3 परसेंट तक सीमित रखने का प्रावधान है भारत सरकार का और फाइनेंस कमीशन का। वर्ष 2010-11 के वास्तविक आंकड़ों में वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों से हम इन तीनों पैरामीटर्स में एफ.आर.बी.एम. एक्ट के प्रावधानों की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 13वें वित्त आयोग के सिफारिशों की भी पालना हो रही है। अतः माननीय सदस्य का यह आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

योजनागत व्यय चालू वर्ष में अब तक केवल 65 परसेंट ही होने का आपने उल्लेख किया, जो सही नहीं है। वह फरवरी के अन्दर 75 परसेंट तक हो चुका। अगर हम लोग आंकड़े देखें 2003-04 के, जब आपका शासन था, आप पायेंगे, उस वक्त में 65 परसेंट था। तो आपके आंकड़े भी कोई अच्छे आंकड़े नहीं हैं। आपकी सरकार पांच साल की और तीन साल को मिलायें, हम लोग देखेंगे, तो इसके इर्द-गिर्द ही घूमता है यह, बल्कि हमारी परफोर्मेंस ही अच्छी हो रही है। यह मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप खुद कल्पना कर सकते हैं।

ये सब आंकड़े पढ़ने का तो कोई मायने नहीं रहेगा, पर इतना आप समझ लें कि आपने 71,731 करोड़ की योजना बनाई थी पांच साला योजना, और जिस प्रकार से हमने प्लान साइज रखी हर साल, उसके कारण से आपको और सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि 96 हजार करोड़ रुपये का खर्चा प्रदेश के विकास पर खर्च होने जा रहा है। 96 हजार करोड़ खर्च हो रहा है 71,731 के अगेंस्ट में।

(श्री अशोक गहलोत)

कुछ सदस्यों ने कहा, झोटवाड़ा से आने वाले विधायक महोदय ने ज्यादा कहा कि बहुत टैक्स लगा दिये। टैक्स तो हमने खाली तम्बाकू, तम्बाकू उत्पादों और पान-मसाला पर लगाया है। मैं समझता हूं, हाउस मेरे से सहमत होगा कि इनको हतोत्साहित करने के लिये आवश्यक भी है। अगर मेरा बस चले तो मैं तो तम्बाकू, तम्बाकू उत्पाद और पान-मसाले पर पूरी तरह बैन लगा दूं। जिस प्रकार से गले में कैंसर, मुंह के कैंसर, बीमारी पर इलाज, परिवारों की बरबादी हो रही है, उसमें आप बताइये कि अगर मैंने 10 परसेंट बढ़ा दिया तो मैंने क्या गुनाह किया? बता दें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने उसके लिये नहीं कहा, मुख्य मंत्रीजी, मैंने डी एल सी रेट के लिये कहा था। उस पर तो 50 परसेंट और बढ़ा दो, बैन ही लगा दो परमानेंट और दारू पर भी लगा दो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डीएलसी की दरें ज्यादा बढ़ा दीं लैंड यूज चेंज के आधार पर। माननीय सदस्य, मैं यह कहना चाहूंगा कि खाली दस परसेंट बढ़ायी है। किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा। किसानों की जमीन एक्वायर होती है तो डी एल सी रेट बढ़ने से उनको कुछ ज्यादा पैसा मिल जाता है। डी एल सी रेट किसानों के हित में बढ़ायी गयीं। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या, श्रीमती अनिता भदेलजी ने कहा कि धार्मिक क्षेत्रों की सड़कों की घोषणा की गई थी बजट के अन्दर, उनके क्षेत्र में पूरा नहीं किया गया। मैं यह समझता हूं कि उनको जानकारी होगी कि 11 करोड़ 96 लाख रुपये के काम धार्मिक स्थलों को जोड़ने के वहां पर हो चुके हैं जिले के अन्दर परन्तु चार विधान सभा क्षेत्रों अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, मसूदा और केकड़ी के 21 कार्य ऐसे हैं, जिन पर माननीय उच्च न्यायालय से स्टे आया हुआ है। इस कारण से उनको करवाया जाना सम्भव नहीं हुआ है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य बैठे होंगे, उन्होंने मेगा हाइवे के तहत बन रही सड़कों के बारे में कहा, टोल टैक्स वसूल करने की बात कही गयी। टोल टैक्स के बावजूद भी 20 परसेंट अंशदान स्टेट गवर्नमेंट देती है। वी जी एफ अलग देती है। अगर अपन चाहते हैं कि राजस्थान में सड़कों का जाल बिछे, मेगा हाइवेज बनें, स्टेट हाइवे अच्छे बनें, नई-नई सड़कें बनें तो उसके

(श्री अशोक गहलोत)

अन्दर बी ओ टी बेसिस पर बनानी पड़ेंगी। बी ओ टी बेसिस का नया कंसेप्ट नहीं है। आपके वक्त में भी था, पहले भी था और आज भी है। इस कारण से काम किया गया है।

बाकी जो हमारी प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की सात करोड़ की मिसिंग लिंक की स्कीम है, वह चल रही है। ग्रामीण सड़कों के सुधार के बारे में आपने बात की। 353 करोड़ की अलग से, जो 13वें वित्त आयोग ने प्रोविजन किया है, उसके आधार पर काम चल रहा है। नाबार्ड के सहयोग से और ज्यादा काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

पानी पी सकता हूं? कुछ फैसले, ढाणियों का विद्युतीकरण, इसकी मांग हमेशा सदन के माननीय सदस्यों की रही है। सौ से कम की आबादी की मांग के बारे में बजट प्रस्तुत करते समय मैंने इशारा किया था। बाकी तो हम केन्द्र सरकार से सहयोग मांग रहे हैं पर सौ से कम आबादी की ढाणियों के विद्युतीकरण की जो मांग है, उसको पुनः शुरू करने का मैंने प्रस्तावित किया है। एक सौ पचास करोड़ रुपये प्रति वर्ष दो साल तक सरकार देगी और सौ से कम आबादी वाली ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाएगा। यह मैं सदन को कहना चाहता हूं। पांच-पांच का समूह बनाकर उनके अन्दर घरेलू कनेक्शन देंगे। 16,662 ढाणियों में 60 हजार परिवार हैं, तीन सौ करोड़ रुपये की राशि दो वर्ष में होगी लेकिन यह एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। मैं समझता हूं इसका लाभ सबको मिलेगा।

एक और बात। माननीय कटारिया साहब बहुत भावुक होकर बोल रहे थे कि हमने एक भी नौकरी नहीं दी। आप भी कहते रहते हैं। सरकार में आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं। पहले भी थे और अब भी हैं। आंकड़े गलत तो हो नहीं सकते। कई माननीय सदस्यों ने वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी क्षेत्र में पिछले तीन सालों में एक भी पक्की नौकरी नहीं लगा पाने का आरोप लगाया। हकीकत बिलकुल इससे उल्टी है। सन् 2003-04 से 2007-08 जो आपका समय था सरकार में रहने का, पिछली सरकार के कार्यकाल में आर ए एस, आरपीएस आदि जो स्टेट सर्विसेज हैं, उनकी आपने 1,773 की नियुक्तियां की थीं। आप बहुत ही होशियार लोग हैं। आप तो हैं ही हैं, इसीलिए जीतकर आ गये आप सांगानेर से। शहर का इलाका है, जीत गये। विश्वविद्यालय सीकर बनवा रहे हैं और आ यहां गये हो। आपने खाली 1,773 को नियुक्ति दी। आप वाहवाही लूट रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा

(श्री अशोक गहलोत)

5,523 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। बताइये आप। आप कुछ तो कृपा किया करो। ऐसा माहौल बनाते हो हाउस के अन्दर और बाहर भी, जैसे कि हम तो एक भी नौकरी नहीं दे पाये और आपने लाखों दे दी होंगी।

दूसरा पाइंट है, आर पी एस सी के माध्यम से विभिन्न विभागों में पिछली सरकार ने, साथ में आपका बता रहा हूं, 7,157 नियुक्तियां दी थीं जबकि वर्तमान सरकार द्वारा 29,343 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आप बताइये, आप थर्ड ग्रेड टीचर की, जिसके लिए आप पहले भी करते आये हैं, मैं चाहूंगा हाउस तो आगे के लिए आज एडजोर्न हो जाएगा, आप मंत्रीजी के साथ और मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं। आप अकेले आयेंगे तो कई तरह की आशंकाएं पैदा हो जाएंगी, शक सुबहा पैदा होगा। आप अकेले नहीं आयें। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, दिगम्बर सिंहजी हैं, राधेश्यामजी हैं, और किसका नाम लूं मैं, बताओ, राजेन्द्रजी? भवानी सिंह राजावतजी हैं, आप इनको साथ लेकर आओ। हमें खुशी होगी। मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा और आपसे मैं बैठकर बात भी करूंगा। नौकरियों के मामले में जो आपको गलतफहमी है तो वह ठीक करेंगे। क्योंकि उद्देश्य सबका एक ही है कि नौकरियां कैसे लगें। दुर्भाग्य है कि तीन साल हो गये, कभी हाई कोर्ट, कभी राइट-टू-एजुकेशन एक्ट आ गया नया। टेट केन्द्र ने कम्पलसरी कर दिया, इसके कारण से जो काम हुए वह दो साल पहले हो जाने चाहिए थे, वे हम नहीं कर पा रहे हैं। यह हम स्वीकार करते हैं। मंशा में कोई गड़बड़ नहीं है। यह जो पंचायत राज को थर्ड ग्रेड टीचर का अधिकार दे दिया, कानून बन गया आपके यहां पर, उसके बाद डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं रहा है कि वह किस प्रकार उसको बदल सके। फिर भी हम आपकी बात सुनेंगे और कुछ होगा तो हम उस पर विचार करेंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

मुझे सदन को बताते हुए हर्ष है कि दिसम्बर, 2008 से आज तक कुल 54,066 पदों पर विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आप कहते हैं कि हम लोगों ने एक भी नौकरी नहीं लगायी, कोई तो आपका मित्र या रिश्तेदार या वर्कर कहता होगा कि मेरी नौकरी लगी है। पता नहीं, आप लोग किस दुनिया में रहते हो। क्या जनता से आप इतने कटे हुए हो कि आपको मालूम ही नहीं कि कितनी नौकरियां लग रही हैं, आपको मालूम ही नहीं हो रहा है। 54,066 पदों पर विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इसके अलावा बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं में 13539 पदों पर

(श्री अशोक गहलोत)

नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 54,066 अलग हैं और ये अलग हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कुल 67,605 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अतः विपक्ष का आरोप गुमराह करने वाला है, यह मेरा आपके ऊपर आरोप है। (व्यवधान)

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जिस रूप में आप उस रोज बोल रहे थे कि पता नहीं, मैं इतिहास रच दूंगा हाउस के अन्दर; मैं तो घबरा गया, मैं तो दौड़ कर आने वाला था। अगर उस दिन रात को उन बच्चों पर लाठी चार्ज हो जाता, किसी के फ्रैक्चर हो जाता, खून निकल जाता, कुछ भी घटना हो जाती तो मैं खुद आकर आपसे सारी फील करता। कृपा करके आप ऐतिहासिक कदम नहीं उठायें। मुझे मालूम था कि इसमें कोई सत्यता नहीं थी इसलिए मैं अपने रूम में बैठा रहा और मैंने कहा कि आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि आपको गुमराह किया गया या किसी ने आपको बोलने के लिए कहा। किस रूप में आप बोलें, ऐसा माहौल बनाया आपने, पता नहीं, आप क्या कर डालोगे यहां पर। मैं तो उस समय खुद घबराने लग गया था। अच्छा हुआ आप शांति से बैठे रहे। हमारे गृह राज्य मंत्रीजी ने जब आपको घटना से अवगत कराया, तब सदन में शांति हुई। कम से कम, अन्त में आपने सुन लिया पर सुबह क्वेश्चन आवर में इतने अच्छे क्वेश्चन थे, जीरो आवर था, जिसका फायदा आप उठाते हो, उससे आप वंचित रह गये। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसको किसी ने लाइक नहीं किया। आपका इतना गुस्सा भी, पहले भी मैंने आपको कहा 80/120 रखो। पहले ही मैंने आपको कहा था, प्लीज, प्लीज ध्यान रखो आप। आप अच्छे इन्सान हैं पर जब आप बोलते हैं, कभी-कभी, जब गुस्सा अन्दर से आता है, पता नहीं आपके अन्दर क्या भावना जाग्रत हो जाती है कि फिर आप समझते ही नहीं हैं या पता नहीं, क्या कहते हैं, ...(व्यवधान) भैरूं जी की तरह। ठीक कह रहे हो आप।

एक माननीय सदस्य: भैरूं जी चढ़ जाते हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): भैरूं जी चढ़ जाते हो, यह बात ठीक कह रहे हो, ऐसे बोलते हैं आप। मैंने आपको टी.वी. में एक बार सुनते हुए देखा, आपने कांग्रेस नेताओं के बारे में ऐसे-ऐसे शब्द काम लिये। उस दिन आप बोल रहे थे हाउस के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा रही कि तमाम वे डिलीट हो गये वरना इतिहास में लोग पढ़ते तो कहते, भई, यह क्या हो रहा है। तो कृपा करके आप अपना 80 और 120 रखो, उससे आगे मत बढ़ाओ। जो यह कहा, करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ठीक है।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): धन्यवाद आपका कि मेरी बात को आपने ध्यान से सुना है, अच्छे वे में लिया है, बुरा नहीं माना है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): स्वास्थ्य के लिए अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो देवी सिंह जी भाटी से ले सकते हो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यह अभी जो आपने कहा कि जो 60 परसेंट, 70 परसेंट बात आप कर रहे थे, तो मेरे पास पूरी टेबल है, आप कहें तो मैं आपको दे दूंगा अलग से वरना हमारे वक्त में और आपके वक्त के फीगर मेरे पास में हैं कि जो परफोर्मेंस रही है फरवरी तक की या मार्च तक की, सब आंकड़े मेरे पास में हैं। हम उसमें जिस प्रकार से आप तीन साल के आंकड़े देखें तो 96.3 परसेंट घोषणाएं इम्प्लीमेंट हुई हैं बजट की, तीन साल की भी और आपके वक्त में भी 96.2 परसेंट रही हैं, यह घोषणाएं आपकी पूरी हुई थीं। परन्तु, परन्तु पांच साल के फीगर हैं आपके जो कि 96.2 परसेंट हैं, मेरे फीगर तीन साल के ही हैं 96.3 परसेंट के। इसके मतलब यह हुआ कि टोटल घोषणाएं पूरी होने की मैं सूची दे रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि जो घोषणाएं आपने तीन-चार में की होंगी, वे अगर तीन साल में बाद में भी हुईं, वे भी इसके अन्दर आती हैं क्योंकि पांच साल का पीरियड मिला। कोई घोषणा बजट की जरूरी नहीं कि एक साल में पूरी हो, दो साल में पूरी हो, हो सकता है कि वह काम ऐसा हो जिसमें तीन-चार साल लगते हों। तो आपके सब मिलाकर के 96.2 परसेंट है और हमारे तीन साल के अन्दर 96.3 परसेंट है। मैं समझता हूं कि बजट की घोषणाएं, दूसरी घोषणाओं की जो संख्या है वो हमारी तीन साल में आप देख लीजिए, 1,175 है और आपकी पांच साल में 1,282 थीं। तो आप कल्पना करें कि हमारी घोषणाएं ज्यादा हैं, उस कारण से फिर भी हमारी परफोर्मेंस इतनी अच्छी रही है। यह भी मैं कहना चाहता हूं।

दवाओं के बारे में मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि बहुत ही शानदार योजना है, आपको वैलकम करना चाहिए और आपके एक साथी ने कहा भी था कि बी.जे.पी. को तो अब खाली कांग्रेस की ही आस रही है। आपने पढ़ा होगा अख़बार के अन्दर, आपके एक साथी ने कहा कि बी.जे.पी. खुद तो लड़ती ही है, झगड़ती ही है, दिगम्बर सिंह जी कह रहे थे कि ...(व्यवधान)

(श्री अशोक गहलोत)

ओम बिरला जी, ओम बिरला जी, आपका तो वह जो, यह जो विद्यार्थी मित्र वाले चेले आपके ही थे। इसलिए आप तो चुप रहो। आप ही ने सब कुछ करवाया, जो कुछ करवाया।

मैं कहना चाहूंगा कि आपके एक साथी ने कहा कि अब बी.जे.पी. को कांग्रेस की ही आस रही है। इसके मायने, उनका मतलब यह था कि यू.पी.ए. गवर्नमेंट की उपलब्धि है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, स्टेट गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम, इन सब कामों को, बी.जे.पी. कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे गांव-गांव में जाकर के गरीबों की मदद करवावें। यह सतीश पूनिया जी ने कही है, सतीश पूनिया जी, जो आपके मेम्बर हैं, मेरे ख्याल से महामंत्री हैं या कोई पद पर हैं, इन्होंने यह बात कही है और उन्होंने कहा है कि, भई, इसमें एतराज क्या है; सरकार किसी की हो, अच्छे प्रोग्राम हैं तो हम इम्प्लीमेंट करवायेंगे। तो एक सर्टिफिकेट तो उन्होंने दे दिया हमें।

दूसरा सर्टिफिकेट जो बजट को लेकर आप कह रहे हो, साहब, कि क्या आपका विजन है; भई, विजन तो आपका है, जो अभी हैं नहीं यहां पर, नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष का विजन है, हम तो, हम तो क्या है कि...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): चन्द्रभान जी का भी तो याद कर लीजिए, चन्द्रभान जी ने जो स्टेटमेंट दिया है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हम तो आपको इतना ही कह सकते हैं, हमारे बजट की तारीफ, अगर पटाखे छोड़ रहे हैं बी.जे.पी. वाले, इससे बड़ी तारीफ क्या हो सकती है? बूंदी के अन्दर पटाखे छोड़े हैं बी.जे.पी. वालों ने। अलवर में पटाखे छूट रहे हैं। वे आपके मित्र हैं नहीं, दिगम्बर सिंह जी? कहां गये वे रोहिताश कुमार जी? अलवर में, जसवंत यादव जी नहीं बैठे होंगे, सब गायब हैं यहां पर तो। तो आप बताइये, पटाखे अलवर वाले छोड़ रहे हैं, बूंदी वाले छोड़ रहे हैं, सूरतगढ़ के छोड़ रहे हैं तो कुछ तो बजट में होगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बजट की तो नहीं, पर तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): वाह-वाह। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, शानदार दवा योजना है। महंगी से महंगी दवाइयां यहां पर, 714 रुपये की कैंसर की, 447 रुपये की गुर्दे की, 470 रुपये की हार्ट अटैक की, 3925 रुपये की गर्भस्थ शिशुओं की रक्षा हेतु, 756 रुपये की सी.टी. स्कैन के लिए इंजेक्शन की दवा, डाई, कहने का मतलब लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। इतनी शानदार

(श्री अशोक गहलोत)

योजना है कि हमें तारीफ करनी चाहिए। और राज्यों में कहीं-कहीं है यह योजना, कहीं 150 दवाई हैं, कहीं 260 दवाई है, हम आज 300 क्रास कर चुके हैं और 400 क्रास करना चाहते हैं। इतनी शानदार योजना है यह।

मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष का आपको मालूम ही है, चल रहा है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से आपके माननीय सदस्य भी, हमारे यहां के सदस्य भी जो लिखकर भेजते हैं, हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं, 60 हजार रुपये, 50 हजार रुपये, 40 हजार रुपये, जो आप मांगते हैं वह हम देते हैं। हम चाहते हैं राजस्थान में एक भी गरीब आदमी साधनों के अभाव में, डाक्टर साहब, आप तो इसकी ताईद करोगे, डाक्टर खुद हैं, कि व्यक्ति जो है, पैसे के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए, यह हमारा प्रयास है और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

नरेगा के माध्यम से, नरेगा के फीगर मैं आपको पहले दे चुका हूं, वह वापस रिपीट नहीं करना चाहता कि हमारे संख्या कम हुई है, तो पूरे मुल्क में सबसे कम हमारे हुई संख्या कम, परसेंटेज के हिसाब से। पिछली बार मैंने रिप्लाई दिया था, तब मैं आंकड़े बता चुका हूं। हमने पहले ही कहा आपको कि सिस्टम में करप्शन नहीं आना चाहिए। फिर मानसून अच्छा आ गया। अभी सौभाग्य से 119 रुपये जो वेजेज उनको मिलती थी, 132 रुपये केन्द्र सरकार ने की है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं पर मजदूर कम हुए हैं। पर मैं आपको, सदन को विश्वास दिलाऊंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जो काम मांगेगा राजस्थान के किसी गांव के अन्दर, उसको काम मिलेगा। यह कानून कहता है। कानून बनाने के मायने यही हैं। उसमें अगर कोई व्यक्ति लापरवाही कर रहा है, कोई काम नहीं दे रहा है तो उसको घर बैठे पैसे देने का प्रावधान है स्कीम के अन्तर्गत, मैं अपील करना चाहूंगा सदन के माननीय सदस्यों से, किसी गांव में आपको लगे, काम मांगने पर काम नहीं दिया जा रहा है, हम तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे अधिकारी के खिलाफ में, कर्मचारी के खिलाफ में। हम चाहेंगे कि जो एक्ट की भावना, मूल भावना जो सोनिया गांधी जी ने एक्ट बनाते वक्त में रखी है मनमोहन सिंह जी के सामने, उन्होंने मंजूर किया, एक्ट बनाया, हम चाहेंगे, उसमें एक-एक मजदूर को, गांव के आदमी को काम मिले। कोताही करने वाले को नहीं बख्शा जायेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

एक नयी योजना अपना-खेत-अपना-काम के माध्यम से, यह बहुत शानदार योजना है, इसमें आप लोग सब भागीदार बनें। करीब 24,37,865

(श्री अशोक गहलोत)

परिवारों का हमने सर्वे किया है, इनके खेत में वर्ष 2012-13 के अन्दर; आगामी, आगामी, आगामी, आप बोल रहे थे न, वे मतलब 2012-13, यह बजट; ध्यान रखना है आपको, यह आगामी नहीं होता है; पंचायतों की वार्षिक योजना में 8,47,033 कार्यों को सम्मिलित किया गया है। एक परिवार के खेत में डेढ़ लाख रुपये के कार्य का प्रावधान है। उसमें कुल 1,270 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसमें जो बी.पी.एल. के एस.सी. हैं, एस.टी. हैं, पहले उनको प्रायोरिटी मिलेगी; उसके बाद में एस.सी., एस.टी., को मिलेगी, जो बी.पी.एल. में नहीं हैं; उसके बाद में स्माल और मार्जिनल फार्मर को मिलेगी। इस प्रकार से यह योजना बहुत शानदार है। खेतों में काम कर रहे गरीबों के लिए यह वरदान साबित होगी। इसमें पूरे सदन के माननीय सदस्यों की मैं चाहूंगा कि भागीदारी बने। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। काम कई तरह के हैं, लम्बी लिस्ट है, मैं उम्मीद करता हूं आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

केरोसीन के अन्दर अलवर के अन्दर कोटकासिम में जो प्रयोग हुआ है, जिसकी तारीफ आपने सुनी होगी, भारत सरकार ने भी तारीफ की है, पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कोटकासिम में, जिसमें केरोसीन का अनुदान सीधा उनके बैंक खाता में जमा कराया गया। उससे कालाबाजारी कम हुई है, उससे बहुत इम्पेक्ट पड़ा और डिमांड कम हो गयी अपने आप ही क्योंकि अगर ब्लैकमार्केटिंग नहीं होगी तो कम हो जायेगी डिमांड तो यह एक प्रयोग हम चाहते हैं पूरे राजस्थान के अन्दर हो, इस प्रकार का मैं आपको कहना चाहता हूं।

यह जो एच डी आई की बात आपने कही, माननीय सदस्य सांगानेर से आने वाले ने, माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं एच डी आई, कल कहा आपने, ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स का आपने कहा, सोलहवें, सत्रहवें नम्बर पर आ गये आप, वह मैं आपको कह चुका हूं वैसे इसलिए मुझे वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं।

मंहगाई की मार सब पर पड़ती है। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि जो फैसले हमने किये हैं न उनको भी आप एप्रिशिएट करने का कष्ट करें। महंगाई को लेकर, महंगाई तो पूरे राजस्थान के अन्दर नहीं, पूरे देश के अन्दर रही है। मंदी का दौर पूरी दुनिया में रहा है। हमें कहते हुए गर्व है कि हमारी यू पी ए गवर्नमेंट डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह की नीतियां अपनाईं तो सबसे कम मंदी का असर रहा तो इस देश के अन्दर रहा। यह पूरी दुनिया

(श्री अशोक गहलोत)

मानती है और कोई माने या नहीं माने, पर हमने भी राजस्थान में कसर नहीं छोड़ी है। दो रुपये किलो अनाज बी पी एल परिवार को दिया, उत्तर भारत में प्रयास किया यह छत्तीस लाख परिवारों को जोड़ना एवं 350 करोड़ रुपये की सब्सिडी जाती है उसके अन्दर, वह हमने देना मंजूर किया है।

हमने जो निगम बनाकर के राज आटा, राज चाय, राज नमक की शुरुआत की, उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट है। इसमें हम आइटम बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बजट स्पीच में बताया, इस बात को लेकर हम चाहते हैं, फोर्टिफाइड आटा मार्केट में भी आए, अगर प्राइवेट भी है तो फोर्टिफाइड ही आना चाहिए जिससे कि आइरन और फालिक एसिड कम से कम आम आदमी के लिए हितकारी होगा। वैसा आटा मिले, वह हमारा प्रयास है।

हमने सबका जो गेहूं, चावल, दाल, आटा, धान, फोर्टिफाइड आटा, चौकर, मैदा, सूजी, केरोसीन सबको जो वैट मुक्त किया था, वह भी महंगाई कम करने के हिसाब से ही किया था, महंगाई की मार कम पड़े। करीब 300 करोड़ रुपये की राहत उस वक्त हम लोगों ने दी थी। इमारती पत्थर और साड़ी पर भी टैक्स भार कम किया गया। रसोई गैस का पचास रुपया बढ़ गया था, दिल्ली के अन्दर केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाया तो हमने 125 करोड़ रुपये देकर पचास रुपये से पच्चीस रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने देना स्वीकार किया है, दे रही है, 125 करोड़ रुपये इसमें लग रहे हैं। यह महंगाई कम करने का, उसकी मार कम करने का ही प्रयास है। डीजल की दर है 250 करोड़ रुपये हमें टैक्स लेना था, वह नहीं लिया। तो कम से कम 54 नये पैसे प्रति लीटर राहत दी गयी है। अभी दो परसेंट कम किया पैट्रोल के अन्दर, वह भी महंगाई कम करने का, मंहगाई की मार कम करने का प्रयास है। 700-750 करोड़ रुपये उस वक्त इन्पुट सब्सिडी दी गयी थी किसानों को पहली बार आजादी के बाद, कभी नहीं मिली, वह हमने दी है। दौ सौ करोड़ रुपये का अभी पैकेज दिया है, 200 करोड़ का अलग है पाला और शीतलहर के लिए और 360 करोड़ रुपए का अलग है जो मौसम आधारित बीमा से मिलेगा, उसमें 128 करोड़ रुपये का हमारा हिस्सा है। तो सरकार प्रयास कर रही है, कैसे उनको अधिक से अधिक राहत मिले।

मुख्यमंत्री आवास योजना की आपने बात की। आपको जानकर खुशी होगी, शानदार योजना है और मैंने कहा देश भर में लागू हो यह योजना, यह मेरा सपना है। एक भी व्यक्ति कच्चे मकान में, झोंपड़े में क्यों रहे? आग

(श्री अशोक गहलोत)

लगती है गरमियों के अन्दर; आंधी में, तूफान में, बरसात में रात गुजारना मुश्किल होता है। कम से कम एक कमरा ही मिल जाए उसको। आपने पिछली बार कहा था, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछले वक्त कहा था पचास हजार में कोई मकान बनता है; नहीं बनता, हम जानते हैं पर एक कमरा बनता है। मैं देखकर आया हूं, आठ जिलों के अन्दर एक कमरा, एक बरामदा बन गया। 4 हजार 400 रुपये अलग देते हैं उनको हम बाथरूम के लिए, वह बन गया। मैंने देखा है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितना शानदार, जिन्दगी में पहली बार पक्का कमरा शानदार बना है, बरामदा बना है। किसी ने दो कमरे बना दिये हैं। हमारी स्कीम यही है। इसको हमने शहरों में लागू करने का प्रयास भी किया है।

बाकी तो जननी शिशु सुरक्षा योजना हो, चाहे आपकी नि:शुल्क दवा योजना हो, बहुत लम्बी फेहरिस्त है, जो हमने किया है, जिससे राजस्थान के अन्दर महंगाई के जमाने में कैसे उनको राहत मिल सके, यह प्रयास हमने किये हैं, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अब जल्दी हम खाद्य तेल, दालें, साबुन, मसाले आदि भी निगम के माध्यम से चाहेंगे कि लोगों को सप्लाई हों।

सड़क के बारे में मैं अपनी बजट स्पीच में कह चुका हूं, रिपीट नहीं करना चाहूंगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, इसको हम चाहते हैं कि टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाकर के सड़कों का सुधार हो, नई सड़कें बनें। 11,590 मेगावाट की चौदह परियोजनाएं हैं, जिनका जिक्र आपने किया, बिजली की जो योजनाएं हैं, इसमें तो हमें सन्तोष है कि हमने आते ही फैसले किये, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्लान में पहले बना ली, स्वीकृति करवा दीं। यह कहते हुए मुझे संकोच नहीं है कि जो नो-गो-एरिया बना केन्द्र में उस कारण से हमारे दो साल बरबाद हुए, हम उसमें पीछे रहे, इस कारण से वह काम समय पर शुरू नहीं कर पाये वरना सरकार बनते ही पहली जो मैंने स्वीकृति जारी की थी, वह सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे राजस्थान में, उससे हमने शुरुआत की थी। पर फिर भी जो प्लांट आप लोगों ने बनाये थे, वे खाली शिलान्यास हुए थे, उनको हम पूरा कर रहे हैं। बाकी प्लांट भी जल्दी शुरू हो रहे हैं । यह काम हमने हाथ में लिया है। हम चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि बिजली को लेकर राजस्थान स्टेट आत्मनिर्भर बने जिससे कि यहां अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, यह हम सबके प्रयास हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

उपलब्धियों की लम्बी फेहरिस्त कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। चाहे मेट्रो की हम बात करें; चाहे डूंगरपुर-रतलाम रेल्वे लाइन की बात करें, 200 करोड़ रुपये तो हमने दे दिये रेलवे को एडवांस के अन्दर जिससे कि वहां पर रतलाम-डूंगरपुर-बांसवाड़ा की रेल लाइन बिछ सके; 250 की आबादी से 500 की आबादी तक के 1,500 गांव डामर सड़क से जोड़ने का हमने तय किया, वह मैंने आपको बजट में बता ही दिया। यह तमाम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र का मैंने जिक्र किया आपको, करीब-करीब बनकर तैयार हैं। एक्टिविटी और हम बढ़ा रहे हैं। पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में अधिकांश पाइंट मैंने बजट में रख दिये हैं। और भी जो सुझाव आपने दिये हैं, उनको हम चाहेंगे कि सम्मिलित करें और पूरा करने का प्रयास करें, यह मेरा प्रयास रहेगा।

कई माननीय सदस्यों ने बजट स्पीच के बाद में भी मुझे कुछ सुझाव दिये थे। सारे सुझाव तो एकदम स्वीकार नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट में हमने एग्जामिन भी करवाये हैं। कुछ जो स्वीकार हो सकते हैं, उसका मैंने जिक्र करने का प्रयास किया है कि जो हो सकता है, वह मैं अभी आपको बताऊंगा; जो नहीं हो सकता, उसको हम देखेंगे, कैसे सम्भव है। इस प्रकार से कुछ सुझाव पब्लिक से भी आए हैं, डेलीगेशन मिलने आए उनसे भी कुछ सुझाव आए हैं। उसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहूंगा।

बजट पर हुई चर्चा के दरमियान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं कुछ घोषणाएं कर रहा हूं। आगामी वर्ष बजट भाषण में की गयी घोषणा के अतिरिक्त, 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की मैं घोषणा करता हूं। 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त, 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान व 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कामर्स संकाय खोले जायेंगे।

प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरियता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र-छात्राओं को जिनकी परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, को 500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देने की मैं घोषणा करता हूं, एक लाख को।

(श्री अशोक गहलोत)

यह छात्रवृत्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा तकनीकी अध्ययन जारी रखने, जो भी पहले होगा, तक देय होगी।

संस्कृत शिक्षा विभाग के कालेज व्याख्याताओं को यू जी सी वेतनमान के समकक्ष वेतनमान स्वीकृत करना प्रस्तावित है।

सीकर जिले के तीन कस्बों और 243 गांवों को लाभान्वित करने हेतु नाबार्ड एवं नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के सहयोग से 832 करोड़ रुपये की लागत की फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल योजना के कार्य को आगामी वर्ष हाथ में लिया जाएगा।

बाड़मेर लिफ्ट योजना की द्वितीय क्लस्टर योजना के तहत 125 करोड़ रुपये की लागत से बाड़मेर आउटलेट से 68 गांवों को लाभान्वित करने की पेयजल योजना का कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

(18.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 1 अप्रेल से या आगे, आगामी?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): यही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 1 अप्रैल?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आगामी का मतलब है, आज आप जो मुझे आदेश देंगे, यह सदन जो सर्वेसर्वा है, बजट पास करेगा, उस दिन के बाद में 1 अप्रैल से लागू होगा यह। इसका मतलब है कि 2012-13 है यह।

बीसलपुर-दूदू परियोजना के अन्तर्गत शीर्षपुरा में अतिरिक्त मांग के अनुरूप 90 करोड़ रुपये की लागत से 200 एम एल डी क्षमता के फिल्टर प्लांट के निर्माण की पेयजल परियोजना को इम्प्लीमेंट किया जायेगा।

नर्बदा से जालोर शहर को लाभान्वित करने की 58 करोड़ की पेयजल योजना को आगामी वर्ष, वही 2012-13 में प्रारम्भ किया जायेगा।

इंदिरा गांधी नहर से माणकलाव, वातीबारा परियोजना के तृतीय भाग के अन्तर्गत 74 करोड़ रुपये की लागत से पीपाड़ शहर एवं 32 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष काम हाथ में लिये जायेंगे।

आगामी वर्ष 11 करोड़ की लागत से गढ़ी, सीमलिया, मोती, सिकुंड, तलवाड़ा की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

राज्य से बाहर व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोककर राज्य में उपयोग हेतु डूंगरपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर 7 एनिकट्स का 12 करोड़

(श्री अशोक गहलोत)

की लागत से निर्माण कराना प्रस्तावित है। डूंगरपुर जिले में नर्बदा लघु सिंचाई परियोजना का 6 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाना प्रस्तावित है जिससे एस टी के क्षेत्र के 300 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

माही परियोजना की निठाउवा वितरिका से केमेलो माइनर का निर्माण कार्य कराना प्रस्तावित है जिससे डूंगरपुर जिले के जनजाति क्षेत्र में 165 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

धौलपुर जिले के बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में 23 करोड़ की लागत से 4 एनिकट्स का निर्माण कराना प्रस्तावित है ताकि जिले से व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोका जा सके तथा एनिकट्स का उपयोग पेयजल तथा भू-जल पुनर्भरण में किया जा सके।

मैंने सिर्फ धाम जाने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु, डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र में नहर को कवर करवाया जायेगा।

जालोर दुर्ग जहां पर पूर्व मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास भी फ्रीडम मूवमेंट के वक्त में जेल में बन्द रहे थे, राज्य की धरोहर है तथा एक संरक्षित स्मारक है। बजट में घोषित प्राचीन एवं धार्मिक महत्व के स्थानों के विकास के साथ-साथ जालोर दुर्ग क्षेत्र के विकास पर भी 50 लाख रुपये व्यय करना प्रस्तावित है।

सावर, केकड़ी में लगभग 33 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 150 मार्बल माइन्स चालू हैं। मैंने परसों जो सयोजना बतायी थी बजट स्पीच के अन्दर, किशनगढ़, मकराना और राजसमन्द, उसी पैटर्न पर इन खानों से निकलने वाले अपशिष्ट से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र के विकास पर आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये खर्च करना प्रस्तावित है।

बजट में घोषित तहसीलों के अतिरिक्त 5 उप-तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जायेगा जिसमें भनियाना (जैसलमेर), चीकली (डूंगरपुर), असमा (झालावाड़) एवं पुष्कर तथा रतनगढ़ (अजमेर) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सूरोठ (करौली), राजियासर (श्रीगंगानगर), आंधी (जयपुर) एवं पाटन (सीकर) में नयी उप-तहसीलें स्थापित की जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने फैसला किया है, कृषकों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से निर्धारित समर्थन मूल्य पर प्रदेश में गेहूं की खरीद की

(श्री अशोक गहलोत)

जाती है। चालू वर्ष में प्रदेश में लगभग 13.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी। आगामी वर्ष हेतु राष्ट्रीय खाद्य निगम, एफ सी आई द्वारा 15 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं घोषणा करता हूं कि समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार द्वारा...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): तिवाड़ी साहब, यह परम्परा नहीं है। हमने तसल्ली से सुना है आपको। तिवाड़ी साहब, बैठाइये माननीय सदस्य को। बैठ जाओ।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): चालू वर्ष में प्रदेश में लगभग 13.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी। आगामी वर्ष हेतु एफ सी आई द्वारा 15 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं घोषणा करता हूं, समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद...(व्यवधान) आप भी बजाओ ना ताली। ताली क्यों नहीं बजा रहे हो आप? कुछ तो किया करो। कुछ तो करो, भाई। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, 70 लाख मैट्रिक टन हरियाणा ने लक्ष्य रखा है। हरियाणा ने 70 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य रखा है। इस 15 लाख मैट्रिक टन के लक्ष्य को सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर आपको बढ़ाना पड़ेगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, पता नहीं, आपके गोदाम डिस्टर्ब नहीं होंगे। परवाह मत करो आप। 15 लाख मैट्रिक टन आपको कह दिया।

100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद पर बोनस का भुगतान किया जायेगा। इस पेटे राज्य सरकार 150 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायेगी। यह मैं घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और मैंने घोषणा की थी बजट में। प्रोसेसिंग यूनिट जो खेत के अन्दर लगती है, उनके लिये मैंने उस दिन घोषणा की थी। अब उसको मैं आगे बढ़ाते हुए सदन को अवगत कराऊंगा। मैंने बजट में प्रोसेसिंग यूनिट की कृषकों को केवल खेतों पर स्थापित करने हेतु पूंजीगत निवेश पर अनुदान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 2 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित किया था। अब मैं यह प्रस्ताव करता हूं, इस योजना का दायरा और बढ़ाते हुए यह योजना होर्टीकल्चर उत्पादों एवं पारम्परिक फसलों

(श्री अशोक गहलोत)

के साथ-साथ कैश क्रोप्स जिसमें मसालें भी शामिल हैं, के लिये भी लागू की जायेगी। इस हेतु इस योजना के लिये आगामी वर्ष प्रावधान 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का मैं घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसानों के खेतों में ये छोटी यूनिट लगेंगी, उनको सब्सिडी मिलेगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विभाग का सुदृढ़ीकरण करते हुए विभिन्न स्तरों के 848 अतिरिक्त पद सृजित करना प्रस्तावित है।

मैंने बजट में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से आगामी वर्ष 15 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का उल्लेख किया था। अब मैं इस लक्ष्य को बढ़ा करके 25 करोड़ रुपये करना प्रस्तावित करता हूं।

कई क्षेत्र में उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आधार मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है। जिसका निरन्तर कम होना चिन्ता का विषय है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति के संरक्षण एवं सुधार हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विशेष पैकेज आफ प्रैक्टिस विकसित करने के उद्देश्य से मृदा सुधार टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।

राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणी के नियत अवधि हेतु दंडित ऐसे बंदियों की शेष सज़ा माफ करने, समय पूर्व रिहा करना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर और राजस्थान दिवस पर पहले भी समय-समय पर बंदी लोग छूटते आये हैं, छूटने का प्रावधान किया गया है। उसी की कड़ी में कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो अथवा ब्लाइंड व विकलांग बंदी जो अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिये पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हों अथवा 70 साल से अधिक आयु वर्ग के पुरुष एवं 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला बंदी जिन्होंने कम से कम एक-तिहाई सज़ा भुगत ली हो, ऐसे बंदी जिन्होंने दो-तिहाई अवधि की सज़ा भुगत ली हो। इनके साथ ही उपरोक्त सभी शहरों में केवल ऐसे ही बंदी रिहा किये जायेंगे जिन्हें प्रतिबंधित मामलों अथवा प्रतिबंधित धाराओं में दंडित नहीं किया गया हो। यह मैं सदन के सामने प्रस्तावित करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

अभी स्वीकृत कतिपय राजकीय सेवाओं, सबोर्डिनेट, मिनिस्ट्रियल, क्लास फोर्थ, जो आर पी एस सी के परव्यू में नहीं हैं, व उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु भर्ती में 2 परसेंट आरक्षण है। किन्तु उत्कृष्ट खिलाड़ियों की परिभाषा में अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक विजेता ही शामिल होंते हैं जिससे नगण्य खिलाड़ियों को ही इस प्रावधान का लाभ मिलता है। नौजवानों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु इन सेवाओं में खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों में राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को भी पात्र बनाने की मैं घोषणा करता हूं।

वर्तमान में खिलाड़ियों को राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में 100 रुपये तथा राज्य के बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये 150 रुपये का दैनिक भत्ता दिया जाता है। बढ़ी हुई कीमतों के परिप्रेक्ष्य में इसे दो गुणा बढ़ाया जाकर राज्य के भीतर 200 रुपये, राज्य के बाहर 300 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। ऐसा अनुमान है कि इस हेतु प्रति वर्ष 8 से 9 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

मैंने प्रत्येक बजट में प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रयास करते हुए इस सम्बन्ध में उद्योग एवं व्यापार जगत के सुझावों पर भी अमल किया है। इसी कड़ी में व्यापार संघों द्वारा रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपित की जाने वाली लेट फीस की राशि को कम करने की मांग की गयी है। अत: मैं प्रति माह और उसके बाद पर कर जमा कराने वाले व्यवहारियों पर आरोपित होने वाली लेट फीस की राशि को 500 रुपये प्रति दिन से घटाकर के 100 रुपये प्रति दिन किये जाने की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी 2009 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस) एवं अल्प आय वर्ग एल आई जी के लिए आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। कम लागत पर अधिक आवासों का निर्माण सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन आवासों के निर्माण में उपयोग हो रही सामग्री पर वसूल होने वाले वैट का पूर्ण भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। पूर्ण भुगतान की प्रक्रिया को सुचारु रुप से लागू करने हेतु एक समिति का गठन करना प्रस्तावित है। इस योजना में और अधिक राहत देने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी 2009 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में आर्थिक रुप से कमजोर (ई डब्ल्यू एस) एवं अल्प आय वर्ग (एल आई जी) के लिए रुपये 750 प्रति वर्ग फीट के अधिकतम मूल्य वाले

(श्री अशोक गहलोत)

आवासों के निर्माण के क्रम में संविदा या कांट्रेक्ट पर आरोपित होने वाले कर से मुक्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही ऐसे भवनों के निर्माण सम्बन्धी कांट्रेक्ट में टी डी एस की कटौती भी नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सैटलमेंट बोर्ड में देय आवेदन शुल्क में कमी की मांग सदन में उठायी है। अतः मैं आवेदन शुल्क में कमी करना प्रस्तावित करता हूं। अब यह शुल्क विवादित राशि का 1 परसेंट या अधिकतम 10 हजार रुपये होगा।

इसी क्रम में सर्राफा एवं जैम स्टोन कम्पोजिशन स्कीम में गत वर्ष में जमा कम्पोजिशन राशि से कम राशि नहीं होने सम्बन्धी प्रावधानों में भी संशोधन की मांग की गयी है। अतः इस स्कीम में संशोधन करना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, यार्न पर लगाये गये प्रवेश कर के सम्बन्ध में कपड़ा उद्योगों की मांगों के सम्बन्धी में सदन में चर्चा की गयी थी। मैंने स्थानीय उद्योगों एवं व्यापार के संरक्षण हेतु यार्न पर प्रवेश कर लगाने की घोषणा की थी। उद्योग एवं व्यापार जगत द्वारा यार्न पर लगाये गये प्रवेश कर के सम्बन्धी में संशोधन की मांग की गयी है। अतः मैं घोषणा करता हूं कि पोलीस्टर विस्कोर्न यार्न को छोड़ते हुए समस्त प्रकार के यार्न को मैं प्रवेश कर से मुक्त करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त राज्य में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने की दृष्टि से मैं राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग कुंड, विविंग निगम द्वारा संचालित मिलों को काटन के क्रय पर लगने वाले वैट से छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपकी आज्ञा से, क्योंकि राजस्थान दिवस है और हमने एक घोषणा कर रखी थी पहले कि 'राजस्थान रत्न' कला एवं संस्कृति के लोगों को दिया जायेगा, उसमें चयन करके हम उस घोषणा को पूरी नहीं कर पाये। अब हमने निश्चय किया है कि आज राजस्थान दिवस है, इसके उपलक्ष्य में 5 हमारे यहां की ऐसी महान् विभूतियों को हम सम्मानित करें। उसके बाद रेगुलर वे में कमेटी बनाकर के सलेक्शन प्रोसेस किया जायेगा। राजस्थान राज्य की साहित्य, कला एवं संस्कृति की विभूतियों को जिन्होंने साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां अर्जित कीं तथा राजस्थान राज्य का गौरव बढ़ाया, उन 5 विभूतियों को 'राजस्थान रत्न' से सम्मानित करने की मैं घोषणा करता हूं। इस सम्मान के लिए सम्मानित होने वाली विभूतियों या उनके निकट परिजनों को एक लाख रुपये नकद, एक शाल एवं ताम्र-पत्र राज्य स्तरीय समारोह में भेंट किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

इसमें स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल सेठिया का नाम है। उन्होंने राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया तथा देश-प्रदेश में साहित्य सृजन कर ख्याति अर्जित की। साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनकी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल सेठिया को 'राजस्थान रत्न' से सम्मानित करते हुए हम गौरव अनुभव कर रहे हैं।

स्वर्गीय श्री कोमल कोठारी ने राजस्थानी लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का कार्य किया तथा लोक कलाओं को जन-जन में प्रचारित किया। लोक कला के क्षेत्र में इनके बहुमूल्य योगदान को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें 'राजस्थान रत्न' से सम्मानित करना मैं प्रस्तावित करता हूं। घोषणा करता हूं समझ लीजिये आप। प्रस्तावित तो क्या करना है, हम आपके सामने सूचना दे रहे हैं।

श्री विजयदान देथा ने राजस्थानी लोक कथाओं को साहित्य के माध्यम से जन-जन तक प्रचारित किया तथा आपकी लेखनी ने राजस्थानी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान किया है। राजस्थानी साहित्य की आपकी सेवाओं के लिए आपको 'राजस्थान रत्न' से सम्मानित किया जाता है।

पंडित विश्वमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार कर विश्व संगीत को एक अनुपम भेंट दी है। शास्त्रीय वादन के क्षेत्र में आपने राज्य का नाम देश-विदेश में रोशन किया है। आपकी संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवाओं को देखते हुए आपको 'राजस्थान रत्न' से सम्मानित करने के लिए मैं आपके सामने घोषणा करता हूं।

स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह जी ने राजस्थान की ख्याति गजल गायन के क्षेत्र में देश-विदेश में फैलायी तथा गजल गायकी को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इन्हें भी 'राजस्थान रत्न' से सम्मानित करने का तय किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं माननीय सदस्यों को एक बार और धन्यवाद देता हूं, उनका आभारी हूं कि उन्होंने बजट प्रस्तुत करने के बाद में इस पर विचार-विमर्श किया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। कृपया शांति रखें। मंत्रीजी, कृपया शांति रखें।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.17 बजे 9 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी, 2012)

महिला सशक्तिकरण एवं भामाशाह योजना के संचालन हेतु निर्णय

2. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 में महिला सशक्तिकरण एवं भामाशाह योजना लागू कर सरकार ने पचास लाख में से करीब 11 लाख बी.पी.एल. परिवारों की महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर प्रत्येक के खाते में 1500 रुपये की राशि जमा करवाई थी? यदि हां, तो क्या वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य की बी.पी.एल. 11 लाख महिलाएं सरकार की उदासीनता के कारण बैंक से अपना ही जमा पैसा नहीं निकाल पा रही हैं? क्या उक्त खातों में दो साल से कोई लेन-देन नहीं होने से परेशान बैंकों ने सरकार से इस बारे में शीघ्र ही फैसला लेने का आग्रह किया है? यदि हां, तो तीन वर्ष गुजर जाने के बाद भी सरकार द्वारा फैसला नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्रीमण्डल के माननीय सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। अधिकारियों की एक समिति का गठन भी किया गया है जो उक्त योजना के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वित्तीय, तकनीकी एवं विधिक अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उक्त समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(2) उक्त योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्रीमण्डल के माननीय सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। अधिकारियों की एक समिति का गठन भी किया गया है जो उक्त योजना के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वित्तीय, तकनीकी एवं विधिक अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उक्त समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

उक्त समितियों द्वारा बैंकों व सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं से इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है।

उदयपुर सम्भाग में पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान हेतु वित्तीय प्रावधान

185. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिये पंचायती युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) योजना लागू की गई है? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है तथा क्या-क्या कार्य इस योजना में किये जाने हैं व योजना के लिये वित्त पोषण कैसे किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त 'पायका योजना' प्रदेश में आरम्भ होने से दिसम्बर, 2011 तक उदयपुर सम्भाग के किस-किस पंचायत समिति का किस-किस ग्राम पंचायत में योजना के अनुरूप कार्य प्रारम्भ किये गये और सम्भाग में कहां-कहां खेल प्रतियोगिताएं उक्त योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2011 तक आयोजित की गईं? जिलेवार, पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान राज्य में वर्ष 2008-09 से लागू की गई। जिसका क्रियान्वयन 2009 -10 से किया गया है।

योजना का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) राज्य में पायका योजना वर्ष 2008-09 से लागू की गई है। जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2009-10 से किया गया है।

उदयपुर सम्भाग में योजना के अनुरूप पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में प्रारम्भ किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर एवं संभाग में दिसम्बर, 2011 तक आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का जिलेवार व पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में प्रदूषित जल के परिशोधन हेतु कार्य योजना

188. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द में नालियों एवं सीवरेज का पानी बह कर कहां जाता है?

(2) क्या यह गंदा पानी झील, नदी या अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में गंदे पानी के शोधन के लिये क्या किया जा रहा है?

(4) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा एक्शन प्लान प्रकरण में सभी नगर निकायों को नालियों एवं मलजल के पूर्ण परिशोधन के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो इसकी पालना के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द में नालियों का पानी बहकर बाण्डीया नाला में जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द में सीवरेज के शोधन हेतु राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंन्ट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) फेज द्वितीय के अन्तर्गत 5 एमएलडी क्षमता का परिशोधन संयंत्र लगाया जा रहा है जिसका कार्यादेश दिनांक 20.5.10 को जारी किया गया तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 19.5.12 नियत है जिस पर कुल लागत राशि रुपये 557.48 लाख आने की सम्भावना है ।

(4) गंगा एक्शन प्लान के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों/आदेशों के बाबत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम हेतु कार्य योजना

190. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम हेतु कितने कार्यालय कार्यरत हैं? उक्त में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण मय पद रिक्त होने की तिथि के सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2009 से 29 फरवरी, 2012 तक जिला नागौर, बीकानेर, सिरोही, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर में अवैध खनन की कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुईं? जिलों के कार्यालयवार एवं वर्षवार शिकायत प्राप्त होने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्राप्त शिकायतों में कितने प्रकरणों में अवैध खनन/निर्गमन पंचनामे बनाये गये व उनसे कितना राजस्व वसूला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु 3 अतिरिक्त निदेशक (खान), 1 अतिरिक्त निदेशक (खान) (सतर्कता), 7 अधीक्षण खनि अभियन्ता, 3 अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), 25 खनि अभियन्ता, 7 खनि अभियन्ता (सतर्कता), 14 सहायक खनि अभियन्ता के कार्यालय कार्यरत हैं। जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार को भी अवैध खनन रोकने के अधिकार प्रदत्त किये हुये हैं। वर्तमान में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) 1 जनवरी, 2009 से नागौर, बीकानेर, सिरोही, जालोर, जोधपुर व बाड़मेर जिले के कार्यालयों में अवैध खनन की कुल 165 शिकायतें प्राप्त हुई हैं उपरोक्त जिलों के कार्यालयवार एवं वर्षवार प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट 2-ए, 2-बी, 2-सी, 2-डी, 2-ई, 2-एफ पर उपलब्ध है।

(3) प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 2-ए, 2-बी, 2-सी, 2-डी, 2-ई, 2-एफ पर उपलब्ध है ।

(खनिज मंत्री)

(4) उक्त प्राप्त शिकायतों में से अवैध खनन/निर्गमन के 101 पंचनामे बनाये गये एवं वसूल की गयी राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2-ए, 2-बी, 2-सी, 2-डी, 2-ई, 2-एफ पर उपलब्ध है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज में व्याप्त अनियमितताएं

191. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर में वर्ष 2001 से 2004 तक की अवधि में विशेष अंकेक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्राचार्य द्वारा मेहमानों को शराब परोसने के बिलों का भुगतान कालेज निधि से किया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आरोपित प्राचार्य को पुनः पुरस्कृत कर वर्ष 2011 में प्राचार्य का प्रभार पुनः सौंपा गया है? यदि हां, तो साक्षात्कार की तिथि, पदभार ग्रहण करने की तिथि एवं इस्तीफे की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर में वर्ष 2001 से 2004 की अवधि के दौरान प्राचार्य द्वारा गलत तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं? क्या उक्त नियुक्तियों को विशेष आडिट रिपोर्ट में गलत ठहराया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उक्त प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2010-11 में तकनीकी शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर में तदर्थ नियुक्तियों को पूर्णतः बंद करने के निर्देश जारी किये थे? यदि हां, तो निर्देश-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्राचार्य द्वारा तदर्थ नियुक्तियां मई 2011 से दिसम्बर 2011 के मध्य की गईं? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. एफ 2 (76) त.शि./2010 दिनांक 10.2.2011 की पालना प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर से करवाई है? यदि हां, तो पालना का विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो अब तक पालना नहीं करने के लिये कौन दोषी है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अंकेक्षण रिपोर्ट के पैरा संख्या 28 में अंकित तालिका की क्रम संख्या 18 पर जिस शराब के बिल का उल्लेख किया गया है उसका भुगतान श्री जयशंकर पुरोहित तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत किया गया था। रिकार्ड के अवलोकन से यह बिल (वाउचर संख्यात 349) नाइन मिनरल वाटर रुपये 450/- का है।

फिर भी तत्कालीन रजिस्ट्रार को स्पष्टीकरण बाबत जारी कर दिया गया है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वर्तमान प्राचार्य की नियुक्ति खुली भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयन समिति की अनुशंसा उपरान्त की गई है। नियुक्ति एवं इस्तीफे की तिथि निम्नानुसार हैः-

1. साक्षात्कारर की तिथि 12 मई, 2011
2. पदभार ग्रहण तिथि 14 मई, 2011
3. इस्तीफे की तिथि 28 मई, 2011

(3) जी नहीं। इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर में वर्ष 2001-2004 की अवधि के दौरान अध्यक्ष शासी परिषद के अनुमोदन उपरान्त महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु कुल 14 शैक्षणिक एवं 02 अशैक्षणिक कार्मिकों को एक वर्ष की अवधि के लिए ही तदर्थ आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, अवधि समाप्त होने पर सभी कार्मिकों की तदर्थ सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई।

स्थानीय अंकेक्षण विभाग द्वारा सम्पादित किये गये विशेष अंकेक्षण में वर्ष 2001-04 की अवधि के विशेष अंकेक्षण में दिनांक 24.01.2012 को अंकेक्षण विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुछ पैरा निरस्त करते हुये यह निर्देशित किया गया है कि कुछ आक्षेपों को विचार विमर्श हेतु शाषी परिषद की बैठक में रखा जावे एवं शासी परिषद के आक्षेपवार निर्णय को अनुपालना में शामिल किया जावे।

(4) जी हां। विभाग द्वारा जारी पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। मई 2011 दिसम्बर 2011 में मध्य इंजीनियरिंग कालेज बीकानेर में तदर्थ नियुक्तियां नहीं की गई।

(6) जी नहीं। यह प्रकरण शासी परिषद की आगामी बैठक में रखा जावेगा।

परिशिष्ट-1

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर

GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE BIKANER

(An Autonomous Institution of Government of Rajasthan)

Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner-334004 (Raj.)

Phone : 91-151-2253401 Fax : 91-151-2252919

E-mail : principal@ecb.ac.in Website : www.ecb.ac.in

पत्र क्रमांक : ईपीबी/प्रशासन/ दिनांक : 20.02.12

प्रति,

श्री जयशंकर पुरोहित

राजकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर।

विषय :— अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2001-2004 के सम्बन्ध में। अकेक्षण रिपोर्ट में आपके विरुद्ध शराब के बिल पास करने का आरोप लगाया है।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2001-2004 के अंकेक्षण रिपोर्ट में P.N. 28/S. no. 18/VNo. 349/31/03/2003 में आपके विरुद्ध शराब के बिल स्वीकृति करने का आक्षेप लगाया है।

कृपया इस सम्बन्ध में आप स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

ह./-

प्राचार्य

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 2 (76) त.शि./2010 जयपुर, दिनांक : 10 फरवरी, 2011

प्राचार्य,

अभियांत्रिकी महाविद्यालय,

बीकानेर।

विषय :— तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके महाविद्यालय में संलग्न सूची (2 पृष्ठ) अनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई थी। आपके महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी, बीकानेर के नियम नहीं बने होने के कारण सोसायटी द्वारा एम.आर.ई.सी., जयपुर के नियमों का अनुसरण करते हुए की गई है। लेकिन एम.आर.ई.सी. के उल्लेखित नियमों में तदर्थ नियुक्तियां सक्षम स्तर से अधिकतम एक वर्ष के लिए ही दी जा सकती हैं। अत: अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर की ऐसी तदर्थ नियुक्तियां जिनको एक वर्ष से अधिक समय हो गया हो, तत्काल प्रभाव से निरस्त की कारवाई करते हुए की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को सूचित करने का श्रम करें। उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में नियमित नियुक्ति के आधार पर ही भर्ती किये जाने के निर्देश भी प्रदान किये जाते हैं।

संलग्न– दो पृष्ठ।

भवदीय
ह./-
(आर. के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त. शि.

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर व्यय राशि

192. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में से राज्य में किन-किन स्कीमों पर कार्य किया जा रहा है? योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में प्रत्येक योजनावार केन्द्र सरकार एवं राज्य का कितना-कितना प्रतिशत हिस्सा रहता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2011-12 में उक्त योजनाओं में केन्द्र व राज्य सरकार की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं में से राज्य में जिन-जिन स्कीमों पर कार्य किया जा रहा है, उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(आयोजना मंत्री)

(2) योजनावार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का प्रतिशत हिस्सा क्रमशः परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 3 एवं 4 पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2011-12 में केन्द्र एवं राज्य अंश के रूप में व्यय की गई राशि का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 5 एवं 6 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी जिले के वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य

193. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1982 की अधिसूचना को आधार मानकर करीब 30 साल बाद बूंदी शहर के 1/3 हिस्से को वन सीमा में बताकर क्षेत्र में नव निर्माण, विक्रय, पंजीयन पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार शहरी क्षेत्र को वन सीमा से निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार के पास उक्त क्षेत्र को अन्यत्र बसाने अथवा पुनर्भरण की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने वन सीमा में घोषित क्षेत्रों में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहे गैर वानिकी कार्यों के लिये कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने अधिसूचना राजस्व ग्रुप-8 विभाग क्रमांक एफ.1 (7) रा.क./8/79 दिनांक 20.05.1982 द्वारा वर्ष 1982 में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया। विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अभयारण्य क्षेत्र में आने वाली भूमि पर लोगों के अधिकार का विनिश्चयन करने हेतु प्राधिकृत जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अतिविलम्ब से कार्यवाही की गयी एवं विधिक प्रावधानों का उल्लंघन कर वैधानिक शक्ति नहीं होते हुए भी कुछ क्षेत्र को अपने स्तर पर अभयारण्य सीमा से बाहर किया जाने के आदेश प्रचलित कर दिये। इस पर वन विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के

(वन मंत्री)

समक्ष याचिका दायर की गयी एवं माननीय उच्च न्यायालय ने जिला कलक्टर, बून्दी के आदेशों को स्थगित कर दिया। प्रकरण अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 20 जो नीचे उद्धत है, के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र की सीमा में अधिकारों के प्रोद्भूत होने पर कुछ प्रतिबंध है। इनकी अनुपालना नहीं होने की कुछ शिकायतें राज्य के कई अभयारण्य क्षेत्रों से प्राप्त होने पर इन प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रचलित किये गये हैं। राज्य स्तर से अलग से कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं।

"धारा 20" के प्रोद्भूत होने पर प्रतिबंध :- धारा 18 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र की सीमाओं में आने वाली भूमि में, या पर कोई अधिकार, किसी उत्तराधिकार (Succession) वसीयत (Testanentary) या निर्वसयत (Intestate) को छोड़कर, अर्जित नहीं होंगे।" अतः अभयारण्य क्षेत्र में भूमि के हस्तान्तरण/ अन्तरण पर प्रतिबंध विधिक व्यवस्था के कारण होने से इसमें राज्य स्तर से छूट नहीं दी जा सकती है।

(2) अभयारण्य सीमा क्षेत्र से कुछ भाग अलग किये जाने का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होने के बाद ही इस बाबत निर्णय किया जाना युक्ति संगत होगा।

(4) घोषित वन क्षेत्रों की सीमा में वन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के मिलीभगत से गैर वानिकी कार्य होने का प्रकरण नहीं आया है अपितु वर्ष 2011-12 में 973 अतिक्रमियों द्वारा 1610.09 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। अतः अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति नहीं बनती है।

राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में प्राथमिकता

194. श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रोहिताश कुमार)

(1) क्या सरकार ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में युवा बोर्ड व खेल नीति बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो खेल नीति व युवा बोर्ड के गठन के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने अपने बजट वर्ष 2011-12 में झुंझुनूं जिले में फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में कुल कितने खेल अधिकारियों के पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को भरने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में खेल नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जो कि प्रकियाधीन है।

प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 25.01.2003 के अनुसार राजस्थान युवा बोर्ड का गठन किया जा चुका है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य के राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में प्राथमिकता दिये जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। माननीय उपाध्यक्ष राज्य आयोजना बोर्ड की अध्यक्षता में इस हेतु एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। आयोजना तथा वित्त विभाग की सैद्धांतिक अनुमोदन के पश्चात् India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) से परियोजना विकास हेतु सहायता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रार्थना-पत्र/प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा भारत सरकार के वित्त विभाग की समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके तहत Project Development की 75% राशि भारत सरकार व शेष राशि 25% ADB द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना विकास के लिए ADB द्वारा Consultant का चयन कर लिया गया है। Consultant की

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

सहायता से निविदा पूर्व जारी किये जाने वाले Expression of Interest (EOI) के प्रारूप को वर्किंग ग्रुप द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आयोजना तथा वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् EOI जारी किये जाकर निविदा प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी जिसके माध्यम से उपयुक्त पी.पी.पी. पार्टनर का चयन किया जायेगा।

(4) राज्य में स्वीकृत कुल 36 खेल अधिकारियों में से 15 रिक्त हैं जिनमें से पदोन्नति से भरे जाने वाले 8 पदों को पदोन्नति पर प्रतिबन्ध के कारण नहीं भरे जा सके हैं। सीधी भर्ती हेतु नियत 7 पदों को भरने का प्रकरण विचाराधीन है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक : प. 6 (5) प्र.सु./अनु.-3/2003　　　　　जयपुर, दिनांक : 25.1.03

आज्ञा

राज्यपाल महोदय ने राज्य स्तर के युवा बोर्ड का गठन निम्नानुसार किए जाने स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की है :—

1. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत　　　　　अध्यक्ष
2. 　　　　　पदेन सदस्य (आठ)

(i) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, जो शासन उप सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं हो।

(ii) शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, शासन उप सचिव स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं हो।

(iii) महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

(iv) आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड, राजस्थान, जयपुर

(v) उप महानिदेशक, राष्ट्रीय केडट कोर (NCC), राजस्थान, जयपुर

(vi) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर

(vii) जोनल प्रोग्राम एडवाइजर, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

(viii) मण्डल निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, जयपुर

3. अधिकतम 12 (गैर सरकारी)　　　　　सदस्य

4. राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी सदस्य सचिव

इस बोर्ड के निम्नलिखित उद्देश्य एवं कार्य होंगे :—

(1) राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिकता सद्‌भाव के लिए युवाओं की भागीदारी की कार्य योजना तैयार करना ताकि राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

(2) युवाओं में देश एवं राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर के प्रति चेतना जागृत करना।

(3) राष्ट्र और समाज के समन्वित विकास में युवकों तथा युवतियों को प्रेरित एवं सम्मिलित करने हेतु कार्यक्रम तैयार करना।

(4) युवाओं में अहिंसा, सामूहिक श्रमदान, खादी ग्रामोद्योग एवं रचनात्मक कार्यों के लिए चेतना जागृत करना।

(5) युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार को परामर्श देना।

(6) युवाओं में भावी नेतृत्व के गुणों का विकास करना।

(7) राज्य के विभिन्न विभागों तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

(8) राज्य में युवकों के लिए चल रहे कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।

(9) युवाओं के लिए रोजगार के वैकल्पिक उपाय खोजना तथा बेरोजगार युवकों को सकारात्मक दिशा हेतु प्रेरित करना।

(10) युवाओं को सामाजिक कुरीतियों से लड़ने हेतु प्रेरित करना तथा उन्हें सामाजिक सेवा की गतिविधियों में प्रेरित करना।

(11) शिक्षण संस्थाओं में बेहतर वातावरण तैयार करने के उपायों पर चर्चा करना एवं इस हेतु बनायी जाने वाली योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना।

(12) युवा साहित्यकारों, कलाकारों तथा शिल्पियों आदि की पहचान कर उनको सम्मानित करने हेतु कार्य योजना तैयार करना।

(13) युवा शक्ति को खेलकूद व अन्य शारीरिक गतिविधियों के रचनात्मक कार्यों में लगाना।

(14) गांधी दर्शन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंगीकार करना।

(15) युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास तथा न्याय की भावना जागृत करना।

(16) युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से परिचित करा कर उनमें नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना।

(17) युवाओं को राज्य के आर्थिक एवं तकनीकी विकास में सक्रिय भागीदारी हेतु

प्रेरित करना।

(18) युवा बोर्ड के लिए उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुसार योजना बनाना एवं उनके क्रियान्वयन करना।

बोर्ड में अध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। बोर्ड में मनोनीत अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन 3 वर्ष अथवा उनका मनोनयन वापस लेने तक, जो भी शीघ्रतर हो, के लिए रहेगा।

बोर्ड की बैठक आवश्यकता होने पर समय-समय पर बुलाई जा सकेगी। परन्तु वर्ष में कम से कम दो बैठक अवश्य होंगी।

इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग युवा मामले एवं खेल विभाग होगा।

आज्ञा से
ह./-
उप शासन सचिव

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त राशि

195. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2012 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपलब्ध करवाई गई राशि में से केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि को किस-किस मद में व्यय किया गया? वर्षवार एवं मदवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उपलब्ध करवाई गई राशि में से राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि को किस-किस मद में व्यय किया गया? वर्षवार/मदवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अप्रैल, 2009 से दिसम्बर 2011 तक केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त एवं व्यय राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2012 तक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं :—

(शिक्षा मंत्री)

(राशि करोड़ में)

वर्ष	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	राज्य सरकार से प्राप्त राशि
2009-10	1271.24	670.00
2010-11	1457.82	1157.13
2011-12 (जन. 12 तक)	1398.38	1355.68

(2) सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाती हैं। उपलब्ध बजट के आधार पर वर्षवार एवं मदवार व्यय विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई राशि का वर्षवार एवं मदवार व्यय विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2011 तक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" में अंकित है। सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में राशि उपलब्ध करवाई जाती है, न की मदवार।

परिशिष्ट "क"

YEARWISE EXPENDITURE
SARVA SHIKSHA ABHIYAN (SSA)-RAJASTHAN

(Rs in lacs)

S. No.	Name of Activities	AWP&B 09-10	Total Exp. 09.10	AWP&B 2010-11	Total Exp. 10-11	AWP&B 2011-12	Total Exp. 11-12 (upto Jan. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Teacher salary-I	151962.48	146998.61	193335.230	183198.84	256001.400	200482.01
2.	Free Text Book for UPS SC/ST	662.76	556.69	3569.890	807.12	1338.098	851.19
3.	Civil Work	22556.84	19097.43	59390.830	44965.71	55920.438	35523.78
4.	Maintenance & Repairs	4464.63	3309.48	5772.250	4754.47	4812.475	3971.42
5.	TLE Teacher Laromy Equipment	5.00	2.50	122.500	0.00	0.000	0.00
6.	School Grant	6146.76	5793.66	6175.460	5759.56	6033.510	5707.53
7.	Teachers Grant	1395.10	1150.00	1264.940	1136.27	1358.665	1158.42
8.	Teachers Training	2443.59	1353.17	988.790	560.72	2483.460	1409.98
9.	Training for Community Leaders	195.25	129.52	790.390	563.64	1235.862	639.09

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Provision for Disabled Children	2158.32	1245.80	3244.170	1772.38	2317.792	1117.62
11.	Research, Evaluation, Supervision and Monitoring	1419.67	702.31	1533.350	809.17	1390.658	437.28
12.	Management Cost	10594.79	7573.73	13376.480	9484.41	11301.010	5550.23
13.	Innovation	4688.31	2557.14	5007.660	3731.78	3990.291	1735.17
14.	Block Resource Center	559.52	693.09	1423.600	874.90	4459.472	1776.80
15.	Cluster Resource Center	3490.83	2466.97	4425.500	1767.28	768.500	306.50
16.	Interventions for Out of School Children	2110.47	474.63	1063.110	439.82	175.150	78.05
17.	School Library (PS & UPS)					1661.505	1641.53
18.	Transport/Escort Facility					362.910	156.47
19.	Residential School for Special Category of Children			88.010	0.00	235.920	15.88
20.	Special Training for Children Enrolled in Age Approriate Class					3382.420	591.53
	Total	214854.31	194104.74	301484.150	260626.07	359229.54	263150.48
21.	**NPEGEL**	3221.85	942.00	2513.000	1613.88	2032.371	787.935
22.	**KGBV**	5985.68	3452.00	5894.390	3556.91	6284.55	2893.49
	Total	**224061.84**	**198498.74**	**309891.540**	**265796.86**	**367546.46**	**266831.90**

परिशिष्ट "ख"

RAJASTHAN COUNCIL OF ELEMENTARY EDUCATION
(SSA)
STATEMENT OF RELEASE OF STATE SHARE & GOI SHARE AND EXPENDITURE SINCE INCEPTION

S. No.	YEAR	AWP&B	STATE SHARE AS PER PLAN	RELEASES BY STATE GOVT.	GOI SHARE AS PER AGREE-MENT	GOI RELEASE	TOTAL RELEASES (5+7)	EXP.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	2001-02	7.5375 (SSA)	1.13	0.57	6.41	3.20	3.77	0.00
		47.8462 (EGS)	11.96	20.48	35.88	35.88	56.37	20.48
2.	2002-03	174.34	43.59	13.16	130.76	64.07	77.23	36.84
3	2003-04	430.36	107.50	62.55	322.77	152.52	215.07	220.29
4	2004-05	617.64	154.41	105.43	463.23	230.00	335.43	385.89
5	2005-06	833.18	208.30	165.37	624.89	588.29	753.66	743.81
6	2006-07	1235.31	308.83	290.46	926.48	751.38	1041.84	1106.32
7	2007-08	1435.45	502.41	385.00	933.04	933.04	1318.05	1268.03
8	2008-09	1694.29	593.00	561.09	1101.29	1021.73	1582.82	1565.96
9	2009-10 (1908.43+240.11)	2148.54	859.42	666.48	1289.12	1219.37	1885.85	1941.05
10	2010-11	3015.72	1055.50	1144.13	1658.65	1422.82	2566.95	2606.26
11	2011-12 (UPTO DEC 11)	3592.30	1257.30	1335.68	2334.99	1282.38	2618.06	2531.85
			5103.34	**4750.41**	**9827.51**	**7704.69**	**12455.10**	**12426.78**

रामसिंहपुर (अनूपगढ़) सब मण्डी यार्ड का क्रमोन्नयन

196. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की रामसिंहपुर मण्डी में सब मण्डी यार्ड है? क्या उपरोक्त मण्डी यार्ड पूर्ण विकसित है? क्या सरकार इसको पूर्ण विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति श्रीविजयनगर के अधीन गौणमण्डी रामसिंहपुर है। इस गौणमण्डी प्रांगण में 14 दुकानें, कार्यालय भवन, एक प्याऊ, एक जल संगहण डिग्गी तथा एक ग्रामीण गोदाम निर्मित है। गौणमण्डी में आवश्यक मूलभूत सुविधाऐं विकसित की हुई हैं परन्तु अपेक्षाकृत व्यवसायिक सम्भावनाओं की कमी के चलते यहां पर नियमित व्यवसाय नही हो रहा है।

सोजत विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय योजनाएं

197. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सोजत सिटी, सोजत रोड रायपुर में कोई आवासीय योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) सोजत सिटी, सोजत रोड, रायपुर के गरीबों को सस्ता मकान उपलब्ध कराने के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सोजत सिटी, सोजत रोड, रायपुर में कोई आवासीय योजना बनाई जानी प्रस्तावित नहीं है। पूर्व में सोजत सिटी में आवासीय योजना हेतु पंजीकरण खोले गये थे, परन्तु मात्र 12 आवेदन ही प्राप्त होने से उनकी जमा राशि लौटा दी गई।

(2) सोजत सिटी, सोजत रोड, रायपुर के गरीबों को सस्ता मकान उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

भीम के परिवहन निरीक्षक कार्यालय में रिक्त पद

198. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति भीम में जिला परिवहन निरीक्षक अधिकारी का कार्यालय संचालित है? यदि हां, तो कब से और उक्त कार्यालय में कितने पद किस-किस श्रेणी के सृजित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सृजित पदों के अनुसार अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि नहीं तो, कितने पद क्यों रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कार्यालय निजी भवन में संचालित है? क्या सरकार उक्त कार्यालय हेतु भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीम मुख्यालय पर उप परिवहन कार्यालय दिनांक 30.05.2001 से संचालित है। भीम सहित राज्य के सभी उप परिवहन कार्यालयों हेतु पृथक से कार्मिकों के पद सृजित नहीं हैं बल्कि सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालय हेतु सृजित पदों में से ही आवश्यकतानुसार स्टाफ उप कार्यालयों पर लगाया हुआ है। भीम उप कार्यालय संचालन हेतु जिला परिवहन कार्यालय, राजसमन्द के स्वीकृत पदों में से ही एक परिवहन उप निरीक्षक लगाया हुआ है।

(2) खण्ड 1 के उत्तर में वर्णित है।

(3) भीम उप परिवहन कार्यालय हेतु पृथक से पद सृजित नहीं है। परिवहन विभाग हेतु सूचना सहायकों एवं परिवहन उप निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। तदुपरान्त आवश्यकतानुसार कार्मिक परिवहन उप कार्यालय, भीम को उपलब्धक कराये जा सकेंगे।

(4) जी हां। वर्तमान में भीम उप परिवहन कार्यालय निजी भवन में संचालित है। उक्त कार्यालय के लिए सरकारी भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन हेतु उप खण्ड अधिकारी, भीम/जिला कलक्टर, राजसमन्द को पत्र क्रमांक 1101-02 दिनांक 19.11.2010 एवं पत्रांक 1287 दिनांक 15.12.2010 द्वारा लिखा गया है। भूमि आबंटन होने के उपरान्त भवन निर्माण बाबत विचार किया जा सकेगा।

निर्धारित समय सीमा में उद्योग स्थापित नहीं करने वाले भू-खण्डों का निरस्तीकरण

199. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रीको द्वारा जमीन आबंटन होने के तीन वर्ष बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले औद्योगिक समूहों की जमीन आबंटन निरस्त किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो राज्य में गत पांच वर्षों में कितने लोगों की जमीन निरस्त की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

रीको भू-निपटान नियम 1979 में वर्णित अवधि में उद्योग स्थापित नहीं करने वाले आबंटियों के भू-खण्ड निरस्त किये जाने का प्रावधान है।

गत 5 वर्षों में नियत अवधि में उद्योग स्थापित नहीं करने के परिणामस्वरूप जो आबंटित भू-खण्ड निरस्त किए गए हैं, उनका औद्योगिक क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों में रिक्त पद

200. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह एवं जिला कारागृह में किस-किस वर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने-कितने रिक्त हैं?

(2) राज्य में 31 दिसम्बर, 2011 को किस-किस स्तर के जिला कारागृहों में कितने-कितने कैदी थे?

(3) दिसम्बर, 2011 को प्रदेश में निर्धारित मानकों के अनुसार किस-किस केन्द्रीय कारागृह में कैदियों को रखने की कितनी-कितनी क्षमता निर्धारित है तथा उनमें कितने-कितने कैदी थे?

(4) वर्ष 2009-10 व 2010-11 के दौरान केन्द्रीय कारागृह सेवर (भरतपुर), जयपुर एवं जोधपुर में लेखा परीक्षा एवं विभागीय जांच के अनुसार किस-किस प्रकार की वित्तीय एवं सुरक्षा सम्बन्धी खामियां पाई गई एवं उनके समाधान हेतु क्या-क्या उपाय किए गए?

उत्तर

(1) दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार राज्य की केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों में विभिन्न वर्गों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(2) दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तर के जिला कारागृहों में निरुद्ध बंदियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	जिला कारागृह का स्तर	निरुद्ध बंदी संख्या
1.	जिला कारागृह 'ए' श्रेणी	1481
2.	जिला कारागृह 'बी' श्रेणी	3749

(3) दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार राज्य के केन्द्रीय कारागृहों की निर्धारित बंदी क्षमता के अनुसार निरुद्ध बंदियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'बी' पर उपलब्ध है।

(4) वर्ष 2009-10 व 2010-11 के दौरान लेखा परीक्षा/आन्तरिक जांच रिपोर्ट में केन्द्रीय कारागृह, सेवर (भरतपुर), जयपुर एवं जोधपुर पर सीमित निविदाओं के आधार पर सीमा से अधिक व्यय, खुली निविदा आमंत्रित किये बिना उपभोक्ता भण्डार से दवाओं का क्रय, सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये गए कार्यो के उपयोगिता प्रमाण पत्र/शेष बची राशि प्राप्ति का अभाव, आवंटित बजट से अधिक व्यय के नियमितिकरण का अभाव, अनुपयोगी अप्रचलित सामान के निस्तारण का अभाव व कोष कार्यालय से आहरित बिलों का विभागीय लेखों से मिलान का अभाव, ठेकेदारों द्वारा विलम्बित सप्लाई पर देय पेनल्टी, बंदियों की जमा निजी सम्पति के निस्तारण/वापसी का अभाव, बंदी खुला शिविर के बिजली के बिलों का भुगतान, मोटर दुर्घटना से हुई हानि के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण विद्युत वितरण विभाग को सरवर फैक्टर सरचार्ज, डिमाण्ड सरचार्ज इत्यादि देयता का भुगतान करने से हानि, बंदियों के उपचार के लिए दिये गये व्यय विवरण उपलब्ध नहीं होना, सेलुलर जैमर स्थापना हेतु एवं विद्युत कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति का अभाव तथा अधिकारियो/कर्मचारियों के सरकारी आवास खाली नहीं करने से बिजली/पानी की राशि की वसूली का अभाव से सम्बन्धित वित्तीय अनियमितताएं है, जो प्रक्रियात्माक वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिनकी अनुपालना लेखा परीक्षा को प्रेषित कर दी गई है। आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों की पालना करवाई जा रही है।

(कारागार राज्य मंत्री)

सुरक्षा सम्बन्धी खामियों से सम्बन्धित आक्षेप पुराने कारतूसों की वापसी एवं शस्त्रों के भौतिक सत्यापन का अभाव से सम्बन्धित है। पुराने कारतूसों के स्थान पर नये कारतूस प्राप्त करने एवं प्रतिवर्ष शस्त्रों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। विभिन्न कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं कार्मिकों से पानी/बिजली उपयोग की राशि वसूल की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आरक्षित वर्ग के पुलिस अधिकारियों के रिक्त पद

201. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पुलिस उप निरीक्षक, निरीक्षक, उपाधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के कितने-कितने पद सृजित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए किस-किस संवर्ग में कितने-कितने पद आरक्षित किये गये हैं तथा आरक्षित पदों में से कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आरक्षित पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पुलिस विभाग में वर्तमान में निम्नानुसार पद सृजित हैं :-

1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक - 210
2. उप अधीक्षक पुलिस -532
3. निरीक्षक पुलिस -1093
4. उप निरीक्षक पुलिस - 3841

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्वीकृत पदों में से आरक्षित एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में पदोन्नति प्रक्रिया पर माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिबन्धित है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग में

(गृह मंत्री)

प्रक्रियाधीन है। अतः पदोन्नति प्रक्रिया खुलने एवं सीधी भर्ती से अधिकारियों के उपलब्ध होने के आधार पर उक्त कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट "अ"

स्वीकृत पदों में आरक्षित पदों का संवर्गवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	पदवार आरक्षित पदों की संख्या			आरक्षित पदों में रिक्त पदों की संख्या	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1.	अ. पु. अधी.	34	25	03	02
2.	उ. अधी. पु.	85	64	19	20
3.	नि. पु.	165	122	36	25
4.	उ. नि.	565	425	159	184

पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में कार्यवाही माननीय न्यायालयों में दायर याचिका के लम्बित होने के कारण कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसके कारण वर्ष 2010-11 व 2011-12 की पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने से उक्त पद रिक्त हैं।

हिंगोली (जोधपुर) के वन क्षेत्र में चौकी की स्थापना

202. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम हिंगोली में हिरणों की तादाद ज्यादा है और यहां वन विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम में हिरण शिकार रोकने हेतु वन चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम के लिये ग्राम हिंगोली से 10 किलोमीटर की दूरी पर क्षेत्रीय वन अधिकारी का कार्यालय स्थित है तथा

(वन मंत्री)

ग्राम हिंगोली से 15 किलोमीटर की दूरी पर सहायक वनपाल का नाका ग्राम राडोद में स्थित है। इसके अतिरिक्त वन/वन्यजीव अपराधों की पुख्ता रोकथाम के लिये उड़नदस्ता के माध्याम से गश्त किये जाने की व्यवस्था है।

(2) जी नहीं। जिले के विस्तृत मरुक्षेत्र के मध्यनजर वन/वन्यजीव अपराधों की रोकथाम हेतु उपयुक्त स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय/नाका/चौकियां स्थापित हैं।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में खेल मैदान की स्थापना

203. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में उप खण्ड मुख्यालय गंगापुर व रायपुर में खेल मैदान/स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) राज्य में 2008-09 से लागू की गई है, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2009-10 से किया गया है। योजना के प्रथम चरण में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में ब्लाक रायपुर का चयन कर 5.00 लाख रुपये की राशि से खेल मैदान का विकास करके पायका केन्द्र खोला जा चुका है।

योजना के अगले चरणों में वर्ष 2016-17 तक नियमानुसार चरणबद्ध रूप से गंगापुर में पायका केन्द्र खोले जाने की योजना है।

समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत संभाग, जिला एवं तहसील स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण Standard-ised Type Designs के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है।

अजमेर जिले के भवन रहित सरकारी विद्यालय

204. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विधालयों में से कितने विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं तथा भवन

(श्री वासुदेव देवनानी)

किराये के रूप में प्रतिमाह कितनी राशि सरकार द्वारा चुकायी जा रही है? विद्यालयवार एवं स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार की किराये के भवनों में संचालित विद्यालयों को सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करने अथवा सरकारी भूमि आबंटन कर भवन निर्माण कर उसमें स्थानान्तारित किये जाने के सम्बन्ध में क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिला अजमेर में किराये के भवनों में संचालित उक्त विद्यालयों को सरकारी भवनों अथवा सरकारी भूमि पर भवन निर्माण कर उनमें स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी/की जा रही है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला अजमेर में 71 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा 13 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं। जिनका विद्यालयवार एवं स्थानवार मासिक किराया राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) भवन विहीन/किराये के भवनों में संचालित राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण में मुख्यतः भूमि उपलब्ध नहीं होने की समस्या रहती है। राजकीय विद्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के लिए शहरी क्षेत्रों में शहरी निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व विभाग/ग्राम पंचायतों से शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सम्पर्क किया जाता है। जैसे-जैसे उक्त विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध होगी, सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्रावधानों के तहत इन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण करवाया जा सकेगा।

(3) उक्त विद्यालयों हेतु सरकारी भूमि निःशुल्क आबंटन करने हेतु नगर सुधार न्यास/ग्राम पंचायत/नगर परिषद को निवेदन किया गया है। अभी तक उक्त संस्थाओं द्वारा किसी भी विद्यालय को स्थान/भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। भूमि उपलब्ध करवाने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मण्डी शुल्क से प्राप्त आय में से गौ-संरक्षण हेतु आबंटित राशि

205. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि विपणन निदेशालय द्वारा प्रदेश में मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि राज्य में पंजीकृत गौशालाओं को प्रतिवर्ष दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो जारी किये गये आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तिथि से आज तक सरकार द्वारा प्रदेश की किसी भी गौशाला को उपरोक्त राशि में से एक रुपया भी गौसंरक्षण हेतु प्रदान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो अब सरकार उपरोक्त राशि कब तक गौशालाओं को जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 में राज्य में सूखे एवं अकाल की स्थिति को देखते हुए मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि राज्य में पंजीकृत गौशालाओं के रखरखाव, पशुओं के चारे एवं पानी के लिए आरक्षित करने की स्वीकृति वर्ष 2009-10 के लिये दी गई थी। इस सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 2.8.09 एवं 2.9.09 संलग्न परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर है। परन्तु उक्त आदेशों की क्रियान्विति को दिनांक 2.2.10 से स्थगित कर दिया गया है इस आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'स' पर है।

इस बाबत लिए गये निर्णयानुसार अकालग्रस्त जिलों में स्थित कृषि उपज मण्डियां सीधे ही आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग के मद में मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की 5 प्रतिशत राशि आरक्षित कर देगी और आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग इस राशि का उपयोग पशुओं के संरक्षण पर करेगा। इसके जारी आदेश दिनांक 5.11.09 की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(2) आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग द्वारा राशि की मांग नहीं किए जाने से उक्त राशि का व्यय नहीं हुआ।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर शहर में एलीवेटेड रोड निर्माण कार्य की प्रगति

206. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर में टोंक रोड (दुर्गापुरा) से एलीवेटेड रोड योजना के तहत पुल निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो उसे कितने समय में पूर्ण किये जाने का फर्म से अनुबन्ध किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पुल को फर्म द्वारा निर्माण करते हुए कितना समय हो गया है एवं अब इसको कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि फर्म द्वारा निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और इसका पुनः कब तक निर्माण कार्य चालू करा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य प्रारम्भ तिथि 23.04.2008 एवं समाप्ति की नियत तिथि 22.10.2009 थी।

(2) कार्य लगभग 4 वर्ष से प्रगति पर है तथा अब मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं।

कोटा सम्भाग में संचालित निगम बस सेवा

207. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा सम्भाग में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी बसें संचालित हैं?

(2) उक्त से कितनी बसें लोकल, कितनी एक्सप्रेस एवं कितनी डीलक्स बसें संचालित हैं?

(3) उक्त से कितनी बसें कण्डम होने तथा कितनी मरम्मत योग्य होने के कारण खड़ी हैं?

(4) गत तीन वर्षों 3 वर्ष में राज्य में कितनी बसें नयी खरीदी गईं तथा कितनी बसों की मरम्मत कराई गई और उक्त पर कुल कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम द्वारा बसों का संचालन डिपो एवं जोन कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है न कि सम्भागवार । कोटा जोन में 422 बसें संचालित हैं।

(परिवहन राज्य मंत्री)

(2) कोटा जोन में संचालित 422 बसों में से 195 लोकल एवं 227 एक्सप्रेस बसें हैं।

(3) उक्त बसों में से 7 कण्डम होने तथा 13 बसें मरम्मत योग्य होने के कारण खडी हैं।

(4) राज्य में पिछले तीन वर्षों में नई खरीदी गई बसें निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	बस संख्या
2008-09	903
2009-10	247
2010-11	1020
2011-12 (27.2.12 तक)	305

निगम द्वारा जिलेवार बसों का संचालन नहीं किया जाता है बल्कि डिपो एवं जोनवार किया जाता है। अत: डिपोवार पिछले तीन वर्षों में मरम्मत की गई बसों एवं उन पर हुये व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

पिछले तीन वर्षों में डिपोवार मरम्मत की गई बसों व उन पर मरम्मत हेतु व्यय की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	आगार	वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11	
		वाहन सं.	राशि	वाहन सं.	राशि	वाहन सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजयमेरु	9	2.25	15	6.79	29	5.07
2.	अजमेर	29	9.37	32	10.77	32	8.17
3.	ब्यावर	29	16.26	21	9.41	31	7.49
4.	भीलवाड़ा	36	27.38	22	7.59	39	7.73
5.	डीडवाना	7	3.76	12	5.33	30	15.60
6.	नागौर	19	9.91	17	9.91	14	7.39

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	अलवर	18	16.54	10	8.31	26	17.02
8.	मत्स्य नगर	21	19.79	15	8.58	26	20.93
9.	तिजारा	12	9.46	17	10.25	23	14.12
10.	भरतपुर	16	14.67	19	28.95	17	19.84
11.	लोहागढ़	16	16.28	18	24.36	27	29.02
12.	धौलपुर	15	13.83	25	24.93	30	34.61
13.	हिण्डौन	13	13.41	16	20.35	25	26.79
14.	अनूपगढ़	11	9.32	17	9.48	23	9.35
15.	गंगानगर	26	18.78	13	6.78	15	10.90
16.	बीकानेर	2	0.72	12	4.24	18	6.43
17.	चूरू	27	2.97	35	26.19	23	8.25
18.	सरदारशहर	24	15.67	43	13.63	27	12.29
19.	हनुमानगढ़	7	4.38	12	6.23	15	7.94
20.	झुन्झुनूं	21	17.41	12	5.10	11	3.42
21.	खेतड़ी	24	18.99	16	9.62	7	5.67
22.	सीकर	16	1.64	8	4.66	11	3.99
23.	श्रीमाधोपुर	16	16.03	13	8.50	20	10.38
24.	सुविधा	43	30.37	50	42.45	26	22.30
25.	जयपुर	61	50.17	68	51.00	78	57.60
26.	कोटपूतली	20	22.91	20	18.75	21	24.35
27.	वैशाली नगर	37	31.34	60	48.97	63	63.97
28.	झलानाड्रंगरी	34	31.46	21	26.12	-	-
29.	सांगानेर	37	20.89	20	9.63	21	7.22

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	विद्याधर नगर	43	34.18	28	21.38	49	14.04
31.	दौसा	18	18.09	14	15.72	33	31.41
32.	आबूरोड	34	2.44	41	2.59	27	11.31
33.	रेवदर	8	1.99	10	3.01	4	1.56
34.	सिरोही	16	8.22	15	9.09	20	7.92
35.	बाडमेर	39	18.09	29	18.66	43	12.75
36.	जैसलमेर	15	3.79	10	6.18	16	4.01
37.	जालौर	48	21.50	79	31.00	74	28.99
38.	जोधपुर	27	13.01	17	9.18	29	11.38
39.	फलौदी	24	13.20	27	17.47	25	11.76
40.	पाली	33	15.58	32	15.03	16	6.13
41.	फालना	23	13.46	16	9.49	22	6.21
42.	टोंक	13	11.19	12	7.69	25	9.48
43.	बांसवाड़ा	8	4.79	10	6.85	10	1.36
44.	बारां	12	9.85	22	11.52	14	8.28
45.	बून्दी	9	5.26	19	3.15	12	3.52
46.	झालावाड़	11	8.97	26	11.08	16	8.44
47.	कोटा	16	15.75	15	7.69	19	9.31
48.	चित्तौड़गढ़	17	13.47	11	6.03	17	9.75
49.	डूंगरपुर	14	7.99	8	6.04	3	1.94
50.	उदयपुर	24	21.00	21	12.95	5	1.37

पाली जिले में डोडा पोस्त की तस्करी के दर्ज प्रकरण

208. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2011 तक पाली जिले में कितने प्रकरण डोडा पोस्त की तस्करी के दर्ज हुये और इनमें कौन-कौन गिरफ्तार हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डोडा पोस्त की तस्करी रोकने हेतु डोडा उत्पादक कृषकों की डोडा पोस्त की पूर्ण फसल खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2011 तक पाली जिले में डोडा पोस्त तस्करी के 57 मामले दर्ज हुये हैं। दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तार/चालान हुये व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभाग प्रदेश में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र धारित व्यसनियों की मांग पूर्ति हेतु ही उत्पादन क्षेत्र के पट्टेधारी अफीम किसानों से डोडा पोस्त क्रय किये जाने हेतु अनुज्ञायें जारी करता है। चूंकि इन व्यसनियों की चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर मांग (Requirement) कुल डोडा उत्पादन से कम है। अतः डोडा चूरा की सम्पूर्ण फसल क्रय किया जाना नियमानुसार वांछनीय नहीं है।

आबकारी नीति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के बिन्दु संख्या 5.7 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में डोडा पोस्त की कुल मांग तथा डोडा पोस्त उत्पांदन होने वाले जिलों में कुल कितनी आरी में अफीम की काश्ती की गयी है के आधार पर उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक काश्तकार से कितना डोडा पोस्त प्रति आरी क्रय किया जायेगा, इसका निर्धारण राज्य सरकार के स्तर से किये जाने का प्रावधान किया गया है। उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारियों को इस प्रकार नियमान्तर्गत अफीम के हर काश्तकार एवं हर गांव से उक्त निर्धारित मात्रा के अनुरूप डोडा पोस्त को क्रय करना आवश्यक होगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा शुल्क वसूली में अनियमितताएं

209. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रणवीर पहलवान)

(1) क्या यह सही है कि शैक्षणिक सत्र 2011-12 में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा दोनों सत्रों की फीस डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं नगद राशि के रूप में एक साथ कई संस्थाओं ने वसूल की है? यदि हां, तो किस-किसने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने गत सत्र की उक्त महाविद्यालयों के द्वारा फीस वसूली को लेकर कभी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से पत्र व्यवहार किया? यदि हां, तो कब-कब, कितने महाविद्यालयों के विरुद्ध और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तकनीकी शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा से सम्बद्ध कुल 197 महाविद्यालयों में से केवल 16 निजी महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2011-12 में वार्षिक रूप से फीस ली गई है। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की अनुपालना में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण किया जाता है। समिति के निर्देशों की पालना में निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों द्वारा दोनों सत्रों की शुल्क एक साथ वसूलने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को संस्थानों पर वित्तीय दण्ड एवं भविष्य में सम्बद्धता निरस्त किये जाने का नोटिस दिये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम
1	2
1.	सुबोध इन्स्टिटयूट आफ मैनेजमेंट एंड कैरियर स्टडीज, जयपुर
2.	ग्लोबल कालेज आफ टेक्नालोजी, जयपुर
3.	ऐश्वर्या कालेज आफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च सेन्टर, जोधपुर
4.	इन्टरनेशनल इन्स्टिटयूट आफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी जयपुर

1	2
5.	सनराइज ग्रुप आफ इन्स्टिटयूशन्स, उदयपुर
6.	एक्मे इन्स्टिटयूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलोजी, अजमेर
7.	स्वामी विवेकानन्द इन्स्टिटयूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलोजी, बस्सी, जयपुर
8.	दी इन्स्टिटयूट आफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट एकाउण्टस आफ इण्डिया, जयपुर
9.	एस.जी.एन. खालसा आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलोजी, श्रीगंगानगर
10.	महिला आश्रम इन्स्टिटयूट आफ मैनेजमेंट, भीलवाड़ा
11.	ग्लोबल इन्स्टिटयूट आफ टेक्नोलोजी, जयपुर
12.	विनायक कालेज आफ मैनेजमेंट, जयपुर
13.	आयोजन स्कूल आफ आर्किटेक्चर, जयपुर
14.	आइडियल्स इन्टरनेशनल कालेज आफ मैनेजमेंट, प्रतापगढ़
15.	सिद्धार्थ इन्स्टिटयूट आफ माडर्न मैनेजमेंट, जयपुर
16.	महात्मा गांधी कालेज आफ मैनेजमेंट, जयपुर

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीगंगानगर में वाणिज्य कर चोरी

347. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में वाणिज्यक कर विभाग द्वारा कर चोरी के कितने मामले श्रीगंगानगर में पकड़े गये तथा उनमें कितना-कितना जुर्माना वसूला गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में से कितने मामलों में कार्यवाही की गई तथा किस-किस तरह के मामले पकड़े गये और इनसे कितनी राशि जुर्माने के रूप में जमा हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग ने फरवरी, 2012 में सवा तीन लाख का जुर्माना वसूला है? यदि हां, तो पकड़े गये ट्रकों में क्या-क्या भरा हुआ था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में गत पांच वर्षों में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा करापवंचना के कुल 731 मामले बनाये जाकर 530.78 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया है, जिसका तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वाणिज्यिक कर विभाग ने कार्यवाही कर श्रीगंगानगर जिले में 731 करापवंचना के प्रकरण बनाये हैं। इनमें अपूर्ण दस्तावेज, वांछनीय साक्ष्यों का अभाव, उचन्त ब्रिकी, लेखा पुस्तकों में खरीद-बिक्री का इन्द्राज नहीं होना इत्यादि पाया गया है तथा जुर्माने के तौर पर 530.78 लाख रुपये की राशि जमा हुई है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि विभाग ने फरवरी, 2012 में सवा तीन लाख से अधिक का जुर्माना वसूला है। परिवहन जांच में पकड़े गये ट्रकों में तिलहन, आयरन-स्टील एवं परचून का अघोषित सामान पकड़ा गया, जिससे विभाग को 3.32 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

परिशिष्ट-अ

गत पांच वर्षों में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा श्रीगंगानगर में बनाये गये करापवंचना प्रकरणों का तहसीलवार विवरण

राजस्व तहसील	मामलों की संख्या	जुर्माना राशि (लाखों में)
श्रीगंगानगर	402	398.40
सूरतगढ़	87	41.83
श्रीविजयनगर	28	12.15
अनूपगढ़	33	12.37
सादुलशहर	20	5.01
रायसिंहनगर	71	19.58
घड़साना	2	20.9
कर्णपुर	29	11.24
पदमपुर	59	28.11
योग	**731**	**530.78**

परिशिष्ट-ब

गत पांच वर्षों में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा श्रीगंगानगर में बनाये गये करापवंचना प्रकरणों का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या	जुर्माना राशि (लाखों में)
1.	2007-08	131	99.31
2.	2008-09	130	80.78
3.	2009-10	128	78.84
4.	2010-11	139	115.32
5.	2011-12 (माह फरवरी तक)	203	156.53
	कुल	**731**	**530.78**

चेचट (कोटा) उप पंजीयक द्वारा नियम विरुद्ध पंजीकृत भू-खण्ड

348. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (अन्ता-बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप पंजीयक चेचट जिला कोटा द्वारा 14 दिसम्बर, 2011 को किस -किस भू-खण्ड का पंजीयन किया गया? पंजीयन अधिकारी का नाम व पद सहित उक्त तिथि को पंजीयन किए गए दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पंजीकृत भू-खण्ड का उप पंजीयक चेचट द्वारा मौका निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो मौका निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पंजीकृत भू-खण्ड का उप पंजीयक चेचट द्वारा मौका नहीं देखा गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पंजीयन अधिकारी द्वारा सम्पत्तियों के पंजीकरण हेतु मौका निरीक्षण के लिए नियमों में क्या प्रावधान है? नियमों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा रेण्डम अनुसार कितने प्रतिशत दस्तावेजों, पंजीकृत की जाने वाली सम्पत्तियों के मौका निरीक्षण का प्रावधान किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उप पंजीयक चेचट द्वारा उक्त नियमों या प्रावधनों की पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उप पंजीयक चेचट द्वारा रेण्डम अनुसार उक्त पंजीकृत भू-खण्ड का निरीक्षण किया जाना था? यदि हां, तो रेण्डम सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप पंजीयक कार्यालय, चेचट, जिला कोटा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 को दो दस्तावेजों का पंजीयन किया गया। पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों में एक कृषि भूमि का बेचाननामा और दूसरा भू-खण्ड का बेचाननामा था। उक्त दिनांक को पंजीयन अधिकारी के रिक्त पद पर श्री सुरेन्द्र प्रकाश शर्मा, नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्य सम्पादित किया जा रहा था। पंजीबद्ध किये गये दोनों दस्तावेजों की फोटो प्रतियां संलग्न हैं। (परिशिष्ट-'अ')

(वित्त मंत्री)

(2) जी नहीं। उक्त पंजीकृत भू-खण्ड का मौका नहीं देखा गया।

(3) जी हां। पंजीबद्ध दस्तावेजों में से रेण्डम चयन के आधार पर केवल 25 प्रतिशत प्रकरणों का ही मौका देखा जाता है, जिसमें यह शामिल नहीं था।

(4) विभागीय परिपत्र संख्या 8/06 क्रमांक एफ.7(75) जन/06/5079 दिनांक 17.03.2006 द्वारा पंजीयन के पश्चात् दस्तावेजों के मौका निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें 25 लाख रुपये तक की मालियत के 25 प्रतिशत दस्तावेजों का उप पंजीयक द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है। विभागीय परिपत्र संख्या 20/09 क्रमांक एफ. 7(105)जन./09/3279-3728 दिनांक 24.06.2009 के अनुसार चार या चार से अधिक दस्तावेज पंजीकरण की दशा में कम्प्यूटर से रेण्डमाइजेशन उसी दिन किया जाकर दूसरे दिन मौका निरीक्षण करने का प्रावधान है। किसी दिन पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या चार से कम होने पर अगले दिन के दस्तावेजों को शामिल करते हुये कम्यूटर से रेण्डमाइजेशन कराया जाता है। मैनुअल रेण्डमाइजेशन के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाने का प्रावधान है। परिपत्रों की छाया प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं।

(5) उत्तर बिन्दु संख्या 4 के अनुसार है।

(6) जी हां।

(7) जी नहीं। माह दिसम्बर, 2011 के रेण्डम चयन की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

शराब ठेकों की अवधि में वृद्धि

349. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में शराब के ठेकों की अवधि बढ़ा दी गई हैं? यदि हां, तो कब तक के लिये?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकानात के अनुज्ञाधारियों को उनके अनुज्ञापत्रों को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए नवीनीकरण करवाये जाने का विकल्प दिया है।

ग्रामीण गैर-बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत बिजनस कोरस्पोंडेंट का स्थायीकरण

350. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में केन्द्र सरकार एवं रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की संयुक्त स्वाभिमान योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गैर बैंकिंग क्षेत्रों में बिजनस कोरस्पोंडेंट ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां तथा योजना का प्रारूप व उद्देश्य क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में उक्त योजना में कार्यरत बिजनस कोरस्पोंडेंट के नाम क्या-क्या है एवं केन्द्र सहित उनके द्वारा गैर बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा प्रतिफल में उनको प्रतिमाह कितना वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलाभ किस प्रकार दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चयनित बिजनस कोरस्पोंडेंट द्वारा ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किराये की दुकान लेकर हजारों रुपया व्यय करके कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामग्री खरीदकर योजना का लाभ दिया जा रहा है? क्या सरकार उनका वेतन, कमीशन एवं अन्य लाभ बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में उक्त योजना से ग्रामीण क्षेत्र के कितने-कितने लोग लाभान्वित हुए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त योजना में कार्यरत बिजनेस कोरस्पोंडेंट को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न का विषय मुख्यतः राज्य सरकार से सम्बन्धित न होकर बैंकों से सम्बन्धित है। स्वाभिमान कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.), बैंक आफ बड़ौदा के निर्देशन/परीवीक्षण में राज्य में कार्यरत विभिन्न 21 बैंकों द्वारा किया जा रहा है। एस.एल.बी.सी. से इस संदर्भ में प्राप्त प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

वर्ष 2010 में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवा से वंचित व्यक्तियों को

(आयोजना मंत्री)

वित्तीय सेवा उपलब्धता हेतु भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत 2001-जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में मार्च-2012 तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध करवाने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया था। बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने हेतु इस कार्यक्रम के तहत यह व्यवस्था आर.बी.आई./भारत सरकार द्वारा दी गई कि बैंक इन गैर-बैंकिंग गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने हेतु निर्धारित Mode यथा शाखा, एटीएम, मोबाइल वैन, सेटेलाइट शाखा अथवा तकनीकी आधारित बिजनस कोरस्पोंडेंट (बी.सी.) माडल इत्यादि में से कोई भी एक Mode अपनाने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही इस वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के बतौर भारतीय बैंक संघ व भारत सरकार ने "स्वाभिमान" से नामांकरण कर इसके क्रियान्वयन करने का निर्णय किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा राज्य के 3,883 गांवों को चिन्हित कर सेवा क्षेत्र के आधार पर प्रत्येक जिले में कार्यरत जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डी.सी.सी.) द्वारा सम्बन्धित सेवा क्षेत्र बैंकों को बैंकिंग सेवाएं मार्च-2012 तक पहुंचाने का दायित्व दिया गया।

इस कार्यक्रम के तहत फरवरी-2012 तक चिन्हित 3,883 गांवों में से 3,522 गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गांवों में बी.सी. एजेंट की व्यवस्था बैंकों के द्वारा अपने बोर्ड के निर्णयानुसार कर दी गई है। बैंकों द्वारा नियुक्त सेवाप्रदाताओं की सूची परिशिष्ट -ब पर संलग्न है। बी.सी. द्वारा बैंकिंग सेवाएं यथा बैंक खाता, लेन-देन, मनी ट्रांसफर, ओवरड्राफ्ट इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बी.सी. माडल में दी गई व्यवस्था के अनुसार तकनीकी सेवाप्रदाता कम्पनी की नियुक्ति व बैंकिंग लेन-देन के लिए बी.सी. एजेंट व उनको वेतन भुगतान इत्यादि की व्यवस्था बैंकों द्वारा अपने-अपने बोर्ड के निर्देशानुसार की गई है।

(3) बी.सी. माडल में लेन-देन के लिए कम्प्यूटर-प्रिन्टर की आवश्यकता नहीं रहती है व लेन-देन करने हेतु प्रयुक्त उपकरण/मशीन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिससे लेन-देन का कार्य व्यक्ति/ग्राहक/खातेदार के घर/आवास पर भी निष्पादित किया जा सकता है। इस मशीन की उपलब्धता बैंक के बोर्ड के निर्णय के अनुसार सेवाप्रदाता द्वारा बी.सी. एजेन्ट को की जा रही है। राज्य सरकार/ग्राम पंचायत के सहयोग से

(आयोजना मंत्री)

बी.सी. एजेन्ट को ग्राम पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में बैठाने की भी नि:शुल्क व्यवस्था की जा रही है। बी.सी. एजेन्ट बैंकिंग लेन-देन का कार्य अपने निवास या गांव में किसी भी स्थान से आसानी से कर सकता है।

(4) फरवरी-2012 तक इस कार्यक्रम के तहत 9,88,984 व्यक्तियों के बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें बैंकिंग सेवाएं यथा बैंक खाता, लेन-देन, मनी ट्रांसफर, ओवरड्राफ्ट इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) इस योजना के तहत वस्तुत: बिजनेस कोरस्पोंन्डेंट की नियुक्ति बैंकों द्वारा अपने बोर्ड निर्णय के अनुसार की जा रही है, अत: इनकी सेवाओं का विस्तार इत्यादि का निर्णय सम्बन्धित बैंकों द्वारा ही किया जाना है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शिवगंज (सिरोही) नगरपालिका का महावीर स्मृति कुंज भवन निर्माण प्रकरण

351. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री आदेश्वर ओसवाल जैन मंदिर पेढी शिवगंज द्वारा जैन मुनियों एवं भक्तगणों के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ "महावीर स्मृति कुंज भवन" निर्माण की स्वीकृति हेतु 01 अक्टूबर, 2009 को पत्रावली जमा करवाई गई थी तथा उक्त भूमि का पट्टा जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 1985 को नियम 1981 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा अपने पत्र संख्या जेडीजेड/1688/शिवगंज दिनांक 25 जून, 2010 के जरिये उक्त प्रस्तावित भूमि का मानचित्र स्वीकृत किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका शिवगंज ने अपने पत्रांक नपासि/2010-11/9199 दिनांक 17 मार्च, 2011 के द्वारा उक्त भूमि के संस्थानिक परिवर्तन के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर से राय मांगी थी?

(4) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक,

(श्री मेवाराम जैन)

जोधपुर द्वारा नगरपालिका शिवगंज को दिनांक 06 जुलाई, 2011 को पत्र क्रमांक जेडीजेड/1120 शिवगंज/1152 के द्वारा उक्त भूमि के संस्थानिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होने की राय व्यक्त की जिसके तहत नगरपालिका, शिवगंज की भवन निर्माण समिति ने 19 जुलाई, 2011 को अपनी बैठक में उक्त भवन की निर्माण स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया? यदि हां तो जैन पेढी को 20 जुलाई, 2011 को पालिका अधिनियम की धारा 82 एवं 194 (च) में कार्यवाही करने के नोटिस जारी क्यों किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि अगस्त, 2011 एवं उसके बाद दो बार इस सम्बन्ध में सरकार शासन को जैन पेढी द्वारा निर्माण स्वीकृति दिलाने के लिए ज्ञापन दिए गए? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब उक्त महावीर स्मृति कुंज भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी की जाकर दोषी अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री आदेश्वर ओसवाल जैन मंदिर पेढी शिवगंज को भूमि का पट्टा जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 12.4.85 को दिया गया है, उक्त पेढी द्वारा शिवगंज नगरपालिका में 1.10.09 को संघ की सुविधा के लिए स्वीकृति चाही गयी थी ना कि आवासीय प्रयोजनार्थ ।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। पालिका भवन निर्माण कमेटी की बैठक दिनांक 19.7.11 के प्रस्ताव संख्या 45 में निर्माण स्वीकृति कमेटी द्वारा जारी करने का निर्णय लिया था। उक्त प्रस्ताव पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका शिवगंज द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 का प्रयोग करते हुए अपनी असहमति दर्ज की जाकर मार्गदर्शन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया जो निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है। अतः बिना स्वीकृति निर्माण करने के कारण धारा 82 एवं 194 में नोटिस जारी किये गये है।

(5) जी हां। अधिशासी अधिकारी नगरपालिका शिवगंज द्वारा पालिका भवन निर्माण कमेटी की बैठक दिनांक 19.7.11 के प्रस्ताव संख्या 45 में लिये गये निर्णय पर असहमति टिप्पणी विभाग को प्राप्त हुई है, जिस पर निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है।

पाली नगर परिषद में अग्निशमन कर्मियों के रिक्त पद

352. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद, पाली के पास कुल कितने अग्निशमन वाहन हैं एवं इनके पूर्ण संचालन में किस-किस स्तर के कितने-कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है?

(2) वर्तमान में नगर परिषद, पाली की अग्निशमन शाखा में किस-किस स्तर के कितने अधिकारी/कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कौन-कौन से पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं?

(3) उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु अब तक किन-किन कारणों से कार्यवाही नहीं की गई एवं अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) नगर परिषद पाली में वर्तमान में 5 अग्निशमन वाहन हैं। इनके संचालन हेतु कर्मचारियों की संख्या स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार निर्धारित होती है न कि वाहनों की संख्या के अनुसार।

(2) वर्तमान में नगर परिषद पाली की अग्निशमन शाखा में सहायक अग्निशमन अधिकारी का 01 पद, टिण्डल के 06 पद, फायरमैन के 37 पद एवं वाहन चालक के 05 पद स्वीकृत हैं।

उक्त स्वीकृत पदों में से निम्न पद रिक्त हैं:-

सहायक अग्निशमन अधिकारी का 01 पद वर्ष 2007 से रिक्त है ।

टिण्डल के 03 पद वर्ष 2009-10 से रिक्त हैं।

फायरमैन के 19 पद रिक्त हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) राज्य की नगरीय निकायों में सहायक अग्निशमन अधिकारियों के सीधी भर्ती के रिक्त 13 पदों पर एवं फायरमैन के रिक्त 513 पदों पर भर्ती हेतु राज्य स्तरीय नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग द्वारा अपने विज्ञापन दिनांक 8.9.11 एवं 1.2.12 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

परिशिष्ट "अ"

वर्तमान में फायरमैन के 19 पद रिक्त हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष 2001-02 से 07 पद

वर्ष 2002-03 से 08 पद

वर्ष 2003-04 से 09 पद

वर्ष 2004-05 से 09 पद

वर्ष 2005-06 से 09 पद

वर्ष 2006-07 से 15 पद

वर्ष 2007-08 से 14 पद

वर्ष 2008-09 से 18 पद

वर्ष 2009-10 से 18 पद

वर्ष 2010-11 से 19 पद

वर्तमान में वाहन चालक के 02 पद वर्ष 2009-10 से रिक्त है।

जयपुर शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमियों द्वारा मूल स्वरुप में परिवर्तनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

353. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक जयपुर नगर निगम द्वारा जयपुर शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो जन्तर-मन्तर से सार्दुल सिंहजी की नाल होते हुए गणगौरी बाजार रोड तक अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जन्तर-मन्तर से सार्दुल सिंहजी की नाल होते हुए गणगौरी बाजार रोड तक स्थित भवनों के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ कर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करके आधुनिक रूप प्रदान कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन भवनों में किस प्रकार का अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण किया जा रहा है? क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करने वालों की सूची मय नाम पते सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जन्तर-मन्तर से सार्दुल सिंह की नाल होते हुए गणगौरी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

बाजार रोड तक के क्षेत्र में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण करने वालों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में भवनों के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने एवं अतिक्रमण व अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा है। पूर्व में इस प्रकार के किये गये अवैध निर्माण की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

सूची

क्र. सं.	**भवन मालिक का नाम व पता**	**नोटिस एवं दिनांक**	**विवरण**
1	**2**	**3**	**4**
1.	श्री कफील अहमद पुत्र श्री मोहम्मद जमीर चीनी की बुर्ज म.नं. 6 चौकड़ी सरहद।	90 09/04/2009	आपने बिना इजाजत तामीर पश्चिम व उत्तर देखती मंजिल ग्राउण्ड फ्लोर की छत के ऊपर मंजिल फर्स्ट फ्लोर तामीर हेतु आर.सी.सी. कालम तैयार कर आर.सी.सी. से छावण करीब 13x7 मी. में बिना इजाजत तामीर करवा रहे थे को नियमानुसार नोटिस दिया जाकर दिनांक 30/11/11 को चालान की कार्यवाही की गई।
2.	श्री अब्दुल शहीद पुत्र श्री अब्दुल वहीद म. नं. 2 चीनी की बुर्ज चौकड़ी सरहद।	37 11/11/2011	आपने मकान पश्चिम देखते के अदरून मंजिल ग्राउण्ड फ्लोर की छत के ऊपर ईटों से दिवारें व पिलर्स की 20x40 फीट में कमरे बनाने हेतु बिना इजाजत तामीर करवा रहे थे को नियमानुसार नोटिस दिया जाकर 25/5/11 को चालान की कार्यवाही की गई।

1	2	3	4
3.	गुल मोहम्मद पुत्र श्री छित्तर खां सुनारा हाउस सादू सिंह की नाल का पुलिस थाना कोतवाली।	65 18/12/2008	आपने मन्दिर दक्षिण देखते के पीछे उत्तरी हिस्से में आर.सी.सी. कालम करीब 13x13 मी. में बिना इजाजत तामीर करवा रहे थे को नियमानुसार नोटिस दिया जाकर दिनांक 31/3/09 को चालान की कार्यवाही की गई।

ह./-
आयुक्त
हवामहल जोन (पश्चिम)
नगर निगम, जयपुर।

कालाडेरा (जयपुर) रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की वित्तीय स्वीकृति

354. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौमूं कस्बे में कालाडेरा रेलवे क्रोसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज हेतु स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कब व इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया? स्वीकृति की प्रति व तखमीना राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रेलवे ओवरब्रिज का ठेका किस कार्य एजेन्सी/फर्म को दिया गया है?

(3) क्या उक्त रेलवे ओवरब्रिज में आने वाली भूमि को अवाप्त कर मुआवजे राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त रेलवे ओवरब्रिज का कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। चौमूं कस्बे में कालाडेरा रेलवे क्रोसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज कार्य हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की हिस्सा राशि के लिए प्रशासनिक एवं

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

वित्तीय स्वीकृति जोब नं. 270/2011-12 दिनांक 12.12.2011 को राशि रु. 31.33 करोड़ की जारी हुई है। तकमीना राशि रुपये 40.73 करोड़ है। शेष हिस्सा राशि रेलवे द्वारा वहन किया जाना है।

(2) उक्त रेलवे ओवरब्रिज को बनवाने का अनुबंध जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने मैसर्स इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली से किया गया है। निर्माण के ठेके इरकॉन द्वारा दिये जायेंगे।

(3) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। धारा 4 एवं धारा 6 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। धारा 9(1) एवं 9(3) के तहत नोटिस जारी हो चुके हैं किन्तु अवार्ड एवं कब्जे की कार्यवाही शेष है।

(4) अनुबंध की शर्तों के अनुसार मैसर्स इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड को विवाद रहित भूमि उपलब्ध करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर 24 माह में पूर्ण किया जाना है।

रावतसर नगरपालिका के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

355. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 1988 में अध्यक्षों व अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ़ से कार्यालय की पत्रावलियां मंगवाई गई थीं? क्या उक्त पत्रावलियां अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार रिणवा, कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री इकरामुद्दीन कुरैशी अध्यक्ष व श्री रामेश्वर लाल छीपा के विरुद्ध शिकायतों पर मंगवाई गई? यदि हां, तो उक्त पत्रावलियों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पत्रावलियां मार्च, 1988 से कार्यालय निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग में ही रखी हुई हैं? उक्त पत्रावलियां अब तक वापस नहीं भिजवाई जाने के क्या कारण हैं और अब उक्त पत्रावलियां कब तक वापस भेज दी जावेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगर पालिका रावतसर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार रिणवां, श्री रामेश्वर लाल छीपा एवं तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष श्री

(स्वायत्त शासन मंत्री)

इक्रामुदीन कुरैशी को न्यायिक जांच के उपरान्त आरोपों से उन्मोचित किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। नगरपालिका रावतसर की शिकायतों से सम्बन्धित पत्रावलियां वापस लौटाई जा चुकी हैं।

मालवीय नगर, जयपुर संस्थानिक क्षेत्र में आबंटित भू-खण्डों का कब्जा पत्र/पट्टा प्रकरण

356. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थानिक क्षेत्र में भूमि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? नियमों मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में कितनी-कितनी भूमि किस-किस संस्था को कब-कब एवं किस-किस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई है एवं इन आवंटियों को आबंटित भूमि का कब्जा पत्र/पट्टा कब-कब दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में ऐसे प्रकरण लम्बित हैं जिनमें संस्था को भूमि का आबंटन कर उन्हें कब्जा पत्र, पट्टा साइट प्लान दो अथवा तीन वर्ष पश्चात् दिया गया है? यदि हां, तो उक्त विलम्ब किस स्तर पर और क्यों हुआ एवं इनमें दोषी कौन है? उक्त आवंटियों से भूमि की ली जाने वाली पुनर्ग्रहण राशि आबंटन की तिथि से ली जानी है अथवा भूमि का कब्जा पत्र, पट्टा दिये जाने की तिथि से विवरण नियमों सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने पुनर्ग्रहण राशि वसूली के सम्बन्ध में समय-समय पर कोई परिपत्र/नियम/अधिसूचना दिशा-निर्देश जारी किये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या संस्थानिक क्षेत्र में भू-खण्डों की नीलामी किये जाने का प्रावधान है? क्या मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में किसी भू-खण्ड की नीलामी किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) संस्थानिक क्षेत्र में भू-पट्टी (Strip of Land) के सम्बन्ध में क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? उक्त प्रकार की भू-पट्टी किसे और किस दर पर

(श्री विजय बंसल)

दिये जाने का मानदण्ड/नियम है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में किसी संस्था को भू-खण्ड आबंटन करने के पश्चात् उसमें भू-पट्टी (Strip of Land) का विवाद विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार नियमानुसार उक्त भू-पट्टी (Strip of Land) को उसी आबंटी संस्था को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटन के सम्बन्ध में वर्ष 2011 में जारी नीति जिसमें आबंटन हेतु मापदण्ड दिये गये हैं, जो वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य स्थानीय निकायों पर लागू है, के अनुसार मापदण्ड निर्धारित है। उन नियमों/मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में कितनी-कितनी भूमि जिस-जिस संस्था को जब-जब एवं जिस-जिस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है एवं इन आबंटियों को आबंटित भूमि का कब्जा पत्र पट्टा कब-कब दिया गया, की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। विजय नर्सरी शिक्षा समिति को भूमि के आवंटन के पश्चात कब्जा पत्र, पट्टा, साईट प्लान 2 व 3 वर्ष पश्चात जारी किये हैं। आबंटन पत्र में दी गई भूमि एवं मौके पर उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल में अन्तर होने के कारण प्रकरण में विलम्ब हो रहा है। पुर्नग्रहण राशि राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पांदन) नियम 1974 के नियम 18, 18ए, 19 व 19ए के प्रावधानों के अनुसार ली जाती है। उक्त नियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) संस्थानिक क्षेत्र में सामान्यतः भू-खण्डों को आबंटित किया जाता है। वर्तमान में मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में किसी भू-खण्ड की नीलामी किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) संस्थानिक क्षेत्र में भू-पट्टी (Strip of Land) के सम्बन्ध में कोई अलग मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये है। राजस्थान भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत भू-पट्टी किसे और किस दर पर दिये जाने का मापदण्ड निर्धारित है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(7) जी हां। मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को आबंटित भूमि के समीप लगभग 125 व.मी. स्टीप आफ लैण्ड स्थित है, जिसे राजस्थान भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 23 के तहत ही निस्तारित किया जा सकता है। पूर्व में विजय नर्सरी शिक्षा समिति द्वारा दिनांक 11.09.2008 को उक्त स्टीप आफ लैण्ड को लेने को सहमत नहीं थी।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

ईटाराणा (अलवर) रेलवे ओवरब्रिज हेतु जारी कार्यादेश

357. **श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर शहर में ईटाराणा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त रेलवे ओवरब्रिज का कुल कितनी भूमि पर कहां से कहां तक एवं कुल कितनी लागत से निर्माण किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण हेतु कब व कौनसी बैठक में निर्णय लिया गया एवं इसकी स्वीकृति कब हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य हेतु सरकार द्वारा निविदा कब आमंत्रित की गई और उक्त निविदा में किस-किस संवेदक द्वारा निविदा भरी गई? प्रत्येक संवेदक द्वारा भरी गई निविदा राशि व निविदा की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किस संवेदक को किस दर पर कब दिया गया और कुल कितनी राशि से उक्त कार्य करवाया गया? कार्य संपादन के आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब उक्त रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण लगभग 8660 वर्ग मीटर भूमि पर करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलब्धता व उपयोगिता के अनुसार सर्विस लेन का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त रेलवे ओवरब्रिज का अलवर स्टेशन की ओर ईटाराणा फाटक से 425 मीटर की दूरी से आरम्भ कर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

ईटाराणा रोड पर मैसर्स दीपक वैजप्रो/मैसर्स आयशर तक निर्माण कराया गया है। उक्त ब्रिज की निर्माण लागत रुपये 2106 लाख है।

(2) उक्त आर.ओ.बी. निर्माण हेतु वर्क फाइनालिजेशन कमेटी मीटिंग दिनांक 22.06.2007 में लिया गया था। उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 29.07.2008 को जारी की गई। मीटिंग कार्यवाही विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उक्त आर.ओ.बी. हेतु निविदा दिनांक 25.06.2008 को आमंत्रित की गई थी एवं निम्न फर्मों ने निविदाएं डालीं :-

1. मैसर्स श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.

2. मैसर्स एन.के.जी. इन्फ्रास्ट्रैक्चर लि.

3. मैसर्स जैन कंस्ट्रक्शन कम्पनी (जे.वी. विद मैसर्स पी.एन.सी. इन्फ्राट्रेक लि.) अजमेर।

4. मैसर्स स्ट्रेसक्रिट इंडिया लि. मुम्बई (जे.वी. विद मैसर्स दिवाली कन्सट्रक्शन कम्पनी लि. मुम्बई)

5. मैसर्स किरलोस्कर कन्सट्रर्क्शन एण्ड इंजि. लि. पुणे

इसमें से उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या 4 एवं 5 पर अंकित फर्मों को तकनीकी रूप से अयोग्य पाये जाने के कारण क्रम संख्या 1 से 3 पर अंकित फर्मों की वित्तीय निविदाएं खोली गईं।

संवेदक द्वारा लगाई गई बोली विवरण परिशिष्ट "ब" व निविदा की कापी परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) उक्त रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य मैसर्स जैन कंस्ट्रक्शन कम्पनी (जे.वी. विद मैसर्स पी.एन.सी. इन्फ्राट्रेक लि.) अजमेर को रुपये 15,57,58,187 का दिया गया था। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

उक्त कार्य पर अब तक रुपये 1907.55 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इसमें रेलवे के सैन्ट्रल स्पान व रेलवे द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न चार्जेज हेतु रुपये 453 लाख जो रेलवे को जमा कराये थे, का खर्चा सम्मिलित है।

(5) उक्त रेलवे ओवरब्रिज के मुख्य ब्रिज का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष बचे अन्य लघु कार्यों को माह मार्च, 2012 के अंत तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर की मानसागर झील के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य योजना

358. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के मानसागर झील की बदहाली के कारण प्रवासी पक्षियों की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है? क्या सरकार द्वारा मानसागर झील की दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मानसागर झील की गहराई बढ़ाने के लिए जलीय वनस्पति को नष्ट किया गया था, जिससे प्रवासी पक्षियों को मिलने वाली खुराक खतम हो गई? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। मानसागर झील क्षेत्र में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में निरन्तर कमी के सम्बन्ध में कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं। प्राधिकरण द्वारा मानसागर झील के तल की खुदाई जल रहित क्षेत्र में की गई थी, जिससे खुदाई से जलीय वनस्पति को नुकसान नहीं हुआ।

उदयपुर में आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1981 में आबंटित भू-खण्ड

359. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन बोर्ड उदयपुर में दिनांक 30 मार्च, 1981 को मकान आबंटन के सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों द्वारा राशि चालान द्वारा जमा करवाई गई थी? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन बोर्ड, उदयपुर में कई व्यक्तियों द्वारा राशि जमा करवाने के बावजूद उन्हें मकान आबंटित नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 14 जून, 1982 तक वापिस राशि

(श्री राजकुमार रिणवां)

जमा करवाकर आय वर्ग बदला गया उन्हें मकान अब तक आबंटित नहीं किये गये? क्या उक्त व्यक्तियों की अब भी राशि 3000 जमा है?

(4) आवासन बोर्ड उदयपुर द्वारा मूल पंजीकरण 24430 (30 मार्च, 1981) को जमा करवाने के बावजूद भी उक्त आबंटियों को मकान किन कारणों से आबंटित नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब सरकार वंचित पंजीकरणकर्ताओं को कब तक मकान आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन बोर्ड उदयपुर में दिनांक 30 मार्च, 1981 को मंडल के खाते में जमा राशि की नामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा आवेदकों के पंजीकरण किये जाने के पश्चात् पूर्वग्रहण राशि मांग पत्र जारी किये जाते हैं। जिन आवेदकों द्वारा वांछित पूर्वग्रहण राशि जमा करा दी जाती है, उन्हें ही आवास आबंटन लाटरी में शामिल किया जाता है। उक्त योजना के पंजीकृत सभी आवेदकों को पूर्वग्रहण राशि मांग पत्र जारी कर दिये हैं तथा जिनके द्वारा पूर्वग्रहण राशि जमा कराई गई है, उन्हें आवास आबंटित किये जा चुके हैं।

(3) जी हां। जिन आवेदकों द्वारा दिनांक 14.06.1982 तक की पंजीकरण की अन्तर राशि जमा कराई है, उनके आय वर्ग परिवर्तन किये गये हैं। जिन आवेदकों द्वारा पूर्वग्रहण राशि जमा करा दी गई है, उन सभी आवेदकों को आवास आवंटन किये जा चुके हैं।

(4) पंजीकरण संख्या 24430 के आवेदक को दिनांक 27.01.1994 को पूर्वग्रहण राशि मांग पत्र जारी किया गया था। उनके द्वारा पूर्वग्रहण राशि जमा नहीं कराने के कारण उन्हें आवास आबंटन नहीं किया गया।

(5) दिनांक 30.03.1981 को पंजीकृत जिन आवेदकों द्वारा पूर्वग्रहण राशि जमा नहीं करवाई गई है। उनके पंजीकरण निरस्त कर दिये गये हैं। निरस्त पंजीकरण पर आवास आबंटन का प्रावधान नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की आवासीय कालोनियों का नियमन

360. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जय माता वैष्णो नगर, गजसिंहपुरा, अजमेर रोड, जयपुर तथा आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा परवाना विहार, गजसिंहपुरा में कालोनी बसायी गयी है? यदि हां, तो उक्त दोनों कालोनियों में कुल कितने भू-खण्ड कितनी-कितनी साइज के किन-किन व्यक्तियों के नाम आबंटित किए गए हैं? भू-खण्ड संख्या, भू-खण्ड स्वामी का नाम, आबंटन की तिथि मय नक्शा के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त दोनों कालोनियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जय माता वैष्णो नगर गजसिंहपुरा, अजमेर रोड, जयपुर का रिकार्ड उक्त समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा योजना परवाना विहार, गजसिंहपुरा में कालोनी बसाई है। समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 1994 में प्रस्तुत सदस्यता सूची में 12 भूखण्डधारियों के नाम अंकित हैं। सूची में भू-खण्डों का क्षेत्रफल, आबंटन की तिथि अंकित नहीं है तथा योजना का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं है। सदस्यता सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जय माता वैष्णो नगर गजसिंहपुरा का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं होने तथा आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना परवाना विहार का नियमन हेतु आवश्यक पूर्ण रिकार्ड प्रस्तुत नहीं होने के कारण नियमन की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। रिकार्ड प्रस्तुत होने पर नियमन हेतु परीक्षण किया जा सकता है।

परिशिष्ट-अ

योजना का नाम-परवाना विहार

क्र. सं.	भूखण्डधारी का नाम पिता/पति का नाम	भू. सं.	पता
1.	श्री धर्ममोहन गुप्ता/श्री रामजीत गुप्ता	57	
2.	श्री के. रामचन्द्रन उन्नी	120	
3.	श्री सी.पी. जगदीशन/श्री पप्पू कुटटीसन	119	
4.	श्रीमती बस्मति नायर/श्री ए.जी.पी. नायर	81	
5.	श्री नाथूलाल वर्मा/श्री पन्नालाल	139	
6.	श्री कु. मनीषा/श्री रणवीर सिंह	73	
7.	श्रीमती उर्मिला/श्री तेजवीर सिंह	58	
8.	श्रीमती कमला देवी/श्री कमल सिंह	24	
9.	श्रीमती गीता देवी/श्री बनवारी लाल गुप्ता	82	
10.	श्री मन्जीलाल/श्री गजानन्द	109	
11.	श्री दयानन्द शर्मा/श्री बनवारी लाल	149	
12.	श्री किशनचन्द शर्मा/श्री सुन्दर लाल शर्मा	114	

जयपुर नगर निगम की आनंदपुरी कच्ची बस्ती का सर्वे

361. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आनन्दपुरी कच्ची बस्ती योजना, मोती डूंगरी जोन, जयपुर नगर निगम में भू-खण्ड आबंटन से पूर्व सरकार द्वारा कच्ची बस्ती का सर्वे कर वहां रह रहे लोगों को सर्वे नम्बर आबंटित किया गया था? यदि हां, तो सर्वे में पाये गये व्यक्तियों की सूची मय सर्वे नम्बर सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कच्ची बस्ती सर्वे में पाये गये व्यक्तियों को भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को? भू-खण्ड स्वामी के नाम, भू-खण्ड संख्या, भू-खण्ड हेतु ली गई राशि, भू-खण्ड साइज व आबंटन पत्र जारी करने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(3) क्या यह सही है कि उक्त कच्ची बस्ती योजना के सर्वे में पाये गये समस्त व्यक्तियों को भू-खण्ड के आवंटन पत्र जारी नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों? भू-खण्ड आबंटन पत्र जारी करने से वंचित व्यक्तियों की सूची मय भू-खण्ड संख्या सर्वे नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आनन्दपुरी कच्ची बस्ती योजना, मोती डूंगरी जोन नगर निगम जयपुर में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1961 में सर्वे होने का उल्लेख पाया गया है लेकिन सर्वे सूची रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हो रही है। तत्कालीन नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा उक्त योजना के भू-खण्डों के आबंटन की सूची उपलब्ध है लेकिन उसमें सर्वे नम्बर अंकित नही है।

(2) सर्वे सूची उपलब्ध नही है परन्तु उक्त योजना में तत्कालीन नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा उपलब्ध रिकार्ड अनुसार कुल 313 व्यक्तियों को भूखण्ड आबंटित किये गये। भू-खण्ड स्वामी के नाम, भू-खण्ड संख्या, भू-खण्ड हेतु ली गई राशि, भू-खण्ड साइज आबंटन पत्र जारी करने की दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(3) आनन्दपुरी कच्ची बस्ती, मोती डूंगरी जोन जयपुर की सर्वे सूची उपलब्ध नहीं होने से उक्त की तलाश करायी जा रही है। आनन्दपुरी कच्चीं बस्ती योजना का तत्कालीन नगर विकास न्यास जयपुर से प्राप्त रिकार्ड अनुसार आबंटन पत्र जारी करने से वंचित रहे व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये।)

मान्यावास (जयपुर) की एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी का मुआवजा प्रकरण

362. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 5 के अन्तर्गत आने वाली व तकनीकी रूप से अनुमोदित अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी, ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरा नं. 29/203 व 29/219 की भूमि पर बसी कृषि भूमि का अतिरिक्त जिला कलक्टर (पश्चिम), भूमि

(श्री अमराराम)

रूपान्तरण, जयपुर द्वारा वर्ष 1984 में आवासीय उपयोग हेतु भू-रूपान्तरण किया जा चुका है?

(2) क्या सरकार द्वारा मार्च 2001 में उच्च अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित कर इस कालोनी की भूमि का निरीक्षण कराया था? यदि हां, तो उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिये थे? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कालोनी की भूमि को आवासीय उपयोग हेतु रूपान्तरण के पश्चात् कृषि भूमि मानते हुए किसी अन्य आवासीय योजना के लिए अवाप्त किया गया है? यदि हां, तो कब?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त खसरों के अवार्ड का भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अनुमोदन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? उक्त अनुमोदन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त भूमि के संदर्भ में भूमि मालिकों को कोई मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है अथवा किसी सक्षम न्यायालय में जमा करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त कमेटी के सुझाव परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(3) उक्त कालोनी की भूमि को कृषि भूमि मानते हुए, पृथ्वीराज नगर योजना हेतु दिनांक 28 जुलाई, 1989 को जारी धारा 6 की अधिसूचना द्वारा अवाप्त किया गया था।

(4) जी हां। दिनांक 29.06.1991 को राज्य सरकार द्वारा उक्त खसरों से सम्बन्धित अवार्ड का अनुमोदन किया गया था। अनुमोदन पत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार खातेदारान को भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना तथा न्यायालय में जमा कराया जाना नहीं पाया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिवाना विधान सभा क्षेत्र में संचालित खेल गतिविधियां

363. **श्री कानसिंह कोटड़ी** (सिवाना) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्तमान में युवा मामले एवं खेल से

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

सम्बन्धित क्या-क्या गतिविधियां कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की खेलों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (PYKKA) के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां संचालित हैं:-

1. चयनित ग्राम पंचायत व ब्लाक पंचायत पर खेल मैदानों का विकास।
2. पायका केन्द्र स्थापित करना, क्रीड़ाश्री लगाना।
3. पंचायत केन्द्रों पर खेल उपकरण उपलब्ध कराना।
4. ब्लाक व जिला स्तर पर वार्षिक ग्रामीण प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

उक्त गतिविधियां विधान सभा क्षेत्र सिवाना में परिशिष्ट 'क' में अंकित विवरणानुसार क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं।

(2) खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में चलाई जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल मैदान/स्टेडियम

364. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2011-12 में पायका योजनान्तर्गत किस-किस पंचायत में खेल मैदानों का विकास किया गया है तथा उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है और क्या-क्या कार्य करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस वर्ष डेगाना में खेल केन्द्र एवं स्टेडियम स्थापित करने का विचार रखती है? यदि, हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पायका योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के लिए विधान सभा

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

क्षेत्र डेगाना में चिन्हित की जाने वाली ब्लाक पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के खेल मैदान के विकास की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) पायका योजना के अन्तर्गत इस वर्ष डेगाना में चिन्हित की जाने वाली ब्लाक पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में पायका खेल केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डेगाना में स्टेडियम स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पैरा एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को राजकीय सेवा में नियुक्ति

365. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एशियन व पैरा एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 15-15 लाख रुपये और ओलम्पिक तैयारी के लिए पांच-पांच लाख रुपये दिये गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को उप अधीक्षक पद की नौकरी दी गई? यदि हां, तो क्या पैरा एशियन खेल में स्वर्ण पदक विजेता श्री जगसीर सिंह (अर्जुन अवार्डी) को अभी तक नौकरी नहीं दी गई?

(3) क्या सरकार श्री जगसीर सिंह को भी नौकरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री बजरंग लाल ताखर को ग्वांगझू (चीन) में आयोजित एशियाई खेल, 2010 नौकायन की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर 15.00 लाख और 5.00 लाख रुपये लंदन ओलम्पिक तैयारी हेतु।

2. श्री जगसीर सिंह को ग्वांगझू (चीन) में आयोजित पैरा एशियन गेम्स, 2010 में ट्रिपल जम्प में स्वर्ण पदक जीतने पर 15.00 लाख और 5.00 लाख रुपये लंदन ओलम्पिक तैयारी हेतु।

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

भीलवाड़ा जिले में खेल मैदानों का रखरखाव

366. **श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला भीलवाड़ा में निर्मित खेल मैदान/स्टेडियम के रख-रखाव की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का बजट कब तक स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर युवा मामले एवं खेल विभाग के स्वामित्व का कोई स्टेडियम नहीं है।

जोधपुर खनिज अभियंता कार्यालय के रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन

367. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कार्यालय खनिज अभियंता, जोधपुर में कुल कितनी पत्रावलियां एवं अन्य-पंजिकायें रिकार्ड के रूप में संधारित हैं और उक्त हेतु कितना स्पेस, फर्नीचर एवं रिकार्ड कीपर के पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकारी कार्यालय में रिकार्ड संधारण हेतु पत्रावलियों की संख्या के अनुपात में स्पेस, फर्नीचर एवं रिकार्ड कीपर आदि की उपलब्धता के क्या मानदण्ड है?

(3) क्या उक्त मानदण्डों अनुसार उक्त कार्यालय में उपलब्ध संसाधन पर्याप्त है? यदि नहीं, तो संसाधन उपलब्धता बढाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

(4) क्या सरकार कार्यालय खनिज अभियंता, जोधपुर के समस्त संधारित रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खनि अभियंता जोधपुर कार्यालय में 2453 पत्रावलियां रिकार्ड में

(खनिज मंत्री)

दर्ज की हुई हैं। रिकार्ड रूम के लिए पर्याप्त स्पेस उपलब्धि है व फर्नीचर भी उपलब्ध है। रिकार्ड कीपर का अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(2) रिकार्ड संधारण हेतु पत्रावलियों की संख्या के अनुपात में स्पेस, फर्नीचर एवं रिकार्ड कीपर आदि की उपलब्धता के मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(3) मानदण्ड निर्धारित नहीं है, इसलिए संसाधन की उपलब्धता का प्रश्न नहीं है।

(4) जी हां। कार्यालय खनि अभियंता, जोधपुर का समस्त रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाना है। उक्त कार्य विभाग के अन्य मोड्युल का कार्य पूर्ण होते ही कर लिया जावेगा।

जोडिया (अलवर) ग्राम की राजकीय भूमि पर खनन लीज

368. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम जोडिया तहसील तिजारा जिला अलवर में वर्ष 2008-09 व 2009-10 में कितने खनन पट्टे स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खनन पट्टों के आबंटन में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी? प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसी भूमि पर भी खनन पट्टे स्वीकृत कर दिये गये हैं, जो राजकीय आवश्यकता हेतु आरक्षित है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम जोडिया तहसील तिजारा जिला अलवर में वर्ष 2008-09 में 2 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये एवं वर्ष 2009-10 में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। स्वीकृत खनन पट्टों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। राजकीय आवश्यकता हेतु आरक्षित भूमि पर कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2008-09 में ग्राम जोडिया तहसील तिजारा में स्वीकृत खनन पट्टों का विवरण

क्र. सं.	एम. एल. संख्या	पट्टाधारियों का नाम	निकट ग्राम	खनिज	स्वीकृत दिनांक	खनन पट्टा अवधि
1.	13/07	श्रीमती ननीता देवी	जोडिया	पत्थर चुनाई	21.01.08	29.01.08 से 20 वर्ष
2.	14/07	श्री विजेन्द्र सिंह	जोडिया	पत्थर चुनाई	21.01.08	28.01.08 से 20 वर्ष

बस्सी (जयपुर) के बस स्टैंड पर अवैध वाहन

369. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी जिला जयपुर में बस्सी बस स्टैंड पर अवैध वाहनों के खड़े रहने से यातायात जाम की समस्या रहती है?

(2) क्या सरकार उक्त अवैध वाहनों को हटाने या जब्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बढ़ते यातायात दबाव के कारण कई बार बस्सी बस स्टैंड पर यातायात के सुचारु संचालन में रुकावट उत्पन्न हो जाती है।

(2) बस्सी बस स्टैंड पर यातायात के सुचारु रूप से संचालन के लिए यातायात पुलिसकर्मी एवं स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं तथा समय-समय पर यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाकर अवैध वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

महिला प्रताड़ना अपराधों पर रोक हेतु कार्य योजना

370. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती कमला कस्वां)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्या, दहेज प्रताड़ना एवं भ्रूण हत्या आदि अपराधों में वृद्धि हो रही है?

(2) क्या सरकार ने उक्त अपराधों को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या व इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षो में उक्त मामलों में जिलेवार कितने प्रकरण दर्ज हुए व कितने प्रकरणों में अपराधियों को सज़ा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य में महिला अत्याचार में बलात्कार, दहेज, हत्या के प्रकरणों में आंशिक वृद्धि हुई है, लेकिन भ्रूण हत्या में कमी आई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	शीर्षक	दर्ज अभियोग (माह दिसम्बर तक)		कमी/वृद्धि
		2010	2011	2010 से 2011
1.	बलात्कार	1571	1800	+229
2.	दहेज प्रताड़ना	11145	12218	+1073
3.	हत्या	307	337	+37
4.	भ्रूण हत्या	34	23	-11

(2) महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिये पुलिस मुख्यालय स्तर पर महानिरीक्षक पुलिस (मानवाधिकार) के निर्देशन में महिला अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ खोला गया है, जिसकी पुलिस अधीक्षक स्तंर के अधिकारी द्वारा मानिटरिंग की जाती है। महिलाओं को पारिवारिक विवादों में परामर्श के लिये प्रत्येक पुलिस थाने पर महिला डेस्क खोली गई है तथा प्रत्येक जिले में महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र खोले गये हैं।

वर्ष 2011 में राज्य की समस्त महिला डेस्क पर कुल 38535 परिवाद आये, जिसमें से परामर्श के बाद 14007 मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा हुआ है। इसी प्रकार महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों पर 4656 परिवाद आये, जिसमें से 2744 मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा हुआ है।

(गृह मंत्री)

राज्य में महिलाओं पर अत्याचार रोकने हेतु 29 जिलों में एक-एक महिला थाना भी खोला गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में आगामी दो वर्षों में शेष पुलिस जिला मुख्यालयों, टोंक, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर पश्चिम, झुंझुनूं, धौलपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं करौली में महिला पुलिस थाने खोले जाने की घोषणा की गयी है।

(3) उक्त मामलों में गत दो वर्षों में कुल दर्ज प्रकरणों एवं सजा का जिलेवार विवरण परिशिष्ट- 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य में गत 2 वर्षों में बलात्कार, हत्या, दहेज, प्रताड़ना एवं भ्रूण हत्या के दर्ज एवं हुई सजा के प्रकरणों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिला	वर्ष	बलात्कार		हत्या		दहेज प्रताड़ना		भ्रूण हत्या	
			दर्ज	सजा	दर्ज	सजा	दर्ज	सजा	दर्ज	सजा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1.	अजमेर	2010	47	2	1	0	615	8	6	0
		2011	70	0	3	0	709	0	4	0
2.	भीलवाड़ा	2010	48	1	10	0	593	3	0	0
		2011	52	0	14	0	558	0	1	0
3.	नागौर	2010	60	1	14	1	348	1	0	0
		2011	70	0	11	0	398	0	0	0
4.	टोंक	2010	18	0	8	2	338	0	1	0
		2011	25	0	13	0	315	0	1	0
5.	जयपुर उत्तर	2010	25	1	3	1	234	0	1	0
		2011	20	0	1	0	241	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	जयपुर दक्षिण	2010	18	0	2	0	255	0	1	0
		2011	18	0	4	0	215	0	0	0
7.	जयपुर पूर्व	2010	28	0	0	0	231	0	0	0
		2011	31	0	3	0	272	0	0	0
8.	जयपुर पश्चिम	2010	0	0	0	0	0	0	1	0
		2011	23	0	0	0	208	0	1	0
9.	जयपुर ग्रामीण	2010	27	1	10	0	253	0	0	0
		2011	37	2	18	0	213	0	0	0
10.	झुन्झुनूं	2010	49	2	22	3	251	0	6	0
		2011	51	1	28	0	284	0	2	0
11.	सीकर	2010	52	1	9	0	313	0	0	0
		2011	50	1	16	0	232	0	0	0
12.	दौसा	2010	24	2	5	0	162	5	0	0
		2011	13	3	1	0	184	32	0	0
13.	अलवर	2010	105	1	15	2	588	12	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2011	99	0	14	0	556	0	0	0
14.	बीकानेर	2010	41	1	5	0	354	0	0	0
		2011	55	0	11	0	446	0	0	0
15.	चूरू	2010	49	0	10	0	301	2	0	0
		2011	37	0	10	0	342	0	0	0
16.	गंगानगर	2010	72	0	17	1	659	10	0	0
		2011	99	0	17	1	653	3	0	0
17.	हनुमानगढ़	2010	56	1	7	1	427	0	0	0
		2011	82	2	10	2	405	0	0	0
18.	भरतपुर	2010	83	0	14	0	437	0	0	0
		2011	69	0	22	0	478	0	4	0
19.	सवाईमाधोपुर	2010	16	0	10	0	179	0	4	0
		2011	24	0	11	0	201	0	2	0
20.	धौलपुर	2010	22	0	11	0	186	0	0	0
		2011	32	0	17	0	197	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	करौली	2010	42	0	2	0	157	0	1	0
		2011	38	0	4	0	174	0	0	0
22.	जोधपुर कमिश्नरेट	2010	27	0	6	0	247	0	0	0
		2011	33	1	10	0	338	0	0	0
23.	जोधपुर ग्रामीण	2010	17	1	17	4	132	5	0	0
		2011	26	1	14	2	133	7	0	0
24.	जालौर	2010	13	0	12	0	122	0	0	0
		2011	22	0	9	0	154	0	0	0
25.	जैसलमेर	2010	3	0	1	0	29	0	0	0
		2011	4	0	1	0	20	0	0	0
26.	बाड़मेर	2010	34	1	2	0	194	1	0	0
		2011	21	0	4	0	201	0	0	0
27.	पाली	2010	53	1	11	0	442	3	0	0
		2011	64	0	6	0	451	3	0	0
28.	सिरोही	2010	20	0	3	0	175	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2011	27	0	1	0	156	0	0	0
29.	कोटा शहर	2010	33	6	8	0	369	0	0	0
		2011	24	1	5	0	413	0	0	0
30.	कोटा ग्रामीण	2010	36	0	7	0	199	1	0	0
		2011	44	0	3	0	235	1	0	0
31.	बूंदी	2010	31	0	6	0	285	17	1	0
		2011	40	0	3	0	298	2	0	0
32.	झालावाड़	2010	62	5	6	2	303	17	1	0
		2011	67	6	12	2	385	37	1	0
33.	बारां	2010	48	0	3	0	267	0	3	0
		2011	60	0	3	0	351	0	2	0
34.	उदयपुर	2010	111	1	19	2	327	1	0	0
		2011	110	3	14	0	444	0	0	0
35.	बांसवाड़ा	2010	61	0	9	0	151	0	0	0
		2011	55	0	6	0	190	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	चित्तौड़गढ़	2010	42	0	10	0	516	0	1	0
		2011	50	0	9	0	588	0	0	0
37.	डूंगरपुर	2010	26	1	6	0	100	1	4	0
		2011	39	0	5	0	134	0	3	0
38.	राजसमन्द	2010	14	1	4	0	233	5	0	0
		2011	14	2	2	0	234	6	0	0
39.	प्रतापगढ़	2010	56	0	0	0	173	0	1	0
		2011	103	0	1	0	212	0	2	0
40.	जीआरपी अजमेर	2010	0	0	2	0	0	0	0	0
		2011	2	0	1	0	0	0	0	0
41.	जीआरपी जोधपुर	2010	2	0	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**2010**	**1571**	**31**	**307**	**20**	**11145**	**92**	**34**	**0**
	योग	**2011**	**1800**	**23**	**337**	**08**	**12218**	**91**	**23**	**0**
	कुल योग		**3371**	**54**	**644**	**28**	**23363**	**183**	**57**	**0**

जैसलमेर जिले के धार्मिक/पर्यटन स्थलों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना

371. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जिला जैसलमेर के प्रसिद्ध रामदेवरा मंदिर की सुरक्षा के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? सीमावर्ती क्षेत्र होने व आतंकवादी गतिविधियों की सम्भावना के मध्यनजर उठाये गये कदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंदिर की सुरक्षा के लिये प्रतिवर्ष कितनी राशि किस मद से स्वीकृत की जाती है? विगत 2 वर्षों में स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में इसके अलावा अन्य कितने मंदिर अथवा पर्यटक स्थल हैं जिनकी सुरक्षा आवश्यक है? स्थानों के नाम सहित सुरक्षा हेतु उठाये कदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध रामदेव मंदिर, रामदेवरा की सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी स्थापित है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया हुआ है। इसके अतिरिक्त मंदिर की सुरक्षा हेतु मंदिर समाधि समिति द्वारा 8 हथियार बन्द निजी सुरक्षा गार्ड, 4 जगह सीसीटीवी कैमरे, 2 डीएफएमडी 2 एचएचएमडी सैट, आग बुझाने के सिलेण्डर निर्धारित स्थानों पर लगा रखे हैं। इसी तरह मेला अवधि में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। पुलिस द्वारा मेला अवधि में आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए निगरानी टावर, फिक्सो पिकेट्स, रात्रिकालीन गश्त व क्यू.आर.टी. टीमों का गठन किया जाता है। एण्टी सबोटाज टीम का गठन कर होटलों, धर्मशालाओं आदि पर निगरानी रखी जाती है।

बाबा रामदेव के वार्षिक (भादवा) मेला 2011 के दौरान मेले में 1375 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों का बल लगाया गया। मेले में कमाण्डो स्तर सीआईडी (बीआई) जैसलमेर का स्टाफ मय बीडीएस टीम को तैनात किया गया है। मेले में बैरिकेटिंग करके दर्शनार्थियों के दर्शन की व्यवस्था की गई है। सड़क मार्ग पर यातायात पुलिस लगाई जाकर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश

(गृह मंत्री)

लगाया गया है। इसी तरह रामसरोवर तालाब पर डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए तैराकों की टीम लगाई जिससे डूबने की घटनाएं शून्य रहीं।

(2) इस हेतु पृथक से किसी मद से कोई राशि स्वीकृत एवं व्यय नहीं की जाती है। राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग को आवंटित सामान्य वार्षिक बजट की राशि में से यह कार्य करवाया जाता है।

(3) जिला जैसलमेर में रामदेवरा मंदिर के अलावा मुख्य मंदिर तनोटराय मंदिर है जिसकी सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जाती है। नवरात्रा के अवसर पर दर्शनार्थियों की अवाजाही के दौरान बाहरी सुरक्षा स्थानीय जिला पुलिस/सीआईडी (बीआई) द्वारा पर्याप्त जाप्ता लगाया जाता है। इसके अलावा तेम्बडेराय मंदिर, मालनबाई मंदिर, देगराय मंदिर, भादरिया राय मंदिर, भादरिया कालेडूगर राय मंदिर, ख्याला मठ म्याजलार, भटियाणी मंदिर जोगीदास का गांव, बाबा सदराम का मंदिर गुहडा आदि इन मंदिरों पर नवरात्रा एवं वार्षिक मेलों के दौरान सम्बन्धित थानाधिकारियों द्वारा थाना स्टाफ एवं अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाकर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के पर्याप्त बंदोबस्त किये जाते हैं। जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल जैसलमेर दुर्ग, गडीसर झील, पटवा हवेली, सालमसिंह की हवेली, नथमल की हवेली, बड़ाबाग छतरिया, सम एवं खुहडी सेण्ड ड्यून्स, कुलधरा, पोकरण दुर्ग आदि पर देशी/विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित थानाधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जैसलमेर शहर में पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटक पुलिस दल का गठन किया हुआ है, जिसके द्वारा पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है।

देवगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पुलिस उप निरीक्षक का पदस्थापन

372. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र देवगढ़ एवं उप खण्ड कार्यालय की आबादी को ध्यान में रखते हुये पुलिस उप निरीक्षक का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

पुलिस थाना देवगढ़ में पूर्व से ही पुलिस उप निरीक्षक के दो पद स्वीकृत हैं।

कठूमर (अलवर) पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस उप निरीक्षक का निलम्बन प्रकरण

373. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना कठूमर-जिला अलवर में श्री पूरण यादव सब इंस्पेक्टर एस. एच. ओ. पद पर कार्यरत थे? क्या, इन्हें दिसम्बर, 2011 में निलम्बित कर दिया? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या चार्ज थे? चार्ज शीट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आरोपी खुले में थाना कठूमर में पुलिस अधिकारियों व आम जनता के सामने अपने बयान दे सकता है? यदि नहीं, तो बिना कारण निलम्बित करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इन्हें दिनांक 26.11.2011 को निलम्बित किया गया। इनके विरुद्ध प्राथमिक चार्ज का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है तथा आरोप पत्र का विवरण परिशिष्ट "ब" व "स" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) 1958 के अन्तर्गत प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है। उप निरीक्षक अपने बचाव में जांच अधिकारी के समक्ष जांच के दौरान अपना पक्ष, कथन प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां नगर का छात्रा सामूहिक आत्महत्या प्रकरण

374. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को तीन छात्राओं ने सामूहिक आत्महत्या की थी? यदि हां, तो किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों छात्राएं जहर (नशीला पदार्थ) खाने के उपरान्त 2 घण्टे तक चिकित्सालय में पुलिस की उपस्थिति में भर्ती रही थीं? यदि हां, तो क्या पुलिस ने मृत छात्राओं के बयान दर्ज किये थे और नहीं, तो क्यों? बयानों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(3) क्या यह सही है कि एक छात्रा द्वारा मृत्यु पूर्व राजकीय चिकित्सालय में पुलिस की उपस्थिति में बयान दिये गये थे? यदि हां, तो किस छात्रा द्वारा, किन-किन परिजनों की उपस्थिति में व किस पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज किये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि परिजनों ने पुलिस के समक्ष कुछ संदिग्ध लड़कों के नाम भी उजागर किये थे? क्या पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनकी मोबाइल काल डिटेल प्राप्त की है? यदि हां, तो उनके नाम/बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि 100 दिन गुजर जाने के बाद भी हैण्डराइटिंग व विसरा रिपोर्ट पुलिस के जांच अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त घटना में एक छात्रा जीवित है जो घटना के समय उक्त तीनों छात्राओं के साथ थी? यदि हां, तो उस छात्रा का नाम व पुलिस द्वारा लिए गए छात्रा के बयान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रकरण अन्वेषणाधीन है।

(2) जी नहीं। जब छात्राओं को उनके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक दो छात्राओं (गार्गी दुबे व ईशा कलवार) की मृत्यु हो चुकी थी एवं एक छात्रा सुश्री अक्षिता सोनी को अचेत अवस्था में राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गयी, जिससे बयान दर्ज नहीं किये जा सके।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनकी मोबाइल काल डिटेल प्राप्त की है। उन लड़कों के नाम अंकित शर्मा, अनुभव खत्री, अनमोल अदलख्खा उर्फ ईलू, विकास अदलख्खा उर्फ टिक्कू, भूपेन्द्र नागर उर्फ भूपेश नागर एवं विरेन्द्र नागर उर्फ बबलू हैं, जिसका उल्लेख केस डायरी में है। विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-37 (20) के अनुसार केस डायरी की प्रति देय नहीं है।

(गृह मंत्री)

(5) एफ.एस.एल. रिपोर्ट (हैण्डराइटिंग व विसरा रिपोर्ट) की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(6) जी हां। उक्त छात्रा का नाम प्राची है। उक्त छात्रा से पूछताछ करते वक्त बयान देने की स्थिति में नहीं रहती है तथा बेहोश हो जाती है।

(7) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

हथियार लाइसेंसों का नवीनीकरण

375. श्री अनिल जैन (खानपुर) व श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण की क्या प्रक्रिया है? नवीनीकरण नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के किस-किस जिले में कितने-कितने आवेदन हथियारों के नवीनीकरण के लिए लम्बित हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त लम्बित लाइसेंसों का कब तक नवीनीकरण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2011 के मध्य किन-किन को हथियारों के लाइसेंस जारी किए गए? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में हथियार लाइसेंसों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य में हथियार लाइसेंस नवीनीकरण हेतु कुल 8329 आवेदन पत्र लम्बित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राज्य में हथियार लाइसेंसों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होते ही यथाशीघ्र नवीनीकरण कर दिया जाता है।

(4) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2011 तक की अवधि में कुल 1631 हथियार लाइसेंस जारी किये गये हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(प्रतियां व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

झझू (बीकानेर) के आदतन अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही

376. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किसी अपराधी को हिस्ट्रीशीटर/तड़ीपार करने या अन्य निगरानी के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? निर्देश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बीकानेर में उक्त मानदण्डों के तहत ऐसे कौन-कौन व्यक्ति आदतन अपराधी हैं? पुलिस थाना बज्जू, कोलायत, गजनेर, देशनोक व पूंगल क्षेत्र के थानावार अपराधी का नाम, स्थायी पता, घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति व कब-कब, क्या कार्यवाही हुई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिस थाना, कोलायत के ग्राम झझू के आदतन अपराधी अजीम पुत्र नूरमंद तेली के विरुद्ध उक्त मानदण्डों से अधिक अपराध दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो अब अजीम के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अजीम तेली को बचाने के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किसी अपराधी को हिस्ट्रीशीटर घोषित करने के लिए राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 4.9 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

किसी अपराधी को तड़ीपार करने की कार्यवाही राज गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 एवं निगरानी राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। निर्देश/परिपत्र की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

पुलिस कार्य योजना, 2011 के अन्तर्गत थानों के समस्त आदतन अपराधी योजना के अन्तर्गत चिन्हित कर द.प्र.सं. की धारा 100 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पाबन्द करवाये गये हैं तथा पाबन्द अवधि समाप्त होने पर पुनः पाबन्द की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

(गृह मंत्री)

(3) जी हां। जिला बीकानेर के पुलिस थाना कोलायत के ग्राम झझू के आदतन अपराधी अजीम पुत्र नूरमंद तेली नाम का व्यक्ति ही पुलिस थाना कोलायत का अजीमदीन पुत्र नूर मोहम्मद तेली है, जिसके विरुद्ध पुलिस थाना कोलायत में 10 अभियोग पंजीबद्ध हुए है। आदतन अपराधी अजीमदीन पुत्र नूर मोहम्मद तेली के विरुद्ध दिनांक 06.03.2012 को हिस्ट्रीशीट खोली गयी व दिनांक 23.03.12 को धारा 110 द.प्र.सं. में इस्तगासा पेश न्यायालय किया गया है।

(4) आदतन अपराधी अजीमदीन तेली को बचाने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। हाल ही में इसकी हिस्ट्रीशीट खोली गयी व धारा 110 द.प्र.सं. के तहत नेकचलनी हेतु पाबन्द की कार्यवाही की गयी है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बिलाड़ा के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

377. **श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पुलिस थाना बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, डांगियावास व लूणी में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2012 तक हत्या, लूट, डकैती, चोरी, अपहरण, बलात्कार, गुमशुदगी, नकबजनी, जालसाजी, चैन हड़पने, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट, अवैध शराब बिक्री, जाली नोट, स्मैक व्यापार एवं अन्य वारदातों के कई प्रकरण हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितने-कितने कब-कब दर्ज हुए? पुलिस थानावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों में अपराधियों को सज़ा हुई व कितने प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं और कितने अपराधी फरार हैं तथा कितने प्रकरणों में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? विवरण पुलिस थानेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में उक्त दर्ज प्रकरणों में कितनी रिकवरी हुई है? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दर्ज प्रकरणों में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें अपराधी न्यायालयों से बरी हो गये एवं कितने-कितने प्रकरणों में अन्तिम प्रतिवेदन लगा दी गई? पुलिस थानेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त क्षेत्र में गत पांच वर्षों में अपराधों में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? वर्षवार, पुलिस थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाडा के पुलिस थाना बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, डांगियावास व लूणी में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2012 तक हुई वारदातों के दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्नप है।

(3) उक्त अपराधों में गत तीन वर्षों में हुई बरामदगी का विवरण परिशिष्ट 'स' एवं 'द' पर तथा गुमशुदा व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(4) विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) विवरण परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्य योजना

378. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दरों को कम करने हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षो में सडक दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है -

विवरण	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011
मृतको की संख्या	9045	9163	9232

(2) राज्य में सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनायी गयी है। इस योजना के तहत किये जा रहे सतत प्रयासों में मुख्यत: निम्न उपाय शामिल है -

1. मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी क्रियान्विति।
2. सड़क अभियांत्रिकी में सुधार।
3. नगर नियोजन सम्बन्धी उपाय।

(गृह मंत्री)

4. दुर्घटना के पश्चात तुरन्त राहत के उपाय।

5. जनचेतना एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाय।

दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उपायों की क्रियान्विति की मानिटरिंग राज्य स्तर पर स्टेट रोड सेफ्टी काउन्सिल व जिला स्तर पर जिला यातायात प्रबन्धन समितियों द्वारा की जाती है।

विभिन्न विभागों तथा स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग लेकर समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु बनायी गयी कार्य योजना की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

देवस्थान कार्यालयों में रिक्त पद

379. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देवस्थान विभाग के विभिन्न कार्यालयों एवं मंदिर व्यवस्था के लिये कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये वर्ष 2008-09 से फरवरी, 2012 तक कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन पदों पर कब-कब भर्ती पूर्ण कर ली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग में निरीक्षकों के 36 से 33 पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) राज्य में पंजीकृत कितने ट्रस्ट हैं? इनका वर्ष 2008-09 से फरवरी, 2012 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य के हजारों मंदिर एवं ट्रस्टों के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये कितने व किस स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकता है?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग के विभिन्न कार्यालय एवं मंदिर व्यवस्था के लिये श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) रिक्त पदों को भरने के लिये वर्ष 2008-09 से अब तक किये गये प्रयासों के उपरान्त की गई नियुक्ति का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

देवस्थान मंत्री)

(3) जी नहीं। देवस्थान विभाग में निरीक्षक प्रथम श्रेणी के 15 एवं निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के 21 कुल 36 पद स्वीकृत हैं। जिसमें से निरीक्षक प्रथम श्रेणी के 14 एवं निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के 16 कुल 30 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने के लिये अर्थना लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवायी जा चुकी है।

(4) राजस्थान में पंजीकृत कुल 7205 ट्रस्ट हैं। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) राजस्थान के मंदिरों एवं ट्रस्टों के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु 549 नये पदों के सृजन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा 34 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात 268 पदों के सृजन की और आवश्यकता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	**नाम पद**	**पदों की संख्या**
1.	उपायुक्त	2
2.	अधिशासी अभियन्ता	1
3.	उप विधि परामर्शी	1
4.	सहायक आयुक्त	4
5.	सहायक लेखाधिकारी	2
6.	लेखाकार	1
7.	कनिष्ट लेखाकार	4
8.	निरीक्षक द्वितीय श्रेणी	15
9.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	12
10.	शीघ्र लिपिक	4
11.	कनिष्ट लिपिक	15
12.	प्रबन्धक द्वितीय श्रेणी	15
13.	पुजारी	30
14.	सेवागीर	72
	योग	**178**
1.	सुरक्षा प्रहरी (संविदा)	90
	योग	268

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराट नगर में वन भूमि पर अतिक्रमण

380. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र में कितना वन क्षेत्र वर्गीकृत है तथा उक्त विराट नगर में से कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण है?

(2) उक्त क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण के कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कितनी वन भूमि की चारदीवारी बन चुकी है तथा कितनी चारदीवारी का कार्य कहां-कहां चल रहा है?

उत्तर

(1) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में निम्नानुसार वन क्षेत्र वर्गीकृत है तथा वृक्षारोपण क्षेत्र निम्नाननुसार है :-

क्र.सं.	नाम रेन्ज	वर्गीकृत वन क्षेत्र	वृक्षारोपण
1.	विराट नगर	11353 हैक्टेयर	4065 हैक्टेयर
2.	शाहपुरा	527 हैक्टेयर	527 हैक्टेयर
3.	बीलवाडी	8391 हैक्टेयर	2720 हैक्टेयर
4.	कोटपूतली	2018 हैक्टेयर	500 हैक्टेयर
	योग	**22289 हैक्टेयर**	**7792 हैक्टेयर**

(2) उक्त क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण के 10 प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में 580 हैक्टेयर क्षेत्र में 5800 रनिंग मीटर दीवार बन चुकी है तथा निम्न कार्यस्थलों पर दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है :-

क्र.सं.	नाम रेन्ज	कार्यस्थल का नाम
1.	विराट नगर	भीमसेन की डूंगरी
2.	विराट नगर	बेरकी 96

(वन मंत्री)

क्र.सं.	नाम रेन्ज	कार्यस्थल का नाम
3.	विराट नगर	धवाली 96
4.	बीलवाड़ी	आंतेला 96
5.	बीलवाड़ी	पणदो 95
6.	बीलवाड़ी	भाभरू 87
7.	बीलवाड़ी	नीजर 98
8.	शाहपुरा	साइवाड़
9.	कोटपूतली	तेला गांव I
10.	कोटपूतली	तेला गांव II

परिशिष्ट-क

विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण के विचाराधीन प्रकरणों की सूची :—

क्र. सं.	नाम रेन्ज	वन खण्ड	प्रकरणों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	विराट नगर	तालुका बास उर्फ बरखडा की डूंगरी	04	1.50 हैक्टेयर
2.	बीलवाड़ी	कुम्भावास घड़ी बडोदिया 52	05	0.348 हैक्टेयर
3.	शाहपुरा	शाहपुरा	01	1.20 हैक्टेयर
		योग	**10**	**3.048 हैक्टेयर**

नसीराबाद-अजमेर घाटी के विकास हेतु वृक्षारोपण

381. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार नसीराबाद-अजमेर घाटी में पौधारोपण करके पुष्पघाटी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में भी इस घाटी का पुष्पारोपण करके विकास किया गया था, जो अब पूर्णतया: नष्ट हो चुका है? यदि हां, तो पुष्प घाटी नष्ट क्यों हुई? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नसीराबाद-अजमेर घाटी में पौधारोपण करके पुष्पघाटी बनाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। इस क्षेत्र में पर्याप्त प्राकृतिक वनस्पति विद्यमान है, जिसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु महानरेगा के अन्तर्गत ईको रेस्टोरेशन माडल के तहत पक्की दीवार निर्माण एवं अन्य कार्य करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। पूर्व में नसीराबाद-अजमेर घाटी में पुष्पारोपण का कार्य वर्ष 1983 में किया गया था, जिसके अन्तर्गत 600 गमले सूखे पत्थरों की मिट्टी में चिनाई कर कनेर, बोगन-विलियां एवं सदाबहार आदि के पौधे लगाये गये थे। इन कार्यों का वर्ष 1992-93 तक संधारण का बजट प्राप्त होने से संधारण किया था, तदुपरान्त बजट अनुपलब्धता के कारण संधारण नहीं हो सका एवं कालान्तर में कराया गया विकास कार्य सड़क चौड़ी होने, बीसलपुर पाइपलाइन डालने, वर्षा की कमी एवं प्राकृतिक क्षय के कारण नष्ट हो गया।

(3) महानरेगा के अन्तर्गत निर्मित की जा रही पक्की दीवार से इस क्षेत्र की सुरक्षा की व्यवस्था हो सकेगी, जिससे यहां के पर्यावरण में सुधार होगा।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन की स्थापना

382. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो इसके नियम एवं प्रारूप/गठन सम्बन्धी विवरण सहित प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में सितम्बर 2004 में राजस्थान आजीविका मिशन की स्थापना की। तत्पतश्चात

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

जून 2009 में राज्य सरकार की अनुशंसा से प्रशासनिक स्वीकृति द्वारा मिशन के नाम में कौशल शब्द जोड़कर राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन कर दिया गया।

सरकार द्वारा बजट भाषण 2011-12 की अनुपालना में नवम्बर 2011 में मिशन को पुर्नगठित करते हुये राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन की स्थापना एवं मिशन के अन्तर्गत राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास परिषद तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की स्थापना की गई है। परिषद का उद्देश्य राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन के लिये नीति निर्माण तथा नीतिगत निर्देश प्रदान करना है एवं निगम वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 में लाभ रहित कम्पनी के रूप में पंजीकृत राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन आरमोल का स्थान लेगा। वर्तमान में कोई नियम इस हेतु निर्मित नहीं हुये हैं।

सहायक निदेशक रोजगार के पद पर पदोन्नति

383. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रोजगार विभाग के जोधपुर, कोटा व बीकानेर कार्यालयों में सहायक निदेशक के पद कितने समय से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पद रिक्त होने के उपरान्त भी वर्ष 1999 के पश्चात् पदोन्नति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) वर्ष 1997 के पश्चात् रोजगार अधिकारियों की पदोन्नति कनिष्ठ रोजगार अधिकारी के पद पर क्यों नहीं की गई?

(4) क्या सरकार अब उक्त पदों पर पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रोजगार विभाग के जोधपुर, कोटा व बीकानेर कार्यालयों में सहायक निदेशक के पद क्रमश: दिनांक 1-7-11, 2-1-11 एवं 1-11-11 से रिक्त चल रहे हैं।

(2) सहायक निदेशक के पद रिक्त होने के उपरान्त भी वर्ष 1999 के पश्चात् पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई।

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

(3) जिला रोजगार अधिकारी की पदोन्नति कनिष्ठ रोजगार अधिकारी के पद पर नहीं की जाती है।

(4) जी हां। उच्च पद पर पदोन्नति सम्बन्धी न्यायालय के निर्णय किये जाने के पश्चात् पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर शीघ्र पदोन्नतियों की कार्यवाही की जायेगी।

सीकर जिले के विद्यालयों में छात्राओं हेतु आबंटित आयरन गोलियां

384. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर में स्कूलों की छात्राओं को एनीमिया रोग से बचाने के लिए आयरन की गोलियां शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई गई हैं? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त आयरन की गोलियां स्कूली छात्राओं को कब वितरित की गईं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में नोडल केन्द्रों पर गोलियां बेकार पड़ी रहीं एवं बालिका कार्ड, एनीमिया व पोस्टेड कार्ड विभाग के स्टोर रूम में पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या-क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सितम्बर, 2010 तथा जनवरी, 2012 में एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अक्टूबर, 2010 में जिला सीकर की स्कूलों की छात्राओं को एनीमिया रोग से बचाने के लिए आयरन की गोलियां उपलब्ध कराई गईं।

(2) उक्त आयरन की गोलियां माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत स्कूली छात्राओं को दिनांक 20.10.2010 से 25.10.2010 की अवधि में वितरित कर दी गई एवं माह जनवरी, 2012 में प्राप्त आयरन की गोलियों का वितरण किया जा रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उक्त आयरन की गोलियां स्कूली छात्राओं को माह अक्टूबर, 2010 में ही वितरित कर दी गईं।

(3) जी नहीं।

रायसिंहनगर के विद्यालयों में रिक्त पद

385. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विभिन्न विद्यालयों में कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में शिक्षकों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विभिन्न विद्यालयों में कर्मचारियों के कुल स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, विभागीय पदोन्नति समितियों एवं जिला परिषदों द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-क

माध्यमिक शिक्षा

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
1.	प्रधानाचार्य	15	8
2.	प्रधानाध्यापक	65	53
3.	व्याख्याता	84	47
4.	कार्यालय सहायक	2	1
5.	वरिष्ठ अध्यापक	409	271
6.	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	6	3
7.	वरिष्ठ पुस्तकालयध्यक्ष	3	1
8.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	8	3
9.	वरिष्ठ लिपिक	23	8
10.	शारीरिक शिक्षक III ग्रेड	14	2
11.	अध्यापक III ग्रेड	49	38

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	रिक्त
12.	पुस्तकालयध्यक्ष III ग्रेड	8	3
13.	प्रयोगशाला सहायक III ग्रेड	3	2
14.	कनिष्ठ लिपिक	19	1
15.	प्रयोगशाला बालक	7	1
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	49	7

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, श्रीगंगागनर

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक शिक्षा

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	वरिष्ठ अध्यापक गेड II	137	30
2.	अध्यापक गेड III	890	226
3.	प्रबोधक	74	02
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	06	00

समेकित शिक्षा के तहत प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

386. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समावेशित शिक्षा के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण कराया जाता है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कितने शिक्षकों को इस शिक्षण कार्य से प्रशिक्षित किया गया? जिलेवार, वर्षवार प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण के उपरान्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य ना करवा के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक हैं, जो कि प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों के कार्यालय में काम कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कितनी राशि आबंटित की गई थी तथा उसमें से कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समावेशित शिक्षा के तहत शिक्षकों को भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 90 दिवसीय फाउण्डेशन कोर्स दूरस्थ माध्यम से करवाया जाता है। विगत तीन वर्षों में प्रशिक्षित शिक्षकों की जिलेवार, वर्षवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) समावेशित शिक्षा के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कुल 1481 अध्यापकों में से केवल 04 अध्यापक ऐसे हैं, जो अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं	जिला	अध्यापक का नाम	विभाग जहां प्रतिनियुक्ति पर हैं
1.	कोटा	श्री कलीम अशरफ	सर्व शिक्षा अभियान, कोटा
2.	बारां	श्री तेजकरण सुमन	कन्या सहरिया, छात्रावास, किशनगंज
3.	बारां	श्री संजीदा खान, प्रबोधक	कार्यालय, बी.आर.सी.एफ. अटरू
4.	बारां	श्री सुनील शर्मा	कार्यालय, बी.आर.सी.एफ. बारां

(3) उक्त अवधि में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु आवंटित राशि एवं व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर जिले में पायलेट प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत संचालित विद्यालय

387. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में कुल कितने पायलेट प्रोजेक्ट विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालयों में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं एवं कितने-कितने कार्मिक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में पायलेट प्रोजेक्ट स्कूलों में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान पर्याप्त अध्यापक एवं अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं थे? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? क्या पर्याप्त अध्यापकों की अनुपलब्धकता के कारण शिक्षा का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दम तोड़ रहा है?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(3) क्या यह भी सही है कि जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अलवर के अधीन कार्यरत कार्मिक इनके आदेशों की अनुपालना नहीं करते हैं? क्या उक्त कारण जिले की शैक्षणिक व्यवस्था खराब होती जा रही है? क्या सरकार इसमें सुधार हेतु दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला अलवर में कुल 40 विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पायलेट प्रोजेक्ट संचालित हैं, जिनमें अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, कार्मिक एवं अन्य सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सत्र 2011-12 के दौरान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पायलेट प्रोजेक्टस की गतिविधियों के कारण नामांकन में वृद्धि होने से शिक्षकों की अधिक आवश्यकता बनी है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर इन पदों को भरा जा सकेगा। शिक्षकों की कमी के कारण पायलेट प्रोजेक्ट संचालन व शैक्षिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-क

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, अलवर

क्र. सं.	उपखण्ड	विद्यालय का नाम	नामांकन				कार्यरत शिक्षकों की संख्या			कार्यरत एवं मानदण्डानुसार आवश्यकता वर्तमान		अन्य सुविधा देय
			प्री	1-5	6-8	1-8	II	III	योग	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	उमरैण	रा.उ.प्रा.वि. कुशालगढ़	29	93	39	161	1	5	6	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
2.	उमरैण	रा.उ.प्रा.वि. सीरावास	7	91	51	149	1	5	6	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
3.	उमरैण	रा.उ.प्रा.वि. माचड़ी	37	183	83	303	1	9	10	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
4.	उमरैण	रा.उ.प्रा.वि. काली खोल	20	178	42	240	1	6	7	0	1	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	उमरैण	रा.उ.प्रा.वि. सुमेल	21	145	96	262	1	8	9	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
6.	उमरैण	रा.उ.प्रा.वि. बाढ़ बिलन्दी	19	108	35	162	1	5	6	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
7.	उमरैण	रा.उ.प्रा.वि. बालाड़हरा	51	196	73	320	1	8	9	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
8.	उमरैण	रा.उ.प्रा.वि. महुआ कलां	27	108	83	218	1	7	8	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
9.	उमरैण	रा.प्रा.वि. महुआ खुर्द	39	112	0	151	0	.3	3	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
10.	उमरैण	रा.बा.प्रा.वि. उमैरण	21	101	0	122	0	5	5	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
11.	उमरैण	रा.प्रा.वि. शाहपुरा	24	145	0	169	0	6	6	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
12.	उमरैण	रा.प्रा.वि. डहलावास	25	178	0	203	0	4	4	0	1	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	उमरैण	रा.प्रा.वि. भण्डोडी	16	42	0	58	0	2	2	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
14.	उमरैण	रा.उ.प्रा.वि. काली पहाड़ी	24	161	92	277	1	8	9	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
15.	उमरैण	रा.प्रा.वि. मेडीबास	16	51	0	67	0	2	2	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
16.	उमरैण	रा.प्रा.वि. अकबरपुर	26	153	0	179	0	5	5	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
17.	उमरैण	रा.प्रा.वि. नगली मुशी	12	56	0	68	0	2	2	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
18.	अलवर शहर	रा.उ.प्रा.वि. फीलखाना	14	67	52	133	1	5	6	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
19.	अलवर शहर	रा.उ.प्रा.वि. मोरसराय	30	214	97	341	1	9	10	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
20.	किशनगढ़ बास	रा.प्रा.वि. बहादुरपट्टी कानूगो	70	222	0	292	0	7	7	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
21.	रामगढ़	रा.उ.प्रा.वि. सैयद कालोनी	16	96	56	168	1	5	6	0	1	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	रामगढ़	रा.उ.प्रा.वि. झारेड़ा	21	158	51	230	1	7	8	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
23.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. महर की ढाणी	20	91	41	152	1	5	6	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
24.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. ढाणी मोरड़ी	21	151	60	232	1	7	8	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
25.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. टोडी लुहारान	17	62	31	110	1	5	6	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
26.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. दूद्दी की ढाणी	25	123	39	187	0	3	3	1	3	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
27.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. गोपालपुरा	16	74	41	131	1	4	5	0	1	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
28.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. गुढा किशोरदास	14	78	39	131	1	4	5	0	1	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
29.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. ढिगारिया	19	88	61	168	1	7	8	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. झाकड़ी	16	125	67	208	1	7	8	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
31.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. माधोगढ़	48	173	71	292	1	7	8	0	1	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
32.	थानागाजी	रा.प्रा.वि. मुंडावरा	34	221	0	255	0	6	6	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
33.	थानागाजी	रा.प्रा.वि. कीरों की ढाणी	15	90	0	105	0	2	2	0	1	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
34.	थानागाजी	रा.प्रा.वि. डहरा	30	81	0	111	0	3	3	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
35.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. कालापारा	23	138	79	240	1	5	6	0	2	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
36.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. भुरियावाली	33	90	43	166	1	3	4	0	2	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
37.	थानागाजी	रा.प्रा.वि. द्वारापुर	31	78	0	109	0	2	2	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. सांवतसर	25	166	74	265	1	6	7	0	2	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
39.	थानागाजी	रा.उ.प्रा.वि. बिहारीसर	17	68	51	136	1	5	6	0	0	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
40.	थानागाजी	रा. बालिका उ. प्रा. वि. अगारी	31	112	75	218	1	5	6	0	1	टी.एल.एम.एस.एफ.जी.एम.आर. विभागीय मानदण्डानुसार
		योग	**1000**	**4867**	**1622**	**7489**	**26**	**209**	**235**	**1**	**17**	

नोट : एक प्री शिक्षिका एवं एक बोध संदर्भ शिक्षक बोध शिक्षा समिति के माध्यम से सम्बलन हेतु विद्यालयों में कार्यरत हैं।

राज्यावास (राजसमन्द) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पद

388. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमन्द के राज्यावास गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने स्वीकृत पदों पर कितने नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और कितने पद रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों की अधिकतम समयावधि क्या है?

(3) क्या विद्यालय विकास समिति ने वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत छात्रों के लिये अपने स्तर पर शिक्षक व्यवस्था कर रखी है? क्या इसका पारिश्रमिक राज्य सरकार वहन कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विद्यालय के कमरों की स्थिति क्या है? क्या छात्र संख्या, कक्षा संख्या एवं विषयों के संदर्भ में कक्षा कक्ष एवं अन्य कक्ष पर्याप्त हैं?

(5) क्या उक्त कक्षों के आगे बरामदा बना हुआ है? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द के राज्यावास गांव में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राज्यावास में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है:-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	00	01
व्याख्याता	07	00	07
वरिष्ठ अध्यापक	09	05	04
अध्यापक-III ग्रेड	02	01	01
वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	00
वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	01	01	00
वरिष्ठ लिपिक	01	01	00
कनिष्ठ लिपिक	01	01	00
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	03	00

(शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त रिक्त पद किस दिनांक से रिक्त है, का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(3) जी हां। पारिश्रमिक का वहन भी विद्यालय विकास समिति द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है।

(4) उक्त विद्यालय में कुल 18 कमरे उपलब्ध हैं, जो कक्षाओं के संचालन हेतु पर्याप्त हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 3 कक्षा कक्ष मय बरामदों के बनाये जाने की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

(5) विद्यालय के 6 कक्षा कक्षों के आगे बरामदा नहीं बना हुआ है। इस हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बरामदा निर्माण के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	पद नाम	विषय	कब से रिक्त है	वि. वि.
1.	प्रधानाचार्य	—	24.10.2009 से	स्थानान्तरण से
2.	व्याख्याता	अंग्रेजी	25.05.2010 से	पदोन्नति से
		हिन्दी	31.05.2009 से	सेवानिवृत्ति से
		भूगोल	25.08.2010 से	स्थानान्तरण से
		रा.वि.	28.09.2001 से	स्थानान्तरण से
		लेखाशास्त्र	02.11.2011 से	पद आबंटन से
		व्यवसाय अ.	02.11.2011 से	पद आबंटन से
		अर्थशास्त्र	02.11.2011 से	पद आबंटन से
3.	व. अ.	विज्ञान	01.07.2001 से	स्थानान्तरण से
		विज्ञान	31.07.2011 से	स्थानान्तरण से
		सामान्य	31.03.2011 से	सेवानिवृत्ति से
		सामान्य	31.07.2011 से	सेवानिवृत्ति से
4.	अध्यापक	—	29.09.2009 से	पदोन्नति से

नोट-व्याख्याता राजनीति विज्ञान एवं अध्यापक पद के विरुद्ध विद्यार्थी मित्र कार्यरत है।

प्रबुद्ध छात्रों हेतु पुरस्कार

389. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 12वीं तक की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए नि:शुल्क शिक्षा एवं नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें आदि देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश के तहत सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं से किस-किस मद में शुल्क लेने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में बालिकाओं को दिये जाने वाले गार्गी पुरस्कार की तर्ज पर बालकों को पुरस्कार दिये जाते हैं? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना के प्रारम्भ से अब तक कितने बालकों को पुरस्कृत किया गया है? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदेशों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त आदेशों के तहत सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं से किसी भी प्रकार का शुल्क लेने की अनुमति नहीं दी गई है तथा कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं से छात्र निधि, समाजोपयोगी उत्पादक, टंकण/विज्ञान, प्रवेश, टीसी एवं पुन: प्रवेश मद में शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न के भाग 3 के अनुसार।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

दूदू (जयपुर) के विद्यालय के खेल मैदान हेतु आबंटित भूमि पर अतिक्रमण

390. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा ग्राम पंचायत धमाणा तहसील दूदू जयपुर को खेल मैदान हेतु खसरा नं. 280/922, 280/924, 280/925, 280/970 की भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कब? आबंटित भूमि की जमाबंदी की नकल एवं वर्तमान में उक्त भूमि की वास्तविक स्थिति के नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय को आबंटित भूमि पर चारदीवारी का निर्माण भी करवाया गया है? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा एवं कितनी भूमि पर? क्या उक्त खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि पर किसी ने अतिक्रमण भी कर लिया है? क्या उक्त अतिक्रमण की सूचना स्थानीय नागरिकों द्वारा तहसीलदार दूदू को दी गई थी? यदि हां, तो तहसीलदार दूदू द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? तहसीलदार दूदू द्वारा की गई कार्यवाही, अतिक्रमणकर्ताओं के नाम एवं अतिक्रमित भूमि के नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त खेल मैदान की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने एवं सम्बन्धित तहसीलदार दूदू के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश क्रमांक आर-18 ए (96) 98/4947-4953 दिनांक 24.05.1999 के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सवाई माधोसिंहपुरा, दूदू के खेल मैदान हेतु 03 बीघा भूमि का आबंटन किया गया था। आबंटित भूमि की जमाबंदी तथा भूमि के वास्तविक नक्शे की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-"क" तथा परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आवंटित राशि से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा 100 मीटर भूमि पर चारदीवारी का निर्माण करवाया गया है।

विद्यालय को आबंटित भूमि की नक्शे में तरमीम नहीं है, जिसके कारण विद्यालय की किस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, स्पष्ट नहीं है।

ग्रामवासी सवाई माधोसिंहपुरा द्वारा दिनांक 17.01.2012 को तहसीलदार, मौजमाबाद को प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का निवेदन किया है।

(शिक्षा मंत्री)

तहसीलदार मौजमाबाद ने विद्यालय का मौका मुआयना कर प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., सवाई माधोसिंहपुरा को निर्देशित किया कि वे अतिक्रमण के सम्बन्ध में स्वंय रिपोर्ट पेश करें । प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., सवाई माधोसिंहपुरा ने दिनांक 18.01.2012 को तहसीलदार मौजमाबाद को विद्यालय को आबंटित भूमि का नक्शे में तरमीम व भूमि का सीमा ज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया है। सीमा ज्ञान होने पर ही अतिक्रमण के बारे में वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सकेगा ।

(3) राजस्व नक्शे में आबंटित भूमि की तरमीम होने एवं सीमा ज्ञान के पश्चात अतिक्रमण हटाने के बारे में विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नाथद्वारा के विद्यालयों में रिक्त पद

391. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों व अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, विभागीय पदोन्नति समितियों एवं जिला परिषदों द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों पर नियुक्तियां किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जयपुर जिले में प्रबोधकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

392. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के लिए वर्ष 2008 में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रबोधकों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब और कितने पदों की तथा उम्मीदवार की पात्रता क्या रखी गई थी? जिला जयपुर के लिये जारी कुल रिक्त पदों की विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संजना आगरी)

(2) उक्त जिले में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने प्रबोधकों के पद रिक्त हैं एवं कितने पद राज्य सरकार ने नये सृजित किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों से कार्यानुभव प्राप्त करके आये अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को किन-किन जिलों में नियुक्ति प्रदान की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब शेष अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रबोधकों की नियुक्ति हेतु जिला जयपुर में अन्य प्रदेशों से प्राप्त कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दिनांक 31.05.2008 को प्रबोधक पद पर भर्ती की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई जिसमें जयपुर जिले के लिए 962 पद विज्ञापित किये गये, जिसे बाद में संशोधन कर उक्त पदों की संख्या 1372 की गई। आवेदक की पात्रता का उल्लेख प्रकाशित विज्ञप्ति में किया गया है तथा विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के 07 प्रबोधकों के पद रिक्त हैं। कोई नया पद सृजित नहीं किया गया है।

(3) अन्य प्रदेशों से कार्यानुभव प्राप्त करके आये निम्न आशार्थियों को नियुक्तियां प्रदान की गईं-

क्र. सं.	जिला	आशार्थी का नाम	प्रदेश का नाम
1	2	3	4
1.	हनुमानगढ़	सविता रानी	हरियाणा
		राम सिंह	हरियाणा
		सविता	हरियाणा
2.	उदयपुर	राजेन्द्र सोनी	मध्यप्रदेश
		मोहम्मद रजा	उत्तरप्रदेश

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4
3.	धौलपुर	सतेन्द्र सिंह	मध्यप्रदेश
		आनन्द सिंह	मध्यप्रदेश
4.	करौली	ओम प्रकाश	उत्तरप्रदेश

(4) प्रबोधक भर्ती का वर्तमान में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(5) जी नहीं ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

चौहटन में राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना

393. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पिछड़े व आरक्षित क्षेत्र व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने हेतु तहसील/उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो कितने-कितने एवं कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र चौहटन अनुसूचित जाति आरक्षित क्षेत्र होने के साथ ही साथ पिछड़ा क्षेत्र है? क्या उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कोई राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। क्या सरकार उक्त क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पिछड़े एवं आरक्षित क्षेत्र तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने हेतु तहसील/उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये, विवरण निम्नानुसार है:-

1. वर्ष 2005-06 में देवनारायण योजनान्तर्गत (06) बानसूर (अलवर), सैपऊ (धौलपुर), झालरापाटन (झालावाड़), नादौती व सपोटरा (करौली) एवं खण्डार (सवाईमाधोपुर)

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

2. वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 5-5 संस्थान तिजारा (अलवर), खो-नागौरियान (जगतपुरा जयपुर) पदमपुर (श्रीगंगानगर), मकराना शहर (नागौर), बाप (जोधपुर), पहाड़ी (भरतपुर) रामसर (बाड़मेर), संगरिया (हनुमानगढ़), किशनगढ़ बास (अलवर) तथा छतरगढ़ (बीकानेर) में स्वीकृत किये गये हैं।

3. वर्ष 2011-12 में सहरिया जनजाति के लिये शाहबाद (बारां) में 01 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाशन स्वीकृत किया गया है।

तहसील/उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय नहीं खोले गये हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार की लेगिंग एरिया नीति के तहत चौहटन पंचायत समिति में निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया जा चुका है तथा जिला कलक्टर द्वारा भूमि आबंटन किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार की पीपीपी मोड योजना में राज्य में खोले जाने वाले 59 संस्थानों में भी चौहटन को सम्मिलित किया जाकर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

फलौदी में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्र

394. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम, स्थान एवं उनमें कार्यरत प्रभारी के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्र खोलने के नये प्रस्ताव मांगे गये हैं? यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों में कितने प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं और कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शेष हैं तथा शेष रहे प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना बाप

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

में 205 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं फलौदी में 84 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। उनमें से बाल विकास परियोजना बाप में 202 आंगनबाड़ी केन्द्रे एवं फलौदी में 81 आंगनबाड़ी केन्द्र (कुल 283) संचालित है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम, स्थान एवं उनमें कार्यरत प्रभारी के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार विभागीय प्रयासों के उपरान्त भी वर्तमान में जहां आंगनबाड़ी केन्द्र है किन्तु कुछ दूरस्थ क्षेत्र एवं बस्तियां आईसीडीएस सेवाओं से वंचित है, वहां के जनसमुदाय की मांग पर 0-6 आयु वर्ष के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला के द्वारा मांग पर आधारित आंगनबाड़ी केन्द्र योजनान्तर्गत आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जरीये बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चाहे गये थे । कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा मांग पर आंगनबाड़ी केन्द्र योजना के अन्तनर्गत स्वींकृत नहीं किये हैं। भारत सरकार से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

हनुमानगढ़ जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु आबंटित पोषाहार

395. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बालक-बालिकाओं, गर्भवती व धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को पोषाहार में क्या-क्या खाद्य सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में किस दर पर उपलब्ध करवायी जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2010-11 व 2011-12 में उक्त प्रत्येक केन्द्र पर कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या खाद्य सामग्री कब-कब उपलब्ध करवाई गई? वर्षवार/विधान सभा क्षेत्रवार प्रत्येक केन्द्र को उपलब्ध करवाई गई खाद्य सामग्री का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बालक-बालिकाओं, गर्भवती व धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को पोषाहार में

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

निम्न खाद्य सामग्री निम्नलिखित मात्रा में उल्लिखित दर पर उपलब्ध करवायी जा रही है:-

क्र. सं.	लाभार्थी	पोषाहार की मात्रा		दर
		प्रति दिवस	प्रति सप्ताह	
1	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	125 ग्राम का पैकेट	750 ग्राम का पैकेट	बेबी मिक्स पंजीरी की दर 38.70 रुपये प्रति किग्रा. तथा गरम पूरक पोषाहार की दर 3.31 रुपये प्रतिदिन प्रति लाभार्थी (विभागीय पत्रांक 45943-46293 दिनांक 29.06.2010 द्वारा निर्धारित) के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है।
2	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	200 ग्राम का पैकेट	1200 ग्राम का पैकेट	
3	3-6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	गरम पूरक पोषाहार	80 ग्राम प्रति लाभार्थी प्रति दिवस एक दिन खिचड़ी व एक दिन दलिया	
4	3-6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे	गरम पूरक पोषाहार व 75 ग्राम बेबीमिक्स		
5	गर्भवती, धात्री महिलाएं	155 ग्राम	930 ग्राम	

(2) वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर प्रतिदिन नामांकित समस्त लाभार्थियों को निम्न मात्रा अनुसार पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया गया है :-

क्र. सं.	लाभार्थी	पोषाहार की मात्रा प्रतिदिवस	
		केन्द्रीयकृत व्यवस्था	विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था
1	6 माह से 3 वर्ष के कुपोषित बच्चे	125 ग्राम पंजीरी/ 120 ग्राम हलवा	125 ग्राम बेबी मिक्स
2	6 माह से 3 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे	125 ग्राम पंजीरी/ 240 ग्राम हलवा	200 ग्राम बेबी मिक्स

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र. सं.	लाभार्थी	पोषाहार की मात्रा प्रतिदिवस	
		केन्द्रीयकृत व्यवस्था	विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था
3	3-6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे	51 ग्राम हलवा/42 ग्राम उपमा एवं गरम पूरक पोषाहार	गरम पूरक पोषाहार
4	3-6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे	51 ग्राम हलवा/42 ग्राम उपमा एवं गरम पूरक पोषाहार तथा 78 ग्राम हलवा/70 ग्राम उपमा अतिरिक्त पोषाहार	गरम पूरक पोषाहार व 75 ग्राम बेबीमिक्स
5	गर्भवती, धात्री महिलाएं	140 ग्राम हलवा/130 ग्राम उपमा	155 ग्राम बेबी मिक्स

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई गई खाद्य सामग्री की सूचना परियोजनावार व विधानसभावार निम्नानुसार है :-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

वर्ष 2010-11

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	परियोजना का नाम	खाद्य सामग्री की मात्रा क्विंटलों में			
			केन्द्रीयकृत पोषाहार व्यवस्था से प्राप्त	आरटीई एसएचजी से प्राप्त	कुल	गरम खाना
1	2	3	4	5	6	7
1	भादरा	भादरा	0	873.22	873.82	560.89
		नोहर	323.47	120.44	443.91	66.87
		योग	**323.47**	**994.26**	**1317.73**	**627.76**
2	नोहर	नोहर	2759.68	1050.58	3810.26	692.06
		रावतसर	729.81	0	729.81	189.63
		योग	**3489.49**	**1050.58**	**4540.07**	**881.69**
3	पीलीबंगा	रावतसर	1167.44	0	1167.44	345.58
		पीलीबंगा	0	791.67	791.67	556.17
		योग	**1167.44**	**791.67**	**1959.11**	**901.75**
4	हनुमानगढ	हनुमानगढ	0	4205.05	4205.05	996.00
5	संगरिया	संगरिया	0	1510.27	1510.27	332.90
		टिब्बी	185.00	1675.27	1861.23	368.49
		योग	**185.96**	**3185.54**	**3371.50**	**701.39**
		योग	**5166.37**	**10227.10**	**15393.47**	**4108.59**

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2011-12						
1	भादरा	भादरा	0	1730.56	1730.56	562.89
		नोहर	0	60.57	60.57	70.20
		योग	**0**	**1791.13**	**1791.13**	**633.09**
2	नोहर	नोहर	0	409.28	409.28	594.12
		रावतसर	149.53	590.26	739.79	193.29
		योग	**149.53**	**999.54**	**1149.07**	**787.41**
3	पीलीबंगा	रावतसर	287.66	613.47	901.13	293.34
		पीलीबंगा	349.30	610.93	960.13	480.62
		योग	**636.96**	**1224.40**	**1861.36**	**773.96**
4	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	0	2424.02	2424.02	750.10
5	संगरिया	संगरिया	0	1635.67	1635.67	286.35
		टिब्बी	0	1644.46	1644.46	319.70
		योग	**0**	**3280.13**	**3280.13**	**606.05**
		योग	**786.49**	**9719.22**	**10505.71**	**3550.61**

किशनगढ़ बास के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

396. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं व उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने भवन रहित तथा कितने किराये के व कितने सरकारी भवनों में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना कोटकासिम में 120 आंगनबाड़ी 12 मिनी आंगनबाड़ी तथा बाल विकास परियोजना किशनगढ़ बास में 180 आंगनबाड़ी 11 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार कुल 300 आंगनबाड़ी 23 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र निम्नलिखितानुसार भवनों में संचालित किये जा रहे है :-

क्र.सं.	विवरण	मुख्य	मिनी	योग
1	किराये पर	134	8	142
2	स्कूलों में	97	8	105
3	विभागीय भवनों में	10	0	10
4	धर्मशाला में	25	0	25
5	उप स्वास्थ्य केन्द्रों में	5	0	5
6	सामुदायिक भवनों में	18	2	20
7	पंचायत भवनों में	4	0	4
8	असंचालित	7	5	12

(2) कोई भी आंगनबाड़ी भवन रहित नहीं है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अवैध निजी यात्री वाहनों से पथ परिवहन निगम को हानि

397. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्राइवेट बसों के अवैध (बिना परमिट) संचालन से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध बसों के संचालन को रोकने के क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में अवैध संचालन के कारण कितनी बसों को जब्त किया गया और उनसे कितना जुर्माना वसूला गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में यात्री वाहनों के अवैध रूप से संचालन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा नियमित रूप से एवं समय-समय पर पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाया जाकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को इस कारण से किसी हानि की संकल्पना सम्भव नहीं है। बसों/मिनी बसों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) यात्री वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए चलाये गये संयुक्त जांच अभियान में गत तीन वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

बसों/मिनी बसों के विरुद्ध गत 3 वर्षों में की गई कार्यवाही

वर्ष	चालान	जब्त (बस/मिनी बस)	प्रशमन राशि (लाखों में)
2009-10	3054	345	164.31
2010-11	11748	256	240.00
2011-12 (जनवरी 2012 तक)	3073	329	152.54
योग	**17875**	**930**	**556.85**

मालपुरा के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

398. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायतों को निगम बस सेवा से जोड़ने की घोषणा की थी? यदि हां, तो प्रथम वर्ष में राज्य की कितनी पंचायतें बस सेवा से जोड़ी गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2011-12 में निगम बस सेवा से जोड़ा जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर-केकड़ी मार्ग पर विद्यालय समयानुसार सामान्य बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जयपुर-केकड़ी मार्ग पर मालपुरा से केकड़ी के मध्य प्रतापपुरा व इन्दोली गांव में द्रुतगामी बसों का स्टाप केन्द्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा पीपीपी माडल पर बस सेवाओं का विस्तार किया जायेगा और अगले तीन वर्षों में समस्त पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जायेगा । इस घोषणा की क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है ।

(2) उक्तानुसार।

(3) निगम द्वारा विद्यालयों के लिए पृथक से बस सेवाएं संचालित नहीं की जाती हैं।

(4) वर्तमान में इस सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथा भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसका परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जावेगा।

बयाना बस स्टैण्ड हेतु भू-आबंटन

399. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ग्यारसाराम कोली)

(1) क्या यह सही है कि बयाना बस स्टैण्ड किराए की जमीन पर स्थित है एवं इस बस स्टैण्ड की हालत बहुत ही खराब है?

(2) क्या सरकार बयाना बस स्टैण्ड हेतु जमीन आबंटित कराकर नया बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 1300/- रु. प्रतिमाह में श्री दिगम्बर जैन मन्दिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित परिसर किराये पर लिया हुआ है। बस स्टैण्ड परिसर में बुकिंग कार्य हेतु एक पक्का भवन व यात्रियों हेतु पक्का बरामदा ट्रस्ट द्वारा बनाया हुआ है। इसके साथ ही बस स्टैण्ड परिसर में 08 दुकानें हैं, जिनका किराया भी प्रतिमाह ट्रस्ट द्वारा प्राप्त, किया जा रहा है तथा पीने के पानी एवं मूत्रालय की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(2) बयाना में नये बस स्टैण्ड बनाने बाबत् वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समुचित निर्णय लिया जायेगा।

भीलवाड़ा जिले के निगम बस सेवा रहित ग्राम

400. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा में ऐसी कौन-कौन सी पंचायत मुख्यालय हैं जहां से आवागमन के लिये रोडवेज अथवा प्राइवेट बसें नहीं चलती हैं?

(2) उक्त पंचायत मुख्यालयों को बस सेवा से जोड़ने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की 383 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से निम्नलिखित 47 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जहां से आवागमन के लिये रोडवेज अथवा प्राइवेट बसें नहीं चलती हैं:-

1 भादसी, 2 जेतगढ़, 3 जिन्द्रास, 4 करजालिया, 5 मोगर, 6 रतनपुरा 7 भादसी, 8 रतनपुरा (ला), 9 बालेसरिया, 10 बरण, 11 कानिया, 12 धुंवाला, 13 गांगीथला, 14 लुहारी, 15 फलोदा, 16 बेई, 17 टीटोडी, 18 फलासिया, 19 कांटी, 20 लसाडिया, 21 सातोला का खेडा, 22 रेडवास, 23 आसोप, 24 गवली, 25 दोलपुरा, 26 थलकला, 27 उमाजीका खेडा, 28

(परिवहन राज्य मंत्री)

वीरपुरा 29 डेलाना, 30 नांदशा, 31 सातलियास, 32 दौलतपुरा, 33 आटूण, 34 देवली, 35 डोडीया, 36 कोचरिया, 37 मालोला, 38 पालडी, 39 रामपुरिया, 40 सेथूरिया, 41 बावलास, 42 चावण्डिया, 43 नारेली, 44 रामपुरिया, 45 सेणून्दा, 46 सिडियास, 47 टहूंका

(2) उक्त ग्राम पंचायतों मुख्यालयों को बस सेवा से अगले तीन वर्षों में बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत जोड़े जाने की कार्य योजना है तथा जो प्रक्रियाधीन है।

नागौर आगार से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर हेतु द्रुतगामी बस सेवा

401. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार नागौर जिला मुख्यालय से प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों/समस्त आगार तक रोडवेज की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कौन-कौन से जिलों तक?

(2) क्या सरकार नागौर आगार से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर के लिए द्रुतगामी बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) वर्तमान में नागौर आगार से जोधपुर, बीकानेर एवं अजमेर के लिए संचालित द्रुतगामी बस सेवाओं पर प्रति किलोमीटर मिल रहे यात्रीभार एवं आय के संचालन लागत से कम होने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थानों के लिये NON STOP बसें संचालित किये जाने का विचार नहीं है।

मनोहरपुर (जयपुर) क्षेत्र में हाइवे एमेनिटी सेंटर की स्थापना

402. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर मनोहरपुर कस्बे के पास हाइवे एमेनिटी सेंटर विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्य किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त हाइवे एमेनिटी सेंटर विकसित करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं किन्तु निविदाएं प्राप्त नहीं हुईं? यदि हां, तो उसके उपरांत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार अविलम्ब इस हाइवे एमेनिटी सेंटर को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था ट्रक आपरेटर हाइवे एमिनिटी सोसायटी (टी.ओ.एच.ए.एस.-टोहास) के माध्यम से जयपुर जिले के मनोहरपुर कस्बे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर परिवहन विभाग को आवंटित भूमि पर हाइवे एमिनिटी सेंटर विकसित किये जाने की योजना है। इस हेतु आबंटित भूमि पर पी.डब्लयू.डी. के माध्यम से बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करवाया जा चुका है साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडे भाग पर वृक्षारोपण का कार्य एवं पानी की व्यवस्था हेतु एक बोर वेल का निर्माण कराया गया है, बिजली कनेक्शन भी लिया जा चुका है।

(2) ट्रक ऑपरेटर हाइवे एमिनिटी सोसायटी (टोहास) द्वारा हाइवे फेसेलिटी सेंटर के निर्माण हेतु कन्सलटेन्ट के माध्यम से निविदाएं वर्ष 2008 में आमंत्रित की गई थीं, परन्तु किसी भी निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की गई। निविदाएं प्राप्त न होने के कारणों का विश्लेषण तथा उन कारणों के निवारण हेतु कन्सलटेन्ट से परामर्श सेवायें ली जा रही हैं तथा इस सम्बन्ध में टोहास की कार्यकारिणी के निर्णय की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(3) टोहास द्वारा मनोहरपुर कस्बे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर हाइवे एमिनिटी सेंटर विकसित करने का कार्य यथाशीघ्र किया जाना विचाराधीन है। कन्सलटेन्ट द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित संशोधनों पर टोहास की कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त सेंटर विकसित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

कोटा शहर में नये बस टर्मिनल की स्थापना

403. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा शहर में सरकार ने नया बस टर्मिनल कब स्वीकृत किया व उसका शिलान्यास कब हुआ एवं कितनी लागत का प्रावधान रखा गया और

(श्री भवानी सिंह राजावत)

शिलान्यास के कितने समय बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ? उक्त टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा होने की अवधि कितनी थी और क्या निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बस टर्मिनल बनाने वाली कम्पनी अहलूवालिया कांट्रेक्ट इंडिया लिमिटेड की लापरवाही के कारण निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? यदि हां, तो सरकार द्वारा कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व उस पर कितना जुर्माना किया गया?

(3) जिला कोटा का यह नया बस टर्मिनल कब शुरू होगा व इसमें बनाये जा रहे कामर्शियल काम्पलेक्स में कितने शोरूम होंगे तथा उनके आबंटन की क्या प्रक्रिया होंगी एवं पूरे परिसर में यात्रियों के लिए क्या-क्या सुविधाएं होंगी और इसमें कितनी बसों के खड़े होने की क्षमता होगी और यहां से कहां-कहां के लिए बसें संचालित होंगी?

(4) क्या वर्तमान में कोटा में संचालित बूंदी रोड स्थित नयापुरा बस स्टैण्ड का वर्तमान स्वरूप यथावत रहेगा या इसे बंद कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में निर्माणाधीन बस टर्मिनल की औपचारिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई अपितु अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिनांक 27.02.2007 को इसके निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जिसका निगम मण्डल द्वारा दिनांक 28.07.2007 को अवलोकन किया गया, इसका शिलान्यास दिनांक 25.01.2007 को हुआ, इसके निर्माण हेतु रुपये 41.00 करोड़ का आकलन किया गया व शिलान्यास के लगभग 2 वर्ष बाद दिनांक 13.01.2009 को निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। इस टर्मिनल के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की अवधि निगम एवं अहलूवालिया कांट्रेक्टस (इण्डिया) लि. के मध्य सम्पन्न एग्रीमेन्ट दिनांक 19.09.2007 के बिन्दु संख्या 5.1 (d) जो निम्नानुसार है:- The “Commencement date” means the date of Notification of Award, the handing over of the actual physical, vacant and peaceful possession of site or the date of Commencement Certificate/ Building Permission granted by the Local authority and all government agencies, authorities, departments, etc. which ever is later. The schedule time limit of completion of project will be reckoned from the commencement date. के अनुसार तय होगी। उक्तानुसार विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(परिवहन राज्य मंत्री)

(2) बस टर्मिनल निर्माता कम्पनी को कोटा स्थित नगर विकास न्यास से भवन निर्माण, नगर निगम से फायर फाइटिंग, जिला मजिस्ट्रेवट से कन्ट्रोल्डम ब्लास्टिंग तथा एयर पोर्ट अथोरिटी आफ इण्डिया से टर्मिनल भवन की अधिकतम ऊंचाई की स्वीकृति टर्मिनल के निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृतियां प्राप्त करनी थी जो उसे क्रमशः दिनांक 13.01.2009, 08.06.2009, 08.11.2009 व 14.03.2012 को प्राप्त हुई। वर्तमान में उक्त टर्मिनल के भवन की शेष 3 मंजिलों के निर्माण की स्वी कृति हेतु नगर विकास न्यास में दिनांक 23.03.2012 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस स्वीकृति के पश्चात प्रश्न के भाग 1 में अंकित एग्रीमेंट के प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक निर्धारित होने से 18 माह की होगी। उक्त कम्पनी को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के क्रम में 17 नोटिस दिनांक 26.02.2008 से 19.03.2012 के मध्य जारी किये गये है जो निर्णयाधीन हैं।

(3) कोटा शहर के नये बस टर्मिनल के लिये नगर विकास न्यास से उपरोक्तानुसार शेष 3 मंजिलों के निर्माण की चाही गई अन्तिम स्वीकृति मिलने के 6 माह पश्चात बस टर्मिनल के शुरू होने की सम्भावना है । टर्मिनल के निर्मित क्षेत्र में से 23000 वर्गमीटर क्षेत्र को बिड डाक्यूमेंट जो एग्रीमेंट का पार्ट है, के अनुसार कामर्शियल काम्पलेक्स के रूप में काम में लेने का प्रावधान किया गया है, जिसमें शोरूम्स की संख्या निर्धारित नहीं की गई हैं । निर्माता कम्पनी की अभिशंसा के अनुरूप राजस्थायन राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शोरूम्स का आबंटन किया जायेगा। पूरे परिसर में यात्रियों के लिए बस स्टैण्ड पर वातानुकूलित विश्राम गृह, बुकिंग विन्डोज, पूछताछ कक्ष, स्वच्छ पेयजल सुविधा, शौचालय, बैंक, एटीएम, पुलिस चौकी, बुक स्टाल्स, केन्टीन इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परिसर में 80 बसों के एक साथ खड़े रहने की क्षमता सहित 15 बसों के एक साथ गंतव्य स्थानों के लिये रवानगी की व्यवस्था होगी। बस स्टैण्ड निर्माण होने के उपरान्त गुणावगुण तथा संचालन आवश्यकताओं के आधार पर उक्त बस स्टैण्ड से कहां-कहां के लिये बसें संचालित होगी, का निर्णय लिया जावेगा ।

(4) वर्तमान में कोटा में संचालित बूंदी रोड स्थित नयापुरा बस स्टैण्ड का वर्तमान स्वरूप यथावत रखने का विचार हैं ।

जयपुर शहर के भांकरोटा-रामबाग सर्किल मार्ग पर लो-फ्लोर बसों का संचालन

404. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में यातायात के दबाव को देखते हुये विभिन्न मार्गों पर लो-फ्लोर बसें संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो किन-किन मार्गों पर?

(2) क्या यह भी सही है कि शहर के भांकरोटा से रामबाग सर्किल वाया बाइस गोदाम मार्ग पर कोई भी लो-फ्लोर बस सेवा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न सरकारी कार्यालय यथा उच्च न्यायालय, राजस्थान विधान सभा, शासन सचिवालय, विद्युत भवन, वित्त भवन, कर भवन आदि में आने वाले व्यक्तियों एवं आवागमन के दबाव को देखते हुये भांकरोटा से रामबाग सर्किल रूट पर लो-फ्लोर बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में संचालित लो फ्लोर बसों के मार्ग की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सीधी सेवाऐं सभी मार्गो पर उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है।

(3) जी नहीं। सीधी सेवाऐं सभी मार्गों पर उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। एक बस बदलकर एक स्थान से अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचा जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

माण्डलगढ़ के यातायात सुविधा विहिन पंचायत मुख्यालय

405. श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के कई पंचायत मुख्यालय किसी भी प्रकार की यातायात सुविधा/निगम बस सुविधा से जुड़े हुये नहीं हैं? यदि हां, तो कितने?

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों को बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भीलवाड़ा से सिंगोली चार भुजा तक उपनगरीय बस सेवा हेतु मार्ग स्वीकृत किया था? यदि हां, तो कब व उस पर अभी तक क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया तथा किसके आदेश से क्रियान्विति रोकी गई?

(4) क्या सरकार उक्त स्वीकृत मार्ग पर उपनगरीय बसों का संचालन शुरू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की 53 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 38 ग्राम पंचायत मुख्यालय यातायात सेवा से जुडे हुए हैं जिनमें से 23 निगम बस सेवा द्वारा व 15 निजी बस सेवा द्वारा जुडे हुए हैं। वर्तमान में 15 ग्राम पंचायत मुख्यालय यातायात सेवा से जुडने शेष हैं।

(2) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा पीपीपी माडल पर अपनी योजनाओं का विस्तार किया जायेगा और वर्ष 2011-12 से अगले 3 वर्षों में पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जायेगा। इस घोषणा के अन्तर्गत प्रश्न के भाग 1 में उल्लिखित संदर्भित विधान सभा क्षेत्र के 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को भी बस सेवा से जोड़ा जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। भीलवाड़ा से सिंगोली चार भुजा तक उपनगरीय मार्ग दिनांक 02.06.2011 को उपनगरीय बस सेवा हेतु स्वीकृत किया गया था। निगम द्वारा भीलवाड़ा से सिंगोली, चार भुजा मार्ग पर दैनिक चार एकल परिचक्र निम्नानुसार संचालित किये जा रहे हैं:-

भीलवाडा	सिंगोली	सिंगोली	भीलवाडा
0600	0800	1330	1530
1830	2030	0630	0830

(4) रोडवेज द्वारा उपरोक्तानुसार 4 एकल परिचक्र संचालित हैं।

राजकीय नियंत्रणाधीन हवाई जहाज व हेलीकाप्टर

406. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(1) राज्य सरकार के स्वामित्व में कितने हवाई जहाज एवं हेलीकाप्टर हैं तथा कितने किराये अथवा अनुबंध पर लिये हुये हैं? दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2011 तक इनके रख-रखाव व ईंधन पर कितने रुपये का वर्षवार व्यय किया गया है तथा उक्त ने कहां-कहां की उड़ान भरी? लोग बुक की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के उड्डयन विभाग के पास कितने पायलट कब-कब से कार्यरत हैं और उन पर प्रतिमाह कितना खर्चा सरकार वहन कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य के बेड़े में शामिल हवाई जहाज अथवा हेलीकाप्टर में खराबी के चलते गत तीन वर्षों में कई बार उड़ान स्थगित अथवा आपात लैंडिंग करनी पड़ी? यदि हां, तो कब-कब? उक्त अवसरों पर यात्रा करने जा रहे/कर रहे यात्रियों के नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त खराबी के कारणों की जांच कराई गई थी? यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राज्य सरकार के दो हवाई जहाज एवं एक हेलीकाप्टर हैं।

राज्य सरकार द्वारा किराये व अनुबंध के आधार पर स्थायी तौर पर कोई वायुयान व हेलीकाप्टर नहीं लिया हुआ है। दिसम्बर 2008 से 2011 तक वायुयान व हेलीकाप्टर पर रख रखाव व ईंधन पर हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	रख-रखाव पर व्यय (लाखों में)		ईंधन पर व्यय (लाखों में)	
	वायुयान	हेलीकाप्टर	वायुयान	हेलीकाप्टर
12/2008 से मार्च 2009 तक	10.14	80.54	2.86	5.55
2009-10	50.72	81.34	28.23	11.03
2010-11	84.76	43.42	52.41	18.46
अप्रैल 11 12/2011 तक	28.10	19.43	32.41	21.33
कुल योग	203.72	224.73	115.91	56.37

(नागरिक उड्डयन मंत्री)

हवाई जहाज एवं हेलीकाप्टर द्वारा भरी हुई उडान की लोग बुक की प्रति सहित विवरण परिशिष्ट अ, ब, स पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के उड्डयन विभाग के पास एक हेलीकाप्टर पायलेट कैप्टन राजीव दुबे हैं जिनकी सेवायें प्रतिनियुक्तिस के आधार पर राजस्थान सिविल एवियेशन कारपोरेशन को दी हुई हैं जिन पर राज्य सरकार वेतन भत्तों सहित राजकीय नियमानुसार प्रतिमाह 101774/- रु. प्रतिमाह एवं 1750 रुपये प्रति माह तक टेलीफोन व्यय का पुनर्भरण कर रही है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सिविल एवियेशन कारपोरेशन द्वारा तीन पायलेट अनुबंधों के आधार पर लिए हुए हैं जिनके खर्चे का विवरण निम्नानुसार है:-

1. कैप्टन केसरी सिंह, चीफ पायलेट (ए) अनुबंधित तिथि 11.9.2009 से लगातार हैं इनका प्रतिमाह वेतन 3.85 लाख है तथा 0.15 लाख मकान किराया एवं 0.03 लाख टेलीफोन भत्ता व ए.सी. राजकीय वाहन की सुविधा है।
2. कैप्टन यू.के. शर्मा, चीफ पायलेट (एच) अनुबंधित तिथि 11.09.2009 से लगातार हैं इनका प्रतिमाह वेतन 3.85 लाख है तथा 0.15 लाख मकान किराया एवं 0.03 लाख टेलीफोन भत्ता व ए.सी. राजकीय वाहन की सुविधा है।

(3) कैप्टन बलविन्द्र सिंह, पायलेट आफिसर (ए) अनुबंधित तिथि 09.04.2009 से लगातार हैं इनका प्रतिमाह वेतन 1.87 लाख है।

(3) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार हवाई जहाज अथवा हेलीकाप्टर में खराबी के चलते पिछले तीन वर्ष मे सिर्फ एक बार दिनांक 20.11.2011 को हेलीकाप्टर की आपात लेंडिंग ग्राम चांदकोठी जिला चूरू में करनी पड़ी थी । उक्त यात्रा में माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत, विशेषाधिकारी, मुख्य मंत्री श्री गौरव बजाज एवं पी.एस.ओ. श्री रामनिवास यात्रा कर रहे थे।

(4) उक्त खराबी की जांच भारत सरकार, महानिदेशक, नागर विमानन विभाग द्वारा की जा रही है साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक जांच श्री ललित कोठारी महानिदेशक, रीपा द्वारा भी कराई गयी है। उक्त दोनों जांच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कासली (सीकर) ग्राम के बालिका विद्यालय के क्षतिग्रस्त कक्षा कक्ष

407. श्री पेमाराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर की पंचायत समिति धोद के ग्राम कासली स्थित बालिका विद्यालय में वर्ष 2006-07 में सर्व शिक्षा अभियान से चार कमरों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि किस तारीख को स्वीकृत हुई? स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अभियान में निर्मित कमरों में चार इंच चौड़ी दरार आ गई है? क्या सरकार उक्त निर्मित कक्षों को गिराकर पुन: निर्माण की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सीकर की पंचायत समिति धोद के ग्राम कासली स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत निम्नानुसार चार कमरों के निर्माण की स्वीकृतियां वर्ष 2006-07 के दौरान जारी की गई थीं :-

क्र.सं.	गतिविधि	संख्या	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति राशि (लाख में)
1	कक्षाकक्ष	1	27.7.2006	1.50
2	कक्षाकक्ष मय किचन शेड	1	27.7.2006	1.60
3	कक्षाकक्ष	2	5.8.2006	3.00

उक्त स्वीकृति पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। उक्त कक्षो में दरार आने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया है जो अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

धौलपुर कृषि उपज मण्डी में दुकानों का आबंटन

408. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर कृषि उपज मण्डी द्वारा किसानों को अपने उत्पाद बेचने हेतु प्लेटफार्म एवं दुकानें/भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को? आबंटित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन्हें दुकानें आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति धौलपुर में किसानों को कोई दुकान/भूखण्ड अथवा प्लेटफार्म आबंटित नहीं किया गया है।

(2) अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 के प्रावधानानुसार मुख्य मण्डी यार्ड धौलपुर में महिला कृषकों को फल एवं सब्जी मण्डी में तीन दुकानें एवं खाद्यान्न मण्डी में महिला कृषकों को दो दुकानें आबंटित की जावेंगी। मुख्य मण्डी में खाद्यान्न मण्डी के रिक्त भूखण्डों में नियमानुसार 13 भूखण्ड, फल एवं सब्जी मण्डी के 2 भूखण्ड महिला कृषकों को आंबंटित किये जावेंगे। गौणमण्डी यार्ड बाडी में खाद्यान्न मण्डी में एक दुकान, सब्जी मण्डी में 3 दुकानें महिला कृषकों को आबंटित की जावेंगी। आगामी माह में प्रार्थना पत्र मांगे जाकर आबंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

शेरगढ़ (जोधपुर) में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत प्रदत्त सहायता

409. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ में वर्ष 2010 से जनवरी, 2012 में राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर आर्थिक सहायता हेतु किस-किस आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों में से किस-किस आवेदकों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई तथा कितने-कितने प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त बकाया प्रकरणों में सहायता राशि जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ में वर्ष 2010 से जनवरी 2012 तक राजीव गांधी कृषक साथी योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु कुल 55 आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त आवेदकों में से 29 आवेदकों को उनके नाम के आगे अंकित राशि स्वीकृत की गई है जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। 20 प्रकरण बकाया हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। 6 प्रकरण निरस्त किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्नर है।

(3) बकाया प्रकरणों का गुणावगुण के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी का संचालन

410. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) कृषि उपज मण्डी भवन बनकर तैयार हो गया है? क्या सरकार इस भवन में कृषि उपज मण्डी प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। शीघ्र ही नवनिर्मित मण्डी प्रांगण में व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

बाड़मेर जिले के ई-कनेक्टिविटी सुविधा रहित ग्राम पंचायतें

411. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों के माध्यम से ई-कनेक्टिविटी योजना के तहत ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त योजना से बाड़मेर जिले में कितनी गाम पंचायतों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में उक्त योजना से वंचित ग्राम पंचायतों को भी ई-कनेक्टिविटी योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रूरल कनेक्टिविटी परियोजना के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति की दस ग्राम पंचायतों यथा अरड़का, चाचियावास, कानपुरा, रामसर, श्रीनगर, बबाइचा, माकड़वाली, बड़ल्या, तिहारी एवं सानोद को राष्ट्रीय पायलट के तहत जोड़ा गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा आप्टिकल फाइबर उपरोक्त दस ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक उपलब्ध करवाई गई है।

बाड़मेर जिले में कोई भी ग्राम पंचायत इस परियोजना के अन्तर्गत नहीं जोड़ी गई है।

(2) उक्त योजना केन्द्र सरकार द्वारा पोषित थी। केन्द्र सरकार द्वारा योजना स्वीकृत करने पर क्रियान्वित की जाएगी।

ई-मित्र कियोस्क संचालन हेतु जारी निविदाएं

412. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) व **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 में राज्य में ई-मित्र कियोस्क का संचालन करने हेतु विभाग द्वारा टेण्डर जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब व किन शर्तों के अध्यधीन? जारी टेण्डर व शर्तों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त टेण्डर प्रक्रिया में किन-किन फर्मों ने हिस्सा लिया एवं क्या उक्त सभी फर्म निर्धारित शर्तों को पूरा करती थीं? यदि नहीं, तो ऐसी कौन-कौनसी फर्में थीं, जो टेण्डर की शर्तों के अनुसार अयोग्य थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में किन-किन फर्मों ने किन-किन जिलों में ई-मित्र कियोस्क संचालन करने हेतु टेण्डर में क्या-क्या दरें दीं एवं किन फर्मों को किन-किन जिलों हेतु कब टेण्डर जारी कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दो फर्मों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर हुई विभागीय जांच में इनको अयोग्य पाया गया है? यदि हां, तो किन-किन फर्मों को? प्राप्त शिकायत एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों में से एक फर्म को योग्य और दूसरी को अयोग्य माना गया? यदि हां, तो किन आधारों पर एवं किस अधिकारी द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(6) क्या सरकार पारदर्शिता बरतते हुए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाली फर्मों का टेण्डर निरस्त करने एवं लापरवाह तथा गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) को चयन करने के लिये तीन चरणों में (1. प्री-बिड 2. टेक्नीकल बिड 3. कामर्शियल बिड) निविदा प्रक्रिया अपनाई गई।

प्री-बिड बैठक से पूर्व तैयार किये गये प्रारूप निविदा प्रपत्र में निविदा में भाग लेने के लिये फर्मों की पात्रता शर्तों में से दो शर्ते निम्नानुसार भी थीं :-

Clause 4.2 : “The Bidder should be an established, reputed and reliable Service provider in the field of providing ICT based services to citizens and should have at least 3 (Three) years of proven experience of providing similar services, in India. The Bidder should attach copies of the customer purchase orders/contracts which should indicate the deliverables and the scope along with a customer's certificate on bidder's satisfactory performance under the respective project(s).”

Clause 4.6 : “At least 100 ICT Kiosks Centers/kiosks owned, managed and run by the Bidder in last three years.”

प्री-बिड बैठक के दौरान मैसर्स सिल्वर टच द्वारा Clause 4.6 में संशोधन हेतु निम्न सुझाव दिये गये :-

“ICT Kiosks Centers can be any G2C Services/Citizen Facilitation center like Electronics Registration centers should be considered.”

दिनांक 19.07.2011 को हुई क्रय समिति की बैठक में विस्तृत परिचर्चा हुई तथा निर्णय लिया गया कि ऐसी फर्में जो पिछले तीन वर्षों से स्वयं के कम से कम 100 ICT Kiosks के माध्यम से आम जनता के किसी भी प्रकार की G2C सेवाएं प्रदान करने का अनुभव रखती हों उन्हें निविदा में भाग लेने हेतु पात्र माना जावे। इसके पश्चात क्रय समिति की सिफारिश पर Clause में निम्नानुसार संशोधन किया गया :-

Revised Clause 4.6 after pre-bid: “At least 100 ICT Kiosks Centers/kiosks owned, managed and run by the Bidder in last three years. Any kiosk delivering services to citizens using ICT will be eligible.”

क्रय समिति की बैठक का अनुमोदित कार्यवाही विवरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)

ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) को चयन करने के लिये निविदा क्रमांक F-5(426)/doit/tech/10/2130 दिनांक 22.06.2011 के द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। जारी टेण्डर की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)

(2) उक्त टेण्डर प्रक्रिया में 5 फर्मों ने हिस्सा लिया।

1. सिल्वर टच टैक्नोलोजी लि.
2. वीरमती साफ्टवेयर एवं टेलीकम्यूनीकेशन लि.
3. जी.एन.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
4. सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि.
5. अक्श ऑप्टीवाइवर लि.

दो फर्मों मैसर्स आई.के.एफ. टेक्नोलोजी लि. तथा वक्रांगी साफ्टवेयर लि. द्वारा निविदाएं समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की गई। अतः क्रय समिति की सिफारिश पर दोनों फर्मों को टेण्डर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया।

निविदा के अध्याय 4 में वर्णित पात्रता मापदण्डों के बिन्दु संख्या 4.2 की पूर्ति नहीं करने के कारण क्रय समिति की सिफारिश पर मैसर्स जी.एन.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. को अयोग्य घोषित किया गया। क्रय समिति की सिफारिश संलग्न है। (संलग्नक-3)

(3) फर्मों द्वारा ई-मित्र कियोस्क संचालन करने हेतु टेण्डर में दी गयी जिलेवार दरें संलग्न हैं। (संलग्नक-4)

फर्मों को ई-मित्र कियोस्क संचालन करने हेतु जारी जिलेवार कार्यादेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)

(4) हां। यह सही है कि मैसर्स अक्श आप्टीवाइवर लि. द्वारा दो फर्मों मैसर्स जी.एन.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. एवं मैसर्स सिल्वर टच टेक्नोलोजी लि. के विरुद्ध शिकायत किये जाने के उपरान्त जांच पश्चात क्रय समिति की सिफारिश पर मैसर्स जी.एन.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. को अयोग्य घोषित किया गया। कार्यवाही विवरण संलग्न है। (संलग्नक-3)

(5) हां। यह सही है। मैसर्स जी.एन.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. को अयोग्य एवं सिल्वर टच टेक्नोलोजी लि. को योग्य पाया गया।

मैसर्स सिल्वर टच के अनुभव पात्रता सम्बन्धी बिन्दु :-

(सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)

Clause 4.6 के जवाब में मैसर्स सिल्वर टच ने "Establishing and running of electronic registration centers at 124 SR offices in Gujrat" अनुभव प्रस्तुत किया।

उक्त संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, गुजरात सरकार को पत्र लिखा गया। जिसमें फर्म द्वारा Clause 4.2 तथा Clause 4.6 में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु सूचना मंगाई गई। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, गुजरात सरकार से उक्त पत्र के संदर्भ में प्राप्त सूचना निम्नानुसार है :-

Srl.	Project Name	Project Start Date	Project Comple-tion date/ Ongoing	Year wise no. of Transactions (2008-09, 2009-10, 2010-11)	Number of ICT based Outlets along with their loca-tion details
1	Establish-ing and running electronic registra-tion cen-tres at sub registrar offices in Gujrat	01.05. 2005	On Going	2008-09: 1729189 2009-10 : 2207341 2010-11 : 1841333	12 Loca-tions in 3 Districts (Mahana-garpalika area)
2	Do	01.04. 2007	On going	2008-09 : 2641827 2009-10 : 3302883 2010-11 : 3027132	91 Loca-tions in 16 Districts (Rural Area)

क्रय समिति ने उक्त सूचना के आधार पर निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म मैसर्स सिल्वर टच की पात्रता निविदा के पात्रता मानदण्डों के अनुरूप मानते हुए निम्नानुसार सिफारिश की :-

"As per the scope of work and deliverables provided by IGR, Gujarat in their supporting documents, the said services fall into the category of delivering one of the Government to Citizens (G2C) services to citizens using ICT

(सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)

centres. The intention of this department was to identify such firms that are having experience and exposure of dealing with the masses and M/s Silver Touch is successfully delivering G2C services to the citizens since the year 2008. Therefore, M/s Silver Touch meets the eligibility condition of having at least 3 (Three) years of proven experience of providing similar services, in India."

ज्ञातव्य रहे कि RFP की शर्तों में Pri-Bid बैठक व RFP में स्पष्टीकरण के कारण मैसर्स सिल्वर टच योग्यता रखता है।

मैसर्स जी.एन.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. के अनुभव पात्रता सम्बन्धी बिन्दु :-

जी.एन.जी. के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा Sugal & Damani Uitility Services Pvt. Ltd., (Payword), New Delhi एवं Department of Information Technology, Government of Himachal Pradesh, Shimla को पत्र लिखा गया। जिसमें फर्म द्वारा Clause 4.2 तथा Clause 4.6 में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु सूचना मंगाई गई। Sugal & Damani Uitility Services Pvt. Ltd., (Payword), New Delhi से उक्त पत्र के संदर्भ में प्राप्त सूचना निम्नानुसार है :-

Srl.	Project Name	Project Start Date	Project Completion date/ On going	Year wise Transactions (in Rs.)	Number of ICT based Outlets along with their location details
1.	Distribution of Electronic prepaid mobile recharge, DTH pin re-charge, coupons for purchase by the consumer of telecommunication and DTH services.	April 4 2008 (as per agree -ment signed)	On Going	2008-09NIL 2009-10 : 4154096 2010-11 : 18055841.00 2011-12 : 7317759.00	Its an integrated service offered to GNG. We have no count of there Kiosks.

(सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)

Department of Information Technology, Government of Himachal Pradesh, Shimla से उक्त पत्र के संदर्भ में प्राप्त सूचना निम्नानुसार है :-

Srl.	Project Name	Project Start Date	Project Comple-tion date/ On going	Year wise Transactions (in Rs.)	Number of ICT based Out-lets along with their location details
1	Distribution of Electronic prepaid mobile recharge, DTH pin re-charge, coupons for purchase by the consumer of telecommunica-tion and DTH services.	April 4 2008 (as per agree-ment signed)	On Going	2008-09 : NIL 2009-10 : 4154096 2010-11 : 18055841.00 2011-12 : 7317759.00	Its an inte-grated ser-vice offered to GNG. We have no count of there Ki-osks.

क्रय समिति ने उक्त सूचना के आधार पर निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म मैसर्स जी.एन.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. की पात्रता निविदा के अध्याय 4 में वर्णित पात्रता मापदण्डों के बिन्दु संख्या 4.2 की पूर्ति नहीं करने के कारण पात्र नहीं होने की सिफारिश की। क्रय समिति की सिफारिश पर मैसर्स जी.एन.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. को अयोग्य घोषित किया गया। क्रय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है। (संलग्नक-3)

(6) क्रय समिति की सिफारिश के आधार पर अयोग्य फर्म मैसर्स जी.एन.जी. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. का टेण्डर निरस्त किया गया एवं टेण्डर प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण की गई।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 फरवरी, 2012)

जोधपुर नगर के मास्टर प्लान में बस स्टैण्ड हेतु आरक्षित भूमि

44. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 27 जनवरी, 2011 को राजस्थान पथ परिवहन निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने जोधपुर जिला कलक्टर के समक्ष रोडवेज के विस्तार की तर्ज पर सेटेलाइट बस स्टैण्ड का निर्माण करने के लिये जमीन की मांग रखी थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत भूमि आबंटन प्रस्ताव और उस पर अब तक की गई समस्त कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर नगर के मास्टर प्लान 1976 से 1996 में बस स्टैण्ड हेतु आरक्षित भूमि के आबंटन हेतु विभाग ने आवेदन तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर में प्रस्तुत किये थे? यदि हां, तो प्रस्ताव और उस प्रस्ताव पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के मास्टर प्लान 2023 में बस स्टैण्ड हेतु आरक्षित भूमि के आबंटन हेतु विभाग ने आवेदन जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो प्रस्ताव और उस प्रस्ताव पर अब तक की गई कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बस स्टैण्ड हेतु आरक्षित भूमि का आबंटन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों?

(5) अब जोधपुर नगर में बस स्टैण्ड हेतु आरक्षित भूमि का आबंटन एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु विभाग कब तक आवेदन प्रस्तुत कर देगा?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दिनांक 27 जनवरी, 2011 को राजस्थान परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने जोधपुर जिला कलक्टर के समक्ष रोडवेज के विस्तार की तर्ज पर सेटेलाइट बस स्टैण्ड निर्माण हेतु जमीन आबंटन की मांग रखी थी। उक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण व रोडवेज के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अधिकारियों द्वारा पाली रोड व नागौर रोड पर प्रस्तावित भूमियों का मौका निरीक्षण किया था। पाली रोड पर विवेक विहार आवासीय योजना में शताब्दी चौराहा के पास 11630 वर्गगज भूमि परिवहन क्षेत्र के लिये आरक्षित है। इसी प्रकार नागौर रोड पर ग्राम देसूरिया विश्नोईयान में खसरा नं. 55 व 56 में 17 बीघा भूमि का आबंटन कर दिया गया। बाड़मेर व जैसलमेर रोड पर सेटेलाइट बस स्टैण्ड के लिये भूमि चिन्हिकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। यह सही है कि जोधपुर के मास्टर प्लान 1976 से 1996 में बस स्टैण्ड हेतु आरक्षित भूमि के आबंटन हेतु तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर को राजस्थान राज्यु पथ परिवहन निगम द्वारा पत्र लिखे गये थे।

जोधपुर के मास्टर प्लान 1976 से 1996 में बस स्टैण्ड हेतु जोधपुर-बाड़मेर रोड के पश्चिम में भूमि आरक्षित की गई थी। नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा उक्ता भूमि खसरा नं. 751/834, 751/836 एवं 751/836/1 कुल रकबा लगभग 25 एकड़ में आफिस एवं बस स्टैण्ड योजना बनाये जाने का निर्णय लिया गया था एवं राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 32(ए) के तहत अधिसूचना क्रमांक प.11(2)नविवि/3/93 दिनांक 12.07.1993 को जारी की थी।

उक्त भूमि वर्ष 1996 में तत्कालीन न्यारस द्वारा बनाये गये 46 खसरा (समन्वय नगर) की आवासीय योजना में भी सम्मिलित थी और तत्समय जोधपुर माडल हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के आवेदन पर राज्य सरकार के स्तर से इसका भू-उपयोग परिवर्तन राजकीय कार्यालय एवं बस स्टेण्ड को बदल कर आवासीय के रूप में कर दिया गया। वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान वर्ष 2023 में उक्त भूमि का भू-उपयोग आवासीय निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में निरन्तर वाद विचाराधीन होने के कारण बस स्टेण्ड प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का उपयोग नहीं किया जा सका है। तत्कालीन न्यास द्वारा वर्ष 2005 में उक्त भूमि के सम्बन्ध में 46 खसरा योजना के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ निर्णय कर पट्टे जारी किये गये हैं।

(3) जी नहीं।

(4) भूमि की आवश्यकता नहीं होने के फलस्वरूप भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रेषित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(5) चूंकि वर्तमान में केन्द्रीय बस स्टैण्ड का विस्तार किये जाने हेतु

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सब्जी मण्डी पावटा की 24280 वर्गमीटर भूमि आगार कार्यशाला एवं केन्द्रीय कार्यशाला की भूमि का कुछ हिस्से के बदले स्थानान्तरण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन चल रही है।

ग्राम देसूरिया विश्नोईयान में 17 बीघा भूमि का आबंटन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को किया जा चुका है व निगम द्वारा दिनांक 20.01.2012 को भौतिक कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। उक्त कार्यवाही उपरान्त राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को आरक्षित भूमि की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यातायात सलाहकार समिति की बैठक में बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए यदि आवश्यकता हुई तो मांग की जा सकेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1 मार्च, 2012)

प्रश्न संख्या-74

(स्थगित)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या-187 का विवरण)

पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर एवं पाली जिले में वर्ष 2008-09 से 2010-11 में जीरा, ईसबगोल व अरण्डी के उत्पादन का विवरण

जिला	जीरा			ईसबगोल			अरण्डी			
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बाड़मेर	8060	15083	28410	8400	34820	19621	18880	14659	23758	30771
जालौर	11167	32050	27030	8130	24629	21963	100447	72388	133819	202980
जोधपुर	13345	19113	25379	15488	23152	30011	11239	3591	12726	20074
पाली	1274	949	3896	791	378	930	2375	104	1840	8329
योग	**33846**	**67195**	**84715**	**32809**	**82979**	**72525**	**132941**	**90742**	**172143**	**262154**

नोट—वर्ष 2011-12 के लिये जीरा व ईसबगोल के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

राणावास, ठाकुरवास व नीमली (मारवाड़ जंक्शन) की सम्पर्क सड़कों का पेवरीकरण एवं नदी पर रपट का निर्माण

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम राणावास, ठाकुरवास एवं नीमली के बीच सड़क बने हुए काफी लम्बा अरसा हो गया है, किन्तु उक्त गांवों को जोड़ने वाली सड़क के बीच में बहने वाली नदी पर रपट बनी हुई नहीं है, जिससे वर्षा के दिनों में रास्ता अवरूद्ध हो जाने की वजह से आम जनता को एक दूसरे गांवों में आने-जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। राणावास से नीमली तक बनी हुई सम्पर्क सड़क के बनने के बाद में आज तक इसका निर्माण नये सिरे से नहीं किया गया है। जिसकी हालत काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था तक पहुंच चुकी है। जिससे आमजन का पैदल चलना भी दुश्गवार हो गया है।

अत: श्रीमान सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि ग्राम राणावास, ठाकुरवास एवं नीमली की सम्पर्क सड़क को पेवर किया जावे व इसके बीच में पड़ने वाली नदी पर रपट का निर्माण कार्य करवाकर आम जन को राहत दिलवाई जावे।

केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)

डारबी बरड़ क्षेत्र व बूंदी-केशोरायपाटन मार्ग पर रोडवेज बस का संचालन

मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी के डाबी बरड़ क्षेत्र के लिये रोडवेज की कोई बस नहीं होने के कारण क्षेत्र की करीब 14 पंचायतों के 50000 की जनसंख्या के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है तथा मजबूरी में अवैध साधनों में सफर करना पड़ता है जो निहायत ही जोखिम भरा रहता है। उक्त मांग सभी राजनैतिक दल तथा समस्त जनता द्वारा काफी समय से की जा रही परन्तु रोडवेज प्रशासन द्वारा बसों की कमी का हवाला देकर बस का संचालन करने में असमर्थता जाहिर की जाती रही है। डाबी बरड़ क्षेत्र का न्यायालय तथा तहसील बूंदी होने के कारण आमजन को समय पर पहुंचना सम्भव नहीं हो पाता तथा सुबह की कोर्ट होने के समय तो लोगों को समय पर नहीं पहुंचने का खामियाजा जेल जाकर तथा सजा पाकर उठाना पड़ता है।

इसी प्रकार बूंदी से केशोरायपाटन वाया माटून्दा, रायथल, मायजा लेसरदा होकर रोडवेज की बस का संचालन नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी

उठानी पड़ रही है तथा मजबूरी में अवैध साधनों में सफर करना पड़ता है जो निहायत ही जोखिम भरा रहता है।

अत: कृपया आमजन की उक्त मांग पर विशेष निर्देश दिये जाकर उक्त दोनों बसों का संचालन कराने का कष्ट करावें।

अशोक डोगरा

(बूंदी)

भोपालगढ़ थाने (जोधपुर) में पुलिस निरीक्षक का पदस्थापन

निवेदन है कि जिला जोधपुर की तहसील भोपालगढ़ में वर्तमान में पुलिस थाना पर एस.आई. की पोस्ट (पद) है, जबकि तहसील स्तर के अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी (एस.डी.एम.) लेवल के अधिकारी पदस्थापित हैं एवं पंचायत समिति मुख्यालय बी.डी.ओ. पद भी स्वीकृत है।

पंचायत समिति/तहसील भोपालगढ़ क्षेत्र में थाना हल्का क्षेत्र काफी बड़ा विस्तृत है जिनमें करीब 65 गांव आते हैं, जो बड़े-बड़े गांव हैं। इस हल्का क्षेत्र में मात्र एक पुलिस चौकी आसोप है जिसकी भी जर्जर अवस्था है एवं थाने का 40 प्रतिशत अपराध आसोप क्षेत्र का है एवं थाना हल्का की सीमायें भी एक तरफ नागौर जिले की बोर्डर से लगती हैं तथा मुख्यालय से नागौर-जोधपुर हाइवे एन.एच. 65 है उसका भी हिस्सा लगता है जो भोपालगढ़ थाना से 60 कि.मी. लगभग दूर है।

थाना भोपालगढ़ का हल्का क्षेत्र काफी विस्तृत है एवं थाना पर एस.आई. के पद दो सृजित होने पर भी एक ही एस.आई. पदस्थापित है तथा स्टाफ की नफरी भी हल्का क्षेत्र एवं अपराधों को देखते हुए बहुत कम है। पिछले वर्ष 2010-11 में भूमि घोटालों के करीब 34 मुकदमे दर्ज हुए हैं एवं अन्य आई.पी.सी. के चोरी आदि के मुकदमे दर्ज हुए हैं। कानिस्टेबलों के भी बीट क्षेत्र बडे हैं।

पंचायत मुख्यालय होने के साथ-साथ एस.डी.ओ. कार्यालय, तहसील कार्यालय, चिकित्सा कार्यालय ही काफी बड़ा सीएचसी है। पोस्ट आफिस कार्यालय भी है। यहां पर बैंक की 07 शाखायें हैं।

अत: श्रीमानजी से निवेदन है कि भोपालगढ़ में एस.डी.ओ. स्तर, तहसील स्तर, पंचायत समिति स्तर, बी.डी.ओ. स्तर पर थाना भोपालगढ़ में सी.आई. का पद पदस्थापित किया जावे, ताकि आम जन को राहत मिल सके तथा अपराधों पर अंकुश लग सके।

कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

कम्बाइन हारवेस्टर मशीन पर परिवहन कर में छूट

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं राजस्थान विधान सभा के नियम संचालन 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षण कर निवेदन करता हूं कि वर्ष 2009 से पूर्व कृषि यंत्र कम्बाइन हारवेस्टर मशीन पर लगने वाला परिवहन कर 0.3% निर्धारित था। दिनांक 27.03.2006 में यह टैक्स 0.3% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया1 लेकिन काश्तकारों के विरोध करने पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.08.2009 को परिवहन कर पुन: 0.3% कर दिया गया।

लेकिन जिन काश्तकारों ने कृषि यंत्रों (कम्बाइन) की खरीद दिनांक 27.08.2009 से पहले की थी। उन्हें इस निर्णय का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा किसानों से 6% कर वसूला जा रहा है। कर की राशि काफी अधिक होने के कारण किसान इसे चुकाने में असमर्थ है।

अत: महोदय से निवेदन है उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर किसानों को लाभान्वित करने के आदेश प्रदान करें।

सी. एल. प्रेमी

(केशवरायपाटन)

ओरिएंटल पावर केबल फैक्टरी (कोटा) को प्रारम्भ किया जाना अथवा अवाप्ति पश्चात् नवीन उद्योग का प्रारम्भ

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत कोटा की बन्द पड़ी ओरियन्टल पावर केबल फैक्ट्री को चालू कराने या 371 एकड़ फैक्ट्री की अनुपयोगी भूमि को अवाप्त कर नया उद्योग लगवाने के गम्भीर मामले की ओर में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा के ओपीसी उद्योग को 371 एकड़ भूमि लीज पर दी गई थी। और उद्योग का लगभग 8 हैक्टेयर भूमि पर ही है, शेष सारी जमीन अनुपयोगी व बेकार पड़ी हुई है। उपरोक्त भूमि 1962-63 में राज्य सरकार द्वारा वन विभाग की भूमि में से लीज पर वार्षिक लगान के आधार पर उद्योग की पांच विभिन्न तरह के केबल निर्माण हेतु उद्योग स्थापित कर लगभग 5000 व्यक्तियों को परोक्ष व अपरोक्ष तरीके से रोजगार उपलब्ध करवाने व क्षेत्र के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखने के नाम पर आबंटित की गई थी। वर्ष 1964 में नियोजकों ने पेपर इन्सुलेटेड केबल का निर्माण प्रारम्भ कर दिया था। वर्ष 1985 में उद्योग के तत्कालीन नियोजक डा. एस. के. सोमैया व वित्तीय संस्थान आईएफसीआई के बीच विवाद की स्थिति का लाभ उठाकर तत्कालीन केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अरूण नेहरू ने राज्य सरकार के मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी को प्रभावित

किया और कम्पनी का बिना एक भी शेयर खरीदे कोलकाता की एक फर्म एनआईसीसीओ को उद्योग पर काबिज करवा दिया। इस नये नियोजक की मांग पर राज्य सरकार ने उद्योग को सहायता उपक्रम घोषित कर सभी कानूनी अधिकारों को स्थगित करवा दिया। ये नये नियोजक भी बिना एक रुपया खर्च किये उद्योग के मालिक बन गये और करीब 4 करोड़ का केबल बेचकर व बम्बई कुफे रोड़ स्थित एक फ्लैट पर कब्जा करने के बाद उद्योग को छोड़कर चल दिये। उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया बन्द होने के बाद श्रमिक/कर्मचारी व उनके परिवार सर्वाधिक तबाही के शिकार हेतु वर्ष 2005 में लगाये गये एक अनुमान के अनुसार वर्ष 86 से 2005 की अवधि में करीब 200 कामगार आर्थिक तंगी के चलते आहार और उपचार के अभाव में काल कलवित को गये। यह भी उल्लेखनीय है कि बीआईएफआर में जो कार्य योजना स्वीकार की गई है, उसके अनुसार उद्योग जिस भूखण्ड पर स्थित है वह मात्र 8 हैक्टेयर (लगभग 50 बीघा) है, शेष भूमि लगभग 875 बीघा भूमि का कोई उपयोग नहीं होता। और प्लांट का 2/3 भाग नहीं चलने वाली मशीनों व सम्बन्धित सहायक उपकरणों का है, जो अब कबाड़े की स्थिति में हो गया है, इसके अलावा करोड़ों रुपयों का कच्चा व तैयार माल कारखाने में मौजूद है। आशंका यह है कि पुरानी मशीनों को अपडेट करने के लिए पूंजी जुटाने के नाम पर नियोजक इस कच्चे व तैयार माल व गैर उपयोगी मशीनों व उपकरण व मौजूद कबाड़ को बेचकर 35-40 करोड़ रुपया अर्जित कर हड़पना चाहते हैं। नियोजक जमीन सहित उद्योग व उसकी सम्पत्तियों को अरबों रुपए लेकर किसी अन्य को हस्तांतरित करने की तैयारी में भी है। हाल ही में राज्य सरकार ने उद्योग को सहायता उपक्रम बिना किसी आधार के घोषित कर दिया है, जिसका उपयोग नियोजक उद्योग की सम्पत्तियों व परिसम्पत्तियों को उद्योग से निकालने के लिए करेगा और स्वयं के हित में सम्पत्ति अर्जित करेगा। अत: उपरोक्त स्थिति में उद्योग की गैर उपयोगी भूमि को राज्य सरकार से अधिग्रहित करवाकर उसे अन्य उद्योग स्थापित करवाने के उपयोग में लिया जाये। नहीं तो फैक्टरी मालिकों से सरकार की मिलीभगत के खिलाफ कोटा में जन आन्दोलन होगा।

भवानी सिंह राजावत

(लाडपुरा)

जहाजपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यन्त लोक महत्व का है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में चिकित्सालयों में काफी पद

रिक्त हैं। क्षेत्र में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में स्वीकृत 8 कनिष्ठ विशेषज्ञों के विपरीत मात्र 2 कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा 4 चिकित्साधिकारियों के प्रति 2 चिकित्सक कार्यरत हैं एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पण्डेर में स्वीकृत दो कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं तीन चिकित्साधिकारियों के प्रति मात्र एक चिकित्सक ही पदस्थापित है इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटड़ी में स्वीकृत 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं 2 चिकित्साधिकारियों के प्रति केवल 1 चिकित्सक कार्यरत है। इस प्रकार पूरे विधान सभा क्षेत्र की करीब 3.5 लाख से अधिक जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत कुल 11 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों में से 10 पद तथा 9 चिकित्साधिकारियों में से 5 पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्तियों को साधारण बीमारी के इलाज करवाने के लिए जिला मुख्यालय या फिर अन्य जिलों के चिकित्सालयों में जाना पड़ रहा है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में दन्त चिकित्सक का एक पद, दन्त तकनीकी सहायक का एक पद एवं नेत्र सहायक का एक पद भी रिक्त है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकांश गरीब काश्तकार निवास करते हैं जो नजदीक इलाज नहीं मिलने पर दूरस्थ जिला मुख्यालय तक नहीं जा सकते हैं तथा समुचित इलाज के अभाव में मरीजों की अकाल मृत्यु हो जाती है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब काश्तकारों को नजदीकी इलाज की सुविधा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर, पण्डेर एवं कोटड़ी में कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन की व्यवस्था करावें।

शिवजीराम मीणा

(जहाजपुर)

चिखली उप-तहसील (डूंगरपुर) का तहसील में क्रमोन्नयन

जिला डूंगरपुर में उप तहसील ग्राम चिखली में लम्बे समय से खोली हुई है। यह क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र की 75 प्रतिशत आबादी जनजाति की है। इस क्षेत्र की जनसंख्या 95033 है। इसमें 11 राजस्व ग्राम तथा पटवार वृत 20 एवं ग्राम पंचायतों की संख्या 23 है। चिखली की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 75 कि.मी. है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस चौकी, पशु औषधालय, सहायक कृषि अधिकारी, वनपाल कार्यालय आयुर्वेद औषधालय के साथ पटवार मण्डल, विद्युत वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कार्यालय भी मौजूद है। तहसील कार्यालय के लिए उपयुक्त भवन भी उपलब्ध है। यहां सीनियर माध्यमिक

स्तर की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह उप तहसील कार्यालय के सभी मापदण्डों को पूरा करती है।

मेरी राज्य सरकार से मांग है कि चिखली उप तहसील कार्यालय को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करने की तुरन्त घोषणा करें।

शंकर लाल अहारी

(चौरासी)

राज्य में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति व अन्य सहकारी समितियों के कर्मचारियों का वेतनमान प्रकरण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के सहकारी साख आंदोलन की नींव प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां/वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में सभी व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सैल्समेन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कि प्रदेश के प्रत्येक पंचायत, गांव तथा ढाणियों में कार्यरत हैं। सहकारी कर्मचारी यूनियन का प्रत्येक कर्मचारी सहकारी आंदोलन की रीढ की हड्डी है, तथा आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वह महंगाई के इस दौर में अपने वेतनमान, दैनिक भत्ते व सेवा सुरक्षा से महरूम है। यह सब कर्मचारी सहकारी समिति के कर्मचारी हैं, जो कि सहकार से जुड़े हुए ऋण वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं क्षेत्र के किसानों को खाद, बीज, आदि उपलब्ध कराने का राज्य सरकार की इन योजनाओं में एक मजबूत कड़ी बनने का कार्य करते है। केन्द्र सरकार की नरेगा योजना में भी मजदूरों को भुगतान का कार्य भी समय-समय पर सरकार के साथ मिलकर इनके द्वारा किया गया है।

इन सब महत्वपूर्ण कार्यों को करने के बावजूद आज तक सहकारी कर्मचारी उचित वेतनमान एवं सेवा सुरक्षा से वंचित है। जहां एक तरफ समिति के ऋण वितरण व्यवसाय में ब्याज का मार्जिन घट गया है। खाद के कट्टों पर लागत बढ़ने के साथ प्रतिफल भी कम हो गया है। परन्तु फिर भी इन कर्मचारियों की राज्य सरकार द्वारा लम्बे समय से अनदेखी हो रही है। उसके जीवन-यापन एवं परिवार के पालन-पोषण के लिए आवश्यक वेतन एवं महंगाई भत्ते को सहकारी समिति के तीस प्रतिशत के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि सरासर अन्याय है। इस शर्त के चलते प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी को 5200-20200 वेतनमान की घोषणा होने के बावजूद भी पिछले कई माह से इनका मासिक वेतन तक का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश स्तर पर इन कर्मचारियों में आक्रोश व असंतोष फैलता जा रहा है।

अत: मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि

सहकारी कर्मचारियों के वेतनमान में तीस प्रतिशत लाभ की शर्त हटाने का ऋण विवरण का मार्जिन पंजाब तथा हरियाणा के समान करने व खाद के कट्टे का प्रतिफल बढ़ाने का श्रम करावें। जिससे सहकारी कर्मचारियों को हड़ताल एवं धरने जैसे कदम ना उठाने पडें।

अभिषेक मटोरिया

(नोहर)

कोटा शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर के सभी प्रमुख मार्गों की सड़कें तथा शहर की लगभग सभी कालोनियों की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं नगर विकास न्यास कोटा के माध्यम से कोटा के विकास एवं सौन्दर्यकरण के नाम पर आठ सौ करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शहर से बाहर जाने वाली सड़कों के हालात बद से बदतर हैं।

विभागों में समन्वय और प्लानिंग के अभाव में कभी सीवरेज लाइन तो कभी गैस, टेलीफोन लाइनों को डालने के नाम पर शहर की अधिकतर सड़कें खोदी जा रही हैं। खुदाई हेतु तय मापदण्डों का पालन नहीं किया जाता है और सड़क खोदने के बाद कई हफ्तों एवं महीनों तक सड़क की मरम्मत नहीं की जाती है और कुछ जगह मरम्मत भी की गई तो सिर्फ लीपापोती कर इतिश्री कर ली गई है। हालात यह है कि सरकारी विभागों में आपसी समन्वय नहीं होने के कारण एक विभाग सड़का का निर्माण करवाता है तो दूसरा विभाग लाइन डालने के नाम पर उसी सड़क को पुन: खोदे देता है जिससे जनता को असुविधा तो होती है साथ ही जनता के धन की बरबादी भी हो रही है।

प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री टूटी सड़कों दौरा करते हैं और एक माह में शहर की सड़कें दुरूस्त करने का आदेश देते हैं लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है सड़कों की बेतरतीब एवं बिना अनुमति खुदाई निरन्तर जारी है।

शहर में वाहन चालकों के लिये सड़कों पर वाहन चालाना बाधादौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जैसा साबित हो रहा है। गडडों एवं खुदी हुई सड़कों के कारण हादसों में अगस्त से अक्टूबर 2011 तक (तीन महीने) में 52 लोगों कि मौतें हो गयीं ओर 150 से अधिक लोग घायल हो गये हैं। इन हादसों में किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी सुहागन का सुहाग उजड़ गया। गड्डों में गिरकर घायल हुये कई लोग स्थायी विकलांगता का शिकार हो रहे हैं तो कई लम्बे समय तक पलंग पकड़ने को

मजबूर हो रहे हैं। आमजन की पीड़ा उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है लेकिन जनता के इस दर्द और परेशानी की ओर किसी का ध्यान नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय एम.बी.एस. चिकित्सालय में रोजाना आने वाले दुर्घटना सम्बन्ध मामलों में से 40 फीसदी इन उखड़ी सड़कों की गिट्टी व गड्डों के शिकार है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि शहर में केबल, पाइप डालने व अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को ठीक करवाने के साथ ही अवैधानिक रूप से खोदी गई सड़कों से सम्बन्धित अधिकारियों की भूमिका की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये व टूटी हुई सड़कों की अविलम्ब मरम्मत कराई जाये।

ओम बिरला

(कोटा दक्षिण)

राजस्थान विनियोजन प्रोत्साहन स्कीम, 2010 में तेल मिल इकाइयों को शामिल किया जाना

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान विनियोजन प्रोत्साहन स्कीम 2010 से नये उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की प्रेरणा मिलेगी। परन्तु जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा गत वर्षों में आयलसीड टेक्नोलोजी मिशन के तहत बहुमुखी प्रयास कर तिलहन उत्पादन के लिए राज्य को जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा मिली है वह शायद प्रोत्साहन स्कीम 2010 में तेल मिल इकाइयों को लेकर लगाए गए प्रतिबन्ध से खण्डित ही होगी।

रबी तिलहन उत्पादन में सरसों/रेपसीड उत्पादन के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 26 लाख हैक्टेयर ही बिजाई हो पाई है जबकि वर्ष 2010-11 में यह रकबा 30.24 लाख हैक्टेयर था। इस बार सरसों का उत्पादन कम होगा। अभी तक पश्चिमी जिलों में फसल बाजार में आने ही लगी है और सरसों का मूल्य 3400 रु. प्रति क्विंटल तक हो गया है। इस पर त्रासदी है कि सामान्य उपभोक्ता को सरसों, खाद्य तेलों की वजह से भी सामान्य तेल मिलों का संचालन विपरीत रूप से प्रभावित हो रहा है। परिस्थितियां तेल मिलों के विपरीत जाने लगी हैं और बड़ी संख्या मिलों के बन्द होने की स्थिति बन गई है। इस पर राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित विनियोजन नीति में तेल मिलों को नाकारात्मक सूची में रखना कोढ़ में खाज बन गया है। इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जावेंगी।

अत: राज्य की कृषि उत्पादन की आर्थिकी नीति को पटरी पर बनाए रखने के लिए यदि राज्य सरकार प्रोत्साहन नीति 2010 में संशोधन कर तेल मिलों को इस नाकारात्मक सूची से हटा देती है तो इन छोटे-छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिल सकती है। आपसे आग्रह है कि आप इस विषय में शीघ्र निर्णय लेकर उद्योग जगत को सहारा प्रदान करेंगे।

राधेश्याम गंगानगर

(श्रीगंगानगर)

फुलेरा के वार्ड संख्या 11, 12 व 14 में पेयजल की व्यवस्था

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बे में नगरपालिका के वार्ड संख्या 11, 12, 13 एवं 14 में वर्तमान में पानी की कोई सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई हुई है। फुलेरा नगरपालिका के अधीन कुल 20 वार्ड हैं जिनमें से उक्त चार वार्डों में विभाग द्वारा पेयजल के लिए आज दिन तक कोई लाइन नहीं डाली गई है। इस सम्बन्ध में बार-बार विभाग से निवेदन किया गया है, लम्बे समय से जनता द्वारा लगातार मांग की जा रही है लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है और पानी की समस्या भयंकर रूप से व्याप्त है जिससे नगरवासी आक्रोशित हैं। यह आक्रोश कभी भी उग्र रूप ले सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से प्रार्थना है कि फुलेरा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 11, 12, 13 एवं 14 में पेयजल की व्यवस्था कराने की कृपा करें ताकि स्थानीय निवासियों को इस भयंकर पानी की समस्या से निजात मिल सके।

निर्मल कुमावत

(फुलेरा)

वैर में पेयजल की व्यवस्था

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र में आता है जहां पर गर्मी के मौसम में पीने के पानी की बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो जाती है पशुओं को पीने का पानी नहीं मिलता जल स्तर बहुत गहरा होने के कारण कुओं का पानी सूख गया है भरतपुर जिले को डार्क जोन घोषित होने के कारण निजी बोरिंग लगाने की परमीशन नहीं मिलती मैं ऐसी ग्राम पंचायतों के नाम बता रहा हूं जिनमें पीने के पानी आज तक कोई साधन नहीं है। जैसे ग्राम पंचायत बगरैन, खरैरी, मिठार, कलसाड़ा, जगजीवनपुर, नारौली, बारौली, सिरस, लखनपुर,

झारौठी, घाटरी, गोगेरा, समराया, सुहारी, सुहांस, भौंडा गांव, हाथौड़ी, ठमरेड़, बबेखर, रणधीरगढ़, लुहासा, जीवद, अजरौदा, मैनापुरा, चैटोली, नैवाड़ा, चकखेरली, आदि गांवों में ग्रीष्मकाल को देखते हुये डीपवोर स्वीकृत कर लगवा दिये जाते हैं तो आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

बहादुर सिंह
(वैर)